अष्टम माला, खंड 4, अंक 22,

शुक्रवार 12 अप्रैल, 1985
22 चैत्र 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Acc. No. 55
Date 27/3/67

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 12 अप्रैल, 1985/22 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 7, अ० प्र० संख्या "28036" के स्थान पर "2836" पढ़िये एवं पंक्ति 8 में अ० प्र० संख्या "2991" के स्थान पर "2911" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (i), अंतिम पंक्ति "सामुदायिक उत्पाद" के स्थान पर "सामुद्रिक उत्पाद" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ 2, पंक्ति 5, "प्रबन्धक को" के स्थान पर "प्रबन्धको" पढ़िये एवं पंक्ति 12 में "श्री कुष्ण प्रताप सिहृ" के स्थान पर "श्री कृष्ण प्रताप सिंह" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ 3, पंक्ति 2, "श्री एम० रघुना रेड्डी" के स्थान पर "श्री एम० रघुमा रेड्डी" पढ़िये पंक्ति 7 में "पुन: स्वापित" के स्थान पर "पुर : स्थापित पढ़िये तथा पंक्ति 8 में "श्री बी० बी० वेसाई" के स्थान पर "श्री बी० बी० देसाई" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ 3, नीचे से पंक्ति 5 और 6 के बीच "श्री मूलचन्द डागा" अंत : स्थापित करिये एवं नीचे से पंक्ति 5 में "(संबलन)" के स्थान पर "(संबलम)" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iv), पंक्ति 5 से 7 को इस रूप में पढ़िये "संविधान (संशोधन) विधेयक 1985 (अनुच्छेद 44 का लोप)—वापस लिया गया"

पृष्ठ 1, नीचे से पंक्ति 4, "श्री नारायण चौबे" के नाम के ऊपर "+" चिह्न लगाइये ।

पृष्ठ 5, नीचे से पंक्ति 3, "श्री जितेन्द्र प्रसाद" के नाम के ऊपर "+" चिह्न लगाइये ।

पृष्ठ 10, नीचे से पंक्ति 4, "(अनुवाद)" का लोप करिये ।

पृष्ठ 11, नीचे से पंक्ति 5, "श्री जनिदन पुजारी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजारी" पढ़िये ।

पृष्ठ 11, नीचे से पंक्ति 3, "सम्बन्धि" के स्थान पर "सम्बन्धित" पढ़िये ।

पृष्ठ 16, नीचे से पंक्ति 7, "अध्यक्ष महोयय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 23, नीचे से पंक्ति 2, "श्री जानार्दन पुजारी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजारी" पढ़िये।

पृष्ठ 24, नीचे से पंक्ति 10, "श्रीमती विभा घोष गोस्वामी" के नाम के ऊपर "┤" चिह्न लगाइये।

पृष्ठ 34, पंक्ति 7, "(क) (ग)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 38, पंक्ति 7, "श्री मलचन्द्र डागा" के स्थान पर "श्री मूलचन्द डागा" पढ़िये।

पृष्ठ 46, पंक्ति 15, प्र० प्र० संख्या "2176" के स्थान पर "2761" पढ़िये।

पृष्ठ 46, नीचे से पंक्ति 5, "मंत्राशय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।

पृष्ठ 47, पंक्ति 4, "काय" के स्थान पर "क्या" पढ़िये।

पृष्ठ 50, नीचे से पंक्ति 9, "श्री एम० कमालिंगम" के स्थान पर "श्री एम० महालिंगम" पढ़िये।

पृष्ठ 51, पंक्ति 14, "श्री सतन कुरार मण्डल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मंडल" पढ़िये।

पृष्ठ 51, नीचे से पंक्ति 6, "श्री जनादंदन पुजारी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजारी" पढ़िये।

पृष्ठ 53, पंक्ति 9, "श्री पियूस तिरकी" के स्थान पर "श्री पीयूष तिरकी" पढ़िये।

पृष्ठ 53, नीचे से पंक्ति 6, "श्री हन्नान मोलाह" के स्थान पर "श्री हन्नान मोल्लाह" पढ़िये।

पृष्ठ 55, पंक्ति 2, "श्री बेझवाजी पापी रेड्डी" के स्थान पर "श्री बेजावाड़ा पापी रेड्डी पढ़िये।

पृष्ठ 56, पंक्ति 5, "न्मत्रालय" के स्थान पर "मन्त्रालय" पढ़िये।

पृष्ठ 64, नीचे से पंक्ति 6, "श्री थम्मन थामस" के स्थान पर "श्री थम्पन थामस" पढ़िये।

पृष्ठ 67, नीचे से पंक्ति 7, "श्री के० प्रधान" के स्थान पर "श्री के० प्रधानी" पढ़िये।

पृष्ठ 70, नीचे से पंक्ति 5, "श्री पी० ए० संगम" के स्थान पर "श्री पी० ए० संगमा" पढ़िये।

पृष्ठ 78, पंक्ति 4, "श्री राधाकांत दिगाल" के स्थान पर "श्री राधाकांत डिगाल" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति 17, "भवनेश्वर" के स्थान पर "भुवनेश्वर" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 6, "श्री के० जी उन्नीकृष्णन" के स्थान पर "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन" पढ़िये।

पृष्ठ 93, पंक्ति 8, "श्री जनार्दन पुजरी" के स्थान पर "श्री जनार्दन पुजारी" पढ़िये।

पृष्ठ 93, पंक्ति 13, "श्री ई० एस० एम० फकीर मोहम्मद" के स्थान पर "श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद" पढ़िये।

पृष्ठ 98, पंक्ति 12, अ० प्र० संख्या "2881" के स्थान पर "2821" पढ़िये।

पृष्ठ 107, पंक्ति 19, "प्रो० मिजिनालंग कामसन" के स्थान पर "श्री मिजिनलंग कामसन" पढ़िये।

पृष्ठ 136, पंक्ति 5, अ० प्र० संख्या "2862" के स्थान पर "2865" पढ़िये।

पृष्ठ 140, पंक्ति 19, "श्री मूलचन्द ठागा" के स्थान पर "श्री मूलचन्द डागा" पढ़िये।

पृष्ठ 142, पंक्ति 13, पृष्ठ 202, पंक्ति 8, "श्री बी० वी० देशाई" के स्थान पर "श्री बी० वी० देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 155, पंक्ति 6, "श्री बी० के० डाढ़वी" के स्थान पर "श्री बी० के गढवी" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति 9, "सुग्रावजा" के स्थान पर "मुग्रावजा" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति 11, "श्री मूलएन्द डागा" के स्थान पर "श्री मूलचन्द डागा" पढ़िये।

पृष्ठ 158, पंक्ति 14, "अभ्रक" के स्थान पर "अभ्रक" पढ़िये एवं "श्री बेजवाडा पापी रेड्डी के स्थान पर "श्री बैंजावाड़ा पापी रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 172, पंक्ति 10, अ० प्र० संख्या "2605" के स्थान पर "2905" पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति 2, "श्री हरिश रावत" के स्थान पर "श्री हरीश रावत" पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति 20, "(य)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 184, पंक्ति 10, "कोलला मन्त्री" के स्थान पर "कोयला मन्त्री" पढ़िये।

पृष्ठ 202, पंक्ति 8, "श्री बी० वी० देशाई" के स्थान पर "श्री बी० वी० देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 206, पंक्ति 15, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 220, पंक्ति 10, "श्री इन्द्रीजीत गुप्त" के स्थान पर "श्री इन्द्रजीत गुप्त" पढ़िये।

पृष्ठ 235, पंक्ति 11-12, "(घ) जी है" के स्थान पर "(ख) जी, हां" पढ़िये।

पृष्ठ 235, पंक्ति 16, "अध्यावेदन" के स्थान पर "अभ्यावेदन" पढ़िये।

पृष्ठ 240, पंक्ति 1, 9, 11, 16, 19, 22 तथा 24, "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन" के स्थान पर "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

पृष्ठ 242, पंक्ति 19, "(सम्मलपुर)" के स्थान पर "(सम्बलपुर)" पढ़िये।

पृष्ठ 254, पंक्ति 21, पृष्ठ 255, पंक्ति 9 व 22, पृष्ठ 256, पंक्ति 11, "प्रस्ताव स्वीकृत हुआ" के दोनों ओर से कोष्ठक हटाइये।

पृष्ठ 256, पंक्ति नीचे से 5, "निर्माण बोर्ड" के स्थान पर "नियंत्रण बोर्ड" पढ़िये।

पृष्ठ 259, पंक्ति 9, "जम्बू" के स्थान पर "जम्मू" पढ़िये एवं पंक्ति 17 में "दाव" के स्थान पर "दावे" पढ़िये।

पृष्ठ 263, पंक्ति 14, "श्री काली प्रसाद पांडे" के स्थान पर "श्री काली प्रसाद पाण्डेय" पढ़िये।

पृष्ठ 265, पंक्ति "(हुमकोडा)" के स्थान पर "(हनामकोंडा)" पढ़िये।

पृष्ठ 272, पंक्ति 14, "श्री वी० एस० कृष्णन अय्यर" के स्थान पर "श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर" पढ़िये।

पृष्ठ 273, पंक्ति 16, "(राउटंसगंज)" के स्थान पर "(राबर्ट्सगंज)" पढ़िये।

पृष्ठ 283, पंक्ति 6, "श्री गिरधारी लाय व्यास" के स्थान पर "श्री गिरधारी लाल व्यास" पढ़िये।

पृष्ठ 285, पंक्ति 9, "श्री गिरघारी लाल व्यास" के स्थान पर "श्री गिरधारी लाल व्यास" पढ़िये।

पृष्ठ 285, पंक्ति 21, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 286, पंक्ति 4, "श्री वसन्द साठे" के स्थान पर "श्री वसन्त साठे" पढ़िये।

पृष्ठ 300, पंक्ति 21, "(महालमुन्द)" के स्थान पर "(महासमुन्द)" पढ़िये।

पृष्ठ 310, पाद टिप्पण में "राज्य पत्र" के स्थान पर "राजपत्र" पढ़िये।

पृष्ठ 317, पंक्ति 3, "प्रतस्थिापना" के स्थान पर "प्रतिस्थापन" पढ़िये।

पृष्ठ 346, नीचे से पंक्ति 2, "(अस्क)" के स्थान पर "(आस्का)" पढ़िये।

पृष्ठ 350, नीचे से पंक्ति 2, "लोक सभा" के पश्चात् "सोमवार" अंतःस्थापित कीजिये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 22, शुक्रवार, 12 अप्रैल, 1985/22 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-25
*तारांकित प्रश्न संख्या 406, 409, 410, 413 और 414	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26-242
तारांकित प्रश्न संख्या 405, 407, 408, 411, 412 और 415 से 424	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 से 2806, 2808 से 28036, 2838 से 2891, 2893 से 2909, 2991 से 2932 और 2934 से 2969	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	243-248
विधेयकों पर अनुमति	248-249
1985-86 के लिए आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	249-252
केन्द्रीय लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक मंहगाई भत्ते के सूत्र के पुनरीक्षण के लिए त्रिपक्षीय समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय के बारे में वक्तव्य	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	252-254
समितियों के लिए चुनाव	254-256
(एक) चाय बोर्ड	254
(दो) इलायची बोर्ड	254
(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	255
(चार) सामुदायिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	255

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	256-261
(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर अथवा कटनी में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	256
श्री अजय मुशरान	
(दो) भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के प्रबन्धक को केन्द्र द्वारा ग्रहण करने की मांग	257
श्री बीरबल	
(तीन) 14 अप्रैल को डा० बी० आर० अम्बेदकर की स्मृति में छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे सुमन	258
(चार) देश में बढ़ रही बेरोजगारी	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	258
(पांच) जम्मू और कश्मीर राज्य के सूखे से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता तथा अन्य राहत	259
श्री गिरधारी लाल डोगरा	
(छः) बलिया (उत्तर प्रदेश) तथा भोजपुर (बिहार) के किसानों के बीच परस्पर विरोधी काश्तकारी दावें	259
प्रो० के० के० तिवारी	
(सात) विशाखापत्तनम् (आन्ध्र प्रदेश) में वायु प्रदूषण	
श्री एस० एम० भट्टम	260
(आठ) स्थानीय निकायों के चुनाव निर्धारित समय पर कराने की आवश्यकता	
श्री मूलचन्द डागा	261
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86	262-288
(एक) इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय	262
श्री दिलीप सिंह भूरिया	262
श्री काली प्रसाद पांडेय	263
श्री सी० जंगा रेड्डी	265
श्री बसंत साठे	267

विषय		पृष्ठ
(दो)	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	289-310
	श्री एम० रघुना रेड्डी	290
	श्री डालचन्द्र जैन	299
	श्री भरत सिंह	
	श्री मनोज पांडेय	301
	श्री रेणुपद दास	307
विधेयक पुन: स्थापित		310
(एक)	धार्मिक संपरिवर्तनों पर प्रतिबंध विधेयक श्री बी० बी० देसाई	310
(दो)	चिकित्सा और इंजीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश का विनियमन और नई संस्थाएं खोलना विधेयक श्री एडुआर्डो फैलीरो	313
(तीन)	अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा विधेयक श्री एडुआर्डो फैलीरो	314
(चार)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 316 में संशोधन आदि श्री के० राममूर्ति	314
(पांच)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 में संशोधन आदि) श्री के० राममूर्ति	315
(छ:)	संविधान सभा विधेयक श्री के० राममूर्ति	315
(सात)	आयात और निर्यात व्यापार विधेयक श्री के० राममूर्ति	316
(आठ)	विवाह पर व्यय को अधिकतम सीमा विधेयक	316
(नौ)	मंत्रियों के वेतन (संबलन) तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा 3 का प्रति स्थापन) श्री मूल चन्द डागा	317
(दस)	सामाजिक नि:शक्ताओं का निवारण विधेयक श्री मूल चन्द डागा	·317

विषय	पृष्ठ
(ग्यारह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 309 का लोप आदि)	
श्री मूलचन्द डागा	318
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985	318-334
(अनुच्छेद 44 का लोप)	318
वापस लिया गया	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल व्यास	318
श्री हरीश रावत	321
श्री अशोक सेन	321
श्री जी० एम० बनातवाला	329
इण्डियन टोबेको कंपनी लिमिटेड (प्रबंध ग्रहण) विधेयक	334
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम भगत पासवान	334
श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव	341
श्री हरीश रावत	343
श्री राम प्यारे पनिका	344
श्री सत्यगोपाल मिश्र	346
प्रो० नारायण चन्द पराशर	348
श्री मोहर सिंह राठौर	350
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	

लोक सभा

शुक्रवार, 12 अप्रैल 1985/22 चैत्र 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम)

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष में एक और सदस्य की वृद्धि।

श्री गुलाम नबी आजाद : अर्ध-विपक्षी।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी तरफ हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अधिकाधिक मुख्य मन्त्री अपनी पत्नियों को सभा में भेज रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वे प्रतिनिधित्व पर एकाधिकार कर रहें हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे लगता है उनके परस्पर सम्बन्ध मधुरतर होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनमें से एक हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : इनके मुख्य मन्त्री बनने का कोई मौका नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आग लगना

[अनुवाद]

406 श्री नारायण चौबे
श्री एस० एम० भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 16 मार्च, 1985 को भयंकर आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग से उक्त संयंत्र का कितना भाग प्रभावित हुआ;

(ग) आग लगने के कारण कौन-कौन सी वस्तुएं जल गईं और क्षतिग्रस्त हुईं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(ङ) आग लगने के क्या कारण थे; और

(च) क्या उक्त मामले की कोई जांच की गई है और आग लगने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 16 मार्च, 1985 को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के 60-60 मेगावाट के 2 गृहीत विद्युत संयंत्रों का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों नामतः मैसर्स इलैक्ट्रिम—मैसर्स डेजीन तथा मैसर्स क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड के भंडारण यार्डों में आग लग गई। निर्माण स्थल के समीप ठेकेदारों का खुला भंडारण यार्ड आग से प्रभावित हुआ।

(ग) मैसर्स इलैक्ट्रिम—मैसर्स क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई आरम्भिक रिपोर्ट के आधार पर आग लगने से मैसर्स इलैक्ट्रिम— मैसर्स डेजीन के 398 टन उपस्कर, जिनमें टर्बोजमित्रा, वैद्युतिक उपस्कर; उपकरण, वायलर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्रा, वैद्युतिक केबिल, तथा अतिरिक्त पुर्जे शामिल थे और मैसर्स क्रम्पटन ग्रीव्स के 700 टन उपस्कर; जिनमें पावर केबिल कंट्रोल केबिल, कंट्रोल पैनल्स तथा अन्य सामान शामिल था, नष्ट हो गये।

(घ) गृहीत विद्युत संयंत्र के सभी संयंत्र तथा उपस्कर ठेकेदारों की हिफाजत तथा सीधे नियंत्रण में हैं और इनका तब तक के लिए बीमा किया जाता है जबतक इनकी स्थापना न कर दी जाए और इन्हें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को सौंप न दिया जाए। ठेकेदारों ने बताया है कि आरम्भिक/अस्थायी अनुमान के अनुसार मैसर्स इलैक्ट्रिम-मैसर्स डेजीन को 4.80 करोड़ रुपये तथा मैसर्स क्राम्पटन ग्रीव्स को 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन अन्तिम रूप से हुए कुल नुकसान का पता तभी चल सकेगा, जब वे बीमा कम्पनियों को अपने दावे प्रस्तुत कर देंगे।

(ङ) जांच समिति आग लगाने का कोई निश्चित कारण नहीं बता सकती है।

(च) जी, हां। आग लगने के लिए ठेकेदारों को उत्तरदायी ठहराया गया है।

श्री नारायण चौबे : महोदय, कुछ मामलों में यह विवरण अत्यन्त अस्पष्ट है। आप को विदित है कि लगभग सम्पूर्ण देश; विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, विद्युत संकट से ग्रस्त है दुर्गापुर

इस्पात संयन्त्र के लिए आरक्षित विद्युत संयन्त्र का निर्माण किया जा रहा था, अचानक आग लगने से सारी मशीनरी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रारम्भिक जांच के अनुसार 1087 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अभी तक अन्तिम अनुमान नहीं लगाया गया है।

प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर में कहा गया है :

"जांच समिति आग लगने के किसी निश्चित कारण का पता नहीं लगा सकी है।"

आग लगी और 10.87 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई, दूसरी ओर सम्पूर्ण देश और विशेष रूप से पश्चिम बंगाग तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र विद्युत संकट से ग्रस्त है और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि जांच समिति आग लगने के कारण का पता नहीं लगा सकी है। मेरे प्रश्न का (च) भाग इस प्रकार है :

"क्या उक्त मामले की कोई जांच की गई है और आग लगने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?"

उसके उत्तर में कहा गया है :

"जी हां। आग लगने के लिए ठेकेदारों को उत्तरदायी ठहराया गया है ."

मेरा पहला प्रश्न यह है कि यदि जांच समिति आग लगने के किसी निश्चित कारण का पता नहीं लगा सकी है तो आग लगने के लिए ठेकेदारों को कैसे उत्तरदारी ठहराया गया है ?

श्री के० नटवर सिंह : इस विषय में दिलचस्पी लेने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। इस सयन्त्र विशेष में लगी आग के प्रति उनके साथ-साथ हम भी चिन्तित हैं। आग वहां पहली बार नहीं लगी है। वहां तीसरी बार आग लगी है।

अब जहां तक सयन्त्र का सम्बन्ध है, दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र को कोई क्षति नहीं पहुंची है। आग दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के दो ठेकेदारों मैसर्स इलैक्ट्रिम मैसर्स डेजीन तथा मैसर्स क्राम्पटन एण्ड ग्रीव्स के स्टाकयार्ड में लगी।

मुझे जब आग लगने का पता चला तो मैंने पहला काम यह किया कि विभाग के सचिव श्री खोसला और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष को एक दल के साथ 24 घन्टे के अन्दर घटना स्थल के लिए रवाना होने के लिए कहा। वे वहां गए और जांच से आग लगने के कारणों का पता नहीं चला यद्यपि हम यह जानते हैं कि पहले आग वैल्डिंग की चिन्गारियों से लगी और दूसरी आग का कारण तोड़-फोड़ था।

इस मामले विशेष में हमें चिन्ता इस बात की है कि पहले वाली समितियों ने कुछ सिफारिशें की थी और ये सिफारिशें मेरे पास तालिकाबद्ध हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं। दुर्भाग्यवश सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। 'हमने ठेकेदार से पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता और प्रबन्धकों ने इस मामले विशेष पर आगे कार्यवाही क्यों नहीं की ?

जहां तक क्षति का सम्बन्ध है, क्षति सरकार को नहीं हुई है। क्षति दो ठेकेदारों की हुई है। उपकरणों का नुकसान हुआ है। हमें आश्वासन दिया गया है कि इनकी शीघ्र ही प्रतिपूर्ति की जाएगी और संयन्त्र को पूरा करने में कोई विलम्ब नहीं होगा।

श्री नारायण चौबे : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि आग कोई पहली बार नहीं लगी है, यह तीसरी बार लगी है। दो बार जांच कराने से पता चला है कि कम से कम एक बार आग लगने का कारण तोड़-फोड़ था। यद्यपि दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है फिर भी यह सारे देश का नुकसान है। यह उपकरणों का नुकसान है, इससे कार्य निष्पादन में विलम्ब होगा आदि-आदि।

अत: मेरा एक स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार को मेरे क्षेत्र के इस्पात संयन्त्र को नष्ट करने अथवा उसके पूरा होने मे विलम्ब करने में किसी षडयन्त्र का संदेह है जब कि हमें विकास कार्यों हेतु आरक्षित विद्युत संयन्त्रों की आवश्यकता है।

मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि पिछली समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र द्वारा क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया और पिछली समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को ठेकेदारों से लागू कराने में असफल रहने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री के० नटवर सिंह: इस बात का उत्तर में पहले दे चुका हूं। सर्वप्रथम, इस मामले विशेष में हमें किसी षडयन्त्र अथवा नियोजित तोड़ फोड़ का प्रमाण नहीं मिला है। यदि कोई बात प्रकाश में आती है तो हम सभा को विश्वास में लेंगे।

जैसा मैंने पहले कहा है, हम स्वयं 1983 और 1984 में समितियों द्वारा दी गई उन सिफारिशों के बारे में चिन्तित है जिन्हें ठेकेदारों ने गम्भीरता से नहीं लिया। तब हमने प्रबन्धकों से पूछा कि वह पता लगाएं कि इनका पालन न करने के लिए कौन जिम्मेदार है। यह सूचना प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हम इस घटना को गम्भीरता से लेते हैं। पिछले तीन वर्षों में तीन बार आग लगी है जो कि बहुत ही असन्तोषजनक है में इसे समझ सकता हूं।

श्री एस० एस० भट्टम : समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं और समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं, आग लगने के क्या कारण हैं और इस प्रकार भविष्य में आग न लगे इसके लिए क्या सिफारिशें की गई हैं।

श्री के० नटवर सिंह : मेरे पास समिति के सदस्यों के नाम तो नहीं हैं परन्तु 1983, 1984 और 1985 की समितियों द्वारा की गयी सिफारिशें मेरे पास हैं। वे कुछ लम्बी हैं। महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं अथवा यह सूचना सभा पटल पर रख सकता हूँ।

प्रो० एन० जी० रंगा : सभा पटल पर रख दीजिए।

डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि औद्योगिक अशान्ति के कारण दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है? क्या यह सच नहीं है कि इसका मुख्य कारण यह है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले मजदूर सभी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं और संयन्त्र के पुराना पड़ जाने के नाम पर उत्पादन में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे इस्पात के स्थान पर कबाड़ पैदा करने के अपने कार्य को तेज कर सकें।

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि कर्मचारियों के कारण, चाहे वे किसी भी मजदूर संघ से सम्बन्धित हों, दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में कोई विशेष समस्या विद्यमान है। हमने अपने मजदूरों के साथ सम्बन्ध सुधारे हैं और उनसे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगी कि दुर्गापुर में कार्य दिवसों की हानि में पर्याप्त कमी आई है।

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछ सकता हूं अर्थात आग लगने के कारण जो वस्तुएं नष्ट हुईं क्या वे आयातित थीं और यदि हां तो उन्हें बदलने में कितना समय लगेगा और क्या इससे सयन्त्र को पूरा करने में विलम्ब होगा?

श्री के० नटवर सिंह : नहीं महोदय। हमें आशा है कि विलम्ब में एक या दो महीनों से अधिक नहीं होगा। ठेकेदार ने यह आश्वासन दिया है। मेरे पास क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों की सूची है। वे उपकरण हैं—यूनिट I के ट्रबो जेनेरेटर 18.19 टन के कुछ उपकरण, कुछ विद्युत उपकरण; यूनिट I चार टन; और यूनिट II—10.2 टन; यूनिट I के कुछ औजार 23.8 टन और यूनिट II के 36.2 टन···

प्रो० एन० जी० रंगा : ये कुल कितने मूल्य के हैं?

श्री के० नटवर सिंह : इनकी कुल लागत लगभग दस करोड़ रु० है। कुछ आयातित हैं और कुछ नहीं।

श्री भोलानाथ सेन : जो आयातित हैं क्या वे स्टाक में तत्काल-उपलब्ध हैं?

श्री के० नटवर सिंह : वे स्टाक में नहीं हैं। परन्तु इन्हें यथा संभव शीघ्र प्राप्त करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की है।

स्व-रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

*409. श्री जितेन्द्र प्रसाद
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

9
5

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-भर स्वरोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सारे देश में राज्य-वार अब तक कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) क्या योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना से है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1983-84 में राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा विवरण एक में और वर्ष 1984-85 के लिए प्राप्त नवीनतम आंकड़े विवरण दो में दिए गए हैं।

वर्ष 198:-84 के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 1984-85 की पूरी तस्वीर कुछ समय बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

विवरण—एक

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 (31-3-1984 तक) के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य	1983-84 के लिए निर्धारित लक्ष्य	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुशंसित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	20,000	25401	14781	2936.00
2. असम	6,700	10944	8021	1540.44
3. बिहार	29,000	36766	14230	2278.64
4. गुजरात	11.200	19585	10497	1538.88

1	2	3	4	5
5. हरियाणा	5,300	9682	6189	998.99
6. हिमाचल प्रदेश	2,000	6126	2465	449.69
7. जम्मू व कश्मीर	1,800	2399	1416	287.95
8. कर्नाटक	12,100	27667	12307	1960.00
9. केरल	15,100	20967	13091	2110.00
10. मध्य प्रदेश	17.500	39243	18786	2857.80
11. महाराष्ट्र	20,800	52009	24596	4024.28
12. मणिपुर	1,000	1462	991	179.82
13. मेघालय	,400	632	353	75.09
14. नागालैंड	250	253	189	39.25
15. उड़ीसा	8,600	9722	6823	1368.62
16. पंजाब	6,700	15856	9047	1689.60
17. राजस्थान	10,000	23414	15054	2365.30
18. सिक्किम	100	28	15	3.05
19. तमिलनाडु	17,500	33472	21247	3316.00
20. त्रिपुरा	900	962	696	97.33
21. उत्तर प्रदेश	39,000	47585	36857	5382.85
22. पश्चिम बंगाल	25,500	41967	23680	4481.92
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	100	112	66	15.22
24. अरुणाचल प्रदेश	200	62	36	6.91
25. चण्डीगढ़	500	599	325	56.50
26. दादरा व नगर हवेली	100	174	54	10.71

1	2	3	4	5
27. गोवा, दमन व दीव	जिला उद्योग केन्द्र कार्य नहीं कर रहा था			
28. मिजोरम	200	179	196	42.61
29. पांडिचेरी	450	470	414	40.00
सकल जोड़ :	2,50,000	427738	242405	40154.05

स्रोत : उद्योग मंत्रालय

आंकड़े अनन्तिम

विवरण—दो

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 28-3-85 तक भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85 में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना में हुई प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	लक्ष्य (1984-85)	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुशासित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या	राशि (लाख रुपये)	निम्न-लिखित तारीख की स्थिति
1		2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15,100	24,295	9550	1300.00	15-3-85
2.	असम	8,200	6,424	3528	73.60	28-2-85
3.	बिहार	14,500	19,453	8220	1461.84	31-1-85
4.	गुजरात	10,700	×	3392	620.64	28-2-85
5.	हरियाणा	2,500	3,138	2095	413.04	31-10-85
6.	हिमाचल प्रदेश	6,300	×	×	×	—
7.	जम्मू और कश्मीर	1,400	1,500	400	61.98	18-3-85
8.	कर्नाटक	12,500	13,087	3084	498.01	28-2-85
9.	केरल	13,300	12,494	3490	×	28-2-85

1	2	3	4	5	6
10. महाराष्ट्र	25,000	22,335	6839	×	15-3-85
11. मणिपुर	1,000	1,459	1015	186.13	28-2-85
12. मेघालय	400	297	294	×	18-2-85
13. नागालैंड	200	×	×	×	—
14. मध्य प्रदेश	19,100	24,233	6317	×	15-3-85
15. उड़ीसा	7,000	5,063	2179	523.73	31-1-85
16. पंजाब	12,000	6,813	5100	2008.00	28-2-85
17. राजस्थान	15,000	19,739	7784	×	11-3-85
18. सिक्किम	50	×	×	×	—
19. तमिलनाडु	21,700	27,584	10767	1951.04	9-3-85
20. त्रिपुरा	700	×	×	×	—
21. उत्तर प्रदेश	37,600	4,843	1474	218.62	31-1-85
22. पश्चिम बंगाल	24,100	36,097	5581	×	15-3-85
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	100	×	22	4.80	31-12-84
24. अरुणाचल प्रदेश	50	82	42	9.17	31-1-85
25. चण्डीगढ़	300	176	200	32.50	28-2-85
26. दादर व नगर हवेली	100	67	59	11.59	28-2-85
27. गोवा, दमन व दीप	300	×	288	57.08	31-12-84
28. मिजोरम	200	200	105	22.10	28-2-85
29. पांडिचेरी	400	316	329	41.92	25-2-85
जोड़ :	2,50,000	2,29,695	82124	9496.30	—

× सूचना प्राप्त नहीं हुई।

स्रोत : उद्योग मंत्रालय।

(आंकड़े अनन्तिम)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बेरोजगार शिक्षितों को दिए जाने वाले इन ऋणों के कितने प्रतिशत का उपयोग होता है और लाभार्थियों के चयन का मानदण्ड क्या है, क्या समाज के कमजोर वर्गों के युवकों को प्राथमिकता दी जाती है अथवा रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत बेरोजगार युवकों को उचित अवसर मिलते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार की व्यवस्था करने के लिए इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 2½ लाख बेरोजगारों में 400 करोड़ रुपये वितरित करना है। इसका मानदण्ड यह है कि ये ऋण उस शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों में वितरित किये जाते हैं जो समृद्ध नहीं है। मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा ये मार्ग निर्देशी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि बैंकों के ऋणों और आर्थिक सहायता का लाभ समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के शिक्षित बेरोजगारों को प्राप्त हो।

इसके लिए एक कार्य-दल है। यह कार्य-दल शिक्षित बेरोजगार युवाओं का पता लगाता है। इस कार्य-दल में जिला रोजगार अधिकारी, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, ऋण प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक का एक अधिकारी तथा बैंकों से दो अधिकारी होते हैं। इन दो अधिकारियों का चयन जिले के बैंकों में से किया जाता है। एक जिला सलाहकार समिति भी होती है। जिसमें एक संसद और एक विधान सभा सदस्य भी होते हैं···(**व्यवधान**)···

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया मुझे उत्तर देने दीजिए। यह पता लगाने के लिए नहीं है यह पर्यवेक्षण के लिए है···

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया मेरी बात धैर्य से सुनें।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में आपत्ति कर सकते हैं, परन्तु पहले उनकी बात तो सुन लीजिए। वह बाद में स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रत्येक जिले में एक जिला सलाहकार समिति है···

कुछ माननीय सदस्य : हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : संसद सदस्यों, विधान सभाओं तथा लोगों के प्रतिनिधियों की मांग के कारण, कुछ राज्यों में हमने अनुदेश दिए हैं कि कोई पर्यवेक्षी मशीनरी होनी चाहिए। वहां ये अनुदेश दिए गए हैं कि···

अध्यक्ष महोदय : आप दोबारा पता लगा सकते हैं कि ये समितियां हैं भी या नहीं ।

श्री जनार्दन पुजारी : वह मैं पता लगा लूंगा ।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : सभी संसद सदस्यों की जानकारी के लिए उन्हें परिपत्र की एक.एक प्रति भेज दी जाये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ये समितियां नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी प्रमाणिकता का पता लगायेंगे ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके पास ऐसी सूचना आई है कि बैंक तथा डी० आई० सी० के कर्मचारी इस स्कीम से लाभ देने के लिए लोगों का चयन करने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं तथा क्या सरकार ऐसे तरीकों का भी पता लगाएगी जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके तथा इसका फायदा केवल हकदार व्यक्तियों को ही मिल सके ?

श्री नारायण चौबे : उन्हें पूरी धनराशि मिलनी चाहिए ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तथा कर्नाटक राज्यों में सत्ताधारी दल ने यह सुनिश्चित किया है कि ये फायदे केवल सत्ताधारी दल के सक्रिय सदस्यों को ही दिए जायें । (व्यवधान)

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : इसका दुरुपयोग केवल उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहां कांग्रेस का शासन है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : कांग्रेस शासित राज्यों से अच्छा प्रशासन तो विपक्ष शासित राज्यों में है । केवल विपक्ष शासित राज्यों में इसका सबसे अच्छे उपयोग किया गया है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमें यह भी पता लगान चाहिए कि हरियाणा में कौन सा दल सत्ता में है ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप उसके दावेदार हैं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : राज्य सरकारों द्वारा इस स्कीम को लागू किया जाना है । विभिन्न राज्यों से भी ये शिकायेंते आ रही हैं कि वहां भ्रष्टाचार के तत्व मौजूद हैं परन्तु ये शिकायतें सामान्य प्रकृति की हैं परन्तु हमने सम्बन्धि प्राधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए । केवल यही बात नहीं है, क्योंकि मैं केन्द्रीय सरकार का मंत्री होने के रूप में देश का दौरा कर रहा हूं तथा यह सहायता सार्वजनिक समारोहों में ही दी जाती है, वहां पर भी मैं जांच

पड़ताल कर रहा हूं। जहां पर भी शिकायतें होती हैं वहां मैं शीघ्र ही जांच के आदेश दे देता हूं।

जहां तक पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश से शिकायतों का सम्बन्ध है, हमें शिकायतें तो आ रही हैं परन्तु मैं राज्य सरकारों से अपील कर रहा हूं कि इसमें तरफदारी न की जाए। हकदार लोगों को ही इसका फायदा पहुंचना चाहिए। इस स्कीम का यही लक्ष्य तथा इरादा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं मन्त्री जी को यह सूचित करना चाहूंगी कि जिस समय यह ऋण वितरित किया जा रहा था उस समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सलाहकार समिति का चाहे एक ही सदस्य क्यों न हो तथा भूतपूर्व वित्तमन्त्री मौजूद थे। पर मुझे वहां कभी नहीं बुलाया गया। इसीलिए सरकार के रुख में तरफदारी कितनी है; मैं नहीं जानती।

इसके बाद, महोदय, मन्त्री ने जो सारणी यहां दी है, उसमें दिल्ली के बारे में आंकड़े नहीं हैं। क्या दिल्ली विचाराधीन क्षेत्र से बाहर है। मैं दिल्ली के बारे में आंकड़े जानना चाहूंगी। (**व्यवधान**) महोदय, अब अपने अनुपूरक पर आते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या लक्ष्य को निर्धारित करते समय प्रत्येक राज्य में शिक्षित बेरोजगारों के प्रश्न की संख्या पर भी विचार किया जाता है अर्थात् ऐसे राज्य जहां पर शिक्षित बेरोजगार की संख्या दूसरो की अपेक्षा अधिक है; क्या उनको आबंटन के मामले में कोई प्राथमिकता मिलेगी।

महोदय, हिसाब-किताब के बारे में मैं थोड़ा संभ्रमित हूं तथा इसके बारे में मैं उत्तर चाहती हूं। प्रतिवर्ष 2.5 लाख लोगों का लक्ष्य है और इस वर्ष के लिए भी यह इतना ही है। सन् 1984-85 केप्रथम 3 माह तक 95 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यहां से उद्धृत कर रही हूं। मैं यह समझना चाहती हूं कि जबकि प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य तो 2.5 लाख का रहता है परन्तु यह कैसे है कि सन् 1984-85 के बजट में आपने पहले केवल 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तथा संशोधित बजट में 149 करोड़ रुपए कर दिए गए तथा फिर इस वर्ष के बजट में आपने केवल 65 करोड़ रुपए ही रखे हैं। ये तीनों आंकड़े एक ही लक्ष्य के कैसे अनुरूप हो सकते हैं? क्या इससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव वर्ष के कारण 149 करोड़ रु० संशोधित बजट में दिए गए थे जबकि वितरण में इतनी राशि दिखाई नहीं देती तथा अब क्योंकि चुनाव वर्ष समाप्त हो गया है तो इस वर्ष के लिए केवल 65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं?

(**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि दिल्ली के बारे में आंकड़े क्यों नहीं दिए गए। यह प्रथम प्रश्न है जो माननीय सदस्य ने पूछा है यह स्कीम केवल उन्हीं शहरों पर

लागू होती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है अर्थात् एक मिलियन से कम है। दिल्ली की जनसख्या 10 लाख से अधिक है। इसी वजह से इसके आंकड़े नहीं हैं।

दूसरा प्रश्न उन्होंने सलाहाकार समित के गठन के बारे में पूछा है। इसे लागू करना तथा ऐसी समितियां बनाने का कार्य राज्य सरकारों का है। वह पश्चिमी बंगाल से हैं। उनकी माननीय सदस्य को चाहिए कि अपनी राज्य सरकार से इस समिति का गठन करने के लिए कहें।

एक माननीय सदस्य : अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसी सलाहकार समितियों का गठन करना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : आन्ध्र प्रदेश से माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह अपनी राज्य सरकार से ऐसी सलाहकार समितियों का गठन करने का अनुरोध करें।

श्री गीता मुखर्जी : क्या आपने राज्य सरकारों को यह सला दे दी है कि संसद सदस्यों को शामिल करके सलहकार समितियों का गठन किया जाना चाहिए ? क्या आपके विभाग ने उन्हें ऐसा करने को कह दिया है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप हमेशा ही हस्तक्षेप करती हैं। यह अनुपूरक प्रश्न बहुत ही जटिल तथा लम्बा है, यह प्रश्न है ही नहीं। महिला सदस्य होने के नाते मैंने इन्हें अनुमति दे दी वरना मैंने अगले सदस्य को बुला लिया होता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप ने राज्य सरकारों को इस बारे में सलाह दी है ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या आबंटन के समय क्या बेरोजगार स्नातकों की संख्या पर भी विचार किया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण पर भी विचार किया जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए राशि के आबंटन के समय इस पर भी विचार किया जाएगा। वितरण के बारे में उन्होंने 401 करोड़ रुपये के आंकड़े दिए हैं। यह स्वीकृत धन राशि है। सन् 1983-84 में रु० 2,42000 बेरोजगार लोगों के लिए, 401 करोड़ रुपए है। उसमें से 268.44 करोड़ रुपये वास्तव में वितरित हो चुके हैं। तब आप पूछ सकते हैं कि यह इतनी कम क्यों है। परन्तु वितरण करते समय आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जब आप कोई छोटा उद्योग स्थापित करते हैं तो सर्वप्रथम भूमि खरीदने की आवश्यकता होती है। फिर उस पर एकक की इमारत बनानी पड़ती है। फिर मशीनरी लगानी पड़ती है। इसीलिए इन चीजों में कुछ विलम्ब हो गया था। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि अब तक 268.44 करोड़ रुपए वितरण किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्रीज आफिसर्स के तहत जो कमेटी बना रखी है जो अनएम्पलायड ग्रेजूएटस का सलैक्शन करके लोन दिलाने के लिए बैंकों को अपनी रिकमैंडेशन देनी है लेकिन देखने में ऐसा आया है कि बैंकों के पास इस कमेटी के द्वारा रिकमैंड होकर जितने नाम जाते हैं, उनमें से किसी

भी अनएम्पलायड ग्रेजुएट को लोन नहीं दिया जाता बल्कि लोन ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी बैंक के आफिसरों से सांठ-गांठ होती है या जो 6 हजार में से 3 हजार रुपया बैंक के लोगों को दे देते हैं। इस प्रकार के लोगों को ही लोन दिया जाता है। हम एम पीज की हालत यह है कि यदि कोई एम पी किसी का केस रिकमैंड करके भेज देता है तो उल्टे उससे कहा जाता है कि तुमने एम पी से कहलवा दिया इसलिए तुम्हें लोन नहीं दिया जाएगा…(व्यवधान) इस तरह आपके बैंकों के अधिकारी लोग करप्सन मे लगे हुए हैं और कोई भी संस्था, चाहे वह कलैक्टर हो, या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर हो या कोई दूसरा पदाधिकारी हो, वे लोग किसी की भी बात नहीं मानते और इस तरह लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य की तरह मुझे भी चिंता है यहां कुछ शिकायतें आई हैं। जहां कहीं भी सुस्पष्ट शिकायतें होती हैं उस पर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। तथा हमने ऐसी कार्रवाई कर भी दी है।

बजट में जो कमी की गई है उस प्रश्न के सम्बन्ध में पहले वर्ष,में कुछ धनराशि की व्यवस्था की है। स्वीकृति राशि, उन्होंने बताया, 401 करोड़ रुपए है। अब जो सहायता दी जा सकती है, वह केवल 25 प्रतिशत होती है। आप केवल 25 प्रतिशत की सहायता दे सकते हैं। नियमानुसार वह केवल 25 प्रतिशत है। हम 25 प्रतिशत तक की ही मदद कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। यदि आप ऋण के रूप में 25 हजार रुपए दे रहे हैं तो रियायत केवल 6250 रु० के लगभग होगी। अब वह और भी घटा दी गई है। इस वर्ष हमने 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गतवर्ष 165 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। फिर संशोधित अनुमान में यह घटा कर 149 करोड़ रु० कर दी गई। लेकिन फिर भी यदि और धन की आवश्यकता होगी तो वह उपलब्ध करा देंगे तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : इलैक्शन खत्म पैसा हजम।

एक माननीय सदस्य : बैंक से रिश्वत खत्म करने का सवाल है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : पैसा नहीं मिलता है, इसका इन्साफ कराइये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरा ख्याल है कि सारा सदन ही एकमत है, इसका काम कहीं दोबारा ही अमैंड करना पड़ेगा, इसे हमें किसी ढंग से डिस्कस करना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा। मंत्री जी इसमें पूरी तत्परता से काम करते हैं, लेकिन नीचे कुछ गड़बड़ है। इसको देखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

हमें इस पर बाद में किसी समय चर्चा करनी पड़ेगी। हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने यह अच्छा काम किया। मैं यह जानता हूं कि वे बहुत परिश्रम करते हैं परन्तु फिर भी हमें इस पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है श्री चन्द्र शेखर मूर्ति, इस मामले पर हम आधे घण्टे के दौरान चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसे नियम 193 में डिस्कस कीजिये, यह बहुत बड़ा सवाल है सारे देश का।

अध्यक्ष महोदय : टाइम होगा तो नियम 193 को देखेंगे।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में उत्पादन

[अनुवाद]

***410 श्री जी० भूपति :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में आधुनिक मशीनों और उपकरणों का प्रयोग शुरू किए जाने के बावजूद उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार के समक्ष क्या कोई वैकल्पिक प्रस्ताव हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण यह हैं—कमजोर प्रबन्ध-मंडल, हड़तालों की बहुत अधिक संख्या, गैर हाजिरी की अत्याधिक प्रवृत्ति और नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनमें उत्पादन शुरू होने में विलंब। केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर आंध्र प्रदेश की सरकार और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने कम्पनी के काम में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

(1) एक चुनींदा अधिकारी को कम्पनी का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक किया गया है और दो नए कार्यकारी निदेशकों को अर्थात् निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (आयोजन) को कम्पनी

के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। एक अन्य कार्यकारी निदेशक को कार्मिक कार्य के प्रभारी की हैसियत से शीघ्र ही नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

(2) आयोजन, निगरानी और सतर्कता विभागों को मजबूत किया जा रहा है।

(3) औद्योगिक संबंधों में सुधार की दृष्टि से, विभिन्न स्तरों पर प्रबंधमंडल में कामगारों के भाग लेने के लिए बनाई जा रही है, शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है और अनुशासन को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

(क) जहां कहीं आवश्यक है वहां विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से नई परियोजनाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का प्रयोग शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि० में उत्पादन बहुत कम होत जा रहा है। देश में साइंस और टैक्नोलाजी बहुत बढ़ती जा रही है और हमारे क्षेत्र में उत्पादन बहुत पीछे होता जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, सिंगरैनी कोलिरीज हमारे देश की एक अच्छी कोलियरी मानी जाती है, लेकिन पिछली 4 सालों में वहां उत्पादन करीब 12 मिलियन टन पर स्टैग्नेठ हो गया और टारगेट से वह साल-ब-साल कम होता गया और अब कम-से-कम 4,5 मिलियन टन कम हो गया। सारे दक्षिण भारत को वहां से जो कोयला पावर, सीमेंट और छोटे उद्योगों को लिये मिलता था वह कम हो गया है और उससे नुकसान हो रहा है।

इसकी वजह यह है कि वहां का जो टाप-मैनेजमैंट था; चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, वह काफी बरसों से टाप-लैस रहता गया।

एक माननीय सदस्य : टापलैस?

अध्यक्ष महोदय : आप कभी गये होंगे समुद्र के किनारे?

श्री नारायण चौबे : यह टापलैस है आपका?

अध्यक्ष महोदय : एक्सपीरिएंस की बात है।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे: महोदय, हर 6 महीने के बाद सभापति बदल जाता है। महोदय आप देखेंगे कि सर्वोच्च पद का खाली रहना किसी और क्षेत्रों में तो अच्छा रहता है परन्तु निश्चित रूप से इस उद्योग के क्षेत्र में अच्छा नहीं रहता।

एक माननीय सदस्य : उद्योग के क्षेत्रों में यह बोंटमलेस (सबसे निचला पद खाली रहता है।)

श्री वसन्त साठे : वह उससे भी बुरा है।

अध्यक्ष महोदय : ये नए शब्द गढ़ रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : दुर्भाग्यवश सिंगरेनी कोयला क्षेत्रों में श्रमिक सम्बन्ध इतने खराब हो चुके हैं कि आपको यह जानकर अचम्भा होगा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं परन्तु वहां एक वर्ष के दिनों से भी अधिक हड़ताल रही है। 1983-84 में हड़तालों की संख्या 400 थी··· (व्यवधान) यह सम्भव है।

प्रो० मधु दंडवते :—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि एक ही दिन में सभा में तीन बार वाक-आउट हो सकता है, उसी प्रकार एक ही दिन में तीन हड़तालें हो सकती हैं।

श्री वसन्त साठे : वे लोग वहां पर आपका ही अनुसरण कर रहे थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय :— मैंने दत्ता सामान्त जी को इसलिये डरते हुए मौका नहीं दिया कि अगर मैंने इनको मौका दिया तो कहीं यह वाक आउट न कर दें।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे :—ऐसी स्थिति इसके बावजूद है कि दत्ता सामंत वहां नहीं गये थे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी :—उस स्थिति में वहां एक बार पुनः हड़ताल हो गयी होती।

श्री वसन्त साठे :—तब, बहुत हद तक रेड्डी उसके जिम्मेदार हैं।

1984-85 में वहां 395 हड़तालें हुई।

इसलिये, सर्वप्रथम मैं सिंगरेनी कोलफील्ड गया था। मैं हैदराबाद में मुख्यमंत्री से मिला था और उन्हें स्थिति से भी अवगत कराया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे सख्ती के साथ स्थिति से निपटेंगे। आंध्र-प्रदेश सरकार के परामर्श से चुना गया एक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है; और तकनीन निदेशक भी नियुक्त किये जा चुके हैं मैं रामगुंडल और कोटागुंडेय गया था और एक सार्वजनिक सभा में मैं सीधे ही कर्मचारियों से स्वयं मिला था और मैंने उन्हें सम्बोधित किया था और उनसे बात भी की थी! मैंने उन्हें बताया कि हम उन्हें रोजमर्रा के प्रबंध में परामर्शदाता के रूप में सम्बद्ध करने के लिये राजी हैं। जिससे कि अपनत्व की भावना उत्पन्न हो और हड़ताल के कारण और श्रमिकों के साथ खराब

सम्बन्ध समाप्त हो जायें। मुझे आशा है कि सिंगरेनी की स्थिति में सुधार आयेगा।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति :—पिछले तीन सालों में सिंगरेनी कोल फील्ड में कितने लोग ऐक्सीडेंट में कर गये और कितने इनजर हुए हैं? कितना कितना सम्स-ग्रेशिया पेमेंट कितने लोगों को किया गया है और फैमिली पेंशन कितना दिया है।

श्री बसन्त साठे :— ये डिटेल्स मेरे पास अभीं नहीं है। आपको मैं इसके डीटेल्स भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी :—मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रबंध में सुधार लाने के लिये सरकार ने तीन निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक और एक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और उनका विचार है कि इससे स्थिति सुधर जायेगी। दूसरे, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारिता का भी प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है, उसका ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और क्या इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

श्री बसन्त साठे :—जी हां। उनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, ये कार्य किये जा रहे हैं। हमने कार्मिक संघों को कहा है कि हम सलाहकार समिति में उनके प्रतिनिधि लेंगे। इस बात की घोषणा मैंने स्वयं की थी और उन्हें ले लिया गया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उनके परिणाम आने शुरू हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :—मैं अब खतरा मोल लेता हूं और दत्ता सामंत, जो हड़ताल कराने में माहिर हैं, से प्रश्न पूछने को कहता हूं :

डा० दत्ता सामंत : यदि कोई मूलभूत प्रत्यक्ष कारण न हों तो कोई भी श्रमिक बार-बार हड़ताल नहीं करना चाहेगा! चूंकि मंत्री महोदय ने वर्ष के दिनों से अधिक हड़तालों की संख्या बताई है, अतः मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन श्रमिकों को औसतन कितना वेतन दिया जाता है? दूसरे आप श्रमिकों से मिले थे और आप को उनके असंतोष के कारणों का पता चल गया था। अपने इस दौरे के दौरान मंत्री महोदय को उनके कारणों के बारे में क्या पता चला था? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारिता की बात इस देश में असफल रही है। प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारिता होनी चाहिये किन्तु उनके हिस्से के बारे में क्या स्थिति रहेगी गत दस वर्षों से व्यर्थ में ही ये घोषणायें की जाती रही हैं। यह मात्र साहित्यिक प्रचार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय श्रमिकों की समुचित भागीदारिता से सम्बन्धित ब्यौरा तैयार करा रहे हैं? मैं अपने इन तीनों प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री वसन्त साठे : महोदय, पहली बात अर्थात् जहाँ तक सिंगरेनी कोलफील्ड में न्यूनतम वेतन दिये जाने का सम्बन्ध है, कोयला उद्योग में देश में यह सबसे अधिक है और वह है 1200/- रुपये प्रति माह। यह न्यूनतम है और औसत 1600/- रुपये प्रति माह है। कोयला उद्योग में देश के किसी भी सरकारी उपक्रम से यह राशि सबसे अधिक है। यही ऐसा एक कारण है कि लोग महसूस करते है कि वे थोड़े दिन काम करके छुट्टी मना सकते हैं······

डा० दत्ता सामंत : वहां ठेके पर लगे श्रमिक और अस्थाई श्रमिक भी होंगे।

श्री वसन्त साठे : दूसरे, मुझे कारणों का पता चल गया है। जब मैं वहां गया तो मुझे उसका पता चल गया था। उग्र सुधारवाद के नाम पर, वे कथित व्यक्ति जो पहले अपने को नक्सलवादी कहते थे (क्योंकि उस समय यही नाम प्रसिद्ध था), अब अपने को सुधारवादी कहते हैं। अब इस उग्र सुधारवाद का अर्थ क्या है ? वे वहां किसका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या वे अच्छा वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों का संरक्षण करने की चेष्टा कर रहे हैं ? महोदय कुछ क्षेत्रों में थोड़े से उग्रवादी हैं जो दबाव डालने के लिये बार-बार हड़तालें करवाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कहीं-कहीं उन्हें माफिया भी कहा जाता है।

श्री वसन्त साठे : वे लोग माफिया बन गये हैं। दुर्भाग्यवश इन कथित उग्रवादियों के समक्ष प्रतिष्ठापित कार्मिक संघ स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इसीलिये प्रतिष्ठापित कार्मिक संघों से मुझे यह कहना पड़ा था कि उनकी अपनी विश्वसनीयता खतरे में हैं। इससे बचने का एक मात्र तरीका उनका शामिल किया जाना है। विवाद के वास्तविक कारण, यदि कोई हैं, तो उन्हें प्रबंधक वर्ग के साथ बैठकर बात-चीत द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। प्रबंध में भी दोष हैं। जैसा कि मैंने कहा था, न कोई प्रबंध मंडल है न कोई सभापति, न कोई प्रबंध निदेशक और यदि हर तीन महीने बाद उसे बदल दिया जाय तो वे लोग किससे बात-चीत कर सकेंगे। यह अव्यवास्थित स्थिति थी। किन्तु अब स्थिति व्यवस्थित हो गई है। अब वहां एक सभापति, एक प्रबंध निदेशक और तकनीकी निदेशक और योजना निदेशक हैं। यह सब किया गया है और जैसा कि मैंने कहा था, अब दो महीनें के अन्दर, नतीजा सामने है कि अब वहां का वातावरण बेहतर है। मुझे आशा है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के मामलों में आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से यदि हम इन गुंडे तत्वों के प्रति सख्त रवैया अपनाते रहे, तो सिंगरेनी में कोयला उत्पादन बढ़ जायेगा।

कर प्राधिकारियों द्वारा छापे

*413. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में आयकर तथा अन्य कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें मिली सफलता का संक्षेप में विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन छापों से हीरों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो हीरों के निर्यात में कमी न होने देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1985 के पहले तीन महीनों के दौरान आयकर विभाग ने 1356 तलाशियां लीं जिनके परिणामस्वरूप प्रथमदृष्टया लगभग 7.75 करोड़ रु० मूल्य की लेखा बाह्य परिसम्पत्ति पकड़ी गई। उत्पादन शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है तथा जनवरी मार्च 1985 के दौरान 1616 मामलों का पता लगाया गया जिनमें लगभग 37.59 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क की अनुमानित राशि अन्तर्ग्रस्त है। न्यून-मूल्यांकन का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क सम्बन्धी तलाशियां ली गई थी तथा परिणामस्वरूप लगभग 21.39 करोड़ रु० के शुल्क के अपवंचन का पता चला।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एच० एम० पटेल : प्रश्न यह था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में मारे गये छापों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उत्तर तभी सही होता यदि उन्होंने गत तीन महीनों अथवा गत छः महीनों के दौरान मारे गए छापों की संख्या अथवा इसी प्रकार की कोई संख्या बताई होती। आपने केवल गत तीन महीनों में आंकड़े दिए हैं जिनसे पता चलता है कि यह संख्या 1356 है जोकि बहुत अधिक है। किन्तु मामलों के बारे में जाने बिना संख्या को अधिक या कम बताना आसान नहीं है। दूसरे, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। आपने प्रथम दृष्टया लगभग 7.75 करोड़ रुपये मूल्य की लेखा बाह्य परिसंपत्तियां, बताई थीं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पिछले अनुभव के अनुसार कितनी राशि होनी चाहिए क्योंकि 1356 तलाशियों में केवल 7.75 करोड़ रुपये की परिसंपति पकड़ी गई है। मार्च, 1985 के एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था जिसमें बताया है कि 100 करोड़ रुपये के कर अपवंचन का पता चला।" उसमें इन बातों का अर्थात आय-कर छापों, सीमा शुल्क छापों और उत्पाद शुल्क छापों का उल्लेख था इसलिए, इस प्रथम तिमाही से पूर्व के मामलों के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं अर्थात जितने मामलों में प्रथम दृष्टया कर अपवंचन की आशंका की गई थी, उनमें से जितने मामलों में छापे मारे गये तथा उनमें कर अपवंचन की जितनी राशि बरामद की गई, उनमें से वास्तव में कितने मामलों में कर अपवंचन और कितनी राशि का कर अपवंचन सिद्ध हो सका तथा कितनी राशि वास्तव में बरामद की गई थी ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ष 10 या 12 से अधिक व्यक्तियों को दंडित नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें सही स्थिति से अवगत करायें।

यह दूसरा प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न जो तीन उत्तर दिये गये हैं, उन्हीं में से उठा है। दूसरी बात यह है कि सीमा शुल्क के बारे में उन्होंने कहा है कि सीमा शुल्क की तलाशियों में 21.39 करोड़ रुपये की राशि की सीमा शुल्क की चोरी पकड़ी गई है। क्या यह सच है कि सीमा शुल्क के इस अपवंचन के कारण, सीमा शुल्क अधिकारी माल को मुक्त करने में रोक लगाते हैं जो उद्योगपतियों के लिए आता है और इन छापों के कारण वे उन्हें मुक्त नहीं करते जिससे और अधिक कठिनाई पैदा होती है तथा उत्पादन में वास्तव में रुकावट आती है? क्या यह भी रिजर्व बैंक के आदेश का हिस्सा है कि आपकी तलाशियों के कारण वास्तव में काम को रोक दिया जाना चाहिए आदि? अथवा, क्या आप उन मामलों तक ही सीमित रहते हैं जिनमें करों के अपवंचन का पता चला हो और सीमा शुल्क कार्यालय में जो नई वस्तुयें आती हैं उनके लिए उद्योग को दंड नहीं देते?

तत्पश्चात आपने तीसरा मुद्दा बताया है···(व्यवधान) मैंने सारे प्रश्न नहीं पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, आप स्वयं भी मंत्री रह चुके हैं। यह तरीका नहीं है। मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता। मेरे विचार से आप स्वयं मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहे थे। बस इतनी बात है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैंने आंकड़े मांगे हैं और मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा तथा उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। मैंने ये आंकड़े सवेरे ही मांगें हैं। जहां तक देरी होने···

श्री एच० एम० पटेल : यह कहना कि मेरा प्रश्न संगत नहीं है क्योंकि मैंने जो पिछले आंकड़े मांगे हैं, अत्यन्त आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। यह बहुत ही संगत है क्योंकि तभी तो किसी को पता चल सकेगा कि मैंने यह प्रश्न पूछा था अर्थात अचानक छापों में वृद्धि क्यों हुई है, मुझे एक प्रश्न और पूछना है। इसके अलावा और कुछ नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : यह बिल्कुल ठीक हैं। मैंने सुबह ही आंकड़े मांगे थे और वे उन्हें एकत्र कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रस्तुत कर दूंगा। उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि मैंने आंकड़े मांगे हैं और सभा के समक्ष रख दिया जायेगा।

जहां तक माल के निपटान में हुई देरी का प्रश्न है, इसका सम्बन्ध सरकार से नहीं है कि माल का निपटारा करने में देरी की जायेगी। ऐसा कोई इरादा नहीं है और यह अनुदेश दे दिया गये हैं कि विधि के अनुसार, उन्हें उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करना होता है और किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। और आगे, मैं पुनः दोहराते हुए माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होंगी।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने आय-कर से सम्बन्धित मेरे प्रश्न के भाग का पूरा उत्तर नहीं दिया है। मैं उसके लिए दबाव नहीं डालूंगा। मैं एक और बात भी जानना चाहता हूं।

उन्होंने कहा था कि सीमा शुल्क के छापों के मामलों में ऐसा नहीं होता कि छापे में पकड़ी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में देरी होती हो।

वह सच नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव है कि उन्हें यह देखने के लिए आगे और जांच करानी चाहिए कि क्या वे वैसी ही कार्यवाही करते हैं या नहीं। क्या तलाशी लेने वाले अधिकारियों के लिए इन तलाशियों को लेने हेतु कोई आचरण संहिता निर्धारित की गई है ? ऐसा केवल आयकर के मामले में ही नहीं है अपितु उद्योग में उत्पाद तथा सीमा शुल्य के सम्बन्ध में ऐसा हो रहा है। इसमें उद्योगपति अंतर्ग्रस्त होते हैं। क्या वे उनके साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करते हैं मानो उनका अपराध सिद्ध हो गया हो ? क्या उन्हें इस तथ्य का फायदा नहीं मिलता कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उन्हें निरपराधी माना जाना चाहिए। (**व्यवधान**) जी नहीं, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे अधिक और कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। सामान्यत: जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उनके प्रति उपयुक्त शिष्टाचार बरता जाना चाहिए। आप जो कार्यवाही करना चाहते हैं, कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप कार्यवाही करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में कई बातें कही गई हैं। अब मैं हीरा उद्योग का जिक्र करना चाहता हूं आपका कहना है, नहीं। क्या यह सच नहीं है कि ये छापे पड़ने के बाद हीरा उद्योग का श्रमिक संघ काफी देर हड़ताल पर रहा है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक जब्ती नियमों के उल्लंघन का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा, यदि सरकार का ध्यान किसी विशिष्ट मामले की ओर दिलाया जाता है, तो निश्चय ही हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। लेकिन किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्हें नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही छापे मारने पड़ते हैं और यदि कोई उल्लंघन किया जाता है और ध्यान उस ओर दिलाया जाता है तो निश्चय हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या सरकार छापे मारने से हीरों के निर्यात पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है; मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हीरे की दुकान पर छापा मारते समय वास्तव में क्या हुआ। दुकान में हीरे के पैकेट पड़े पाए गए जब इन लोगों ने छापा मारा और हीरे जब्त किए तो दुकानदार ने यह दलील दी थी कि हीरे किसी अन्य व्यक्ति के हैं : और उस व्यक्ति ने कोई भी ऐसा निशान नहीं छोड़ा था जिससे पता चलता कि यह हीरे उसके ही हैं। संस्था का तर्क यह था कि उसके काम में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए और उसे ऐसा करते रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं इस सभा के माध्यम से यह बात माननीय सदस्यों तथा राष्ट्र पर छोड़ता हूं कि इन लोगों को ऐसा कार्य करते रहने की अनुमति देना संभव होगा और सभा की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने वह हीरे वहां छोड़े थे, उसके नाम और पते का कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया था और उनकी एसोसियेशन यह अपेक्षा करती है कि हमें कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। अब सभा इस पर विचार करे कि क्या ऐसा संभव है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से यह भाषण मेरे लिए एकदम अनावश्यक है। मेरा

प्रश्न है कि क्या सरकार को छापे के कारण हीरे के व्यापार पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है। आप बता सकते थे आपको जानकारी है या नहीं है अथवा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने कुछ ऐसी बात स्पष्ट की है जो लाभकारी है।

श्री एच० एम० पटेल : यह भाषण कहां देना आवश्यक था ? मैं वह समझता हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : राज्य मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि उन्होंने आज सुबह ही उनसे जानकारी मांगी है, मैं उनकी इस बात की प्रसंशा करता हूं। आप जानते हैं कि 10 दिन शेष हैं। आप सभा के अभिरक्षक है; आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हमें 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। वास्तव में हमें एक महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। सभा में प्रश्न पूछे जाने से पूर्व एक माह तक बैलट से कड़ा संघर्ष करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह कहावत सुनी कि : देर आए दुरस्त आए ?

श्री जी० जी० स्वैल : जी नहीं महोदय। मैं समझता हूं हमें अब विलम्ब करने की बजाय जल्दी करनी चाहिए . मुझे यह मान लेना चाहिए कि जब कभी मन्त्री महोदय के पास प्रश्न जाता है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसका तात्पर्य क्या है; उन्हें मन्त्रालय को इस आशय के निदेश देने चाहिए कि वह किस तरह की जानकारी चाहिए न कि अंत में सदन में आकर यह कहना चाहिए कि मैंने जानकारी मांगी थी। कल सदन में हमने ऐसा देखा कि जब चीन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया तो मन्त्री महोदय के पास चीन में तेल उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

मैं यही कहूंगा कि एक हजार छापे मारने के बाद आपके हाथ केवल 7 करोड़ रुपए से कुछ अधिक राशि ही आई। यहां यह कहावत लागू होती है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

प्रो० मधु दंडवते : मच्छर, मच्छर !

श्री जी० जी० स्वैल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन तस्करों को जिन्होंने सरकार को धन नहीं दिया था, विभिन्न व्यादेश देने के कारण सरकार को आज तक 1.700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश की स्थिति ऐसी है कि तस्कर हमारे कर तथा सीमा शुल्क अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। उनमें से कुछ को प्रलोभन दिया गया है, कुछ को धमका कर धन ऐंठा गया है और उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई है। आपने इस मामले को किस तरह निपटाने पर विचार किया है और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जानार्दन पुजारी : तस्करों के संबंध से माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की मैं उससे सहमत हूं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो कुछ हो रहा है, मैं सदन का ध्यान उस ओर

दिखाना चाहता हूं। अच्छा होगा कि पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें—कलकत्ता के एक सीमा शुल्क कलक्टर के विरुद्ध अवमानना के 78 मामले हैं। इसका क्या कारण है ? वहां सरकार कलक्टर और** की बात सुने बिना एकपक्षीय ब्यादेश दिए गए पार्टियों की बात सुने बिना ही ब्यादेश दिए गए और यहां तक कि कुछ लोग, जो किसी अन्य बड़े नगरों और महानगरों में रहने वाले थे, कलकत्ता में एक दुकान या दफ्तर खोल सकते थे और एक ब्यादेश प्राप्त कर सकते थे। इसी तरह मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा हो रहा है और हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : इस स्थिति से कैसे निपटा जाए ? चूंकि विभाग ने भी उपचारात्मक उपाय किए हैं **

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती विभा घोष गोस्वामी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसे नोट कर लिया है। मैंने इसे ध्यान से सुना है। उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह केवल अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। वह निंदा नहीं कर सकते। मैंने इसे नोट कर लिया है।

राज्यों को कोयला, लौह अयस्क और इस्पात के लिए देय रायल्टी

***414. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी**
श्री सैफुद्दीन (चौधरी) : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला, लौह अयस्क और इस्पात आदि जैसी वस्तुओं पर रायल्टी में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कोयया लौह अयस्क और इस्पात के लिए राज्यों को अदा की जाने वाली रायल्टी की दर क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विवरण

(क) से (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अधीन, खनन पट्टाधारी को उस खनिज के लिए रायल्टी देना होती है जो उसमे या उसके एजेन्ट, प्रबंधक, ठेकेदार या उप-पट्टाधारी ने निकाली या उपभोग की हो। खानिज की यह मात्रा पट्टे पर धारित क्षेत्र से निकाली या उपभोग की गई हो तथा इस पर रायल्टी उस दर से देय होती है जो, उस खनिज के संबंध में, उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उस समय निर्धारित हो। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 (3) में केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी खनिज के मामले में रायल्टी की दर चार वर्ष की अवधि में एक बार बढ़ा या घटा सकती है।

रायल्टी की दर में पिछली बार 13-2-1981 से संशोधन किया गया था। कोयला पर रायल्टी की दर में फिर संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल स्थापित किया गया था। अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा तथा अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद कोयले पर रायल्टी की दर में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा।

लौह अयस्क पर रायल्टी की दर में पिछली बार 12-6-1978 से संशोधन किया गया था। लौह अयस्क सहित प्रमुख खनिजों में से अधिकांश पर रायल्टी की दर में संशोधन पर विचार के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल बनाया गया था और इस अध्ययन दल की रिपोर्ट अगस्त 1985 तक प्रस्तुत होने की संभावना है। रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद तथा अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लेने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो लौह अयस्क की रायल्टी की दर में संशोधन किया जाएगा।

इस्पात एक फेरो अल्वाय धातु है तथा लौह अयस्क का अंतिम उत्पाद है। चूंकि यह एक धातु है इसलिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि इस अनुसूची में केवल खनिज हीं शामिल हैं। इसलिए इस्पात पर कोई रायल्टी नहीं दी जाती और इसीलिए इस्पात पर रायल्टी की दर में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : रायल्टी का प्रश्न राज्यों और केन्द्र के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और उसे ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कच्चे तेल पर रायल्टी पहले ही तीन गुना अर्थात् 61 रुपए से बढ़ाकर 185 रुपए कर दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ राज्य इससे वंचित हो रहे हैं और उनके साथ भेदभाव हो रहा है क्या सरकार आगे आयेगी और यथाशीघ्र इन मदों पर रायल्टी बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विभिन्न प्रकार के इस्पात की उत्पादन लागत

[अनुवाद]

*405 श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की मूल्य वृद्धि की घोषणा के ठीक पहले विभिन्न प्रकार के इस्पात की संयंत्र-वार उत्पादन लागत कितनी थी;

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत के बीच यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के अन्तर को कम करने और उत्पादन लागत घटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि उपभोक्ताओं को इस्पात सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा सके ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क)से(ग) कच्चे माल की लागतों में भिन्नताओं तथा प्रोडक्ट- मिल्स कार्य परिस्थितियां तथा पूंजी से सम्बद्ध लागतें अलग-अलग होने के कारण प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन-लागत अलग-अलग होती है

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में क्षमता का अधिक उपयोग, प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार और बेहतर रख-रखाव तथा खर्च में मितव्ययिता शामिल है।

सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बम्बई के भाण्डागार में चोरी की घटनाएं

*407 श्री नटवर सिंह सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 400, वीर सावरकर मार्ग, बम्बई में स्थित सीमा शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय, बम्बई के भाण्डागार से चोरी होने के कुछ मामलों की सूचनायें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने मूल्य का सामान चोरी हो चुका है;

(ग) क्या यह भाण्डागार आवासीय बस्ती में स्थित है और इसको सरकार द्वारा 'सामान्य औद्योगिक क्षेत्र' से 'आवासीय क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस भाण्डागार में जमा सामान को किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी,नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार ने 'सामान्य औद्योगिक' से 'आवासीय' इस्तेमाल में परिवर्तन के लिए अपनी मंजूरी कुछ समय पहले अधिसूचित कर दी थी; परन्तु रिपोर्ट मिली है कि बृहत्तर बम्बई नगर निगम ने अभी तक इस परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया ।

(घ) सीमा शुल्क समाहर्त्ता, बम्बई समुचित वैकल्पिक स्थान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ।

दिल्ली में दंगों के दौरान हुए नुकसान के लिए बीमा दावे

*408 **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** :
श्री मनोरंजन भक्त : } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम्बर, 1984 मे हुए दंगों में हुए नुकसान के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक बीमे की राशि पाने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नुकसान के दावों की भली भाँति जाँच की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) साधारण बीमा निगम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, नवम्बर, 1984 में हुई गड़बड़ी के कारण हुए नुकसानों के बीमा दावों के किसी भीमामले में साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियों में से किसी भी कंपनी द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है ।

तथापि, यह बताया गया है कि मैससं मोहन मशीन लि० के अग्नि दावों के सम्बन्ध में लाइसेंसधारी सर्वेक्षकों और हानि- निर्धारकों द्वारा 1.21 करोड़ रुपए की क्षति का निर्धारण किया गया है (जबकि बीमा कवच 4 करोड़ रुपए का था) जिसमें से नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा 79,50 लाख रुपया का "लेखागत" भुगतान कर दिया गया है । शेष धनराशि के लिए इन दावों पर आगामी कार्रवाही की जा रही है ।

(ख) दावे की जाँच कम्मनी द्वारा की गई थी और "लेखागत" भुगतान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशकों के बोर्ड के अपेक्षित अनुमोदन के पश्चात् किए गए हैं ।

कोचीन और त्रिवेन्द्रम में स्वापकों (नारकोटिक्स) में चोरी छिपे किए जाने वाले व्यापार को रोकने के लिए कदम

*411. **श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और त्रिवेन्द्रम को स्वापक (नारकोटिक) पदार्थों के चोरी छिपे व्यापार के लिए दो मुख्य अन्तरण पत्तनों के रूप में पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक इन पत्तनों पर तथा देश के अन्य अन्तरण पत्तनों पर अब तक कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के स्वापक बरामद किए गये और पिछले वर्ष के दौरान बरामद स्वापकों की मात्रा (मूल्य सहित) की तुलना में यह स्थिति क्या है;

(ग) सरकार के द्वारा उन तरीकों का पता लगाने जिनके द्वारा देश में नशीले पदार्थों का चोरी छिपे व्यापार किया जाता है और उन्हें समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) देश में नशीली औषधियों के प्रचलन और उनके अवैध व्यापार को रोकने के कार्य का समन्वय करने वाली ऐजेन्सियां कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने स्वापकों के चोरी छिपे व्यापार को रोकने में उनके कारगर होने अथवा न होने के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता नहीं चलता कि कोचीन और त्रिवेन्द्रम, मादक-द्रव्यों के गुप्त व्यापार के लिए दो मुख्य पारगमन स्थल हैं।

एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें मामलों की संख्या और उस समय पकड़े गये औषध-द्रव्यों की मात्रा बताई गयी है जब उनका अवैध रूप से आयात/निर्यात किए जाने का प्रयास किया जा रहा था।

जहाँ तक मूल्य का सम्बन्ध है, मादक औषध-द्रव्यों के अवैध बाजार मूल्य में बहुत ही अन्तर होता है जो उन की शुद्धता, विक्रय स्थल, स्थानीय मांग और पूर्ति की स्थिति इत्यादि पर निर्भर करता है। इस प्रकार के गुप्त सौदों के लिए कोई प्रामाणिक मूल्य नहीं होने से, ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता।

(ग) विभिन्न प्रवर्त्तन एजेन्सियों ने अपनी गुप्त-सूचना तथा निवारक कार्यवाहियां अधिक तेज कर दी हैं ताकि उन माध्यमों का पता लगाया जा सके तथा उन्हें रोका जास के जिनके जरिये औषध-द्रव्यों का चोरी छिपे व्यापार किया जाता है।

(घ) और (ङ) देश के अन्दर औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रवर्त्तन एजेन्सियां, राज्य पुलिस और आबकारी अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग हैं। औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के बारे में कार्यवाही का समन्वय समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

औशध-द्रव्यों के गुप्त व्यापार को रोकने में उनकी प्रभावकारिता की समुचित-कार्यवाही के लिए सतत समीक्षा की जाती है।

विवरण

	1983		1984		1985 (31-3-1985 तक)	
	मामलों की संख्या	मात्रा (किलोग्राम में)	मामलों की संख्या	मात्रा (किलो ग्राम में)	मामलों की संख्या	मात्रा किलो ग्राम में)
अफ़ीम	126	3875.41	99	3430.341		उपलब्ध नहीं हैं
हेरोइन	46	117.153	49	175.927		—यथोपरि—
मार्फीन	3	2.897	7	5.2		—यथोपरि—
गांजा	63	14840.847	71	10423.055		—यथोपरि—
			(2)*	(2.500)	(1)*	(134.595)*
चरस	189	3194.351	109	3801.565		—यथोपरि—
	(4)*	(1.664)*	(1)*	(516.502)—		उपलब्ध नहीं है
कोकीन	2	0.095	—	—		—यथोपरि—
अन्य औषध-द्रव्य	5	58.600	91	1639.498		—यथोपरि—

1984-85 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

( ) *ये आंकड़े कोचीन और त्रिवेन्द्रम में पकड़े गए मामलों की संख्या और औषध-द्रव्यों की मात्रा बताते हैं।

इलायची बागान को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करना

*412. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बागाल को बैंक वित्त के प्रयोजन के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सभी बागान फसलों के लिए, जिनमें इलायची बागान शामिल हैं, मध्यम तथा दीर्घावधि विकास ऋणों को पहले ही प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम राशियों के रूप में माना जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार के राजस्व और करों का अनुपात

*415. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनकर, उपहार कर और सम्पदा शुल्क (जिसे इस वर्ष के बजट में समाप्त कर (ख) से एकत्र होने वाली कुल राशि सरकार द्वारा एकत्र किये जाने वाले कुल राजस्व का केवल आधा प्रतिशत ही बैठती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1983 के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संग्रह करने की लागत संग्रहीत राजस्व से कम बैठती है; और

(घ) यदि हां, ती क्या सरकार धन और उपहार कर को भी समाप्त करने के बारे में विचार करेगी जो कि अनुत्पादक रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1983-84 में, 15738.18 करोड़ रुपये के कुल राजस्व में से धन कर, दान कर और सम्पदा-शुल्क से वसूली गई रकम क्रमश: 93.31 करोड़ रुपये, 8.84 करोड़ रुपये तथा 26.46 करोड़ रुपये थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य

*416 श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ; और

(ग) सरकार का विचार उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का उत्पादन-लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

(मिलियन टनों में)

1984-85 के लिए लक्ष्य	1984-85 में वास्तविक उत्पादन (अनंतिम)	लक्ष्य की तुलना में कमी
52.10	23.11	(—) 1.99

(ग) कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए है जिनमें यह बातें शामिल हैं—आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानों के लिए स्वीकृति, कारगारों और मशीनों की उत्पादकता में सुधार और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिये "नाबार्ड" के प्रस्ताव का अनुमोदन

*417. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" की संचालन समिति ने आन्ध्र बैंक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद तथा इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी, निजामाबाद रंगारेड्डी और कृष्णा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है जिसे वित्त मंत्रालय ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी ।

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के संबन्ध में शेयर पूंजी का अंशदान देने के लिए अपना हिस्सा जारी करने की मंजूरी भी दे दी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की स्थापना करने की अधिसूचना जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किये गये हैं, उनके मुख्यालय कहां-कहां पर हैं तथा वे किन क्षेत्रों में काम करने लगे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उनकी स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(च तत्संबन्धी अधिसूचना कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की संचालन समिति ने आंध्र प्रदेश के पांच जिलों अर्थात् रंगारेड्डी, निजामबाद, कृष्ण, ।पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी में चार और क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक खोलने की सिफारिश की थी ।

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने अधिसूचनायें जारी कर दी हैं । इन दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	प्रधान कार्यालय	कार्य क्षेत्र
गोलकुंडा ग्रामीण बैंक	15-2-85	हैदराबाद	रंगारेड्डी जिला
श्रीराम ग्रामीण बैंक	21-2-85	निजामाबाद	निजामाबाद जिला

जहां तक बाकी दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृष्णा जिले में और एक पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में खोले जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बैंकों की जारी शेयर पूँजी हिस्से के निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी जारी कर दी है ।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा

*418. **श्री बी० सोभनाद्रीश्वर राव** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए 1 अपैल, 1966 को घटाई गई दरों पर भूमि अधिग्रहीत की गई और क्या अदालतों ने कई मामलों में बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी के आदेश दिये है;

(ख) क्या सरकार ने सिविल अदालतों द्वारा पास की गई डिगरियों के संदर्भ में उन मुआवजा पाने वालों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के मामले की जांच की है जो अज्ञानता और गरीबी के कारण न्यायालयों में नहीं जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने अधिनियम, 1894, संसोधित विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1972 की धाराओं के अंतर्गत विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। इस अधिनियम के अनुसार कलक्टर द्वारा 9-4-1966 को भूमि के बाजार मूल्य और उस तारीख के बाद तथा धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशित होने से पहले किये गये किसी सुधार की कीमत के आधार पर अथवा उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर, जो भी कम हो, मुवाजा निर्धारित किया जाएगा। यह सच है कि अदालतों ने भूमि-मालिकों द्वारा चाहे गये हवालों पर बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी के आदेश दिये हैं।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा पता चलने पर कि अदालतों द्वारा अधिक मुआवजा, जिसे विभिन्न मामलों में विभिन्न दरों पर देने के लिए आदेश दिया गया था, प्रदान करने में कोई एक समान प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी, निचली अदालतों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपीलें दायर की है जबकि कुछेक मामलों में उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों की पुष्टि की है, अधिकतर मामले अभी तक उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील भी दायर की है।

जिन्होंने भूमि के लिए अधिक मुआवजे हेतु न्यायालयों से नहीं कहा है, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धाराओं के क्षेत्राधिकार से बाहर अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए सितम्बर, 1983 में प्रस्ताव किया था। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के प्राधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। उन्होंने राज्य सरकार को सूचित किया कि चूंकि निचली अदालतों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गयी अपीलें अभी लम्बित हैं, इसीलिए जब तक ये अपीलें निपटायी नहीं जाती हैं, तब तक इस मामले के बारे में निर्णय करना वांछनीय न होगा।

राउरकेला इस्पात संयन्त्र का आधुनिकीकरण

***419. श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(ग) उक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) (ग) राउरकेला इस्पात कारखाने का नवीकरण तथा प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नयन करने की योजना तैयार कर ली गई है। यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

इस योजना में इस बात की परिकल्पना की गई है कि उपयुक्त तथा लागत की दृष्टि से मितव्ययी प्रौद्योगिकियां अपनाकर कारखाने की निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन किया जाएगा।

पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जाने के बाद ही योजना पर आने वाली लागत इसे पूरा करने की समयावधि का पता चल सकेगा।

पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र स्थापित करने अथवा उसके नवीकरण का प्रस्ताव

*420. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या इस्पात, और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोई इस्पात संयंत्र स्थापित करने या किसी का नवीकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) याद हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में कोई नया इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित इस्पात कारखानों के नवीनीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं और इन योजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

इन योजनाओं में इस बात की परिकल्पना की गयी है कि उपयुक्त तथा लागत की दृष्टि से मितव्ययी प्रौद्योगिकियां अपनाकर कारखानों की निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन किया जाएगा। पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जाने के बाद ही इनकी लागत तथा इन्हें पूरा करने की समयावधि का पता चल सकेगा।

निर्यातोन्मुखी एककों से अर्जित विदेशी मुद्रा

*421. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982, 1983 और 1984 वर्षों के दौरान कितने निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित किए गए;

(ख) प्रौद्योगिकी, संयंत्र उपकरण, पुर्जों और कच्चे माल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) इन एककों में से प्रत्येक द्वारा वर्ष 1982 से 1984 तक किए गए निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981 के दौरान अनुमोदित 27 (सताईस), 1982 के दौरान अनुमोदित 19 (उन्नीस) और 1983 के दौरान अनुमोदित 11 (ग्यारह) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों ने उत्पादन और निर्यात प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) दिसम्बर, 1984 तक सयंत्र, उपस्कर, संघटकों तथा कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं के जरिये इन 57 एककों द्वारा कुल आयात 231,94 करोड़ रुपये की राशि के रहे। प्रौद्योगिक के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्धों में ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

निर्यात (मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	पार्टी का नाम	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1		2	3	4	5
1.	मै० ए एम डी ओवरसीज प्रा० लि० नई दिल्ली	—	—	—	4.12
2.	मै० बडखल इलैक्ट्रोनिक्स लि० फरीदाबाद	—	6.60	3.72	2.22
3.	दि चैन्दनी जूट क० लि० कलकत्ता	—	—	18.66	225.14
4.	डेल्टा जूट एण्ड इण्ड० लि० कलकत्ता	—	92.03	234.90	336.03

1	2	3	4	5
5. फाइनडैक्स इण्डिया लि० नई दिल्ली	—	—	—	2.99
6. फैरो एलोय कार्पो० लि० तुमसर	—	—	774.93	1975.23
7. इण्डियन एक्स्रोग्राफिक सिस्टम्स लि० बम्बई	—	967.75	970.41	943.64
8. इण्डियन एक्सपोर्ट हाउस प्रा० लि० गाजियाबाद	—	0.05	45.68	95.51
9. इन्युज इलेक्ट्रोनिक बिहार	—	—	2.38	9.81
10. खम्माम ग्रेन्टीज लि० मद्रास	17.69	0.53	8.19	—
11. लेविनो कपूर काटन्स लि० बम्बई	260.38	129.91	115.22	138.5
12. नोवा सिल्क लि० बैंगलोर	—	—	40.87	47.34
13. स्विस जैक्लस (आई) लि० बम्बई	—	10.37	4.89	6.88
14. शाव वैलैस एंड क० कलकत्ता	—	2.06	74.36	118.74
15. दि साइन्टिफिक इन्ट्रूमैन्ट क० गाजियाबाद	—	0.12	—	0.32
16. व्हील्स इण्डिया लि० मद्रास	1.37	47.69	73.20	30.15
17. मुआरी स्टेनलैस स्टील इन्डस्ट्रीज बम्बई	—	—	5.75	10.35
18. जी के बी ओ प्यालमिक्स लि० गोआ	—	—	28.68	40.48
19. इण्डियन मैटल एण्ड फैरो एलोस लि० उड़ीसा	—	—	178.61	146.71
20. करीम कैसकमी लि० कर्नाटक	53.31	154.82	215.96	60.07
21. माडर्न स्ट्रामिट (आई) लि० आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	1.17
22. मथालो स्टील प्रा० लि० बम्बई	—	—	24.08	44.55
23. केवा फेरेन्सेज प्रा० लि० बम्बई	—	—	—	17.42
24. के पी एक्सपोंटस इन्ड० नई दिल्ली	—	—	3.32	—

1	2	3	4	5
25. नव महाराष्ट्र चक्कनगिल मिल्स, पूना	—	48.65	140.62	53.73
26. यूनिवर्सल मैग्नेटिक चंडीगढ़	—	—	0.09	—
27. ह्रीमनी कैमिकल्स मद्रास	190	6.15	—	—
28. अबिक प्लास्टिक्स प्रा० लि० मद्रास	—	—	2.80	0.99
29. ग्रीटा म्यूजिकल इन्स्ट्रुमैन्ट एण्ड मैन्यू० कम्पनी मद्रास	—	0.01	0.23	8.67
30. हारवुड गार्मेन्ट लि० बंगलौर	—	2.66	23.54	48.74
31. एच जी रसिस्टर्स प्रा० लि० बंगलौर	—	—	6.126	35.76
32. लिगना पार्केट इन्ड० प्रा० लि० मद्रास	—	—	3.81	6.62
33. मैग्नेटिक इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी लि० पंजाब	—	—	41.61	156.65
34. नव भारत एन्टरप्रा० लि० हैदराबाद	—	733.57	686.82	570.00
35. इन्डो असाही ग्लास क० लि० प० बंगाल	5.75	13.48	12.23	18.81
36. कारमोबाइल्स लि० तुमकुर	—	—	—	2.75
37. रोलकोबो चैन क० गुजरात	—	—	5.24	15.47
38. स्पेशलिटी फैट्स प्रा० लि० बम्बई	—	91.56	156.50	541
39. कुद्रेमुख आयरन और क० लि० बंगलौर	701.00	4.00	1753.00	2069.00
40. दस्तूर एसोसिएट्स बम्बई	—	—	—	6.35

1	2	3	4	5
41. पाउस इन्डियन रिफैक्ट्रीज प्रा० लि० स्लम	—	—		3.35
42. पालब्रो इन्टरनेशनल सूरत	—	—	—	77.71
43. रेवडेल प्रिसिजन टूल्स प्रा० लि० बंगलौर	—	—	—	4.26
44. कम्पोजिट टूल क० (आई) प्रा० लि० जमशेदपुर	—	—	—	10.50
45. नानको ओवरसीज मैसूर	—	—		1.33
46. गोकलदास इमेजिज बंगलौर	—	—	—	8.81
47. पूनादल एंड डीसल लि० पूना	—	—	54.92	258.10
48. गोग्टे ऐक्सटाइल लि० कर्नाटक	—	—	—	51.82
49. ओलम्पिया एक्सपोर्टस प्रा० लि० कानपुर	—	—	—	2.20
50. ईस्ट एण्ड वैस्ट कलकत्ता	—	—	–	1.00
51. पोन्डस इंडिया लि० पांडचेरी	—	—	5.09	49.49
52. फाइब्रो मेडअप्स क० हैदराबाद	—	—	—	20.00
53. जैम ग्रेनाइट्स मद्रास	—	—	48.16	84.79
54. दि साइन्टिफिक फार्म कन्वर्टैन्सी सर्विसज प्रा० लि० मद्रास	—	—	—	0.18
55. थेमिसा कैमिकल्स लि० वापी	—	—	91.77	—

1	2	3	4	5
56. स्टलिंग स्टेशनरी बम्बई	—	—	—	0.70
57. आर के एक्सपोर्टस गाजियाबाद	—	—	73.85	—
योग :	1041.40	3796.01	5930.21	7530.00

स्रोत : एककों से प्राप्त रिपोर्ट ।

कोयले का आयात

*422. **श्री मल चन्द्र डागा :** क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की किस्म के स्तर में गिरावट आई है और बेहतर किस्म के कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये कोयले का वर्ष-वार/मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले की किस्म में सुधार करने और कोयले के आयात को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) हम कब से और किन उद्योगों के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कोल इंडिया लिमटेड द्वारा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमटेड (सेल) को सप्लाई किये गये शोधित कोककर कोयले में राख की मात्रा में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि का रुख बना हुआ है। "सेल" द्वारा मुख्यतः आवश्यकतानुसार और देशीय उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत से कम राख की मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है।

(ख) "सेल" ने वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में क्रमशः 13.8 लाख टन 04.63 लाख टन और 06.65 लाख टन कोककर कोयला आयात किया ।

(ग) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा, इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले कोककर कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) शोधनशालाओं को राख की अधिक मात्रा वाले तथा घटिया किस्म के कोक सहित अपरिष्कृत कोयले की सप्लाई कम से कम कर दी गई है।

(ii) शोधनशालाओं का बेहतर रख-रखाव और परिचालन सुनिश्चित् करने के लिए यथा-सम्भव अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

(iii) शोधनशालाओं के कार्य को इष्टतम स्तर तक करने के लिए अनुपूरक सुविधाएं लगाकर कुछ शोधनशाओं में व्यापक रूप से फेर-बदल किया गया है।

चूंकि हमारे देश में उपलब्ध कोयले के शोधन में काफी कठिनाई होती है और इनके लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है अत: दीर्घावधि उपाय के रूप में नई कोयल शोधनशालाओं के डिजाइन और उनके निर्माण के लिए अलग संस्थान स्थापित किया जा रहा है जो भारतीय कोयलों के अनुरूप शोधन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने का कार्य करेगा।

(घ) वर्ष 1978-79 से इस्पात कारखानों के लिए कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है।

हाल में सरकार ने तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत कोयले का आयात करने की अनुमति दी है ताकि टटीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कोयले का बफर स्टाक बना सके।

कर अपवंचकों के सम्बन्ध में सूचना देने वालों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

423. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर अपवंचन की विश्वसीयन सूचना देने वालों को (सरकारी कर्मचारियों सहित) आकर्षक प्रोत्साहन देने का है जैसा कि सरकार ने तस्करी के मामले में सूचना देने वालों को तस्करों से पकड़े गए माल के मूल्या का 20 प्रतिशत तत्सम्बन्धी सूचना देने वाले को देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मुखबिर तथा सरकारी कर्मचारी उत्पादन शुल्क अथवा सीमा शुल्क की उस रकम के जिसका अपवंचन किए जाने की मंशा थी, 20 प्रतिशत तक की रकम का तथा और लगाये आरोपित जुर्माने तथा अर्थदंड के 20 प्रतिशत तक की रकम का पारतोषिक पाने के हकदार होते हैं। बशर्ते कि वह रकम अन्तर्ग्रस्त माल के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

उन मुखबिरों को पारितोषिक की मंजूरी समय-समय पर बिनियमित की जाती है जो आयकर, धनकर तथा सम्पदा शुल्क के-मामलों में ऐसी विशिष्ट सूचना देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छिपाई गई आय, धन अथवा सम्पदा पर कर का निर्धारण तथा उगाही की जाती है। ऐसे किसी

सरकारी कर्मचारी को कोई पारितोषित मंजूर नहीं किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी सामान्य ड्यूटी के दौरान प्राप्त की गई सूचना अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करता है ।

पन्ना जिले (मध्य प्रदेश) में हीरे की खानों का बन्द होना

*424 **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन खानों के बेरोजगार हुए श्रमिकों की रोजी-रोटी की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1967 में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मझगांव तथा रामखेरिया के स्थान पर हीरे की दो खानें विकसित की गयी थीं । वर्ष 1979 में रामखेरिया की खान में उत्पादन मितव्ययी न होने, उत्पादन में कमी तथा निक्षेपों के समाप्त होने के कारण यह खान बन्द कर दी गयी थी ।

(ख) रामखेरिया की खान के बन्द होने के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी की छटनी नही की गयी थी । जिन कर्मचारियों ने निगम द्वारा लागू स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था, उन्हें मझगांव खान में खपा लिया गया था ।

कृषि अनुसंधान के लिये अत्यधिक आबंटन हेतु कृषि संघ द्वारा दिये गये सुझाव

[अनुवाद]

2755. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संघ के कुछ प्रतिनिधियों ने कृषि अनुसंधान विशेषत: दालों तथा अनाज के क्षेत्र में अत्यधिक आबंटन उपलब्ध कराने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 11 फरवरी, 1985 को कृषकों के साथ वित्त मंत्री की बजट पूर्व अनौपचारिक बैठक में, अनुसंधान सहित कृषि के विकास के लिए अधिक राशियां उपलब्ध कराने की जरूरत सम्बन्धी कुछ सामान्य प्रकार के मंतव्य

प्रकट किये गये थे। सुझाव सामान्य किस्म के थे और समय-समय पर सरकारी नीतियां बनाते हुए उनको ध्यान में रखा जाता है।

कलकत्ता बन्दरगाह पर आयातित रद्दी कागज में से धार्मिक सामग्री मिलने के विरुद्ध अभ्यावेदन

2756. श्री भोलानाथ सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कलकत्ता बन्दरगाह पर सिंगापुर से आयात किए गए रद्दी कागज की गांठों में से कुरान के पृष्ठों सहित धार्मिक सामग्री बार-बार मिलने के विरुद्ध विरोध करते हुए कई अभ्यावेदन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातकर्ताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या आयातकर्ताओं को माल की सुपुर्दगी करने से पूर्व रद्दी कागज की गांठों से सभी धार्मिक सामग्री अलग कर दी गई थी; और

(ङ) इस प्रकार के आयात में शामिल विदेशी सप्लायर्स/आयातकर्ताओं के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अभ्यावेदन की विषय वस्तु यह थी कि कलकत्ता में आयातित अवशिष्ट कागज की कुछ खेपों के सम्बन्ध में यह पाया गया था कि उनमें धार्मिक पुस्तकों के पृष्ठ भी थे।

(ख) मामले की पड़ताल करने पर कलकत्ता में आयातित अवशिष्ट कागज की एकाध खेप में कुछ धार्मिक सामग्री पाई गई।

(ग) अवशिष्ट कागज के रूप में धार्मिक पुस्तकों के आयात पर आयात नीति के तहत प्रतिबन्ध लगे होने के अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके द्वारा ऐसे अवशिष्ट कागज के आयात पर, जिसमें पवित्र ग्रंथों के पन्ने अथवा उनकी सामग्री हो, रोक लगा दी गई है। सीमा शुल्क सम्बन्धी छूट के संशोधन किया गया था ताकि इस छूट की व्याप्ति को अवशिष्ट कागज की कतिपय ऐसी श्रेणियों तक सीमित रखा जा सके जिनमें धार्मिक ग्रन्थों के पन्नो आदि के घुल-मिल जाने की सम्भावना नहीं है। आयात के अलग-अलग मामलों का जहां तक सम्बन्ध है, जिनमें अवशिष्ट कागज की गांठों में धार्मिक सामग्री पाई गई, कानून के तहत उचित कार्यवाही की गई थी जिसमें माल को जब्त करने, जुर्माना लगाने और अर्थ दंड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही भी शामिल है। कुछ मामलों में, माल को जहाज में वापस

लादने के आदेश दिये गये थे। इस समय जहाज में लदी हुई खेपों को कलकत्ता में उतारने की इजाजत नहीं दी गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऐसे आयातों से सम्बद्ध विदेशी सप्लाईकर्ताओं/आयातकर्ताओं के नाम और पते संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

ऐसे आयातों से सम्बद्ध विदेशी सप्लाईकर्ताओं और भारतीय आयात कर्ताओं के नाम और पते

आयातकर्ताओं के नाम और पते	विदेशी सप्लाईकर्ताओं के नाम और पते
1. संजय पेपर कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि०, 33 ए, जवाहर लाल नेहरू रोड कलकत्ता।	1. हि-रिल (सिंगापुर) पी० टी० ई० लि०, स्टिल रोड, पी० ओ० बाक्स नं० 384, सिंगापुर-9242
2. इमामी पेपर मिल्स लि०, 18, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001.	2. आर० एन० अवस्थी ट्रेडिंग कम्पनी, सिंगापुर
	3. मैसर्स मिनर्वा (सिंगापुर) प्रा० लि० सिंगापुर

हथकरघों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता

2757. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघों को आधुनिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का हथकरघों को समुचित महत्व देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत हथकरघा के लिए किये गये प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, हथकरघा क्षेत्र के लिए 348 करोड़ रु० की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की संयंत्र स्तर की सलाहकार समिति की बैठक

2758. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की संयंत्र स्तर की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या समिति के गठन में बिलम्ब हुआ है और इसकी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार बैठक नियमित नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में एल्यूमिना एल्यूमिनियम काम्पलेक्स में तथा इसके आसपास सहायक उद्योगों के बिकास के हित में सारी प्रक्रिया और नीति को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) संयंत्र स्तर की सलाहकार समिति (पी० एल० ए० सी०) का गठन पिछले वर्ष हुआ था। समिति की पहली बैठक 14 जुलाई 1984 को हुई थी। उसकी सिफारिशों पर निम्नलिखित समितियां बनाई गई :

(i) एक संयंत्र स्तरीय समिति (पी० एल० सी०)।

(ii) दामन जोड़ी तथा अंगुल सेक्टर हेतु दो संयंत्र स्तरीय उप समितियां (पी०एल०एस०सी)

(iii) एक उद्यमी चयन समिति (ई० एस० सी०)।

चूंकि नाल्को परियोजना निर्माण के चरण में है, इसलिए अनुषंगी उद्योगों का क्षेत्र सीमित है। फिर भी, नाल्को ने अनुषंगी उद्योगों की मदों का निर्धारण किया है तथा उड़ीसा सरकार व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत छोटे उद्योगों और अन्य स्थानीय पार्टियों को कई रियायतें मंजूर की हैं। कार्यचालन स्तर के दौरान अनुषंगीकरण के क्षेत्र तथा सम्भावनाओं का भी निर्धारण किया है।

पी० एल० ए० सी० की अगली बैठक जल्दी ही होने की सम्भावना है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2759. **श्री अमरसिंह राठवा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) समुद्री उत्पादों का निर्यात करने वाले बड़े गृहों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1984 के दौरान कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) क्या समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी आई है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वर्ष 1985 के दौरान वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये और कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एन०संगमा): (क) और (ख) समुद्री उत्पादों का निर्यात कर रहे मुख्य बड़े सदन तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, मैसर्स कोन्कन फिशरीज लि०, टाटा आयल मिल्स लि०, वोलटास लि०, चीमले इंजीनियर्स एण्ड मशीन्स लि०, मद्रास रबड़ फैक्ट्री स्पैन्सर एण्ड कम्पनी, ब्रिटेनिया सीफूड्स, आई टी सी लि० रेलीस इंडिया लि०, यूनियना कार्बाइड इंडिया लि० हिन्दुस्तान लीवर लि० और विमको लि०। वर्ष 1984 के दौरान, इन कम्पनियों ने लगभग 21.6 करोड़ रुपया मूल्य के समुद्री उत्पादकों का निर्यात किया।

(ग) से (ङ) गत कुछ वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यातों से विदेशी मुद्रा आय में सामान्य वृद्धि रही है, हालांकि पकड़ी जाने वाली मात्रा पर निर्भर करते हुए मात्राओं में कुछ उतार-चढ़ाव रहा है।

समुद्री उत्पाद निर्यातों में वृद्धि के लिए उठाये गये कदमों में झींगा की खेती का संवर्धन, सयुक्त उद्यम और गहरे समुद्र में मत्स्यन के विकास के लिए अन्य योजनाएं, विविधीकृत मत्स्य क्षेत्र फिशिंग गियर तथा क्राफ्ट में सुधार, संसाधन संयंत्रों का आधुनीकरण और मूल्य वर्धित मदों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। 1985 के दौरान जितनी मात्रा का निर्यात किये जाने की संभावना है उसका वर्तमान अनुमान 87,000 मे० टन का है।

विद्युत करघा क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र के हितों की रक्षा

[हिन्दी]

2760. **श्री अंतुल बशर**: क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में हथकरघा के परम्परागत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्युत करघों की स्थापना के कारण लाखों हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो रहे हैं;

(ख) सरकार के अनुमान के अनुसार कितने अनधिकृत विद्युतकरघा कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या विद्युतकरघा क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) विद्युतकरघा क्षेत्र का विकास विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डालेगा, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) चूंकि विद्युत करघे अप्राधिकृत हैं अतः उनकी यथार्थ संख्या के बारे में अनुमान नहीं दर्शाया जा सकता।

(ग) तथा (घ) सरकार ने एक पृथक विधान बनाया है जिसे हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) विधेयक 1985 के रूप में जाना जाता है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है। विधेयक में केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए वस्त्रों की कुछ मदों के आरक्षण की व्यवस्था है।

कांगड़ा जिले में ग्रामीण बैंक खोलना

[अनुवाद]

2176. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बैंक ने कांगड़ा जिले में (तहसील डेहरा) में (एक) पीरसालुही, (दो) चामुखा; और (तीन) गुलेर में अपनी शाखाएं खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन तारीखों तक ये शाखायें खोले जाने जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक से इन स्थानों पर शाखाएं खोलने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्रामीण बैंक द्वारा प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं और किन तारीखों तक लाइसेंस प्राप्त किए जाने और शाखायें खोले जाने की संभवना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) हिमाचल ग्रामाण बैंक ने कांगड़ा जिले में पीरसालुही में अपनी शाखा खोलने के वास्ते लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। हिमाचल ग्रामीण बैंक ने अन्य दो केन्द्रों अर्थात् चामुखा और गुलेर में अपनी शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन नहीं भेजे हैं।

चूंकि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1982-85 का शाखा-विस्तार कार्यक्रम पूरा हो चुका है, इसलिए

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1985-90 की शा-खा-विस्तार नीति के अंतर्गत पीरसालुही में शाखा खोलने के बारे में हिमाचल ग्रामीण बैंक के अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया है।

"यार्न बैंकों" की संख्या में वृद्धि

2762. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने "यार्न बैंक" हैं;

(ख) क्या सरकार उचित मूल्यों पर पर्याप्त यार्न की समय से उपलब्धता में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या बढ़ानें की किसी योजना का ब्यौरा क्या है और उनको कहां-कहां स्थापित किया जाएगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विभिन्न राज्य हथकरघा अभिकरणों ने क्रमशः अपने राज्यों में अपने यार्न डिपो खोले हैं। तथापि; इन यार्न डिपुओं की संख्या के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने भी 18 स्थानों पर यार्न बिक्री डिपो खोले हैं।

अभी तक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने गोहाटी और बिहार शरीफ में अपने दो यार्न बैंक खोले हैं। इसने केरल में कनौर और त्रिवेन्द्रम में 2 यार्न बैंक खोलने में केरल रज्य विकास निगम के साथ भी सहयोग किया है।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने देश के विभिन्न भागों में क्रमबद्ध रूप से और नए यार्न बैंक खोलने का भी प्रस्ताव किया है। इसने राज्य हथकरघा अभिकरणों द्वारा खोले गए यार्न बैंकों, डिपुओं में यार्न सप्लाई करने का भी प्रस्ताव किया है।

प्रमुख तथा मिनी इस्पात संयन्त्रों और री-रीलरों के बीच परामर्श और सहयोग की व्यवस्था

2763. **श्री आर० अन्नानम्बी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए देश में प्रमुख तथा मिनी इस्पात संयंत्रों और री-रोलरों के बीच सतत् परामर्श और सहयोग बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) मुख्य इस्पात कारखानों, लघु इस्पात कारखानों और पुनर्बेलकों के बीच आवधिक आधार पर परामर्श और समीक्षा के लिए "लोहा और इस्पात नियन्त्रक" की अध्यक्षता में "इस्पात पुनर्बेलन उद्योग के लिए परामर्शी समिति" के रूप में एक मंच उपलब्ध है। पुनर्बेलन उद्योग, लघु इस्पात कारखानों और मुख्य उत्पादकों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। सरकार ने इस्पात, खान और कोयला मंत्री की अध्यक्षता में "इस्पात परामर्शी परिषद" भी गठित की है जिसमें इस्पात उद्योग के विशेषज्ञ, इस्पात उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि और श्रमिक नेता और सरकारी अधिकारी सदस्य के रूप में हैं। यह परिषद् इस्पात उद्योग के सुचारू कार्यकरण के लिए दीर्घकालिक व अल्पकालिक योजनाओं के बारे में सरकार को सलाह देगी। इसके अलावा, इस्पात उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त नीतियों का पता लगाने के लिए पाँच कार्यकारी दल भी गठित किए गए हैं। ये कार्यकारी दल निम्नलिखित कार्य करेंगे :—

(1) भविष्य के लिए पूंजी-निवेश संबंधी प्राथमिकताएं।

(2) अल्पावधि में परिचालन में सुधार

(3) विपणन विकास।

(4) श्रम और कार्मिक; ओर।

(5) परियोजना प्रबन्ध।

भारतीय रिजर्व बैंक के कम्प्यूटर कक्ष के कर्मचारियों की शिकायतें

2764. श्री चिंतामणि जैना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कम्प्यूटर कक्ष के कर्मचारियों ने उचित प्रतिकर दिये बिना अधिक कार्य जसी अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां; तो उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय स्टेट बैंक में इसी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की भांति इन कर्मचारियों को भी कुछ राहत देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे नयी दिल्ली स्थित अपने कार्यालय के समाशोधन गृह कम्प्यूटर कक्ष से सम्बद्ध आंकड़ा प्रविष्टि/-(डाटा एंट्रीय आपरेटर)/-परिचालकों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

बैंक ने यह भी बताया है कि कम्प्यूटर कक्ष में आंकड़ा प्रविष्टि टर्मिनलों पर काम करने वाले परिचालकों को काम की कुछ न्यूनतम मात्रा करनी होती है और इस सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्ड उचित समझे गये हैं तथा ये मापदण्ड अन्य अभिकरणों द्वारा निर्धारित मापदण्डों की तुलना में अच्छे हैं। इन व्यक्तियों को टर्मिनलों पर काम करने पर सामान्य वेतन और भत्तों के अलावा विशेष भत्ते दिये जाते हैं। आंकड़ा प्रविष्टि परिचालकों की परिलब्धियों और विशेष भत्तों की तुलना भारतीय स्टेट बैंक के समकक्ष कर्मचारियों से करने का सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों पर दीर्घ अधिकरण और बैंक तथा उसके कर्मचारियों के बीच सम्पन्न वेतन संबंधी विभिन्न समझौतों और भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों व बैंक के प्रबंधकों और यूनियनों के बीच हुए विभिन्न समझौतों के उपबन्ध लागू होते हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये उठाए गये कदम

2765. श्री नवीन रावणी : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात की गई वस्तुओं का कुल मूल्य क्या था :

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में होने वाले निर्यात में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ङ) किन-किन वस्तुओं का निर्यात अधिक प्रभावित हुआ है; और

(च) वर्ष 1985-86 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को अपना निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

(करोड़ रु०)

1982-83	1983-84	1983	1984 (अप्रैल सितम्बर)
1975.10	1702.40	756.30	954.25

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को होने वाले भारतीय निर्यातों में अधिकाशत: वस्त्र, चाय, तम्बाकू, मसाले खाद्य पदार्थ, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं तथा इंजीनियरी मदें शामिल हैं। इनमें से अधिकांश मदों के निर्यातों में वृद्धि हुई है।

(च) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारतीय निर्यात बढ़ाने के प्रयास प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, प्रतिनिधिमण्डलों। मिशनों के आदान-प्रदान, सम्मेलनों, जानकारी के आदान प्रदान जैसे व्यापार संवर्धन उपायों तथा इसी प्रकार के अन्य विपणन प्रयास द्वारा बराबर किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्तें

2766. श्री एम० कमालिगम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई की दो किश्तें तय हो गई हैं,

(ख) यदि हां, तो ये किश्तें किस किस तारीख से देय हुई हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान के सम्बन्ध में हाल ही में कोई निर्णय दिया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1984 के अंत में औसत सूचकांक सार में 8 अंकों की वृद्धि हो जाने पर उसके 576 सूचकांक तक पहुंच जाने

के परिणाम स्वरूप, 1-1-1985 से महंगाई भत्ते की केवल एक और किश्त विचार किए जाने योग्य हो गई है।

(ग) से (ङ.) अखिल भारतीत रेलवे-मैन फैडरेशन और अन्य तीन प्रमुख महासंघों/संघों और दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिटयाचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अन्तरिम आदेश जारी किया था :

"महंगाई भत्ते की जो किश्ते देय हो गई हैं उन्हें फरवरी, 1985 की समाप्ति से पहले दे दिया जाए। रिट याचिका को यथा-समय कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।"

1-1-1984, 1-2-1984, 1-4-1984 और 1-6-1984 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते के कारण होने वाली 31-8-1985 तक की बकाया राशि की अदायगी को स्वीकृति के लिए सरकार ने 5-1-1985 को आदेश जारी कर दिये थे। 1-8-1984 और 1-11-1984 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते की दो किश्तों की आदायगी के लिए भी 19 जनवरी 1985 को स्वीकृति जारी कर दी गई थी।

पेंशन की संराशिकृत रकम प्रत्यावर्तन

2767. श्री सतन कुरार मण्डल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 वर्ष के पश्चात् पेंशन की संराशिकृत रकम के प्रत्यावर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति याचिका दायर की है; और

(ग) क्या सभा की याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा निर्वाह व्यय के बढ़ जाने के कारण इन पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का उनकी प्रार्थना पर पुनः विचार करने और अन्य राज्यों की भांति पेंशन की संराशिकृत रकम का प्रत्यावर्तन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका की सुनवाई की गयी है तथा सरकार को उनके फैसले की प्रतीक्षा है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही विचार के अग्रिम स्तर पर पहुंच चुका है, इस पर आगे की कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों तथा निर्णय के सन्दर्भ में की जाएगी।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

2768. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से उड़ीसा में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश भी जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मुख्यालय के स्थान तथा कार्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों से अंशदान प्राप्त होने तथा बैंकों की स्थापना के बीच औसत अन्तर का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत, उड़ीसा राज्य में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं। राज्य के सभी 13 जिले इन नौ क्षेत्रीय बैंकों के अन्तर्गत आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करते समय, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की गयी थीं।

(ग) उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के मुख्यालयों के स्थानों और उनके कार्यक्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	मुख्यालय का नाम	शामिल किये गये जिले के नाम
1	2	3
1. पुरी ग्राम्य बैंक	पिपली	पुरी
2. बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	बोलनगीर	बोलनगीर साम्भलपुर सुंदरगढ़
3. कटक ग्राम्य बैंक	कटक	कटक
4. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	जैपोर	कोरापुट
5. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बक	भवानीपटना	कालाहांडी फुलबनी
6. वैतरणी ग्राम्य बैंक	बरीपड़ा	मयूरभंज क्योंझर
7. बालासोर ग्राम्य बैंक	बालासोर	बालासोर

1	2	3
8. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	बेहरामपुर	गंजम
9. धेनकनाल ग्राम्य बैंक	धेनकनाल	धेकननाल

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली शेयर पूंजी की तारीख के बारे में वर्तमान सूचना पद्धति से कोई जानकारी नहीं मिलती। आमतौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित होते ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबंधित राज्य सरकारों तथा अन्य शेयर-होल्डरों अर्थात् केन्द्र सरकार तथा संबंधित प्रायोजक बैंकों से शेयर पूंजी अंशदान प्राप्त हो जाता है।

पान तम्बाकू बनाने वाली कम्पनियों द्वारा आयकर और उत्पादन शुल्क का भुगतान

[हिन्दी]

2769. **श्री पियूस तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान में इस्तेमाल किया जाने वाला तम्बाकू बनाने वाली बहुत सी कम्पनियां आयकर तथा उत्पाद शुल्क के भुगतान करने में बड़े पैमाने पर धोखा धड़ी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में पान तम्बाकू बनाने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनकी प्रारंभिक तथा वर्तमान पूंजी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके द्वारा करों की चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण राशि तथा जमाराशि का अनुपात

[अनुवाद]

2770. **श्री हन्नान मोलाह** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण राशि और जमा धनराशि के अनुपात का बैंक-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : यथा उपलब्ध सूचना एकत्रित करके सभा पटल रख दी जाएगी।

"बैंक आफिशयल हैल्ड" शीर्षक से समाचार

2771. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1985 के "सिन्दुस्तान टाइम्स" में "बैंक आफिशयल हैल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सासहपूर्ण और अपमानजनक धोकाधड़ी का भाण्डा फोड़ा फोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की योजनाबद्ध धोखाधड़ी के मामलों की इससे पहले भी सरकार को सूचना मिली थी;

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रकोने के लिए पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था क्यों नहीं की जाती; और

(ड.) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) इण्डियन बैंक ने सूचित किया है कि इसके एक अधिकारी श्री राज कुमार गौतम ने एक अन्य व्यक्ति की सांठ-गांठ से बैंक की ग्रेटर कैलाश (नई दिल्ली), गाजियाबाद और नई दिल्ली (मुख्य) की शाखाओं में धोखाधड़ी की। इस धोखाधड़ी में अन्तग्रंस्त कुल राशि 3.12 लाख रुपये है, जिसमें से 1.95 लाख रुपये (लगभग) की राशि पुलिस द्वारा अपने कब्जे में कर ली गई है और 0.87 लाख रुपये की राशि सन्दिग्ध व्यक्तियों द्वारा खोले गए खातों में है। पुलिस ने श्री गौतम को उसके साथी के साथ हिरासत में लिया था लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया। बैंक ने उसे 18-1-1-85 से निलम्बित कर दिया है।

(ग) से (ड.) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी धोखाधड़ियां अन्तर शाखा समाधान के समय सामने आती हैं और बैंकों में ऐसी धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए पद्धतियां मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह बताया है कि यद्यपि वर्तमान सुरक्षा उपाय ऐसी धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए पर्याप्त हैं किन्तु धोखाधड़ी में अपनाई गई कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के पश्चात् रिजर्व बैंक, घटनाओं को होने से रोकने के लिए बैंकों को समय-समय पर अनुदेश/मार्गनिर्देश जारी करता है।

भारतीय कपास निगम का कार्यकरण

2772. श्री बेसवाणी पापी रेड्डी : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम की स्थापना उत्पादन, वृद्धि तथा लाभकारी मूल्यों सहित कपास उत्पादकों से हितों की सहायता के दृष्टिकोण से की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 में तमिलनाडु के कपास उत्पादकों को 600 रु० प्रति क्विंटल कपास का मूल्य दिया गया था और आध्र प्रदेश के पास उत्पादकों का केवल 500 रु० प्रति क्विन्टल कपास मूल्य की पेशकश की गई थी;

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या सरकार उक्त मामले तथा भारतीय कपास निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार का संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रुई निगम का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है रुई उपककर्ताओं को सहायता देना। निगम रुई की आवक के आरम्भ होने के समय से ही बाजार में प्रवेश करता है और अन्य खरीदारों के साथ प्रतियोगिता करके प्रचलित बाजार कीमतों पर रुई खरींदना है। रुई बाजार में इसकी उपस्थिति से उपजकर्ताओं को अपनी उपज पर लाभकारी कीमतें मिलना सुनिश्चित हो जाता है। रुई की कीमतों के सरकार द्वारा घोषित सहायता स्तर से नीचे आने की अवस्था में निगम को कीमत समर्थन कार्य करने के लिए एंजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 8 अप्रैल 1985 तक समर्थन कीमतों पर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश से 34,790 गांठें खरीदी हैं।

(ग) और (घ) रुई की कीमतें हर किस्म के सम्बन्ध में अलग-अलग होती हैं। कपास की डी० सी० एच०-32 और एम० सी०यू०-5 के लिए समर्थन कीमत क्रमश: 600 रु० और 555 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं और भारतीय रुई निगम ने बिना किसी भेदभाव के तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में कीमत समर्थन कार्य के अन्तर्गत खरीद करते समय यही कीमतें दी हैं।

(ङ) जी नहीं।

जांगला, जिला शिमला में यूनाइटेड कामर्शियल बैंक की शाखा खोलना

2773. श्री राम समुझावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का विचार जांगला, जिला शिमला में अपना एक शाखा कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैंक का यह शाखा कार्यालय किस तारीख तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को जांगला, जिला, शिमला (हिमाचल प्रदेश) में शाखा खोलने के लिए 5 मार्च, 1985 को एक लाइसेंस जारी किया गया है। बैंक को यथाशीघ्र अपनी शाखा खोलने के लिए कहा गया हैं।

बिहार के रेशम उत्पादकों को प्रोत्साहन

2774. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कितने रेशम का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या सरकार ने इन रेशम उत्पादकों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) बिहार से प्रकृतिक रेशम के माल का निर्यात मुख्यत: केन्द्रीय रेशम बोर्ड के भागलपुर प्रमाणीकरण केन्द्र की मार्फत होता है। गत 2 वर्षों के दौरान इस केन्द्र से निर्यात के आंकड़े निम्नांकित हैं :

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)
1982-83	8.12
1983-84	11.92

(ख) सरकार ने अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

इस्पात संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

2775. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयन्त्रों में "हाट मैटल", पिंड इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में क्षमता का उपयोग कम होता हुआ पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता के कम उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदत उठाने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) मुख्य रूप से पर्याप्त मात्रा में तथा बेहतर क्वालिटी के कोककर कोयले की उपलब्धि में अड़चनों, अन्य प्रकार के कच्चे माल की गिरावट, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, प्रोद्योगिकी पुरानी हो जाने तथा संयन्त्र पुराये हो जाने के कारण स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के कारखाने अपनी-अपनी निर्धारित क्षमता पर परिचालन नहीं कर सके हैं। निर्धारित क्षमता प्राप्त करने हेतु बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, कच्चे माल में सुधार, इस्पात कारखानों का पुनरुद्धार करके प्रोद्योगिकीय उन्नयन और बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वाहन-बीमा संबन्धी दावों का निबटान

2776. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 अक्टूबर, 1984 के बाद के/उपद्रवों में क्षति ग्रस्त होने वाले वाहनों के सम्बन्ध में पेश किये गए वाहन बीमा सम्बन्धी दावों को उन वाहनों की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत या 50,000 रुपये, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करके निपटाने का निर्णय किया है जिन वाहनों का दंगों में क्षति ग्रस्त होने का बीमा नहीं हुआ था जैसाकि 26 फरवरी, 1885 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को ध्यान में रखकर इन दावों के निबटान के लिए क्या कार्यवाही का गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि बीमा कम्पनियों से ब्यौरा प्राप्त होने पर इन दावों का निर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार भुगतान कर दें, तथा तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार से इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे दाखिल करें।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में वित्तीय कठिनाई

2777. **श्री आनन्द सिंह :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उठाया गया नियंत्रित कपड़ा बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाने के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम हाल ही में वित्तीय कठिनाई में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ग) वित्तीय कठिनाई से निगम को उबरने के लिये इकट्ठा हो गये कपड़े की बिक्री करने के विवरण को सुचारू बनाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पास 28 फरवरी, 1985 की स्थिति के नियंत्रित कपड़े की लगभग 17,449 गांठों के स्टाक थे जिनका मूल्य लगभग 1047 रु० था और लगभग 1/4 महीनों के उत्पादन के बराबर थे जो कि सामान्य सीमाओं के अन्दर है। स्टाकों को शीघ्रता से समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वस्त्र निगम एन० सी० सी० एफ० तथा वस्त्र आयुक्त के निरन्तर सम्पर्क में है।

जीवन बीमा निगम में अत्यधिक कर्मचारी होना

2778. **श्री जी० विजय रामा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित संख्या से बहुत अधिक और अव्यावसायिक है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के प्रशासनिक खर्च सबसे अधिक है जिसके कारण प्रीमियम अधिक और बोनस कम है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को बीमाकृत शेयर होल्डरों के रूप में यह कार्य करने की अनुमति देने का है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम है, जैसाकि स्वतन्त्रता से पहले हुआ करता था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम के कार्यालयों के स्टाफ का ढांचा भारत सरकार के कर्मचारी निरीक्षण एकक (स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट) द्वारा निर्धारित फार्मूले पर आधारित है।

(ख) यद्यपि मुद्रा-स्फीति और बढ़ती हुई लागतों के कारण समग्र व्यय में कुछ वृद्धि हुई है, तथापि ऊपरी खर्च-अनुपात और नवीकरण खर्च अनुपात में बराबर गिरावट आई है तथा जीवन बीमा निगम ने पिछले कुछ वर्षों में बोनस की ऊंची दरें भी घोषित की हैं।

(ग) जी, नहीं।

सीमा शुल्क अधिकारियों को हतोत्साहित करना

2779. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तस्करी करके लाए जा रहे निषिद्ध माल को जब्त करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) क्या उन सीमा शुल्क अधिकारियों के मामले में हतोत्साहित करने की भी घोषणा की है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पीछे पाये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) तस्करी-निवारण अभियान को तेज करने के अंगरूप में, सूचना देने वाले व्यक्तियों और तस्करी-निवारण कार्य में रत विभागीय अधिकारियों को दिये जाने वाले पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन देने संबन्धी योजना की समीक्षा सरकार ने हाल ही में की थी ।

इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, तस्करी-निवारण सम्बन्धी आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने के साथ-साथ पुरुषकार-नीति को भी युक्ति बनाना आवश्यक समझा गया । तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि सूचना देने वाले व्यक्तियों और विभागीय अधिकारियों की पुरुस्कार पात्रता को एक-समान बनाने के साथ-साथ पुरस्कार की रकम को अभिगृहीत निषिद्ध माल के 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत किया जाए और साथ ही साथ अभिग्रहण के तुरन्त बाद पुस्कारों का कुछ हिस्सा देने की व्यवस्था की जाए । इन नये प्रोत्साहनों की अन्य मुख्य-मुख्य विशेषताएं ये हैं कि अभिगृहीत निषिद्ध माल के मूल्य के एक प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक की रकम से तीन निधियों का सृजन किया जाए । इन निधियों को प्राप्त होने वाले धन का उपयोग सरकार इन प्रयोजनों के लिए करेगी —बेहतर कार्यनिष्पादन को प्रोत्साहन देना; तस्करी-निवारण उपकरणों का अधिग्रहण और तस्करी-निवारण कार्य में लगे विभागीय अधिकारियों को तथा जो विभागीय अधिकारी तस्कारी-निवारण के कार्य.निष्पादन के दौरान वीर-गति को प्राप्त हो गए हों, उनके परिवारों को सुरक्षा तथा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना, आदि ।

तस्करी-निवारण प्रयासों के अंग-रूप में, तस्करी की आशंका वाले विभिन्न क्षेत्रों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक दौरा और निरीक्षण करने की बारम्बारता को बढ़ा दिया गया है और जिन मामलों में कर्मचारियों की कोई चूक पकड़ी जाती है, उनमें उचित प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है ।

मैसर्स यूनियन कारबाइड की ओर उत्पादन शुल्क और आयकर की बकाया राशि

2780. **श्री रामभगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनियन कारबाइड लिमिटेड को जारी किए गए लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि के उत्पाद शुल्क नोटिसों पर अभी निर्णय दिया जाना है; और

(ख) यदि नहीं, तो मैसर्स यूनियन कारबाइड को जारी किए गए उत्पाद शुल्क और आयकर के कारण बताओ नोटिसों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) 1-2-85 की स्थिति के अनुसार मै० यूनियन कारबाइड से पुष्ट भागों के कारण उत्पादन शुल्क की 50.30 लाख रु० की राशि वसूल की जानी शेष थी। इसके अलावा न्यायनिर्णयन न होने के कारण कम्पनी की तरफ 819.27 लाख रु० की अपुष्ट मांगें भी शेष पड़ी हैं।

कम्पनी की तरफ आयकर की और कोई मांग शेष नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विश्व बैंक आदि से लिए गए ऋण

2781. **प्रो० मनोरंजन हालदार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य ऐसी एजेंसियों से अब तक कुल कितना ऋण लिया है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे ऋणों की शर्तें क्या है; और

(घ) क्या इन ऋणों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनके लिए विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई०एफ०ए०डी०) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) जैसे बहुपक्षीय अभिकरों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता दी गई है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विश्व बैंक सहायता में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास और बैंक उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघऋण शामिल हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक उधारों पर लगने वाले ब्याज की दर को प्रत्येक छमाही के लिए पूल पर आधारित परिवर्तनीय उधार प्रणाली के अनुसार तय किया जाता है। ये उधार 15 से 20 वर्षों तक की अवधि में वापस करने होते हैं जिनमें 5 वर्षों की रियाती अवधि भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के अवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क और संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत की

दर से सेवा प्रभार लिया जाता है। यह ऋण पचास वर्षों में लौटाए जाने हैं जिसमें दस वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्री कृषि विकास निधि उधारों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता परन्तु सेवा प्रभार एक प्रतिशत है और परिपक्वता अवधि 50 वर्ष है इसकी वापसी अदायगी 10 वर्षों की रियायती अवधि के पश्चात् शुरू हो जाएगी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से प्राप्त सहायता अनुदान के रूप में है।

(घ) बहुपक्षीय अभिकरणों से उधार भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं और इसकी धन-राशि राज्य सरकारों को दी जाती है। इस प्रकार इन उधारों की वापसी अदायगी का दायित्व भारत सरकार पर है।

विवरण

विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना के नाम	समाप्त/ जारी परियोजनाएं	उधार/ऋण/ अनुदान की कुल स्वीकृत राशि (लाख अमरीकी डालरों में)	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
	विश्व बैंक				
1.	प्रथम कलकत्ता शहरी विकास परियोजना (427 आई एन)	समाप्त	350	12-9-73	
2.	द्वितीय कलकत्ता शहरी विकास परियोजना (756-आई एन)	समाप्त	870	6-1-78	
3.	तृतीय कलकत्ता शहरी विकास परियोजना (1369-आई एन)	जारी	1470	8-6-83	
4.	कलकत्ता शहरी परिवहन परियोजना (1033-आई एन)	जारी	560	27-10-80	

1	2	3	4	5	6
5.	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन	जारी	200	18-1-80	बहुराज्यीय परियोजना (5 राज्य) पश्चिम बंगाल के भाग का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।
6.	एन सी डी सी-II (1148-आई एन) (केन्द्रीय क्षेत्र)	जारी	1250	21-7-81	तदैव (9 राज्य)
7.	एन सी डी सी-III (1502-आई एन)	जारी	2200	12-10-84	तदैव (8 राज्य)
8.	पश्चिम बंगाल सामाजिक वन पालन (1178-आई एन)	जारी	290	24-2-82	
9.	पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना (541-आई एन)	समाप्त	340	28-4-1975	
10.	पश्चिम बंगाल कृषि विस्तार विस्तार तथा अनुसंधान परियोजना (690-आई एन)	जारी	120	1-9-77	
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
11.	सुन्दरवन विकास परियोजना (49-आई एन)	जारी	1750	16-12-1984	
यूरोपीय आर्थिक समुदाय देश					
12.	पश्चिम बंगाल चक्रवात सहायता परियोजना	जारी	30 लाख ई०सी०यू०	12-2-80	परियोजना को 12-2-83 को समाप्त होना था समाप्ति

1	2	3	4	5	6
					की अवधि को यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दिसम्बर 1984 तक बढ़ा दिया गया था। परियोजना को कुछ अपरिहार्य कारणों से पूरा नहीं किया जा सका तथा इसे पूरा करने के लिए जून 1986 तक का और समय मांगा गया है
13.	वन रोपण भूमि तथा जनसंरक्षण परियोजना	जारी	28 लाख ई० सी० यू०	10-6-82	1987-88 तक का समय मांगा गया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम					
14.	आई एन डी/(81) 015 भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण को प्रशिक्षण सहायता	जारी	संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर 922,600	जनवरी 1984	
15.	आई एन डी/8./028 मैसर्स बंगाल कम्यूनिटी लि० कलकत्ता को मलेरिया की रोकथाम की दवाओं के विनिर्माण की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए	जारी	434,425	नवम्बर 1981	
16.	आई एन डी/80/007 नेशनल टेस्ट हाऊस कलकत्ता परीक्षण तथा मूल्यांकन सुविधाओं में सुधार करने के लिए	जारी	लाख अमरीकी डालर 1,548,399	दिसम्बर, 1982	

1	2	3	4	5	6
17.	आई एन डी/82/049 कोयले से संशलिस्ट तेल के उत्पादन के लिए सम्भाव्यता अध्ययन वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन, कलकत्ता को।	तदेव	517,393	जुलाई 1982	
18.	आई एन डी/82/043 डैपसोन का विनिर्माण बंगाल कैमीकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स, कलकत्ता	तदेव	20,000	अगस्त 1982	
19.	आई एन डी (76) 0022 भूमिगत ताबा खनन, हिन्दुस्तान कापर लि॰ कलकत्ता	तदेव	315-203	दिसम्बर 1978	
20.	आई एन डी (28) 025 चमड़ा तकनीक कालेज का सुदृढ़ीकरण, उद्योग मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	तदेव	551,975	दिसम्बर 1983	

इलाइची का उत्पादन

2782. श्री थम्पन थामस : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष इलायची का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या उत्पादन कुछ कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इलायची उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में कुछ राजसहायता देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी०ए०संगमा) : (क) से (ग) गत मौसम 1983-84 में इलायची का उत्पादन 1600 मे० टन था जो कि औसत वार्षिक उत्पादन से काफी कम था। उत्पादन में यह भारी कमी इलायची उत्पादक राज्यों में दो लगातार मौसमों के दौरान अभूतपूर्व सूखे के कारण थी।

(घ) सरकार ने सूखे से प्रभावित उपजकर्ताओं की मदद के लिए इलायची बोर्ड को निम्न-लिखित योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है :

(1) पुनर्रोपण ऋण सह उपदान योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों में 15,000 हैक्टार (7500 हैक्टार बड़े उपजकर्ताओं के लिए तथा 7500 हैक्टार छोटे उपजकर्ताओं के लिए क्षेत्र कवर होगा। 8 हैक्टार तक के स्वामित्व वाले लघु उपजकर्ताओं को 1000 रु०, 800 रु० और 700 रु0 की तीन वार्षिक किस्तों में 2500 रु० प्रति हैक्टार का नकद उपदान किया जा रहा है। ऋण का भाग 7850 रु० प्रति हैक्टार है जिसकी व्यवस्था वित्तीय संस्था से की जायेगी और उस पर 3 प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जा रहा है बड़े उपजकर्ता 1000 रु०, 300 रु० और 200 रु० की तीन वार्षिक किस्तों में 1500 रु० प्रति हैक्टार के नकद उपदान के लिए हकदार हैं। ऋण का भाग 8750 रु० प्रति हैक्टार है।

(2) प्रमाणित नर्सरियों में पोलीथीन थैलियों में पौधों का उत्पादन।

इस योजना के अन्तर्गत बीज सामग्री तथा पोलीथीन थैलियों की 50 प्रतिशत लागत की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(3) अधिक प्रमाणित नर्सरियां खोलना

यह योजना 1983-84 से कार्यान्वित की जा रही है। तीन वर्षों के लिए 25.5 लाख लाख रु० का कुल वित्तीय परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है। पौधों के उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत की, जो कि प्रति पौध 50 पैसे से अधिक नहीं होगी, आर्थिक सहायता दी जाती है।

इन योजनाओं के फलस्वरूप वर्ष 1984-85 के दौरान 3500 मि० टन का उत्पादन होने का अनुमान है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की ताम्बे की आवश्यकता को पूरा करने में असफलता

2783. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध कारखानों की ताम्बे की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकारी स्वामित्व वाले हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की असफलता पर नाराजगी प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फरवरी, 1985 में ताम्बे की घरेलू उपलब्धता और मांग की पुनरीक्षा की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति की पुनरीक्षा करते समय यह बात भी ध्यान में लायी गयी थी कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के कारण न केवल ताम्बे में काला बाजारी हो गई है बल्कि आकस्मिक आयातों पर दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी व्यय हो रही है।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की असफलता को चिंता से देखा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है और किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) सरकार को देश में तांबे की मांग और पूर्ति की स्थिति की जानकारी है। तांबे की पूर्ति तथा मांग की स्थिति की समय-समय पर डी०जी०टी०डी० की अध्यक्षता में होने वाली अन्तः मंत्रालयी बैठकों में समीक्षा की जाती है और यथाआवश्यक सुधार के उपाय किये जाते हैं। 7-2-1985 को हुई बैठक में यह देखने में आया कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा कुछ सैक्टरों को तांबे की पूर्ति में कमी रही। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को सलाह दी गई कि इन बची हुई आवश्यकताओं को एम०एम०टी०सी० के साथ पंजीकृत करा दें तथा इसके लिए ट्रेड नोटिस जारी कर दें। कम्पनी को यह भी सलाह दी गई कि महानिदेशक, आयुध कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वह उनके महानिदेशक से सम्पर्क बनाए रखें। कम्पनी ने उपर्युक्त निदेशों का पालन किया है। उसने समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा आयुधि कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कदम उठाए हैं। एक आयुध कारखाने की 1000 टन तांबे की मांगों को एम०एम०टी०सी० से पूरा करने के प्रबन्ध किए गए हैं। 26 मार्च, 1985 को डी०जी०टी०डी० की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया।

काफी बोर्ड द्वारा राजधानी में चलाए जा रहे काफी हाउसों का घाटे में चलना

2784. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड द्वारा राजधानी में चलाए जा रहे काफी हाउस घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) काफी हाउस काफी संवर्धन के लिए प्रारम्भ किए गए थे न कि वाणिज्यिक उद्यमों के रूप में। अतः वाणिज्यिक आधार पर इनके लेखे नहीं रखे जाते लेकिन 1983-84 में दिल्ली में काफी हाउसों के लिए प्राप्तियों की अपेक्षा व्यय लगभग 9 लाख रु० अधिक का था।

रुग्ण उद्योगों/मिलों की ओर देय बकाया कर

[हिन्दी]

2785. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण उद्योगों/मिलों की ओर कर की कितनी धनराशि बकाया है और यह कब से बकाया है; और

(ख) इस धनराशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बीमार उद्योगों/मिलों के लिए कर के बकाया का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता है। यदि किसी भी कारखाने अथवा मिल के संबंध में ऐसी सूचना अपेक्षित है, तो माननीय सदस्य द्वारा कारखाने अथवा मिल के ब्यौरे उपलब्ध किए जाने पर सूचना प्राप्त करके प्रस्तुत की जा सकती है।

जहां तक बकाया वसूली करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाही का संबंध है, सरकार का यह निरन्तर प्रयत्न रहता है कि कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार करों की बकाया वसूली की जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सरकारी वित्त के सम्बन्ध में अध्ययन

[अनुवाद]

2786. श्री के० प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सरकारी वित्त के संबंध में किए गए तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चला है कि कुल परिव्यय अर्थात व्यय तथा वापस अदायगी की राशि घटाने पर शेष उधार राशि, सम्पूर्ण आर्थिक विकास की गति से अधिक तेजी से बढ़ रही है;

(ख) भारत के औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में उक्त अध्ययन प्रतिवेदन में कर राजस्व और घाटे की अर्थ व्यवस्था, में वृद्धि के किन अन्य पहलुओं पर टिप्पणी की गई है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सभवत: माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की "गवर्नमेंट फाइनेन्स स्टेटिक्स योअर बुक, 1984" और दिनांक 4 मार्च 1985 को प्रकाशित "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सर्वेक्षण" में दिए गए आंकड़ों के वास्तविक विश्लेषण का उल्लेख कर रहे हैं। इस शब्द-कोष के लिए आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सम्बन्धित राष्ट्रीय सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। यह सच है कि सरकारी व्यय में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से हुई है। तथापि, सरकारी व्यय और विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के बीच कोई सुस्पष्ट सम्बन्ध नहीं है। "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सर्वेक्षण" में दिया गया विश्लेषण विशेष रूप से भारत के औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

लखीमपुर खीरी में जूट-मिल की स्थापना

[हिन्दी]

2787. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है हालांकि वहां पर जूट मिल की स्थापना के सम्बन्ध में जिसके लिये वहां भारी मात्रा में कच्चा माल की उपलब्ध है, अनेक अभ्यावेदन भेजे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वहां जूट मिल की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खेड़ी में कोई पटसन मिल नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश में कोई नयी पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि देश में विद्यमान क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण

[अनुवाद]

2788. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकारों ने वाणिज्यिक बैंकों से राज्य-वार कितना ऋण लिया;

(ख) प्रत्येक राज्य ने उक्त ऋण की कितनी धनराशि की अदायगी कर दी है; और

(ग) उक्त ऋण की अदायगी न करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) तीन विवरण संलग्न हैं। विवरण एक में 14.3.85 को विभिन्न राज्य सरकारों के नाम बकाया खाद्य ऋणों की विवरण दो में मार्च, 1985 तक विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियों के नाम उर्वरक वितरण के बकाया ऋणों और विवरण तीन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वाणिज्यिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद और सार्वजनिक वितरण में लगी राज्य स्तरीय विभिन्न एजेंसियों को स्वीकृत ऋण सीमाओं की राज्य-वार स्थिति दी गई है। राज्य सरकारों के अनाज, दालों, तलहनों आदि के खरीद कार्यक्रमों के वास्ते ऋण व्यवस्था एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसलिए तमाम ऋण की विशेष वापसी अदायगी की परिकल्पना नहीं की जाती। लेकिन ये ऋण सीमाएं, इस शर्त पर प्राधिकृत कर दी जाती हैं कि लिए गए ऋण की रकम राज्य सरकार/अभिकरणों द्वारा धारित स्टाक के मूल्य के बिल्कुल बराबर हो और बकाया ऋण राशि स्टाक के जारी किए जाने/बिक्री के अनुसार समायोजित कर दी जाय। जिन मामलों में लिए गए ऋण की रकम स्टाक मूल्य से ज्यादा हो उनमें ये अतिरिक्त निकासियां अलग कर दी जाती हैं और अनियमितताओं के समायोजन के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अतिरिक्त निकासियों के समायोजन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है।

विवरण-एक

विभिन्न राज्य सरकारों के नाम बकाया खाद्य ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	14 मार्च, 1985 को बकाया ऋण
1	2	3
1.	असम	49.37
2.	आंध्र प्रदेश	103.72

1	2	3
3.	बिहार	36.36
4.	गुजरात	6.89
5.	हरियाणा	99.26
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	कर्नाटक	52.11
8.	केरल	1.37
9.	महाराष्ट्र	34.81
10.	मध्य प्रदेश	15.02
11.	मणिपुर	0.52
12.	उड़ीसा	18.31
13.	पांडिचेरी	0.11
14.	पंजाब	801.22*
15.	राजस्थान	—
16.	तमिलनाडु	167.40
17.	उत्तर प्र देश	44.53
		जोड़ : 1431.00

*पहले फसल मौसमों के दौरान पंजाब सरकार को प्राधिकृत ऋण सीमाओं की अंतर्गत बकाया सहित।

विवरण-दो

विभिन्न राज्य स्तरीय अभिकरणों के नाम उर्वरक वितरण की बकाया ऋण सीमाएं

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	अभिकरण का नाम	हाल के बकाया
1	2	3
1.	बिहार स्टेट को-आपरेटिव मार्किटिंग यूनियन लि०	34.93
2.	हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्किटिंग फैडरेशन लि०	8.86

1	2	3
3.	पंजाब स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्कि-टिंग फैडरेशन लि०	10.77
4.	पंजाग एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	6.57
5.	यू० पी० को-आपरेटिव फैडरेशन लि०	53.98
6.	यू० पी० कौ० आप० केन यूनियन्स फैडरेशन लि०	26.60
7.	यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०	6.37
8.	कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव मार्किटिंग फैडरेशन लि०	ऋण शेष
	जोड़ :	148.08

विवरण-तीन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वाणिज्यिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण में कार्यरत विभिन्न राज्य स्तरीय अभिकरणों को स्वीकृत ऋण सीमाएं

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य स्तर के अभिकरण का नाम	ऋण सीमाएं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट सहकारी विपणन संघ	500
2.	आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन	800
3.	आंध्र प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम	470
4.	आंध्र प्रदेस स्टेट सिविल नागर पूर्ति निगम	400
5.	असम स्टेट सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ	1488
6.	गुजरात स्टेट सिविल नागर पूर्ति निगम	1730
7.	केरल स्टेट सिविल नागर पूर्ति निगम	40
8.	पंजाब स्टेट सिविल नागर पूर्ति निगम	400

1	2	3
9.	पंजाब स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई और विपणन संघ	165
10:	तमिलनाडु सिविल नागर पूर्ति निगम	1900
	जोड़ :	7893

आंध्र प्रदेश को धनराशि का भुगतान न किया जाना

2789. **श्री एन० वी० रत्नम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को देय 81 करोड़ रुपये की धन राशि का केन्द्र द्वारा राज्य को भुगतान नहीं किया गया था,

(ख) क्या उन्होंने राज्य को सहायता का वचन दिया था जिसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये की धनराशि देय थी, और

(ग) आंध्र प्रदेश को धनराशि न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र से देय सभी राशियों की अदायगी कर दी गयी है।

(ख) राज्य के मुख्य मंत्री को सूचित किया गया कि ऐसे राज्यों, जो अपने वित्त का भली प्रकार प्रबन्ध करते हैं, को सहायता देने की एक योजना तैयार की जा रही है। इस सहायता के लिए पात्रता न केवल राज्यों के पिछले निष्पादन बल्कि 1983-84 में भी उनके निष्पादन पर निर्भर करती थी। योजना के अन्तर्गत सम्भावित सहायता के रूप में कोई विशिष्ट राशि नहीं बताई गई थी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश का 1983-84 का वर्ष 72.81 करोड़ रुपए के घाटे के साथ समाप्त हुआ तथा चालू वर्ष में 30 मार्च, 1985 तक वह कुल 247 दिनों के लिए ओवर-ड्राफ्ट में था।

मैसर्स फुलवारी शरीफ काटन मिल्स, पटना का बंद होना

2790. **श्री सी०पी० ठाकुर :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स फुलवारी शरीफ काटन मिल्स, पटना गत तीन वर्षों से बंद पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप दो हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, जिनमें से कम से कम दो सौ मजदूर मर चुके हैं;

(ख) क्या बिहार की राज्य सरकार ने जनवरी, 1985 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में पांच वर्षों की अवधि के लिए किसी भी रुग्ण मिल का प्रबन्ध नियन्त्रण में लेने का प्रावधान है;

(घ) यदि हाँ, तो इस मिल का अधिग्रहण कब किया जायगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) मैसर्स बिहार काटन मिल्स, फुलवारी शरीफ जुलाई, 1982 से बन्द पड़ी है। बन्द होने के समय इस एकक में नियोजित कामगारों की संख्या लगभग 750 थी जिनमें 189 बदली कामगार और 45 दिहाड़ी कामगार शामिल थे। सरकार को मिल में नियोजित कामगारों की मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) बिहार सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा एकक के अधिग्रहण की संभाव्यता पर विचार करने के लिए 1983 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन सरकार को एक औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने का अधिकार है बशर्ते कि अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

(घ) मिल के अधिग्रह के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकार की यह नीति नहीं है कि प्रत्येक बन्द मिल के अधिग्रहण के बारे में विचार किया जाए।

राजस्थान सरकार द्वारा पाइराइट्स एण्ड फास्फेट कारपोरेशन लिमिटेड को कच्ची सामग्री के पट्टे का आबंटन

[हिन्दी]

2791. श्री विष्णु मोदी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सलफ्यूरिक एसिड तथा उर्वरकों के उत्पादन हेतु, पाइराइट्स तथा फास्फेट कारपोरेशन लिमिटेड को कच्ची सामग्री का पट्टा मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा किस तारीख को कारपोरेशन का पट्टा मंजूर किया गया;

(ग) क्या कारपोरेशन ने उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उत्पादों के उत्पादन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इन उत्पादों का उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की रूपरेखा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार के एक उपक्रम, सर्वश्री पाइराइटस, फास्फेटस तथा केमिकल्स लिमिटेड (पी०पी०सी०एल०) ने राजस्थान सरकार से 518 हैं क्षेत्र पट्टे पर लिया है।

(ख) पट्टा दिनांक 25-8-1969 से 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था।

(ग) से (ङ) खान में वाणिज्यिक दोहन शुरू करने से पूर्व, तकनीकी प्रक्रिया विकसित करना जरूरी होगा, जो इस विशिष्ट रचना वाले अयस्क के शोधन तथा उसे सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर में बदलने के लिए कारगर हो। तकनीकी साध्यता की पुष्टि होने के बाद, उस प्रक्रिया की अर्थवत्ता को प्रमाणित करना भी जरूरी होगा। सर्वश्री पी०पी०सी०एल० ने विदेशी सलाहकारों को लगाकर खान के आर्थिक विदोहन की साध्यता की जांच करा ली है, जिन्होंने और परीक्षण कार्य तथा गवेषणी अध्ययन की भी सिफारिश की है। कम्पनी ने पाइराइटस नमूनों के परिष्करण तथा रोस्टिंग पर प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन के लिए, ताकि पाइराइटस को सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के अनुकूल बनाया जा सके, पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म को तैनात किया है। कम्पनी सलादीपुरा पाइराइट से एलीमेंटल सल्फर की निकासी की सम्भावना का भी पता लगा रही है। कम्पनी ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से मदद ली है।

भारतीय तम्बाकू का निर्यात

2792. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय कम्पनियां भारतीय तम्बाकू का दूसरे देशों को निर्यात करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू का निर्यात करने वाली मुख्य कम्पनियों तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू निर्यात किया गया ; और कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाला गया था और उन्हें काली सूची में डालने के कारण क्या थे;

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पुनः निर्यात करने की अनुमति दी गई है और उनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगम) : (क) जी हां,।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कम्पनियों को अब काली सूची में नहीं रखा जाता है। इसके बजाय, कम्पनियों को आयात निर्यात लाइसेंस आदि देने से रोक दिया जाता है। वंचित की गई ऐसी कम्पनियों के नाम आयात-निर्यात तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बलैटिन में प्रकाशित किए जाते हैं।

(घ) से (च) भारत द्वारा घटिया किस्म का तम्बाकू सप्लाई करने के सम्बन्ध में चीन से इस बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चीनी आयातकों ने निर्यातकों के विरुद्ध दावे किए हैं। इन दावों को निपटाने के लिए अधिकांश मामलों में विनिश्चय लिए जा चुके हैं।

विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने, जो कि तम्बाकू निर्यातों के सम्बन्ध में क्वालिटी नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी है, पैकरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें दोषी पाया गया था और निम्नलिखित पैकरों के सम्बन्ध में एगमार्क के अन्तर्गत ग्रैडिंग का कार्य बाद में बन्द कर दिया गया था :—

1. मैसर्स श्री जयलक्ष्मी टोबाको (प्रा० लि०)।
2. मैसर्स जय एन्टरप्राइसेस।
3. मैसर्स जय भारत एन्टरप्राइसेस।
4. मैसर्स गोगी नैनी टोबाको।
5. मैसर्स वैस्ट इण्डिया टोबाको सप्लायर्स।
6. मैसर्स जय लक्ष्मी इन्टरनेशनल।

चूंकि इनमें से कुछ पार्टियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं इसलिए मुकदमों में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उन पार्टियों के लिए ग्रैडिंग लाइसेंस बहाल कर दिए गए थे।

विवरण

प्रमुख तम्बाकू निर्यातक कम्पनियों के नाम	निर्यात किए गए तम्बाकू का कुल मूल्य। आकड़े लाख रु० में 1981-82	1982-83	1983-84	उन देशों के नाम जिन्हें निर्यात किया गया
1	2	3	4	5
1. आई टी सी लि० आई एल टी डी डिव०	4063.00	5231.00	1440.00	ब्रिटेन, जापान, चीन, फिन्लैंड,, बंगल देश, चैको-स्लोवाकिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, लेबनान, जोर्डन।
2. नवभारत एंटरप्राइसेस (प्रा०) लि०	1444	1328	1919	सोवियत संघ, ब्रिटेन, मिश्र, चैकोस्लोवाकिया प० जर्मनी।
3. मद्दी वेंकटरतनम एण्ड कं० (प्रा०) लि०	1724.25	1347.74	1165.23	सोवियत संघ, ब्रिटेन।
4. श्री जयलक्ष्मी टोबाको कं० (प्रा०) लि०	621.53	911.57	1281.97	सोवियत संघ, चीन, बल्गारिया बेल्जियम, ट्युनीशिया।

1	2	3	4	5
5. पोलिसेट्टी सोमासुंदरम (प्रा०) लि०	822.24	1050.39	960.62	सोवियत संघ; ब्रिटेन, जी० डी० आर०, इटली।
6. अग्रिमकोर (प्रा०) लि०	690.07	946.96	670.97	सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया बल्गारिया।
7. ईस्ट इंडिया टोबाको कं०	629.54	821.38	540.26	सोवियत संघ, ब्रिटेन, मिश्र।
8. बोम्बीडाला ब्रदर्स लि०	536.00	683.96	400.57	सोवियत संघ, ब्रिटेन, अल्जीरिया, नेपाल, चैकोस्लोवाकिया, बल्गारिया।
9. गोगीनेनी टोबाको	1441.03	1180.99	—	सोवियत संघ, मिश्र, चीन।
10. मट्टी लक्ष्मैया एण्ड कं०	1714.50	396.34	416.39	ब्रिटेन, चीन, फिनलैंड, मिश्र।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

]अनुवाद]

2793. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी नियमों को उदार बनाये जाने को देखते हुए सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए भी कोई पेंशन योजना बनाई जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के जो कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल हैं, उनके लिए कोई पेंशन योजना नहीं है।

चिगुरागुंटा (आंध्र प्रदेश) स्थित सोने की खानों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था

2794. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में चिगुरागुंटा स्थित सोने की खानों में पर्यवेक्षी संवर्ग से नीचे के पदों पर स्थानीय लोगों को भर्ती करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या चित्तूर जिले में ही स्थित कुम्पस स्थान पर खनिकों के लिए तकनीकी विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश) के चिगुरागुंटा क्षेत्र में इस समय न तो कोई खान चालू है और न उसमें उत्पादन हो रहा है। वहां पर भारत सरकार की ओर से खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एक सरकारी उपक्रम) स्वर्ण भंडारों की पुष्टि के लिए गवेषण का कार्य कर रहा है। खनिज गवेषण निगम लि० की यह परियोजना ऐसी अन्य परियोजनाओं की भांति एक अस्थायी औद्योगिक इकाई है, तथा कम्पनी अपने नियमित तथा अक्तूबर, 1979 से पूर्व के दैनिक कामगरों को काम पर लगाने के अलावा, खास किस्म के अकुशल कार्यों के लिए स्थानीय कामगारों को भी दैनिक मजदूरी पर काम दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कोयला खानों का विकास

2795. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) क्या इन कोयला खानों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इन कोयला खानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इन कोयला खानों के विकास के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) मध्य प्रदेश में 94 कोयला खानें हैं। इनमें से छः खाने सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और बाकी खानें वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन हैं।

(ख) विभिन्न उद्योगों की कोयले की मांग के आधार पर विद्यमान खानों के पुनर्निर्माण और नई खानों के विकास का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-81 से 1984-85) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 23 कोयला-खनन परियोजनाएं स्वीकृति हुई थीं। इन परियोजनाओं की पूरे उत्पादन पर कुल स्वीकृत क्षमता लगभग 34.00 मिलियन टन है और स्वीकृत निवेश 1300 करोड़ रुपए से अधिक का है। इन खानों में से कई खानें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर लेगी और सातवीं योजना अवधि के दौरान अधिक परियोजनाओं का काम हाथ में लेने के लिए अनेक परियोजनाओं का साध्यता अध्ययन तैयार किया जा रहा है।

घाटे में चलने वाले इस्पात संयंत्र

2796. श्री राधाकांत दिगाल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों के क्या नाम हैं;

(ग) ये इस्पात संयंत्र कब से घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) उनके कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) गत चार वर्षों में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) तथा इंडियन आयरन एण्ड कम्पनी लि० (इस्को) की लाभ हानि की स्थिति नीचे दी गई है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

वर्ष	"सेल" लाभ (+)/हानि (—)		"इस्को" लाभ (+)/हानि (—)	
1980-81	(+)	1.01	(—)	28.79
1981-82	(+)	39.17	(—)	37.11
1982-83	(—)	105.76	(—)	71.05
1983-84	(—)	214.53	(—)	24.06

वर्ष 1984-85 के लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही इस वर्ष की स्थिति का पता चल सकेगा, लेकिन ऐसी आशा है कि इस वर्ष "सेल" को लाभ होगा।

(घ) वर्ष 1885-86 के दौरान "सेल" के इस्पात कारखाने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अपने वर्ष 1984-85 के लिए 49 लाख टन इस्पात के उत्पादन को वर्ष 1985-86 में बढ़ाकर 54 लाख टन करेंगे। ये कारखाने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उद्योत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और कारखानों से निकलने वाले बेकार तथा गौण पदार्थों की बेहतर प्राप्ति, कार्यकारी पूंजी में कमी, माल सूची में कमी, गृहीत विद्युत संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव तथा अपने प्रॉडक्ट मिक्स में विविधता लाकर मांग के अनुरूप माल के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। उपर्युक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को हुआ घाटा

2797, श्री राम बहादुर सिंह :

श्री काली प्रसाद पाण्डे : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को 31 मार्च, 1984 तक कुल कितना घाटा हुआ था;

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया को प्रति वर्ष होने वाले इस तरह के भारी घाटे के क्या मुख्य कारण है;

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों में भारी मात्रा में इस्पात का छीलन जमा हुआ पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका मूल्य कितना है; और

(च) उक्त छीलन को निकालने और उसको निपटाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 31.3.1984 तक "सेल" को 328.34 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई थी।

(ख) यह हानि मुख्यत: इसलिए हुई है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को पिछले कुछ वर्षों में मूल्य-वृद्धि करने की अनुमति देने के बावजूद उत्पादक आदानों की लागतों में हुई वृद्धि की पूरी तरह प्रतिपूर्ति नहीं कर सके हैं।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके वर्ष 1984-85 के 52.8 लाख टन इस्पात के अनुमानित उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1985-86 में 59 लाख टन किया जायेगा। ये कारखाने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, उपोत्पादों के उत्पादन में वृद्धि तथा कारखानों से निकलने वाले बेकार और गौण पदार्थों की बेहतर प्राप्ति, कार्यकारी पूंजी में कमी, माल सूची में कमी, गृहीत विद्युत संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव और प्रोडक्ट मिक्स में विविधता लाकर मांग के अनुरूप माल के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) 1.4.1985 की स्थिति के अनुसार "सेल" के इस्पात कारखानों (इस्को भी शामिल है) में स्क्रैप का स्टाक 24.45 लाख टन होने का अनुमान है जिसका मूल्य लगभग 293 करोड़ रुपये है। इसमें से 5.35 लाख टन (जिसका मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये

बैठता है) स्क्रैप आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और शेष 19.10 लाख टन स्क्रैप पुराने ढेरों में दबा पड़ा है और इसे निकालने के लिए काफी समय लगेगा और इस पर काफी पूंजी-निवेश करना होगा।

(च) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने स्क्रैप को प्रोसेस करने तथा इसकी पुनः प्राप्ति का कार्य मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन, फैरो स्क्रैप निगम लि० तथा कुछ गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपा है। फैरो स्क्रैप निगम लि० स्टाक से इस समय कारखानों से प्राप्त होने वाले स्क्रैप की चरणबद्ध ढंग से शत प्रतिशत पुनः प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि कर रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

[हिन्दी]

2798. श्री सी० डी० गामित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982 से 1984 की अवधि में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1982 और 1983 में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ के प्रकाशित-आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1984 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982 और 1983 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

(राशि लाख रुपये)

क्रम सं०	बैंकों के नाम	1982	1983
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	388	399
2.	बैंक आफ इंडिया	506	511
3.	पंजाब नेशनल बैंक	799	853
4.	बैंक आफ बड़ौदा	805	860
5.	यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	349	236
6.	केनरा बैंक	457	496
7.	यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया	135	136
8.	सिंडीकेट बैंक	403	494
9.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	280	290
10.	देना बैंक	101	120
11.	इलाहाबाद बैंक	165	170

1	2	3	4
12.	इण्डियन बैंक	135	140
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	210	193
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	462	473
15.	आन्ध्र बैंक	230	248
16.	कारपोरेशन बैंक	105	93
17.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	61	72
18.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	64	72
19.	पंजाब एंड सिंध बैंक	51	62
20.	विजया बैंक	19	5
	जोड़	5725	5923

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

[अनुवाद]

2799. श्री राजकुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का ब्योरा क्या है और कृषि, सिंचाई और निजी रोजगार योजनाओं के लिए बैंक-वार अब तक दिये गये ऋण की राशियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शाखा प्रसार और कुल जमाराशियों तथा सकल बैंक ऋण के बंटवारे से संबंधित उपलब्ध सूचना क्रमश: संलग्न विवरण एक और दो में दी गई है।

(ख) सातवीं आयोजना के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-एक

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में वाणिज्यिक बैंकों का शाखा प्रसार

जिला		31 मई, 1984 को शाखाओं की संख्या
1.	इलाहाबाद	167
2.	आजमगढ़	133

1	2	3
3.	बहराइच	102
4.	बलिया	86
5.	बस्ती	125
6.	देवरिया	102
7.	फैजाबाद	108
8.	गाजीपुर	76
9.	गोंडा	83
10.	गोरखपुर	151
11.	जौनपुर	126
12.	मिर्जापुर	105
13.	प्रतापगढ़	85
14.	सुल्तानपुर	71
15.	वाराणसी	237

आंकड़े अनन्तिम हैं

विवरण-दो

मार्च, 1984 के अन्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण

(लाख रुपए)

जिला		जमा	ऋण
1.	इलाहाबाद	27786	11619
2.	आजमगढ़	11165	3906
3,	बहराइच	4199	2018
4.	बलिया	7613	2291
5.	बस्ती	6718	4046
6.	देवरिया	8815	4956
7.	फैजाबाद	8987	3037
8.	गाजीपुर	6965	2504

1	2	3	4
9.	गोंडा	5733	2701
10,	गोरखपुर	18339	8053
11.	जौनपुर	8683	2477
12.	मिर्जापुर	11973	7734
13.	प्रतापगढ़	2236	1263
14.	सुल्तानपुर	4967	2516
15.	वाराणसी	34311	14065

राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपना पैसा निकालने में जमाकर्ताओं को हो रही कठिनाइयां

2800. प्रो० मधु दंडवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक पैसा निकालने में जमाकर्ताओं को कठिनाई हो गई है और छोटी-छोटी राशियां निकालने में भी काफी समय लगता है;

(ख) क्या बैंकों में किए गए सुरक्षा उपायों के कारण इस तरह का कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने की कोई योजना है ताकि लोगों को अपना पैसा निकालने में कम समय लगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ऐसी कोई आम शिकायत नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से रकमें निकलवाने में ज्यादा समय लगता है। इसके विपरीत, बैंकों में ग्राहक सेवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए हर सम्भव उपाय किए जा रहे है ताकि बढ़ते हुए कामों और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

ग्राहक सेवा विषयक कार्यकारी दल ने बैंकों से रकमें जल्दी निकालने को सरल बनाने के उद्देश्य से बैंकों की उन शाखाओं में जहां काम की मात्रा अधिक हो, टेलर प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी बहुत सी शाखाओं में पहले ही टेलर व्यवस्था लागू कर दी है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की भुगतान न की गयी अथवा वसूल न हुई बकाया धनराशि

2801. श्री हरुभाई मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञाओं अथवा स्थगन आदेशों के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की लगभग कितनी राशि का भुगतान अथवा वसूली नहीं हो पायी है ;

(ख) सरकार द्वारा उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की बकाया राशियों के भुगतान में विलम्ब करने वालों पर दण्डस्वरूप ब्याज लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अधिकतर मामलों का संबंध उत्पादों की शुल्क दर उनके मूल्यांकन के मुद्दों से है और कुछ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मामलों का संबंध उत्पादों की उत्पादन शुल्क देयता संबंधी मुद्दों से है। अलग-अलग माललों में ग्रस्त राजस्व की रकम की मात्रा की जानकारी केवल तभी प्राप्त हो सकेगी जब न्यायालय के निर्णय उपलब्ध होंगे।

(ख) विधि मंत्रालय और उस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी काउन्सेलों से कहा गया है कि वे व्यादेशों अथवा स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिए न्यायालयों के समक्ष याचिकाएं दायर करने हेतु सभी संभव उपाय करें। आयातकर्ताओं और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्धारितियों से प्राप्य रकमों की वसूली का काम अलग-अलग मामलों में न्यायालयों द्वारा व्यादेशों और स्थगन आदेशों को रद्द किए जाने के बाद न्यायालय के आदेशों तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

(ग) कानून में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। तथापि जहां बकाया रकमों की किस्तों में अदायगी करने संबंधी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाते हैं, उन मामलों में प्राप्य रकमों पर ब्याज की वसूली की शर्त शामिल होती है।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2802. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों के खोलने का कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 के अन्त में मध्य प्रदेश में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे जिनके अन्तर्गत राज्य के कुल 45 जिलों में से 40 जिले आ जाते हैं।

"नाबार्ड" ने मध्य प्रदेश में दो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की सिफारिश की है। जिन दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सिफारिश की गई है, उनमें से एक ग्वालियर और दाता जिलों

के लिए होगा और दूसरा विदिशा और भोपाल जिलों के लिए। इस संबंध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण

2803. श्री एच० ए० डोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश द्वारा देय बकाया ऋणों के सन्दर्भ में सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय ऋण के भार का अहसास है और कुछ अन्य अल्प विकसित देशों को उसके खतरों हुए अनुभवों की जानकारी है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पी० एल० 480 के मामले में अपने स्वयं के अनुभव तथा अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादों, वनस्पति तेलों आदि के उपहारस्वरूप आयात सम्बन्धी अपनी वर्तमान नीति का पुनरीक्षण करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, हाल के वर्षों में कुछ विकासशील देशों को गम्भीर रूप से विदेशी ऋण-परिशोधन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी, भारत ने अपने विदेशी ऋणों का प्रबन्ध विवेकपूर्ण सीमा के अन्दर ही कर लिया है। भुगतान शेष और विदेशी ऋण की स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है ताकि अपने ऋण परिशोधन दायित्वों को पूरा करने में कोई कठिनाई न आए।

(ख) दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेलों आदि के उपहारस्वरूप आयात की अनुमति, इनकी आवश्यकता और घरेलू अर्थव्यवस्था पर ऐसे आयातों से पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों पर उचित विचार करने के पश्चात् दी जाती है।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

2804. श्री सी० जंगा रेड्डी :

डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो के अनुसार दिल्ली में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो वर्ष 1960 में 100 था, जनवरी, 1985 में बढ़कर 600 हो गया और इस प्रकार गत 25 वर्षों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़कर छः गुणा हो गए है;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत मूल्य वृद्धि क्या रही है; और

(ग) कृषि-श्रमिकों पर, जिनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, रुपए का मूल्य घटकर 1/6 हो जाने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली के लिए, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के आंकड़े और इसके आधार पर योजना दर योजना के आधार पर औसत मूल्य वृद्धि नीचे दिखाई गई है :

योजना अवधि	महीना/वर्ष		दिल्ली के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100)	औसत वृद्धि (अवधि के अंत के आधार पर)
तीसरी पंचवर्षीय योजना	अप्रैल	1961	103	45.6 प्रतिशत
(1961-62 से 1995-68)	मार्च	1966	150	
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-70 से 1973-74)	मार्च	1974	296	49.5 प्रतिशत
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-75 से 1978-79)	मार्च	1979	371	25.3 प्रतिशत
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85)	फरवरी (अद्यतन उपलब्ध)	1985	600	50.8 प्रतिशत

(ग) उपभोक्ता मूल्यों के साथ-साथ कृषि-श्रमिकों की धन के रूप में आय भी बढ़ी है। कृषि-श्रमिकों पर, रुपए की क्रय-शक्ति में आई कमी के प्रभाव का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, जीवन यापन की लागत में वृद्धि के लिए समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ा कर कृषि-श्रमिकों की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है।

भुवनेश्वर को "ख" श्रेणी का नगर घोषित किया जाना

[अनुवाद]

2805. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर को "ख" श्रेणी का नगर घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नगरों का क, ख-1, ख-2 और ग के रूप में वर्गीकरण दस वर्षीय जन-गणना में दर्शाई गई जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। 1981 की जनगणना के अनुसार भुवनेश्वर की जनसंख्या 219, 211 है। इस

आधार पर, भुवनेश्वर का वर्गीकरण "ग" नगर के रूप में किया गया है। ख-2 श्रेणी में दर्जा बढ़ाने के लिए, न्यूनतम जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए।

बैंकों की आस्तियों का वर्गीकरण

2806. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में बैंकिंग आयोग ने यह सिफारिश की थी कि बैंकों की आस्तियों का इस प्रकार वर्गीकरण किया जाना चाहिए कि अवमानक ऋणों, संदिग्ध ऋणों और डूब ऋणों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए बैंकिंग परिसम्पत्ति का स्पष्ट रूप से पता चल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या यह सिफारिश इस बीच क्रियान्वित कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बैंकों को अपने लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी होती है। ऋणों और अग्रिमों का नियमित अग्रिमों, अवमानक अग्रिमों, संदिग्ध अग्रिमों और अशोध्य ऋणों जैसी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना और इन विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग से व्यवस्था करना भारतीय रिजर्व बैंक ने जरूरी नहीं समझा। इस प्रकार बैंकिंग आयोग द्वारा की गई उक्त सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया।

खाड़ी देशों में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजने के लिए धनराशि जमा कराया जाना

2808. श्री चित्त महाटा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेश भेजी जाने वाली धनराशि पर कर लगाने की सरकार की घोषणा के बाद खाड़ी देशों में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजने के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली प्रेषणाओं के बारे में सूचना देश-वार नहीं रखी जाती।

अनिवासी (विदेशी) खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में फरवरी, 1985 के अन्त तक जमा राशि इस प्रकार थी :—

(करोड़ रुपयों में)

अनिवासी (विदेशी) खाते	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते	
	पौंड स्टर्लिंग	संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर
2753 (अनन्तिम)	302.24	625.78

चूंकि सरकार की यह घोषणा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि धन-कर अधिनियम के खण्ड 5 (i) (xxxiii) के अन्तर्गत दी गई छूट अनिवासी भारतीयों के मामले में अनिवासी (विदेशी) खातों में पड़ी धनराशि पर होगी, फरवरी, 1985 में ही की गई है, इसलिए इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि स्वदेश भेजी जाने वाली धनराशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

2809. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा खोली गई ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा ग्रामवासियों द्वारा उनमें कितनी धनराशि जमा कराई गई और बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या सरकार को इन बैंकों द्वारा ऋणों के वितरण के बारे में कुछ असन्तोषजनक मामलों की सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष जून के अन्त की स्थिति के मुताबिक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में शाखाओं की संख्या, कुल जमा और बकाया अग्रिम के संदर्भ में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

			जून के अन्त में (राशि लाख रुपये)	
वर्ष	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	बकाया अग्रिम
1982	118	5280	37527	45946
1983	138	6644	52500	61878
1984	158	8491	76070	85327

(राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त तीन अन्य बैंकों अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०, द यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० और बैंक आफ राजस्थान लि० ने भी चार क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं जिसके संबंध में आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

(राशि लाख रुपये)

जून को समाप्त वर्ष	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	बकाया अग्रिम
1982	3	113	696.32	313.30
1983	4	168	976.35	489.05
1984	4	236	1364.59	670.60

प्रायोजक बैंक-वार, राज्यों के अनुसार आंकड़े सभा-पटल पर रखे गए अनुबंध में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 884/85]

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/प्रायोजक बैंक को ऋण वितरण के संबंध में प्राय: शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/प्रायोजक बैंक इनकी जांच करते हैं। जहां कहीं पहली दृष्टि में आरोप सही पाये जाते हैं, प्रायोजक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

कृषि वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

[हिन्दी]

2810. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश-वार कौन-कौन सी कृषि वस्तुयें निर्यात की गई और उनके निर्यात से वस्तुवार विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 के लिए कृषि वस्तुओं के देश-वार, वस्तु-वार निर्यात अभी संकलित नहीं किए गए हैं। अस्थायी अनुमान के अनुसार, 1984-85 में चाय, काफी व समुद्री उत्पादों को छोड़ कर कृषि वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 1448 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) सरकार ने अभिज्ञात संकेन्द्रण क्षेत्रों के निर्यातों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनेक कार्य समूह स्थापित किये हैं। निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के उत्पादन आधार का विस्तार करने और नई मदों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक सतत बातचीत प्रारंभ की गई है। जहां आवश्यक है संस्थागत प्रबंधों का सुदृढ़ीकरण किया

जा रहा है। बाजार संवर्धन, मेलों में भाग लेने, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों, नकद मुआवजा सहायता और बाजार विकास सहायता जैसे सामान्य निर्यात संवर्धन उपायों को गहन बनाया जा रहा है।

दिल्ली में महरौली ब्लाक में अवैध खनन

2811. **श्री ललित माकन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में "एक धमाका होगा और वे मारे जायेंगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में महिपालपुर, मकसूदपुर, कुसुमपुर, छिटोरनी, नत्थूपुर, चांदनहुला, डेरा, बास (गूजरीवाला) आदि गांवों के पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध, खतरनाक और जबरन खनन और बदरपुर, (लाल बजरी) बनाने के कार्य को रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि बदरपुर (लाल बजरी) के इस अवैध और जबरन खनन से उसे लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) गैर कानूनी खनन की रोकथाम के लिए दिल्ली प्रशासन के अधिकारी लगातार छापे मारते रहते हैं। दिल्ली प्रशासन ने विनियमों का उलंघन करने के आरोप में 100 से अधिक पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने अवैध रूप से खनित-खनिज की कीमत और रायल्टी राशि, जो लाखों रुपये बैठती है, की वसूली के लिए कार्रवाई की है और मामलों पर भी कार्रवाई शुरू की जा रही है और छापे मारने की कार्यवाही तेज की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेशों में मंजूर किये गये अग्रिमों की राशि

[अनुवाद]

2812. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर कामकाज करने वाले प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए अग्रिमों की कुल राशि क्या है;

(ख) इसमें से संदेहास्पद ऋणों की राशि क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस पद्धति का अध्ययन कराने का है कि विदेशी शाखाओं की स्थानीय एजेंसियों द्वारा बिना सोचे समझे अग्रिम मंजूर न किये जायें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण प्रपत्रों के अनुसार उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि और ब्यौरा प्रकट न करने के बारे में बैंकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है जिनके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गयी हो। अतः अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

(ग) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की परिचालन पद्धति की समीक्षा करने और इन परिचालनों पर नियन्त्रण तथा नजर रखने की प्रणालियों को मजबूत करने के उपाय तैयार करने के लिए, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों की एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। उक्त दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

विदेशों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों की शाखाओं में वर्ष 1981, 1982 और 1983 के अन्त में बकाया अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

(बैंक का नाम	1981	1982	1983
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1114	1665	1936
2. बैंक आफ इण्डिया	631	848	1185
3. बैंक आफ बड़ौदा	414	534	584
4, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	71	146	205
5. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	23	58	44
6. पंजाब नेशनल बैंक	136	238	466
7. सिंडिकेट बैंक	78	125	136
8. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	240	243	381
9. पंजाब एंड सिंध बैंक	7	9	15
10. इण्डियन बैंक	86	111	166

1	2	3	4	5
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	333	414	549
12.	केनरा बैंक (लंदन स्थित शाखा नवम्बर, 1983 में ही खोली गयी थी।)	—	—	—
		3133	4391	5667

धनलक्ष्मी बैंक की जमा राशि और अग्रिमों की राशि

2813. श्री के० जी० उन्नीकृष्णन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर मुख्यालय वाले धनलक्ष्मी बैंक में वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कितनी राशियां जमा हुई और कितनी राशियों के ऋण दिए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बैंक ने कितनी शाखायें खोलीं; और

(ग) क्या बैंक का कार्यकरण संतोषजनक रहा है और इस बैंक के कार्यकरण में सुधार हेतु रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के अन्त की उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

	जमा राशियां	दिए गए अग्रिम
	(लाख रुपए)	
के दिन		
31.12.81	4843	2713
31.12.82	5312	2844
31.12.83	5350	2915

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि धनलक्ष्मी बैंक लि० ने वर्ष 1982-83 में चार और 1983-84 में दो शाखाएं खोलीं। अप्रैल से दिसम्बर, 1984 के दौरान कोई शाखा नहीं खोली गई। अलबत्ता, बैंक के पास शाखा खोलने के लिए 5 लाइसेंस लम्बित पड़े हैं।

(ग) बैंक के कार्यकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। बैंक के प्रबंध को मजबूत बनाने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी और एक सेवा निवृत्त अनुभवी बैंकर को बैंक के निदेशक मण्डल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पांच बैंकों का विलय

[हिन्दी]

2814. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच बैंकों के विलय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश को आधार मान कर एक बैंक खोलने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

[अनुवाद]

2815. श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों की शाखायें खोलना

[हिन्दी]

2816. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का हिमाचल प्रदेश में बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1985 से 1990 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह बताना संभव नहीं है कि उक्त नीति को अन्तिम रूप दिये जाने तक, हिमाचल प्रदेश में बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जायेगी, अलबत्ता, बैंकों के पास इस समय राज्य में शाखाएं खोलने के लिए 48 प्राधिकार पत्र हैं।

राज्यों को उनके विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए धन देना

[अनुवाद]

2817. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों के साथ राज्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन राज्यों के विकास के लिए धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्य सरकारों के ओवर-ड्राफ्टों को रोकने के लिए निर्देश जारी किये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य को उनके विकास के लिए अलग-अलग कुल कितना धन आबंटित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्य योजनाओं के लिए सहायता की व्यवस्था राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर की जाती है।

(ख) भारत सरकार ने सभी राज्यों को परामर्श दिया है कि वे अपने ओवर-ड्राफ्टों को उन आंकड़ों तक सीमित रखें जो 28.1.1985 को थे तथा भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श दिया है कि वे किसी भी ऐसे राज्य की अदायगियां रोक दें, जिनके ओवर-ड्राफ्ट लगातार सात कार्य दिवसों तक इस सीमा से अधिक होते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राज्य	1984-85	1983-84	1982-83
1.	आंध्र प्रदेश	241.15	211.01	192.26
2.	असम	371.21	323.61	225.93
3.	बिहार	361.63	312.04	273.15
4.	गुजरात	153.98	135.60	117.43
5.	हरियाणा	74.00	52.71	56,86
6.	हिमाचल प्रदेश	115.28	100.42	86.49
7.	जम्मू तथा कश्मीर	260.92	234.78	202.64
8.	कर्णाटक	147.95	120.03	108.56
9.	केरल	111.27	94.12	94.08

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	274.14	243.28	206.69
11.	महाराष्ट्र	267.57	230.73	180.96
12.	मणिपुर	76.88	68.07	60.29
13.	मेघालय	60.08	63.33	47.60
14.	नागालैंड	83.90	75.25	57.06
15.	उड़ीसा	172.29	157.49	146.68
16.	पंजाब	83.81	72.82	63.59
17.	राजस्थान	170.00	142.48	155.45
18.	सिक्किम	31.06	31.63	24.89
19.	तमिलनाडु	190.69	157.97	137.98
20.	त्रिपुरा	78.89	60.94	52.36
21.	उत्तर प्रदेश	566.02	464.84	423.46
22.	पश्चिम बंगाल	33.76	156.52	290.00
	सभी राज्यों का जोड़	3926.48	3509.67	3204.41

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रबड़ का आयात

2818. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान रबड़ की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान आयात किए गए रबड़ की कीमत/मूल्य क्या था;

(ग) क्या रबड़ का मूल्य 18 रु० प्रति किलोग्राम से गिर कर 14.50 रुपए पर आ गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) रबड़ का आयात करने के क्या कारण थे जबकि देश में रबड़ का फालतू उत्पादन है; और

(च) गरीब तथा लघु रबड़ उत्पादकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 के दौरान एस० टी० सी० ने 26,650 मै० टन रबड़ का आयात किया जिसमें 8500 मै० टन शामिल नहीं है जो वित्तीय वर्ष 1983-84 (फरवरी/मार्च 1984) में आ चुका था। लेकिन पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिसे क्लियर नहीं किया जा सका था। इस प्रकार इस मात्रा को भी वर्ष 1984-85 के दौरान क्लियर किया गया।

(ख) आयातित रबड़ की रिलीज कीमतें आर० एस० एस०-III के लिए 16,080 रु० प्रति मै० टन और एस० एम० आर०-20 के लिए 16,500 रु० प्रति मै० टन हैं।

(ग) रबड़ की विभिन्न ग्रेडों के लिये उच्चतम तथा न्यूनतम मासिक औसत कीमतें नीचे बताई गई हैं :—

(रु० 1 कि० ग्रा०)

	जुलाई, 84	नवम्बर, 84
लाट रबड़	17.28	14.94
आर० एम० ए०-4	18.35	15.48

(घ) सितम्बर से आगे चरम उत्पादन अवधि के कारण नवम्बर के दौरान कीमत में कमी मौसमी है। ऐसा हर वर्ष होता है। तथापि टायर उत्पादक क्षेत्र द्वारा रबड़ की कम उठान, नवम्बर, 84 के दौरान कीमतों में कमी का एक अन्य कारण था।

(ङ) 1984-85 के दौरान कुल आयात केवल उसी स्तर तक था जितना कि सप्लाई और मांग के बीच के घाटे की पूर्ति के लिए अपेक्षित था।

(च) सरकार रबड़ की सप्लाई, मांग और कीमत की प्रवृत्तियों पर निरन्तर निगरानी रख रही है। आयातों की अनुमति उतनी सीमा तक होती है जितने कि सप्लाई और मांग के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिए अपेक्षित है और इस प्रकार एक रबड़ के लघु काश्तकारों सहित रबड़ के उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। लघु जोत क्षेत्र में रबड़ की खेती के संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं भी कार्यान्वित की जाती हैं।

रायचूर ताप विद्युत संयंत्र (कर्नाटक) के लिए कोयले की आवश्यकता

2819. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रायचूर ताप विद्युत संयंत्र के लिए इस समय कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता है; और

(ख) क्या कर्नाटक में पिछले 7-8 वर्ष से कोयले की गम्भीर कमी को देखते हुए सरकार उपर्युक्त ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार के लिए कोयले के लिंकेज की अनुमति देगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) रायचूर ताप बिजलीघर के लिए अप्रैल-जून, 1985 की अवधि के लिए 20,000 टन कोयले का प्रति माह का संयुजन स्वीकृत किया गया है।

(ख) रायचूर विस्तार (तीसरा यूनिट-210 मे० वा०) के लिए कोयले का संयुजन "दीर्घ कालीन विशेष संयुजन समिति" ने दिनांक 3-10-1983 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया था।

पटसन की बोरियों के मूल्यों में गिरावट के कारण पटसन उद्योग के समक्ष संकट की स्थिति

2820. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की बोरियों आदि के मूल्यों में गिरावट के कारण पटसन उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट पर काबू पाने के लिए उद्योग को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1984-85 (जुलाई-जून) के चालू पटसन मौसम की प्रथम छमाही के दौरान, मांग स्थिति अच्छी थी तथा पटसन माल की कीमतें अनुकूल थीं। तथापि, फरवरी, 1985 से, मुख्यत: मांग में मंदी के कारण पटसन माल की कीमतें गिर गयीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार पटसन उद्योग के कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है। पटसन उद्योग की जीवन-क्षमता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निर्यातों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें शामिल हैं :—

(1) सरकार (डी० जी० एस० एण्ड डी०) द्वारा पटसन उद्योग से लागत जमा आधार पर पटसन माल खरीदना;

(2) सीमेंट उद्योग द्वारा अनिवार्य रूप से 100 प्रतिशत पटसन बोरों के इस्तेमाल को प्रारम्भ करना;

(3) पटसन मिलों की जीवन-क्षमता के अध्ययन के लिए आर० बी० आई० के तत्वावधान में एक स्थायी समिति स्थापित करना तथा रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए वित्तीय उपायों के अनेक सुझाव देना;

(4) पटसन माल के गतिशील क्षेत्रों को उच्चतर नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करना;

(5) एस० टी० सी०-पटसन उद्योग का 50:50 की हानि विभाजन आधार पर साथ संघ बनाकर उत्तरी अमरीका को कालीन अस्तर कपड़े के निर्यातों में सहायता देने के लिए एस० टी० सी० को शामिल करना;

(6) एक नई पटसन विकास परिषद का तथा आर० एण्ड डी० प्रयासों एवं निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उपकर की आय में से एक जूट निधि का गठन करना;

(7) आर० एण्ड डी० प्रयासों को तेज करके निर्यात योग्य उत्पादों के विकास को बढ़ावा देना।

आयात नीति को सरल बनाया जाना

[हिन्दी]

2881. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात नीति को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सरलीकृत आयात नीति के बारे में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या आयात नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किसी विशेष प्रयोजन से किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संग्मा) : (क) से (घ) सरकार का आज आयात तथा निर्यात नीति घोषित करने का विचार है। ऐसी आशा है कि प्रश्न काल के कुछ समय बाद वाणिज्य मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। नई आयात तथा निर्यात नीति की प्रतियां सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बेरोजगार नवयुवकों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

2822. **श्री उत्तम राठौर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों अर्थात् 1983-84 और 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवक योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्तियों की सहायता की गयी;

(ख) क्या वाणिज्यिक बैंक इस योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति अनिच्छुक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। गत दो वर्षों अर्थात् 1983-84 और 1984-85 (जनवरी, 1985 तक) महाराष्ट्र में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	वास्तव में सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	लक्ष्य के मुकाबले सहायता प्राप्त परिवारों का प्रतिशत
1983-84	1,77,600	2,56,052	144.2
1984-85 (जनवरी 1985 तक)	1,77.600	1,66,387	93.7

वर्ष 1983-84 में महाराष्ट्र राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना के अधीन कुल 24579 व्यक्तियों को लाभ हुआ जबकि लक्ष्य 20800 व्यक्ति था। फरवरी, 1985 के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा राज्य में वर्ष 1984-85 के लिए 22,335 आवेदन प्रायोजित किए जबकि वार्षिक लक्ष्य 25,000 आवेदन था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दार्जिलिंग में चाय बागानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण

2823. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दार्जिलिंग में चाय बागानों के जीर्णोद्धार और पुन: रोपण के लिये स्वीकृत 18 योजनाओं के अन्तर्गत अभी तक एक भी ऋण नहीं लिया गया है; और

(ख) उक्त 18 योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा अब तक ऋण न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक ने दार्जिलिंग में हैप्पी वैली, मवईबाड़ी, फुगड़ी, लिंगिया,

ग्लैनबर्न, तुमसोंग, मूडाकोटी, पनदाम, बालासुन, सिंगबुली, बादामतम, थरबो, बर्नसबैग, मिम, रूंगली, रूंगलियेट, रूंगमूक और सेदार्स आर्या और नागरी चाय बागानों के लिए 18 योजनाओं को स्वीकृति दी है जिसमें 359.03 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। केनरा बैंक ने पहले से ही तीन बागानों के मामले में 77.50 लाख रु० की स्वीकृत योजनाओं के आधार पर संवितरण आरम्भ कर दिया है। अन्य मामलों में संवितरण जल्दी ही होने की आशा है।

चीन को तम्बाकू का निर्यात

2824. श्री चिन्ता मोहन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हांगकांग की फर्मों के माध्यम से चीनी को तम्बाकू का निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत से हांगकांग फर्मों द्वारा चीन को तम्बाकू के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मै० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1981-82	26,330	3,849.33
1982-83	100	21.25
1983-84	—	—

मैसर्स एम० वेंकटरत्नम एण्ड कम्पनी आई० टी० सी० लि०, मछी लक्ष्मैया एण्ड कम्पनी और गोगीनैनी तम्बाकू भारतीय संभरक हैं। मैसर्स टी० ए० एफ० यू० एण्ड कम्पनी, आई० ट्रुआ ट्रेडिंग कम्पनी एण्ड पैसिफिक ट्रेडिंग एण्ड एजेंसी लि० हांगकांग फर्में हैं।

सहकारी बीमा के अध्ययन के लिए नियुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट देना

2825. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी बीमा के अध्ययन के लिए एक समिति का नामांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

जर्मनी के विशेषज्ञ दल द्वारा दिए गए प्रदूषण रोकने के उपायों के सुझाव

2826. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मनी तकनीकी सहयोग योजना के अन्तर्गत जर्मनी के एक विशेषज्ञ दल ने राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर के चार लौह और इस्पात कारखानों का निरीक्षण करने के बाद सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के प्रदूषण की समस्या से निपटने के तरीकों पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) प्रदूषण रोकने के लिए रिपोर्ट में क्या क़दम उठाने के सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार और प्रदूषण बोर्ड ने रिपोर्ट पर कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे इस्पात कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के एक जर्मन विशेषज्ञ डा० फर्डीनेन्ड फिंक ने 23 जुलाई से 7 अगस्त, 1982 के बीच स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के राउरकेला, दुर्गापुर तथा बोकारो स्थित इस्पात कारखानों और टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के जमशेद पुर स्थित कारखाने का दौरा किया था। उन्होंने पर्यावरण विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1982 में प्रस्तुत कर दी थी। उनके द्वारा की गई आम सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) प्रत्येक कार्यशाला के लिए अलग-अलग मापक-यंत्र दिए जाएं। इसके साथ-साथ धोवन जल के लिए भी मापक-यंत्र दिए जाए।

(2) प्रत्येक संयंत्र के निर्गम द्वारों से निकलने वाले धोवन-जल के मल-निस्राव पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए।

(3) कोक ओवन से निकलने वाले फीनोलिक जल को शोधित किया जाए तथा उस जल को कोक के द्रुत-शीतलन के लिए पुनः उपयोग में लाया जाए।

(4) विभिन्न प्रकार के पंकक (स्लरी) को सार्वजनिक नालियों में छोड़ने से पूर्व उन्हें शोधित किया जाए।

(5) स्टैक उत्सर्जन को मापने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्टैकों पर निगरानी रखने की व्यवस्था की जाए।

(6) जहां-कहीं जल-उपचार संयंत्रों को चालू नहीं किया गया है वहां सभी जलोपचार संयंत्रों को सशक्त बनाकर उन्हें चालू किया जाए।

(7) वायु प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपकरण चालू किए जांए और जहां-कहीं आवश्यक हो, अतिरिक्त उपकरण लगाए जांए।

"सेल" ने अधिकांश सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यवाही की है तथा इनके शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1985-90 के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वनरोपण तथा वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए विशेष रुप से कार्यवाही की जा रही है।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि० भी डा० फिंक की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है।

अन्य चीजों के निर्माण के लिए पटसन रेशे का उपयोग

2827. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पटसन रेशा अधिकांशत: टाट के बोरे बनाने में उपयोग किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विदेशों को कच्चे माल का अधिक निर्यात होता है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य चीजें बनाने के लिए पटसन के उपयोग के विविधीकरण के कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त चीजों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी अन्य चीजों के बारे में कोई अध्ययन किया है जिनकी अधिक कीमत मिल सकती है और जिनकी विदेशों में अधिक मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) बोरियों के लिए पटसन रेशे का प्रयोग रेशे के कुल उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत तक किया जाता है और शेष का उपयोग हैसियन, कालीन अस्तर वस्त्र आदि बनाने के लिए किया जाता है। देश में रेशे की तंग सप्लाई स्थिति के कारण गत कुछ वर्षों के दौरान इसका निर्यात लगभग नगण्य रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार, पटसन उत्पाद विकास परिषद और भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से उत्पादों के विविधीकरण में जोरदार प्रयास कर रहे हैं। तथापि, अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों का अधिक गहन बनाया जाना

आवश्यक है। विविधीकृत उत्पादों में कालीन अस्तर वस्त्र, पटसन मिश्रित सज्जा सामग्री, घरेलू सज्जा सामग्री, कालीन, पटसन प्रबलित प्लास्टिक आदि शामिल हैं। उपरोक्त सभी मदें उच्च मूल्य उत्पाद हैं जिनके लिए विदेशो में संभाव्य मांग विद्यमान है।

(घ) और (ङ) ब्रुसेल्ज स्थित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र ने ब्रुसेल्ज में भारत व्यापार केन्द्र के साथ सहयोग करके पटसन उत्पादों के संबंध में बाजार संवर्धन किया है। आई० टी० सी० द्वारा बाजार संवर्धन के लिए अधिक जोरदार प्रयास की योजना बनाई गई है।

धारक बांडों का समानान्तर मुद्रा के रूप में प्रयोग

2828. श्री बी० के० गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारक बांडों का समानांतर मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या काला धन छुपाने के लिए इन्हें प्रीमियम पर बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या काले धन का पता लगाने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त हैं; और

(ङ) क्या सरकार का काला धन की समस्या से निपटने के लिए घोषित उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) धारक बन्ध-पत्रों का सरकारी तौर पर कोई लेन देन नहीं हो रहा है।

काले धन के प्रसार और उसमें होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी तथा सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

इस्पात का उत्पादन

2829. श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि और विशेषकर चालू वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या इन लक्ष्यों के पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी कमी होगी और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान "सेल" (इस्को शामिल हैं) तथा "टिस्को" का विक्रेय इस्पात का लक्ष्य तथा उत्पादन और वर्ष 1985-86 के लिए उत्पादन-योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	"सेल" (इस्को शामिल हैं)			"टिस्को"		
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत
1980-81	5795	4767	82	1550	1537	9922
1981-82	5730	5651	99	1550	1606	104
1982-83	5800	5672	97.8	1550	1621	105
1983-84	4731	4771	101	1550	1626	105
1984-85	5410	5283	97.6	1650	1679	102
1985-86 (योजना)	5920			1700		

(ग) और (घ) उत्पादन विभिन्न बातों जैसे कारखानों के सुचारु परिचालन, बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा बाजार की मांग पर निर्भर करता है। बेहतर रख-रखाव तथा वांछित क्वालिटी के आदानों की प्राप्ति से क्षमता का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में वर्तमान कारखानों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन से तथा नए इस्पात कारखाने लगाकर देश में इस्पात के उत्पादन में भी वृद्धि की जाएगी।

हस्तशिल्प और हथकरघा विकास के लिए सुविधाएं

2830. श्री अमरसिंह राठवा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तशिल्प और हथकरघा विकास तथा उनकी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए सभी सुविधाएं देने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा;

(घ) क्या आदिवासी क्षेत्रों में भी यह योजना लागू करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(घ) और (ङ) सभी विकास कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में भी समान रूप में लागू हैं।

विवरण

हस्तशिल्प : हस्तशिल्प के विकास संवर्धन के कार्यक्रमों में शिल्पकारों का प्रशिक्षण, विपणन, शिल्प संकेन्द्रण क्षेत्रों में कच्चे माल के डिपो व सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य निगमों व शीर्ष सहकारी सोसाइटियों को सहायता प्रदान करना, महत्वपूर्ण नगरों तथा शहरों में बिक्री केन्द्रों का खोला जाना और हस्तशिल्प कामगारों के लिए प्राथमिक सहकारिताओं हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करना शामिल हैं। हस्तशिल्पों के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए इस समय हाथ की छपाई वाले कपड़ों और बेंत तथा बांस के राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा चार क्षेत्रीय डिजाइन तथा तकनीकी विकास केन्द्र हैं। इसके अलावा, राज्य के हस्तशिल्प निगमों/शीर्ष सहकारी सोसाइटियों को डिजाइन संबंधी सहायता प्रदान करने और इमदादी दरों पर औजारों तथा उपस्करों की सप्लाई के लिए एक योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

हथकरघा : सरकार की मुख्य नीति यार्न की सप्लाई, ऋण, विपणन आदि जैसे विविध अन्तर्निवेश प्रदान करने के लिए सहकारिताओं और राज्य हथकरघा विकास निगमों के रूप में एक अवस्थापना के सृजन की दिशा में है। बुनकरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए करघों के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। बुनकर सेवा केन्द्र, और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए निरन्तर अनुसंधान में लगे हुए हैं।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में धातु-खोज

2831. श्री टी० बशीर : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने केरल में धातुओं की खोज के दौरान अब तक किसी धातु की कोई खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सर्वेक्षणों के दौरान केरल में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का पता लगाया है :—

खनिज	अनुमानित भंडार (लाख टनों में)	स्थान
लौह अयस्क (31 से 41% लौह)	882.9	कोजीकोड तथा मालापुरम जिले।

बाक्साइट (समीग्रेड)	158.9	क्विलोन, त्रिवेन्द्रम तथा कनानोर जिले।
ग्रेफाइट (20% कार्बन)	15.6	अर्नाकुलम, इडुक्की, कोटायम क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिले।
स्वर्ण (बजरी तथा प्राथमिक)	—	मालापुरम जिला। (स्वर्ण निक्षेपों का पता लगाने के लिए टोही सर्वेक्षण किया गया)

जीवन बीमा निगम के बकाया दावे

2832. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम के कुल दावों की तुलना में बकाया दावों का अनुपात कितना है;

(ख) क्या इसकी अन्य देशों की बीमा कंपनियों से तुलना की जा सकती है; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा अस्वीकार कर दिए गए मृत्यु दावों का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम के कुल दावों की तुलना में लम्बित पड़े मृत्यु तथा परिपक्वता दावों की राशि का अनुपात 12.64 प्रतिशत था।

(ख) जी, हां। कुछ विदेशी मुख्य बीमा कंपनियों से संबद्ध उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार लम्बित दावों का अनुपात निम्न प्रकार से हैं :—

मेट्रोपोलिटन लाईफ (31.12.1983)	—	15.0%
नोरविच यूनियन (31.12,1982)	—	10.5%
प्रूडेन्शियल (31.12.1981)	—	13.4%

(ग) 1983-84 में अस्वीकृत मृत्यु दावों की राशि 1.68 करोड़ रुपए थी तथा वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 98.75 करोड़ रुपए के मृत्यु दावों की तुलना में अस्वीकार किए गए दावों का अनुपात 1.70 प्रतिशत बैठता है।

आयातित सोने के भुगतान के लिए चांदी का निर्यात

2833. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 मार्च, 1985 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में छपी खबर के अनुसार रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल) ने देश की आभूषण निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने के लिए आयात किए गये सोने के भुगतान के लिए चांदी का निर्यात करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सोने के लिए चांदी के इस प्रकार के विनिमय हेतु कोई योजना तैयार की जायेगी; और

(घ) क्या तस्करी के माध्यम से भारी मात्रा में चांदी देश से बाहर जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फाइनेंशियल एक्सप्रेस में दिनांक 6 मार्च, 1985 को प्रकाशित एक साक्षात्कार में अध्यक्ष, जैन एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने यह सुझाव दिया था कि एक ऐसी योजना को अपनाया जाना वांछनीय होगा जिसके जरिए चांदी के निर्यातों को स्वर्ण-आयातों के साथ जोड़ा जा सके। तथापि, उक्त समाचार में न तो उस योजना के ब्यौरों का उल्लेख है और न ही सरकार को कोई विस्तृत योजना प्राप्त हुई है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) फिलहाल नहीं।

मणिपुर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2834. **प्रो० मिजिनालंग कामसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रक्षा, इलेक्ट्रानिक और टेलीफोन उपकरणों आदि से संबंधित मदों के उत्पादन के लिए राज्य में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की स्थापना का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। मणिपुर सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र की इलेक्ट्रानिक यंत्र विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए अनुरोध किया है।

(ख) सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक उद्योग सम्वर्धन के प्रयोजनार्थ अर्थोपाय सुझाने के लिए भेजे गए तकनीकी दल ने सुझाव दिए हैं जिन्हें चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया गया है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में कर्मचारियों की संख्या

2835. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 को इन कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) 31.12.1984 तक नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) में नियमित कर्मचारियों की संख्या 1377 थी, जिनमें से 169 अनुसूचित जातियों तथा 81 अनुसूचित जन जातियों के थे। इसके अतिरिक्त कम्पनी में 143 प्रशिक्षणार्थी भी कार्यरत थे, जिनमें से 22 अनुसूचित जाति तथा 10 अनुसूचित जन जाति के थे।

(ख) 31.12.1982 को नाल्को में 638 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 152 अनुसूचित जाति के तथा 18 अनुसूचित जन जाति के थे।

मध्य प्रदेश में कोयले के लिए स्टाकयार्ड की स्थापना

[हिन्दी]

2836. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० ने अतीत में मध्य प्रदेश में 12 स्थानों पर कोयले के लिए स्टाकयार्ड बनाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में आज तक स्थापित किए गए कोयला स्टाकयार्डों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) शेष कोयला स्टाकयार्डों की स्थापना के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) पहले पांच स्टाकयार्ड अर्थात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, कटनी और डोंगरगढ़-प्रत्येक में एक-एक-स्थापित किए गए थे। परन्तु नीति में परिवर्तन करके स्टाकयार्डों को केवल रेल से ही कोयला पहुंचाने के निर्णय के कारण कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए और इस समय ग्वालियर, इंदौर और रायपुर में तीन स्टाकयार्ड काम कर रहे हैं।

(ग) मध्य प्रदेश में कटनी, भोपाल, सतना, खंडवा, जबलपुर और रतलाम में छः अतिरिक्त स्टाकयार्ड खोलने के लिए कोल इंडिया लि० कार्रवाई कर रहा है।

बैंकिंग पद्धति द्वारा देश के दुर्लभ संसाधनों के दुरुपयोग की संवीक्षा के लिए स्थायी आयोग

[अनुवाद]

2838. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारी संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ ने बैंकिंग पद्धति द्वारा देश के दुर्लभ संसाधनों के कथित दुरुपयोग और कुप्रबंध की संवीक्षा के लिए एक "स्थायी आयोग" की स्थापना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज्यों से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

2839. **श्री पी० चिदम्बरम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1985 तक की छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से प्रतिवर्ष कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया; और

(ख) क्या उत्पादन शुल्क से हुई प्राप्तियों में वृद्धि को औद्योगिक प्रवृत्ति का मापदंड माना जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभागीय रिकार्डों के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों से वर्ष 1980-85 की अवधि के दौरान प्राप्त हुई उत्पादन शुल्क-प्राप्तियां संलग्न विवरण-पत्र में दी गई हैं।

(ख) किसी राज्य में उत्पादन शुल्क-प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी, उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त बहुत-से अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे राज्य में उत्पादित जिन्सों पर उत्पादन शुल्क व्याप्ति और उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क दरें मूल्यों में वृद्धि आदि। किसी राज्य से प्राप्त होने वाली उत्पादन शुल्क वसूलियों में अन्तर, उक्त राज्य में औद्योगिक उत्पादन में उतार-चढ़ाव के परिणामत: भी हो सकता है। इसलिए उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि विश्वसनीय रुप से, औद्योगिक प्रगति की द्योतक नहीं हो सकती।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त सकल राजस्व				
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (जनवरी, 85 तक) (अनंतिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	38218	42554	45965	61483	57428
2.	कर्नाटक	32358	45674	49330	55109	53235
3.	केरल	21215	23391	23430	24511	19192
4.	तमिलनाडु	58422	69010	71740	78237	71699

महाराष्ट्र कपास निगम का रूई की गांठों का निर्यात करने हेतु अनुरोध

2840. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कपास निगम ने रूई की गांठों का निर्यात करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) महाराष्ट्र कपास निगम के नाम से कोई निगम नहीं है और उक्त निगम से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी रूई उपजकर्ता विपणन परिसंघ अपने नाम में निर्यात कोटे की रिलीज के लिए अनुरोध करता रहा है।

(ख) चालू रूई वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी रूई उपजकर्ता विपणन परिसंघ के नाम में 65,000 गांठों का निर्यात कोटा रिलीज किया गया है।

बिहार में बैंकिंग भर्ती बोर्डों की स्थापना

2841. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बैंकिंग भर्ती बोर्ड या आयोग कार्यरत हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या बिहार में भी ऐसा एक भर्ती बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इसका दूसरा स्थान है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संलग्न विवरण में भर्ती बोर्डों और उनके प्रधान कार्यालयों के नामों को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है।

(ख) से (घ) बिहार राज्य में भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों के लिए क्लर्कों की भर्ती के लिए पहले से ही पटना में एक क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड कार्यरत है।

विवरण

क्रम सं०	बोर्ड और इसके स्थान का नाम
I.	20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए
1.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पूर्वी समूह, कलकत्ता।
2.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दक्षिणी समूह, मद्रास।
3.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दक्षिणी समूह, बंगलौर।
4.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, उत्तरी समूह, दिल्ली।
5.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पश्चिमी समूह, बम्बई।
6.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पश्चिमी समूह, बड़ौदा।
7.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, मध्य समूह, लखनऊ।
8.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, मध्य समूह, भोपाल।
9.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पूर्वोत्तर समूह, गौहाटी।
II.	भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए
1.	केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, बम्बई।
2.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद।
3.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, बंगलौर।
4.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, भोपाल।
5.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर।
6.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, बम्बई।
7.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, कलकत्ता।
8.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़।
9.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, गौहाटी।
10.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, हैदराबाद।
11.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, लखनऊ।
12.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, मद्रास।
13.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली।
14.	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, पटना।

एक ही नगर में काम करने वाले दम्पतियों के संबंध में स्थानान्तरण नीति

2842. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि काम करने वाले दम्पतियों को एक ही नगर में नियुक्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व आसूचना निदेशालय में तृतीय श्रेणी के कुछ ऐसे सीमा शुल्क अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण दिल्ली से बाहर कर दिया गया है और उनकी पत्नियां दिल्ली में कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रशासनिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए, पति और पत्नी जब दोनों सेवारत हों, तो उनको एक ही नगर में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

(ख) जी हां, राजस्व आसूचना निदेशालय में श्रेणी -III के ऐसे दो आसूचना अधिकारी है जिनकी पत्नियां दिल्ली में कार्यरत हैं परन्तु उनके पति दिल्ली से बाहर तैनात हैं।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों को, विशेष रूप से विविध अनुभव प्रदान करने और बहुत ही नाजुक किस्म की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और अन्य प्रशासनिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए, किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किया जा सकता है। इन अधिकारियों को दुबारा तैनात करने के लिए रिक्तियों की उपलब्धता और प्रशासनिक औचित्य को ध्यान में रखकर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

केरल में पड़ोसी राज्यों की तुलना में काजू की गिरी के कम मूल्य

2843. **श्री मुल्लाप्पल्ली राम चन्द्रन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू की गिरी का वर्तमान मूल्य पड़ौसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के वर्तमान मूल्य से कम है;

(ख) केरल सरकार द्वारा, काजू को राज्य की सीमा के भीतर तथा बाहर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने से, सामान्य रूप से केरल और विशेष रूप से कन्नौर जिले के, काजू उत्पादक किसानों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जानकारी केरल सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र के "डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट" के रोलिंग मिल और फेब्रीकेशन यूनिट की स्थापना

2844. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र के "डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट" की रोलिंग मिल और फेब्रीकेशन यूनिट स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सिफारिशों के आधार पर इन एककों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रोलिंग मिल और फेब्रीकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) परवर्ती (डाउन स्ट्रीम) एल्यूमिनियम उत्पादों के विपणन अध्ययन के लिए नाल्को ने सर्वश्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० (एन० आई० डी० सी०) को अनुबंधित किया था। इसके बाद केन्द्र सरकार के एक उपक्रम सर्वश्री मैटलर्जिकल एंड इन्जीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकोन) ने परवर्ती उत्पाद सुविधाओं के निर्माण के लिए एक साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० ने डाउन स्ट्रीम सुविधाओं के अंग के रूप में दो वायर-रौड मिलें (प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 2 × 50,000 टन) स्थापित करने का निर्णय किया था।

(घ) वायर रौड मिलें एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र, अंगुल में स्थापित की जा रही हैं। रोलिंग मिल तथा अन्य डाउन स्ट्रीम सुविधाओं की स्थापना के बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा पूंजी निवेश का निर्णय करते समय किया जाएगा।

सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को दिशा निर्देश

2845. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने रोजगार और सहायक उद्योगों के विकास के बारे में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, उड़ीसा को दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को उन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, उड़ीसा से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है,

(घ) यदि हां, तो परियोजना प्रारम्भ होने के समय से तत्सम्बन्धी क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायक उद्योगों की प्रति वृद्धि तथा विकास के लिए मार्ग निर्देश जारी किये हैं जो नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड पर भी लागू होते हैं।

(ख) मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र स्तरीय समिति के गठन, सहायक उद्योगों की स्थापना के क्षेत्रों के निर्धारण, उद्यमों द्वारा सहायक उद्योगों के विकास के लिये किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित किए जाने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) इन मार्ग निर्देशों के अधीन मिर्धारित प्रगति रिपोर्ट सामान्यतः उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर प्राप्त होती है। 'नाल्को' अभी तक निर्माण अवस्था में है। किन्तु कम्पनी से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कम्पनी सहायक उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान दे रही है। संयंत्र स्तरीय समिति गठित की गई है, एक वरिष्ठ अधिकारी को सहायक उद्योगों के विकास का प्रभार सौंप दिया गया है तथा सहायक उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र निर्धारित किये जा रहे हैं।

लघु क्षेत्र को ऋण सुविधाओं हेतु पृथक बैंक

2846. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु क्षेत्र को ऋणों के सम्बन्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार लघु क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उसे ऋण सुविधाएं देने के लिए पृथक बैंक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

वित मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। लघु उद्योगों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में रखा गया है। बैंकों को यह लक्ष्य दिया गया था कि मार्च, 1985 तक उनके कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को मिलना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस दिशा में बैंकों के कार्य-निष्पादन पर नजर रखे हुए है। अक्टूबर, 1984 में घोषित की गई अधिक कामकाज के मौसम की ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

भारत-थाईलैंड व्यापार सम्बन्ध

2847. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार सहयोग को और बढ़ाने के लिए आपसी हितों के क्षेत्रों का पता लगाने हेतु भारत-थाइलैंड द्वारा संयुक्त प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत और थाइलैंड के पहले से किन-किन क्षेत्रों में व्यापार सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) आयात व निर्यात की प्रमुख परम्परागत मदें निम्नोक्त प्रकार है;

निर्यात : रुई, मूल्यवान रत्न तथा धातुएं, कमाने तथा रंगने का सामान, लोहा तथा इस्पात, इन्जीनियरी मदें, पशु खाद्य पदार्थ, भेषजीय पदार्थ।

आयात : दालें (मूंगें तथा मैंटपे बोन्स शामिल है), कागज तथा गत्ता, मानव निर्मित रेशे, फ्लोरस्पार, रंगने के लिए कच्चा माल, बिजली की मशीनें।

(ग) तथा (घ) एक संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया है। पता लगाए गए रुचि के नए मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

थाइलैण्ड में पूर्वी समुद्री पत्तन के विकास के लिए परियोजना, जिसके लिए भारतीय पार्टियां निविदाएं भर सकती हैं। संयुक्त उद्यमों के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों के रूप में, मोटर-गाड़ी उद्योग, जिसमें अतिरिक्त पुर्जे तथा संघटक शामिल हैं, और कृषि सम्बन्धी उपस्करों का पता लगाया गया है।

जस्ते का उत्पादन

2848. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने टन जस्ते का उत्पादन हुआ; और

(ग) जस्ते की उन विभिन्न खानों के नाम क्या हैं जहां पर जस्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) के दौरान देश में 2, 72, 974 टन जस्ते का उत्पादन हुआ।

(ग) राजस्थान के जिला उदयपुर में विद्यमान जावर खान समूह (मोचिया, बलारिया और जावर माला) में इष्टतम उत्पादन स्तर की प्राप्ति के लिए पहले ही प्रयास शुरू कर दिए गए है। जिला उदयपुर में ही राजपुरा-दरीबा नामक अन्य खानों में भी 1984-85 से उत्पादन शुरू हो गया है और वहां अगले कुछ वर्षों में इष्टतम उत्पादन स्तर हासिल करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। राज्य के भीलवाड़ा जिले की नई रामपुरा-अगुचा खानों को चालू करने के लिए सरकार विचार कर रही है।

खनिज की उपलब्धता और निर्यात

2849. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कौन-कौन से खनिज भंडार हैं;

(ख) उनका राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इन खनिज भण्डारों का मूल्य क्या है; और

(घ) कौन-कौन से खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है और कितना निर्यात किया जाता है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारों द्वारा देश में विभिन्न खनिजों हेतु की गई खोजों के आधार पर, विभिन्न राज्यों में मुख्य खनिजों के अनुमानित भंडार तथा उनका राज्य-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

खनिज का नाम		राज्य-वार भंडारों का ब्योरा (लाख टनों में)
कोयला	बिहार	5,57,030
	प० बंगाल	2,77,396.9
	उड़ीसा	2,95,347.8
	मध्य प्रदेश	2,32,235.5
	महाराष्ट्र	31,833.5
	आन्ध्र प्रदेश	85,046.0
	अरुणाचल प्रदेश	910.0
	आसाम	2,800.3
	मेघालय	5,089.4
	नागालैंड	120.5

1	2	3
लिग्नाइट	तमिलनाडु	33,789.0
	गुजरात	1,049.8 (अनुमानित)
	राजस्थान	1,809.5
	जम्मू और कश्मीर	84.0
लौह अयस्क (हेमाटाइट)	आन्ध्र प्रदेश	120.4
	बिहार	35,714.5
	गोआ	8,840.8
	कर्नाटक	11,668.0
	मध्य प्रदेश	24,701.4
	महाराष्ट्र	2,254.9
	उड़ीसा	31,238.7
	राजस्थान	158.4
मैग्नेटाइट (निम्न ग्रेड अयस्क)	आन्ध्र प्रदेश	2,447.87
	आसाम	497.40
	बिहार	6.41
	हरियाणा	80.84
	कर्नाटक	51,702.70
	केरल	882.94
	नागालैंड	100.00
	राजस्थान	0.84
	तमिलनाडु	5,316.99
मैगनीज अयस्क	आन्ध्र प्रदेश	25.6
	बिहार	1.4
	गोआ	29.4
	गुजरात	29.6
	कर्नाटक	479.3
	मध्य प्रदेश	212.9

1	2	3
मैंगनीज अयस्क	महाराष्ट्र	162.7
	उड़ीसा	334.2
	राजस्थान	3.2
निकल अयस्क	उड़ीसा	1,602.6
क्रोमाइट	बिहार	4.6
	कर्नाटक	29.0
	महाराष्ट्र	1.9
	उड़ीसा	1,314.9
	तमिलनाडु	2.6
चूनापत्थर	आन्ध्र प्रदेश	1,59,706.4
	आसाम	5,248.6
	अरुणाचल प्रदेश	1,400.0
	बिहार	6,729.5
	गुजरात	1,07,922.9
	गोआ	1,286.7
	हरियाणा	519.6
	हिमाचल प्रदेश	9,592.0
	जम्मू और कश्मीर	2,926.6
	कर्नाटक	1,69,683.6
	केरल	415.7
	मध्य प्रदेश	82,179.3
	महाराष्ट्र	34,848.0
	मणिपुर	80.4
	मेघालय	61,891.1
	नागालैंड	3,765.0
	उड़ीसा	8,406.8
	पांडिचेरी	48.3
	राजस्थान	53,196.9
	तमिलनाडु	8,233.9

1	2	3
चूनापत्थर	त्रिपुरा	0.9
	उत्तर प्रदेश	13,667.8
	प० बंगाल	238.5
डोलोमाइट	आन्ध्र प्रदेश	1,268.0
	अरुणाचल प्रदेश	4,263.9
	बिहार	345.7
	कर्नाटक	3,341.8
	मध्य प्रदेश	14,257.8
	महाराष्ट्र	2,601.9
	उड़ीसा	6,683.2
	राजस्थान	901.5
	तमिलनाडु	21.3
	उत्तर प्रदेश	752.5
	प० बंगाल	2,524.7
	गुजरात	2,453.1
	हरियाणा	63.7
तांबा अयस्क	आन्ध्र प्रदेश	90.9
	बिहार	2,151.3
	गुजरात	75.7
	हरियाणा	150.0
	कर्नाटक	108.8
	मध्य प्रदेश	1,925.0
	महाराष्ट्र	34.0
	उड़ीसा	23.6
	राजस्थान	1,085.7
	मेघालय	1.18
	सिक्किम	7.3

1	2	3	
तांबा अयस्क	तमिलनाडु	1.5	
	उत्तर प्रदेश	7.7	
	प० बंगाल	1.1	
सीसा-जस्ता	आन्ध्र प्रदेश	83.1	
अयस्क	गुजरात	74.4	
	महाराष्ट्र	10.0	जिंक
	मेघालय	1.2	
	उड़ीसा	26.3	लेड
	राजस्थान	3,349.8	
	सिक्किम	7.8	
	तमिलनाडु	6.8	
	उत्तर प्रदेश	10.3	
	प० बंगाल	32.5	
बाक्साइट	आन्ध्र प्रदेश	4,791.7	
	बिहार	732.6	
	गोआ	280.7	
	गुजरात	903.4	
	जम्मू और कश्मीर	72.8	
	कर्नाटक	310.1	
	केरल	159.0	
	मध्य प्रदेश	1,939.2	
	महाराष्ट्र	1,021.4	
	उड़ीसा	16,014.7	
	राजस्थान	10.7	
	तमिलनाडु	160.1	
	उत्तर प्रदेश	140.2	
फास्फोराइट	गुजरात	5.0	
	मध्य प्रदेश	207.0	

1	2	3
फास्फोराइट	राजस्थान	830.7
	उत्तर प्रदेश	298.8
बैराइट्स	आन्ध्र प्रदेश	725.86
	बिहार	0.18
	हिमाचल प्रदेश	0.16
	मध्य प्रदेश	0.94
	कर्नाटक	0.15
	महाराष्ट्र	0.44
	राजस्थान	10.93
	उत्तर प्रदेश	0.25
	तमिलनाडु	0.42
कायनाइट	बिहार	0.90
	कर्नाटक	6.79
	महाराष्ट्र	22.29
	आन्ध्र प्रदेश	0.02
	राजस्थान	0.10
	प० बंगाल	0.19
स्वर्ण अयस्क	आन्ध्र प्रदेश	44.41
	कर्नाटक	116.57
हीरा	मध्य प्रदेश	5.31 लाख कैरट
जिप्सम	आन्ध्र प्रदेश	2.3
	गुजरात	72.0
	हिमाचल प्रदेश	13.2
	जम्मू और कश्मीर	10,493.1
	कर्नाटक	10.9
	राजस्थान	1,708.2
	तमिलनाडु	182.1
	उत्तर प्रदेश	3.9

1	2	3
मैग्नेसाइट	हिमाचल प्रदेश	0.9
	कर्नाटक	10.0
	राजस्थान	2.6
	तमिलनाडु	355.2
	उत्तर प्रदेश	1,736.8
टंगस्टन अयस्क	कर्नाटक	360.0
	महाराष्ट्र	29.0
	राजस्थान	62.0
	प० बंगाल	3.8
सिलिमेनाइट	आसाम	0.7
	कर्नाटक	0.9
	केरल	34.1
	मध्य प्रदेश	1.0
	महाराष्ट्र	2.34
	मेघालय	0.8
	उड़ीसा	79.0
	तमिलनाडु	1.8

(ग) 1984 के दौरान 60 खनिजों का उत्पादन किया गया था जिनका कुल अनंतिम मूल्य 7680 करोड़ रु० था। इसमें ईंधन, धात्विक तथा अधात्विक अयस्कों का हिस्सा क्रमशः 6959 करोड़, 458 करोड़ तथा 263 करोड़ रु० है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान खनिज निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

खनिज	1982-83		1983-84	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क	122.05	259.50	125.22	245.80
मैंगनीज अयस्क	4.76	16.80	4.05	14.60
कोयला	0.92	4.80	0.30	1.40
क्रोम अयस्क	1.12	6.50	1.27	8.00
बैराइट	0.08	0.50	0.04	0.30

खनिज भंडारों का सर्वेक्षण

2850. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में खनिज भंडारों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) किए गए सर्वेक्षण का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) खनिजों का सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है तथा यह कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड और राज्य निदेशालयों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रमों के अनुसार किया जाता है। जी० एस० आई० क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण विस्तृत मानचित्रण तथा ड्रिलिंग विधियों के जरिये खनिजों की स्थिति और प्रारंभिक गवेषण के लिए लगातार कार्य कर रही है और प्राप्त आंकड़ों को लगातार आगे विस्तृत गवेषण के लिए खनिज गवेषण निगम लिमिटेड को भेज देती है। जी० एस० आई० तथा अन्य एजेंसियों द्वारा की गई खनिज खोजों के परिणामस्वरूप देश में निम्नलिखित मुख्य खनिजों के पर्याप्त भंडारों का अनुमान लगाया गया है :—

खनिज	देश में कुल भंडार लाख टनों में	राज्य-वार विवरण
1	2	3
कोयला	14,87,913.0	बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड
लिग्नाइट	36,573	तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर
लौह अयस्क (हैमाटाइट)	1,14,697.1	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गोआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान
मैगनेटाइट (निम्न ग्रेड अयस्क)	61,035.99	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, केरल, नागालैंड, राजस्थान और तमिलनाडु

1	2	3
मैंगनीज अयस्क	1,278.3	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और राजस्थान
निकिल अयस्क	1,602.6 (लगभग 1% निकिल)	उड़ीसा
क्रोमाइट	1,353.0	बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु
चूना पत्थर	7,31,984.5	आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल
डोलोमाइट	39,479.1	आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, गुजरात और हरियाणा
तांबा अयस्क	5,662.6 (औसत 1.11% तांबा)	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और प० बंगाल
सीसा-जस्ता अयस्क	3,602.2 (औसत 1.62% सीसा 4.99% जस्ता)	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और प० बंगाल
बॉक्साइट	26,536.6	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
फास्फोराइट	1,341.5	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

1	2	3
गैराइट	739.33	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु
कायनाइट	30.29	बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और प० बंगाल
स्वर्ण अयस्क	160.98	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक
हीरा	531,000.00 कैरेट	मध्य प्रदेश
अभ्रक	भंडारों का अनुमान नहीं	बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश
जिप्सम	12,485.7	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
मैग्नेसाइट	2,105.5	हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राजस्थान और उत्तर प्रदेश
टंगस्टन अयस्क	454.8	कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और प० बंगाल
सिलिमेनाइट	120.64	असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और तमिलनाडु

सोने की खानें

2851. श्री हुसैन दलवाई : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सोने की कितनी खानें हैं;

(ख) इन खानों का राज्यवार क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या ये खानें सरकार के स्वामित्व में है अथवा किसी निजी पार्टी के स्वामित्व में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सोना खानों का कुल उत्पादन कितना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) इस समय देश में निम्नलिखित पांच खानों में स्वर्ण खनन किया जा रहा है ::

क. कोलार स्वर्ण क्षेत्र (जिला कोलार, कर्नाटक)

(i) नन्दीदुर्ग खान

(ii) चैम्पियन रीफ खान

(iii) मैसूर खान

ख. रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र (जिला अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश)

(iv) येप्पामाना खान

ग. हट्टी स्वर्ण क्षेत्र (जिला रायचूर, कर्नाटक)

(v) हट्टी खान

नन्दीदुर्ग, चैम्पियन रीफ, मैसूर तथा येप्पामाना खानों में खनन केन्द्र सरकार की कम्पनी भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा किया जा रहा है। हट्टी खान में खनन कर्नाटक राज्य सरकार की कम्पनी, हट्टी गोल्ड माइन्स लि० द्वारा किया जा रहा है। कोई स्वर्ण खान किसी प्रायवेट पार्टी के पास नहीं है।

(घ) इन खानों से 1984-85 के दौरान 1956 कि० ग्राम० स्वर्ण उत्पादन हुआ।

यूनियन बैंक आफ इंडिया, गाजीपुर द्वारा कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता

2852. **श्री जैनुल बशर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान यूनियन बैंक आफ इण्डिया, गाजीपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की विभिन्न शाखाओं द्वारा जनता के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकार की एजेंसियों ने कितने मामले भेजे हैं;

(ख) उसका शाखा-वार क्या ब्यौरा है;

(ग) उनमें से कितनों को सहायता दी गयी;

(घ) कितने मामलों को रद्द कर दिया गया; और

(ङ) कितने मामले विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सरकार की एजेंन्सियों द्वारा प्रायोजित ऋण कर्ताओं को दी गई वित्तीय सहायता का शाखा-वार ब्यौरा नहीं मिलता है। यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 1984-85 के दौरान गाजीपुर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार की ऐजेन्सियों द्वारा निम्नलिखित मामले भेजे गए थे :

भेजे गये मामलों की संख्या	9478
मंजूर किए गए मामलों की संख्या	7604

संवितरित किए गए मामलों की संख्या	6900
संवितरण के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या	704
रद्द किए गए/वापस भेजे गए मामलों की संख्या	1041
विचाराधीन मामलों की संख्या	833

सिले वस्त्रों के विश्व बाजार में भारत का हिस्सा

2853. **श्री आर० अन्नानाम्बी :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले वस्त्रों के विश्व बाजार में भारत का हिस्सा आधुनिक विपणन नीतियों से काफी बढ़ाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) परिधानों के निर्यात अनेक बातों पर निर्भर करते हैं जैसे आयातक देशों में मांग, अन्य देशों से प्रतियोगिता, घरेलू उत्पादन आधार, फैशन रूख, उपभोक्ताओं की पसन्द आदि। परिधानों के लिए विश्व बाजार में भारत का भाग बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) पहली जनवरी, 1984 से सिले सिलाए परिधानों को कुछ श्रेणियों के लिए नकद मुआवजा सहायता की दरों में संशोधन करके वृद्धि की गई है।

(II) परिधान तथा होजरी बनाने की 105 मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। इनमें से 97 मशीनों को रियायती शुल्क के भुगतान पर आयात करने की अनुमति है।

(III) सरकार ने कुछ शर्तों के अध्यधीन निवल कर योग्य आय में से निर्यात लाभों के 50 प्रतिशत भाग को काटने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की है।

(IV) अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात के लिए आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति है। निर्यात उत्पादन अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात को भी अनुमति है।

(V) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की एक योजना चल रही है जिसमें सिले सिलाए परिधानों सहित अनेक वस्त्र मदें शामिल हैं।

(VI) निर्यात के लिए सिले सिलाए परिधानों की जांच प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

(VII) निर्यातों को बढ़ाने तथा उनका विविधीकरण करने के उद्देश्य से सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/ प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों को आयोजित करती रही है और धन प्रदान करती रही है।

नियंत्रण वाले कपड़े का मूल्य

2854. श्री चिंतामणि जेना : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण वाले कपड़े के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रण वाले कपड़े के मूल्य में असामान्य वृद्धि के कारण कुल बिक्री पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कपड़े के मूल्य में वृद्धि के कारण कमजोर वर्गों पर प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं। नियंत्रित कपड़े की कीमत जुलाई 1981 के बाद संशोधित नहीं की गई है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी सेवा में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध

2855. श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केन्द्रीय सरकार सेवा में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध जारी है;

(ख) उक्त प्रतिबंध कब लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार प्रतिबंध समाप्त करने वाली है; और

(घ) इस प्रतिबंध की अवधि के दौरान सारे भारत में (रेलवे सहित) सरकारी सेवा से निवृत्त हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों को जनवरी, 1984 में वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी। इस सम्बन्ध में जारी किए गए अनुदेश

31 मार्च, 1985 तक वैध थे। तथापि, सरकारी व्यय में अत्यन्त कफायत करने की सतत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त अनुदेश अगले आदेश होने तक जारी रहें। तथापि, अनुकम्पा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, एकमात्र पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है। उपर्युक्त अनुदेशों के क्षेत्र में छूट देने सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) इस विषय पर केन्द्रीयकृत रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा लिए गए कम्प्यूटर

2856. **श्री नारायण चौबे** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने कम्प्यूटर लिए गए हैं;

(ख) ये कम्प्यूटर किस किस्म के हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) प्रत्येक कम्प्यूटर का मूल्य कितना है;

(घ) कम्प्यूटर रखने वाले विभिन्न अधिकारियों द्वारा अब तक कितने कम्प्यूटर कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं;

(ङ) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षित कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त किये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उन कम्प्यूटरों को कौन चला रहा है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कोई संगणक (कम्प्यूटर) नहीं खरीदा है।

(ख) से (च) सवाल ही नहीं उठते।

कम्पनियों पर बकाया आयकर की राशि

2857. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री आयकर अधिनियम की धारा 80-ध के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में 15 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 223 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लौहिया मशीन्स, जे० के० सिन्थेटिक्स जैसी कम्पनियों पर जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी तथा उसमें अभियोजित अन्य कम्पनियों पर आयकर की कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : लोहिया मशीन और जे० के० सिंथेटिक्स के अतिरिक्त 353 कर-निर्धारितियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80-ध के

सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील के परिणामतः मुकदमा चलाया गया था। ऐसे सभी कर-निर्धारितियों के बारे में अपेक्षित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी जिसमें पर्याप्त समय लगेगा। तथापि, इस समय ऐसे कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है जिनकी तरफ 30.9.1984 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर मांगे बकाया थीं। सूचना के अनुसार उन कंपनियों की तरफ 30.9.1984 की स्थिति के अनुसार 113.49 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

बाटा जैसे संगठित क्षेत्र से जूतों की खरीद

2858. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान बाटा जैसे संगठित क्षेत्र से कितने तथा कितने मूल्य के जूते खरीदे गये;

(ख) उनको किस प्रकार खरीदा गया;

(ग) क्या संगठित क्षेत्र के ये जूता निर्माता आगरा, दिल्ली, कानपुर तथा अन्य स्थानों में जूता बनाने वाले लघु क्षेत्र, व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूहों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न प्रकार तथा साइज के जूते खरीदकर उन पर अपने ब्रांड नाम की मुहर लगा देते हैं; और

(घ) क्या ऐसा करके वे उत्पादन शुल्क के भुगतान से भी बच जाते हैं और यदि हां, तो डिलीवरी लेने से पूर्व इस बात की क्या जांच की जाती है कि कोई विशेष उत्पाद संगठित उद्योग द्वारा ही निर्मित किया गया है और उसका उन्होंने अपने नाम से विपणन नहीं किया है और बिचौलियों का लाभ अपनी जेब में नहीं रखा है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 50,69,144 जोड़े। मूल्य 10.28 करोड़ रु०।

(ख) विज्ञापित निविदा/सीमित निविदाएं।

(ग) और (घ) विभाग को ऐसी किन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है। संगठित क्षेत्र द्वारा सप्लाई किये जाने वाले जूतों का संविदा के अनुसार उनके कारखाने के परिसरों में ही निरीक्षण किया जाता है।

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अनुभव की जा रही कोयले की कमी

2859. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कोयले की कमी अनुभव की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कुछ बिजली घरों में कोयले के कम स्टाक हैं। स्टाक कम होने के कारण हैं—परिवहन समस्याएं, कोयला वैगनों के रख-रखाव के लिए बिजली घरों में पर्याप्त सुविधाओं का न होना और साथ ही सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में पर्याप्त उत्पादन न होना। बिजली घरों को कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. उन बिजली घरों को रेलवे के वैगनों के रख-रखाव की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कहा गया है जहां यह सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।

2. रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वह उन बिजली घरों को प्राथमिकता से कोयला पहुंचाए जहां स्टाक कम हैं।

3. उत्पादन बढ़ाने के लिए यह कदम उठाए गए हैं—प्रबंध-मंडल को मजबूत बनाना, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में औद्योगिक संबंधों में सुधार लाना।

चमड़े का निर्यात

[हिन्दी]

2860. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार चमड़े की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था;

(ख) चमड़ा निर्यात करने वाली प्रमुख भारतीय कम्पनियों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा देश-वार और वर्ष-वार कितने मूल्य का चमड़ा निर्यात किया गया;

(ग) काली सूची में दर्ज कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन कम्पनियों के नाम और संख्या क्या है जिन्हें निर्यात के लिए पुनः अनुमति दे दी गई तथा इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) काउन्सिल फार लैदर एक्सपोर्टस, मद्रास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास अथवा तैयार चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं सम्बन्धी निर्यात संवर्धन परिषद,कानपुर द्वारा तैयार चमड़े के किसी निर्यातक को

अपंजीकृत नहीं किया गया है। सरकार द्वारा निर्यातों को कम्पनी-वार मानिटर नहीं किया जाता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान चमड़े के देश-वार-निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

(मूल्य दस लाख रु० में)

देश	1981-82	1982-83	1983-84
पश्चिम जर्मनी	246	256	294
इटली	391	322	310
ब्रिटेन	71	95	116
जी० डी० आर०	99	93	54
यू० एस० एस० आर०	477	417	380
आस्ट्रेलिया	69	48	56
जापान	39	32	32
सं० रा० अमरीका तथा कनाडा	286	28	223
अन्य	553	738	491
योग	2231	1999	1956

1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान तैयार चमड़े की निर्यात की गई कुल मात्रा क्रमशः 489.30, 415.30, और 430.50 लाख अदद रही।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में उधार दिया जाना

2861. श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनी जमा राशियों के 50 प्रतिशत से भी कम उधार दिया जा रहा है;

(ख) क्या इसका बिहार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार में उधार के अनुपात को दुगना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मार्च, 1984 के अन्त में बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) का ऋण:जमा अनुपात 40.7 प्रतिशत था।

किसी क्षेत्र का ऋण:जमा अनुपात उस क्षेत्र की शाखाओं की जमा राशियों और अग्रिमों के बीच केवल गणितीय संबंध का परिचायक होता है और यह उस क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋणों की पर्याप्तता या अन्यथा किसी और बात का सूचक नहीं होता। ऋण तो केवल उत्पादक अन्यों की निविष्टियों में से एक है। उद्यमियों द्वारा ऋणों का लिया जाना कई बातों से प्रभावित होता है जैसे बिजली, परिवहन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, बाजार की निकटता, औद्योगिक वातावरण आदि। किसी क्षेत्र विशेष में ऋण के प्रसार का स्तर आर्थिक गतिविधि के स्तर पर, विशेषकर व्यापार तथा उद्योग के संगठित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है।

फिर भी, बैंकों से उन राज्यों में ऋणों के प्रसार को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के वास्ते कहा गया है, जहां ऋण-जमा अनुपात कम है। बैंक जिला ऋण योजनाओं की तैयारी में भाग लेते हैं ताकि विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बैंक ऋणों का उपयोग किया जा सके। राज्य सरकारों से बैंक ऋणों का पहले से अधिक उपयोग करने के वास्ते आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अपेक्षा की जाती है। आशा है कि बैंकों और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों से बिहार राज्य में ऋणों का पहले से अधिक प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा इस्पात कतरन की बिक्री

[अनुवाद]

2862. श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा भारी मात्रा में इस्पात कतरन की बिक्री की जाती है;

(ख) क्या हाल ही में सरकार ने निपटान लागत, छीजन इत्यादि में कटौती करने के लिए इन एककों को कतरन का उपयोग करने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही के वर्षों में इस्पात के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बावजूद सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों को हुआ घाटा कम करने के उपायों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि उसके कोई परिणाम निकले हैं, तो क्या ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को स्क्रैप की प्राप्ति में वृद्धि करने को कहा गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को हानि होने का मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद आदानों की लागतों में हुई वृद्धि की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है। उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने, बेहतर रख-रखाव, क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने तथा विकसित प्रौद्योगिकी के मापदंडों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खर्च में कमी करने, माल-सूची कम करने तथा लागत में कमी करने के उपायों को अपनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों क वित्तीय परिणाम अपेक्षाकृत बेहतर रहेंगे।

कोल इंडिया लि० का 1981-84 के दौरान उत्पादन और अर्जित मुनाफा

2863. **श्री बी० सोभानाद्रीसवरा राव** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-94 में कोल इंडिया लि० के विभिन्न यूनिटों द्वारा कोयले की कुल कितनी मात्रा निकाली गई;

(ख) कोल इंडिया लि० में कुल कितने स्थायी और नैमित्तिक कर्मचारी हैं और इसका प्रतिवर्ष कुल वेतन बिल कितना होता है;

(ग) 31 मार्च, 1984 तक कोल इंडिया लि० में कितना निवेश किया गया और 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कितना लाभ/हानि हुई; और

(घ) आरंभ से लेकर मार्च, 1 84 के अन्त तक कुल कितना लाभ/हा न हुई और सरकार द्वारा हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1981-82 1982-83 और 1983-84 में कोल इंडिया लि० की विभिन्न यूनिटों द्वारा कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रहा है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	1981-82	1982-83	1983-84
ई० को० लि०	23.55	22.68	22.86
भा० को० को० लि०	23.02	24.00	21.63
से० को० लि०	30.11	33.02	36.77
वे० को० लि०	31.56	34.27	39.35
ना० ई० को०	0.70	0.71	0.90
कुल	108.94	114.18	121.41

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) दिनांक 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि० की कुल अंशदायित और प्रदत्त पूंजी रु० 1911.70 करोड़ थी। कोल इण्डिया लि० को 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में हुआ घाटा/मुनाफा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

(+) मुनाफा	(—) घाटा	
1981-82	1982-83	1983-84
(+) 34.20	(+) 37.45*	(—) 242.68

दिनांक 31.3.1984 तक कोल इण्डिया लि० को हुआ संचित घाटा रु० 1108.07 करोड़ है।

कोयला कंपनियों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका वित्तीय आधार मजबूत हो सके और वह आने वाले वर्षों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भली-भांति तैयार हो सकें। कोयला कंपनियों में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल है : नई खानों में धनराशि का विशाल निवेश, पहले ही बन चुकी खनन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग, उपकरणों का अधिक सक्षम उपयोग और बेहतर रख-रखाव, भंडार सामग्री सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके तथा अनुशासन कड़ाई से लागू करके और बेशी कामगारों का पता लगाकर उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद फिर सही जगह पर लगाने आदि उपायों के जरिए जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटक पदार्थों, इमारती लकड़ी, आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, और नई परियोजनाओं को शीघ्रता से और समय से पूरा करना तथा बिहार बंगाल कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और गैर-कानूनी कार्रवाइयों पर नियंत्रण।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्यम और लघु औद्योगिक एककों को दी गई सहायता

2864. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने मध्यम और लघु औद्योगिक एककों को उनके संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने हाल ही में विशेषरूप से मध्यम और लघु एककों को

(* कोयला कीमत विनियमन खाता को/से अंशदान के समायोजन के पहले)

आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण सहायता देने की कोई नई योजना शुरू नहीं की है।

(ख) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

शीरे और अल्कोहल पर शुल्क संबंधी कार्यकारी दल को उत्पाद शुल्क समाप्त करने की सिफारिश

2862. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित शीरे और अल्कोहल पर शुल्क संबधी कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि शीरे पर लगाया जाने वाला 31.50 रुपये प्रति टन का उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया जाये;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह सिफारिश कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1983 में गठित किए गए शीरे और अल्कोहल पर शुल्क सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि शीरे पर उत्पादन शुल्क हटा दिया जाए।

(ख) उक्त सिफारिश को स्वीकार कर पाना संभव नहीं पाया गया था।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

करदाताओं द्वारा टी० वी० सेटों पर उत्पाद-शुल्क का अपवंचन

2866. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री टी० वी० सेटों से वसूल किए गए उत्पाद-शुल्क के बारे में 5 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचित किए गए उन छ: मामलों में से प्रत्येक का क्या ब्यौरा है जिनमें करदाताओं ने टी० वी० सेटों पर उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया है तथा उन करदाताओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितना उत्पाद शुल्क अंतर्ग्रस्त है;

(ख) किन कारणों से रंगीन टी० वी० सेटों के निर्धारणीय मूल्य में घर पहुंचाने का खर्च, वारंटी प्रभार, प्रथम वर्ष के सर्विस प्रभार, विज्ञापन-प्रभार, बिक्री खर्चे और भाड़ा, उतारने-चढ़ाने के प्रभार शामिल किए जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के समक्ष 1984 के आर० टी० पी० संख्या 138 की जांच की है जिसमें टी० वी० निर्माताओं पर उत्पाद शुल्क की अपवंचन की दृष्टि से, डीलरों के माध्यम से बिक्री उपरांत सर्विस प्रभार लगाने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) टी० वी० सेटों के निम्नलिखित छः निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनपर शुल्क अपवंचन का आरोप लगाया गया है जोकि उनके नामों के सामने उल्लिखित हैं :—

(1) मै० केमोनिक्स वीडियो सिस्टम्स,
बंगलौर—20.47 लाख रुपए के लिए।

(2) मै० आचार्य इलैक्ट्रानिक्स, नागपुर—30.10 लाख रुपये के लिए।

(3) मै० कोणार्क टेलिविजन, भुवनेश्वर—90.06 लाख रुपए के लिए।

(4) मै० पंज स्टार इलैक्ट्रानिक्स, मोहाली—5.44 लाख रु० के लिए।

(5) मै० बाजसंस, बंबई—4.05 लाख रुपये के लिए।

(6) मै० सुदर्शन इलैक्ट्रानिक्स टी० वी० लि०, बंबई—5.30 लाख रुपये के लिए।

(ख) दिनांक 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना सं० 65/85-के० उ० शु० के जारी किए जाने से पहले, भाड़ा प्रभारों को छोड़ कर होम सर्विस (सेल सर्विस के बाद) प्रभार, वारंटी प्रभार, प्रथम वर्ष सर्विस प्रभार, विज्ञापन प्रभार, विक्रय-व्यय, फारवर्डिंग और हैंडलिंग प्रभार, उत्पादन शुल्क को वसूल करने के प्रयोजनार्थ निर्धारणीय-मूल्य में समावेश-योग्य थे। तथापि, दिनांक 17.3.85 से टी० वी० सेटों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विशिष्ट दरों पर उद्ग्रहणीय होता है। अतः टी० वी० सेटों के निर्धारणीय-मूल्य की संगणना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। दिनांक 17.3.1985 से पहले, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के सिलसिले में, यदि कोई हो, निर्माताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के वास्ते उनके बारे में आसूचना इकट्ठी की गई है। टी० वी० सेटों के निर्माताओं द्वारा किए गए शुल्क अपवंचन के सिलसिले में कुछेक मामलों में कार्यवाई, एम० आर० टी० पी० कमीशन द्वारा टी० वी० सेटों के निर्माताओं और डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने से पहले ही शुरू कर दी गई थी; और ये मामले न्यायनिर्णयाधीन हैं।

रेशम उत्पादन विकास परियोजना

2867. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों में रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जिन राज्यों में छठी योजना के दौरान केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत रेशम को चार विभिन्न किस्मों अर्थात् शहतूती, टसर, एरी तथा मूगा के लिए रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, वे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) **शहतूती रेशम उद्योग** :

कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, आसाम तथा मेघालय।

(2) **टसर रेशम उद्योग** :

बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाल प्रदेश, मिजोरम तथा जम्मू तथा कश्मीर।

(3) **एरी तथा मूगा** ।

आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 7वीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में टसर के विकास के लिए बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर तथा जगदलपुर के जिलों तथा शहतूती रेशम उद्योग के विकास के लिए धार, होशंगाबाद, इन्दौर, उज्जैन, खाण्डवा, देवास, सिहोर, शाजापुर, तथा मंडसौर के जिलों का पता लगाया है।

अधिगृहीत कपड़ा मिलों के उत्पादन में प्रगति

2868. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री शरद दिघे :

श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में जिन 17 कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया गया था उनकी विकास दर क्या है;

(ख) उनमें से कितने मिलें सक्षम हो गई हैं; और

(ग) जिन मिलों में अभी भी पूरा काम नहीं हो रहा है उनमें पूर्ण क्षमता से काम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) अक्तूबर, 1983 में सरकार द्वारा वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत बम्बई में स्थित 13 वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया गया। एक मिल को छोड़कर ये सभी मिलें कार्य कर रही हैं।

(ख) इन मिलों में से दो मिलों ने जनवरी, 1985 और फरवरी, 1985 में निवल लाभ दिखाया है।

(ग) मशीनरी की दशा के अनुरूप अधिकतम उपयोग क्षमता की प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, पूरी स्थापित क्षमता को फिर से सक्रिय करने के लिए मिलों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक होगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर का अधिक होना

2869. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर अधिक होना पुरानी कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के मांग में बाधक है;

(ख) क्या पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में भी यही स्थिति है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने ऋणों पर ब्याज की दर में कमी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कपड़ा मिलों और चीनी उद्योग सहित अन्य उद्योगों के एककों को आधुनिकीकरण के लिए उदार ऋण योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम से उदार ऋण योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण पर ब्याज दर में कमी करने के बारे में अभी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक कम्पनियों ने पुराने ऋणों के दस्तावेजों में उल्लिखित ब्याज दरों में कमी करने के लिए अनुरोध किया है। सामान्यतया वर्तमान ऋणों के संबंध में दस्तावेजों में उल्लिखित ब्याज दर में संशोधन नहीं किया जाता, लेकिन कमजोर एककों के विषय में अलग-अलग मामलों में उचित राहत दी जाती है।

हथकरघा उद्योग को मिल में बने कपड़े से प्रतियोगिता

2870- श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग मिलों में बने कपड़े का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसकी उत्पादन लागत अधिक है;

(ख) क्या उक्त उद्योग को गतिशील और प्रतियोगी बनाने में वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सारे मामले को गहराई से जांच करेगी और उसे सुदृढ़ बनाने के उपाय करेगी ताकि हथकरघा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ फल फूल सके ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कम उत्पादता और उत्पादन की ऊंची लागत के कारण हथकरघा उद्योग मिल के बने कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) और (ग) हथकरघा कपड़े की बिक्रियों पर विशेष छूट और हथकरघा क्षेत्र में अनन्य उत्पादन के लिए कई किस्मों के आरक्षण जैसे लागत अवरोध को प्रभावी बनाने के लिए करघों के आधुनिकीकरण सौर अन्य सहायक उपायों द्वारा प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर को प्रभाव हीन करने हेतु सरकार ने अनेक उपाय किए हैं।

हथकरघा क्षेत्र के सामने आ रहे लागत अवरोध के संबंध में सरकार ने एक अध्ययन भी किया था। अध्ययन के अन्तर्गत लागत अवरोध को निष्प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय लेवियों के समायोजन की सिफारिश की गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा

2871. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी आय के बारे में बराबर धूमिल छवि पेश किये जाने के क्या कारण हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के 172 एककों ने कुल 36,113 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश के समक्ष मुश्किल से 160 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया हैं जिनमें से केवल चार उद्यमों अर्थात तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, इण्डियन आयल कारपोरेशन, आयल इण्डिया लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम ने ही 5567 करोड़ रुपये की पूंजी से 1607 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि शेष 168 एककों को जिन पर 30,546 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी, 1447 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1983-84 और उसके बाद उक्त स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 1982-83 और 1983-1984 के दौरान क्षेत्र-वार पूंजी निवेश तथा लाभ विश्लेषण का ब्यौरा इन वर्षों के लोक

उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है जिन्हें क्रमशः 28-2-1984 और 15-3-1985 को लोक सभा पटल पर रखा गया था। लाभ कमाने वाले और घाटा उठाने वाले उद्यमों की संख्या भी उनमें उपलब्ध है। इन वर्षों में निवल लाभ कमाने वाले उद्यमों की संख्या घाटा उठाने वाले उद्यमों से अधिक रही है।

1984-85 के दौरान उद्यमों से अब तक प्राप्त अनन्तिम कार्यचालन परिणामों पर आधारित यथासमय अनुमान के आधार पर 101 उद्यमों ने निवल लाभ कमाया है और 80 उद्यमों ने घाटा उठाया है जिसके परिणाम-स्वरूप लगभग 955 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित हुआ है जो सरकारी उद्यमों द्वारा अब तक किसी वर्ष में कमाये गये निवल लाभ की अपेक्षा अधिकतम राशि है।

इस प्रकार पिछले वर्षों की तुलना में कार्यचालन परिणामों में काफी सुधार दिखलाई पड़ा है।

हालांकि इन सभी तीन वर्षों के दौरान पैट्रोलियम क्षेत्र ने निवल लाभ में अधिकतम अंशदान किया है, फिर भी जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि अन्य क्षेत्रों के भी ऐसे अनेक उद्यम हैं जिन्होंने इन वर्षों के दौरान लाभ कमाया है।

पटसन रेशे का उत्पादन

2872. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान पटसन रेशे का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) देश में इसका उत्पादन बढ़ाने और विनियमित करने तथा उपलब्ध रेशे का देश में मिलों को समान आधार पर वितरण करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारतीय पटसन निगम/व्यापार/उद्योग के अनुमानों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान देश में पटसन तथा मस्टा का उत्पादन नीचे दिये अनुसार हैं :—

आंकड़े लाख गांठों में,
प्रति गांठ 180 कि० ग्रा०

वर्ष	उत्पादन
[जुलाई-जून]	
1981-82	74.00
1982-83	63.00
1983-84	66.00

(ख) देश में पटसन उत्पादन को बढ़ाने के लिए पटसन के प्रमुख उत्पादक सात राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा, के चुनिन्दा जिलों में तीव्र पटसन विकास कार्यक्रम पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन 1972-73 में किया जा रहा है। छठी योजना के दौरान भारत सरकार ने I (उन्नत/प्रमाणित बीजों, II (खर पतवार नाशी, III (सोड-ड्रिम-कम-व्हील-ही, IV खेतों पर प्रदर्शनी विशेष भिगोने वाले टैंकों तथा बीज एवं यूरिया के छोटे थैलों पर कृषकों को उपदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। योजना की लागत में भारत सरकार तथा राज्य सरकारें 50 : 50 के आधार पर हिस्सा देती है।

कच्चे पटसन का और अधिक समान वितरण करने के लिए सरकार ने पटसन लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश 1961 के अधीन पटसन मिलों के भंडारों को विनियमित कर दिया है।

महाराष्ट्र गैस क्रैकर परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण

2873. श्री बी० वी० देशाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक 1167 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र गैस क्रैकर परियोजना के लिए 30 करोड़ डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक इस प्रकार के पैट्रो रसायनों के लिए पहली बार इतनी अधिक धनराशि प्रदान कर रहा है;

(ग) क्या इस योजना के बारे में भारत के एक उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल ने पहले बैंक अधिकारियों से विस्तृत विचार-विमर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(ङ) विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने में कहां तक सहायक होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ङ) जनवरी, 1985 के अन्तिम सप्ताह के दौराद हुई बातचीत के बाद विश्व बैंक ने महाराष्ट्र पैटो-रसायन परियोजना जो बैंक समूह का भारत के पैट्रो-रसायन के उप-क्षेत्र में पहला संचालय कार्य है, के संबंध में 19 मार्च, 1985 को 30 करोड़ डालर के ऋण की अनुमति दे दी है, जिसकी निकासी 5 वर्षों तक की जा सकेगी। विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली इस सहायता से बंबई के नजदीक गैस पर आधारित पैट्रो-रसायन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में मदत मिलेगी और इसकी एथलीन की प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता 3,00,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष और प्रोपलीन की 63,000 मेट्रिक टन-प्रति-वर्ष होगी। इस सहायता में बहुलकों (पोलीमर) के आयात के लिए 9 करोड़ डालर

की राशि भी शामिल है जो संयंत्र लगाने से पहले भारत में बाजार का विकास करने के लिए आवश्यक हैं। इस परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन कार्य दिसम्बर, 1989 तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

बम्बई सीमा शुल्क गोदाम का टूटी-फूटी हालत में होना

2874. **श्री नटवर सिंह सोलंकी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क कलक्टरी, बम्बई का 400 वीर सावरकर मार्ग, बम्बई स्थित गोदाम टूटी-फूटी हालत में है और उसमें दरारें पड़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं। सीमा शुल्क समाहर्तालय, बम्बई का 400, वीर—सावरकर मार्ग, बम्बई स्थित भाण्डागार टूटी-फूटी हालत में नहीं है।

(ख) उपरोक्त "क" के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में ऋण तथा जमाराशि का अनुपात

2875. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में ऋण तथा जमाराशि का अनुपात बहुत कम हो गया है;

(ख) पश्चिम बंगाल में ऋण तथा जमा राशि का अनुपात कम हो जाने के क्या मूल कारण है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर 1982 के अंत में 60.5 प्रतिशत से कम होकर दिसम्बर 1983 में 58.1 प्रतिशत हो गया। अखिल भारतीय स्तर पर ऋण जमा अनुपात 68.3 प्रतिशत से कम हो कर 67.0 प्रतिशत हो गया।

किसी क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात उस क्षेत्र की शाखाओं की जमा राशियों और अग्रिमों के बीच केवल गणितीय संबंध का परिचायक होता है और यह उस क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋणों की पर्याप्तता या अन्यथा किसी और बात का सूचक नहीं होता। ऋण तो केवल उत्पादक धंधों की निविष्टियों में से एक है। उद्यमियों द्वारा ऋणों का लिया जाना कई बातों से प्रभावित होता है जैसे बिजली, परिवहन, संचार अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, बाजार की निकटता औद्योगिक वातावरण आदि। किसी क्षेत्र विशेष में ऋण के प्रसार का स्तर आर्थिक

गतिविधि के स्तर पर, विशेषकर व्यापार तथा उद्योग के संगठित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है।

फिर भी बैंकों से उन राज्यों में ऋणों के प्रसार को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के वास्ते कहा गया है, जहां ऋण-जमा अनुपात कम है। बैंक जिला ऋण योजनाओं की तैयारी में भाग लेते हैं ताकि विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बैंक ऋणों का उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार से बैंक ऋणों का पहले से अधिक उपयोग करने के वास्ते अपने आधार-भूत ढांचे को मजबूत करने का भी अनुरोध किया है। आशा है इन सभी उपायों से पश्चिम बंगाल में ऋण के प्रवाह में वृद्धि हो जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैतियां

2876. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में पिछले एक वर्ष के दौरान (अद्यतन) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी डकैतियां पड़ी हैं (प्रत्येक डकैती में कितनी धन-राशि लूटी गयी) और इन डकैतियों और इससे पहले वर्ष पड़ी डकैतियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) बैंकों की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में यदि कोई कमी पायी गयी हो तो उसको दूर करने के लिए क्या सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और बैंक डकैतियों को रोकने के लिए इस व्यवस्था की गहराई से पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा करने और इसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए अगस्त, 1982 में एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया था। बैंकों को अगस्त, 1983 में इस दल की सिफारिशों के अनुसार अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कहा गया। राज्य सरकारों से भी, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

विवरण

आंकड़े अनन्तिम हैं

(लाख रुपए)

क्रम सं॰	बैंक का नाम	1983		1984		1985 (31.3.85 तक)	
		डकैती/लूटपाट के मामलों की संख्या	अन्तंग्रस्त राशि	डकैती/लूटपाट के मामलों की संख्या	अन्तंग्रस्त राशि	डकैती/लूटपाट के मामलों की संख्या	अन्तंग्रस्त राशि
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिय	1	0.08	4	2.27	—	—
2.	बैंक आफ इंडिया	7	8.53	2	0.13	—	—
3.	पंजाब नेशनल बैंक	10	17.27	5	3.01	1	0.33
4.	बैंक आफ बड़ौदा	1	0.11	3	1.32	2	1.55
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	3	2.7	9	20.90	—	—
6.	कैनरा बैंक	—	—	1	0.14	—	—
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2	2.19	4	10.17	—	—
8.	देना बैंक	—	—	1	0.97	—	—
9.	सिंडीकेट बैंक	5	1.17	4	12.21	—	—
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5	7.29	1	1.51	1	0.45
11.	इलाहाबाद बैंक	—	—	4	9.16	3	17.73
12.	इंडियन बैंक	—	—	1	0.33	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	1	3.50	—	—
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2	0.89	1	21.72	—	—
15.	आन्ध्र प्रदेश	2	—	1	0.86	—	12.75
16.	कारपोरेशन बैंक	—	—	1	2.96	—	—
17.	न्यू बैंक आफ इंडिया	9	9.47	4	1.90	—	—
18.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	4	6.95	3	5.00	1	0.26
19.	पंजाब एंड सिंध बैंक	8	7.02	3	1.08	—	—
20.	विजया बैंक	1	0.69	1	1.26	1	2.00
21.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	13	22.87×लगभग 3834	20+1.20	27.74	4	8.65+400
22.	स्टेट बैंक आफ बिकानेर एंड जयपुर	2	0.74ग्राम वजन का	6 लाख रु०	5.57	—	—ग्राम वजन की
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—	-- स्वर्ण	- का स्वर्ण	—	1	— स्वर्ण ऋण
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3	1.30	2	0.[illegible]0	1	0.08 की थैलियां
		78	94.99+ लगभग 38 34 ग्राम वजन का सोना	82	134.44 ×लगभग 1.20 लाख रुपये का सोना	16	43.80 ×लगभग 400 ग्राम वजन की स्वर्ण ऋण की थैलियां

इलायची के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयत्न

2877. **प्रो० पी० जे० करियन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के क्षेत्र में कोई अनुसंधान प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि छोटे उत्पादकों को इस अनुसंधान उपायों का लाभ मिले ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। इलायची बोर्ड द्वारा किए जा रहे अनुसंधान प्रयासों में शामिल हैं : इलायची बागानों में न्यूनतम जुताई की तकनीकी का विकास, रोपण सामग्री के बहुगुणन के लिए सभी प्रकार की कास्तों में अधिक उपज देने वाले क्लोनों का पता लगाया जाना, इलायची के अधिक उपज देने वाले पौधों के बड़े पैमाने पर बहुगुणन की टिश कृषि तकनीक का अपनाया जाना और नाशीकीटों व रोगों से पौधों को रखा करना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुदीगिरी (कर्नाटक), पम्पादुमपारा (केरल) और यारकुड (तमिलनाडु) में इलायची के बारे में अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में लगी हुई है।

(ख) विभिन्न अनुसंधान प्रयासों की उपलब्धियां संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(I) उपज और क्वालिटी की विशेषताओं के आधार पर पी 1, पी 3, पी 5, पी बी। तथा सी एल-37 को अधिक उपज देने वाली किस्मों की सिफारिश प्रोरिलीज बहुगुणन के लिए की गई है। कास्त की गई किस्मों में 0.3 कि० ग्रा० (ग्रीन) की तुलना में प्रति झुरमुट 3 कि० ग्रा० कैप्सूल की उपज क्षमता वाली अधिक बपज देने वाली कुछ संकर किस्मों का पता लगाया गया है।

(II) परिवर्तन प्रजनन अध्ययनों से 13 ऐसी किस्मों का पता लगा है जिनमें स्पष्ट रूप से "कटटा" रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति है। प्रति हैक्टार 75 : 75 : 150 कि० ग्रा० एन० पी० के० की उर्वरक की खुराक की सिफारिस की गई है। प्रभावित झुरमुटों की निराई से और पुनर्रोपण पर नियंत्रण पाना व्यवहार्य पाया गया है।

(III) "अझूकल" रोग पर नियंत्रण संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि 1 प्रतिशत बोर्डेक्स मिश्रण को मानसून के दौरान तीन बार छिड़कना प्रभावशाली है।

(IV) 0.025 प्रतिशत क्वीनोलफाश का चार पांचबार छिड़काव करने से थ्रिप्स पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है।

(ग) समय-समय पर किसानों को बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां अनुसंधान वैज्ञानिक रोपकों को खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए अनुसंधान की बातें समझाते हैं।

इलायची बोर्ड की पुनः बागान लगाने के लिए राज सहायता ऋण योजना

2878. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने पुनः बागान लगाने हेतु 4 करोड़ रु० की पुनर्पौध राज सहायता योजनाना बनायी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) इलायची बोर्ड ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पुनर्रोपण ऋण-सह-उपदान योजना बनाई थी जो सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है और 1984-85 से इसका कार्यान्वयन भी हो रहा है। योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 387.20 लाख रु० है (300.00 लाख रु० उपदान देने के लिए और 87.20 लाख रु० ऋने अंश पर ब्याज उपदान देने के लिए)। इस योजना के अधीन 6146.65 हेक्टार क्षेत्र के लिए उपदान प्राप्ति हेतु उपजकर्त्ताओं के 1898 आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हुए जिनमें से 1572.33 हेक्टार क्षेत्र को कवर करने वाले 862 मामलों को मंजूरी दे दी है तथा बाकी आवेदन-पत्र कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर हैं।

केरल के इलायची उत्पादकों को ऋण दिया जाना

2879. **प्रो० पी० जे० कुरियन : वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची उत्पादकों के बीच 8 करोड़ रुपये तक के ऋण बांटने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ग) केरल में इस योजना से कितने किसानों को लाभ पहुंचा ?

वाणिज्य मंत्रालय राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इलायची बोर्ड द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 से चलाई जा रही दो इलायची ऋण-सह-उपदान योजनाओं का कुल उपदान अंश है—7.86 करोड़ रु०/उपदान वितरण पांच वर्षों की अवधि तक किया जाना है।

(ख) 1983-84 के दौरान योग्य उपजकर्ताओं को 14.40 लाख रु० उपदान की पहली किस्म के रूप में दे दिये गये थे। 1984-85 में पहली तथा दूसरी किस्त के रूप में 30.51 लाख रु० का कुल उपदान दिया गया था।

(ग) 1983-84 के दौरान, केरल में इस योजना के अधीन 780 मामलों पर कार्यवाही की गई थी। 1984-85 में 1893 उपजकर्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 31 मार्च, 1985 तक 818 पर कार्यवाही की गई।

विश्व के काली मिर्च व्यापार में भारत का हिस्सा

2880. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के काली मिर्च व्यापार में इस समय भारत का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत के हिस्से में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त हिस्से में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) काली मिर्च के विश्व व्यापार में गत चार वर्षों में भारत का भाग निम्नलिखित रहा है :

1981	14 प्रतिशत
1985	16 प्रतिशत
1983	22 प्रतिशत
1984	20 प्रतिशत

(ख) तथा (ग) गत चार वर्षों के दौरान भारत के भाग में वृद्धि हुई है। तथापि, अपेक्षाकृत लम्बी अवधि को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः विश्व बाजार में काली मिर्च के एक महत्वपूर्ण सप्लायर के रूप में ब्राजील के उभरने के कारण गिरावट आई है।

(घ) काली मिर्च का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाए गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। अन्य संवर्धनात्मक उपाय जैसे मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे आदि किये जा रहे हैं। सभी मसालों के, जिनमें काली मिर्च शामिल है, निर्यातों के समग्र विकास के लिये सरकार ने एक मसाला बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

ब्याज पर ब्याज कर न लगाने से घाटा

2881. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 के बाद ब्याज पर प्रस्तावित ब्याज कर न लगाने से सरकारी राजस्व को कितना नुकसान होगा; और

(ख) सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्याज कर से वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान 170 करोड़ रुपये के ब्याज कर की हानि का अनुमान लगाया गया है। तथापि, चूंकि ब्याजकर, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय कटौती-योग्य है, इसलिए ब्याज कर की समाप्ति से होने वाली हानि की पूर्ति आयकर की अपेक्षाकृत अधिक वसूलियां करके की जाएगी। इस बात को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान ब्याज कर की समाप्ति के कारण होने वाली शुद्ध हानि कोई 85 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

(ख) वित्तीय वर्ष	ब्याज कर की वसूली (करोड़ रुपयों में)
1980-81	99.59
1981-82	231.67
1982-83	265.47
1983-84	177.91
1984-85 (28 फरवरी, 1985 तक)	15.66

विदेशी राजनयिकों द्वारा सोने की तस्करी

2882. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्री वाई एस० महाजन :

श्री काली प्रसाद पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी राजनयिकों द्वारा देश में सोने तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने के मामले हुए हैं;

(ख) राजनयिकों के सामान से इस प्रकार कुल कितने मूल्य का सोना और अन्य निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं;

(ग) सम्बन्धित राजनायिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या उन सरकारों को भी, जिनका प्रतिनिधित्व उक्त राजनयिक करते हैं, विरोध प्रकट किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान विदेशी राजनयिकों द्वारा आयातित असबाब और अन्य माल से अभिगृहीत सोने और अन्य निषिद्ध मदों का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

मद	मूल्य (लाख रुपयों में)
सोना	50
अन्य निषिद्ध माल	17.64

(ग) ऐसे सभी मामलों में विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके समुचित कार्रवाई की गई थी। जो राजनयिक अथवा जिन राजनयिकों के निकट संबंधी तस्करी की गतिविधियों में लिप्त पाये गये थे, अधिकांशतया उन्हें उनकी सरकारों ने वापस बुला लिया था।

(घ) जी, हां।

उड़ीसा में लौह अयस्क खनन क्षेत्र

2883. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लौह-अयस्क खनन क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के लौह अयस्क का प्रतिवर्ष लगभग कितना उत्पादन होता है; और

(ग) उड़ीसा के इन खनन क्षेत्रों में उत्पादित लौह अयस्क की उचित खपत और उपयोग करने के लिए इस समय क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उड़ीसा में गुमी-वदा मपहार क्षेत्र, गंधमर्दन-दैतारी-टुमका क्षेत्र तथा बड़ा जगदा क्षेत्र लौह-अयस्क के खनन क्षेत्र हैं।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान क्योंझर, मयूरभंज तथा सुंदरगढ़ जिलों में लौह-अयस्क के डलों तथा चूरे के कुल उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

लौह अयस्क के डले तथा चूरा	(टन)
क्योंझर	4282,000
मयूरभंज	162,000
सुन्दरगढ़	2029,000

(ग) उड़ीसा में उत्पादित लौह-अयस्क का या तो निर्यात किया जाता है या देश के इस्पात कारखानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। विदेशों में लौह-अयस्क की मांग कम होने के कारण निर्यात के लिए लौह-अयस्क की खरीद में कमी हुई है। फिर भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस क्षेत्र के लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए गए हैं। उड़ीसा में सुन्दरगढ़ तथा क्योंझर में "सेल" की गृहत खानों के लौह-अयस्क के उत्पादन में यथा-संभव वृद्धि की जा रही है। "सेल" की लौह-अयस्क की शेष आवश्यकता की पूर्ति खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निजी खानों से खरीद करके पूरी की जाती है।

1984-85 के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का घाटा

2884. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में विभिन्न राज्य सरकारों की तुलना में केन्द्र सरकार का कुल घाटा कितना रहा है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राज्यों के बजटों के अनुसार, 1984-85 में विभिन्न राज्य सरकारों के गाटे (और अधिशेष) की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं। 1984-85 में संघ सरकार का घाटा बजट प्रस्तुत किये जाने के समय 1773 करोड़ रुपए का था (संशोधित अनुमानों में यह 3985 करोड़ रुपए का था)।

(ग) मूल रूप से यह राज्य सरकारों का काम है कि वे घाटे से बचने के लिए अपनी बजटीय प्राथमिकताओं का पुन: निर्धारण करें। जहां तक संघ सरकार का संबंध है, वह केवल यही कर सकती है कि राज्यों को देय राशियां निर्धारित तारीखों को रिलीज कर दे।

विवरण

1984-85* के दौरान बजटीय अधिशेष (†)/घाटा (—)

(करोड़ रुपये)

राज्य	1984-85 (बजट अनुमान)
1. आन्ध्र प्रदेश	— 40.32
2. आसाम	— 62.22
3. बिहार	— 126.94
4. गुजरात	— 50.63

1	2	3
5.	हरियाणा	+ 3.70
6.	हिमाचल प्रदेश	+ 5.10
7.	जम्मू और कश्मीर	— 3.00
8.	कर्नाटक	— 149.72
9.	केरल	— 19.95
10.	मध्य प्रदेश	— 36.66
11.	महाराष्ट्र	— 42.40
12.	मणिपुर	+ 13.80
13.	मेघालय	+ 0.62
14.	नागालैंड	+ 17.35
15.	उड़ीसा	+ 2.01**
16.	पंजाब	— 95.68
17.	राजस्थान	—165.45
18.	सिक्किम	— 0.01
19.	तमिलनाडु	— 72.19
20.	त्रिपुरा	— 3.60
21.	उत्तर प्रदेश	— 59.32
22.	पश्चिम बंगाल	— 54.49
	जोड़ :	— 939.92
		— 982.50
		+ 42.58

* जैसा कि राज्यों के बजट में दिखाया गया था।

**इसमें अतिरिक्त साधनों के रूप में जुटाई गई 5 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है, जो राजस्व—प्राप्तियों में दिखाई गई है।

बड़े पैमाने पर कर अपवंचन

. [हिन्दी]

2885. श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर वर्ष बड़े पैमाने पर कर अपवंचन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान हुए कर अपवंचन का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त करों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1983-84 और 1984-85 वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या और उसमें ग्रस्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अनुमानित अपवंचन निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या	अनुमानित शुल्क अपवंचन (लाख रुपयों में)
1983-84	6059	7603.68
1984-85	5510	7629.62 (अनंतिम)

1983-84 और 1984-85 के वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या और प्रथमदृष्टया पकड़ी गई लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों की संख्या (करोड़ रुपयों में)
1983-94	4332	27.99
1984-85	4345	25.08

सीमा शुल्क से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयकर नियमों के अन्तर्गत कर वसूल करने का संबंध है, ऐसे करों की वसूली के लिए कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सभी संभव कार्यवाई की जाती है जिसमें माल रोककर रखने, परिसम्पत्तियों की कुर्की

और राजस्व प्राधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करके भूराजस्व बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही करना शामिल है।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र को सहायता

[अनुवाद]

2886. **श्री बी० के० गाढ़वी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का कृषि क्षेत्र पर कितना बोझ पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कृषि क्षेत्र को किसी भी प्रकार से राज सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पेट्रोलियम समूह में मुख्य मद जो कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है वह डीजल तेल है। पेट्रोलियम समूह में डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि (5.5 प्रतिशत) निम्नतम है और इस वृद्धि का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है।

(ख) से (घ) कृषि उत्पादों के लिए मूल्य नीति इस प्रकार तैयार की जाती है कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मुहैया किए जा सकें। कृषि लागत और मूल्य आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य कृषि वस्तुओं के वसूली/समर्थन मूल्यों में संशोधन की सिफारिश करते समय उत्पादन की लागत में परिवर्तनों और अन्य संबंधित तत्वों को हिसाब में लेता है। आयोग की शिफारिशों के आधार पर सरकार समय-समय पर वसूली/समर्थन मूल्यों में वृद्धिकारी संशोधन करती है। विद्यमान नीति के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का कृषि समुदाय पर पड़ने वाला प्रभाव, कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सरकारी उपक्रमों के मुकदमों के लिए वकील करना

[हिन्दी]

2887. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने सरकारी उपक्रमों में सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मुकदमों से निपटने के लिए वकील नियुक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का क्या ब्यौरा है जिनके लिए वकील नियुक्त किए गए और प्रत्येक वकील को कितनी धनराशि अदा की गई और ऐसा करने के क्या कारण हैं जबकि सरकार का विधि विभाग अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को अपने वाणिज्यक कार्यों के अन्तर्गत विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए वकील रखने पड़ते हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो ये उपक्रम वकीलों को काम सौंपते हैं। सरकार केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी मुकदमें लड़ाने के लिए वकील नहीं रखती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने पर किया गया मुआवजा

[अनुवाद]

2888. **श्री मूल एन्द डागा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीय-करण करने पर वर्ष-वार कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) गत वर्ष में और अगले दो वर्षों के दौरान उक्त मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष-वार कुल कितनी धन/राशि का भुगतान किया गया/करने का विचार है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन मिलों का आधुनिकीकरण करने पर विचार किया गया और उसकी शर्तें क्या थीं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में आयुक्त द्वारा किये गये कुल भुगतानों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1982-83	181.75 लाख रु०
1973-84	19.45 लाख रु०
1984-85	21.65 लाख रु०

(ख) 1984-85 में एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 32 करोड़ रु० दिए। वर्ष 1985-86 के लिये 25 करोड़ रु० की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। 1986-87 के लिए परिव्यय का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (अर्थात 31-3-85 तक) सभी एन० टी० सी० मिलों के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण की योजनाओं को मंजूरी दी गई। सातवीं योजना अवधि में चयनात्मक आधुनिकीकरण नीति अपनायी जा रही है। स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरे होने पर मशीनरी की दशा में सुधार दिखाई दिया है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों में "टिस्को जैसी पद्धति अपनाने का प्रस्ताव

2889. श्री मूल चन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों के मामले में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की पद्धति-गैर-सरकारी क्षेत्र का सिद्धान्त अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस दिशा में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और उक्त लक्ष्य कब तक प्राप्त हो जाएगा;

(घ) क्या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की पद्धति अपनाने से बाजार में इस्पात के मूल्य कम हो जाएँगे; और

(ङ) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाए गए सामान के मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) तकनीकी, वाणिज्यिक तथा कार्मिक नीति से सम्बन्धित मामलों पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) तथा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) का परस्पर सामंजस्य बना हुआ है। इससे सरकारी तथा निजी-दोनों क्षेत्र के इस्पात उद्योग को लाभ होता है। इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमता के बेहतर उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि करके ही इस्पात के मूल्यों को कम किया जा सकता है।

(ङ) इस्पात की आम श्रेणियों के मूल्य मुख्य 'उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित करके घोषित किए जाते हैं। ये मूल्य सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के लिए एक-समान होते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय में कमी

[हिन्दी]

2890. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1981,

1982 और 1983 तक 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आय और प्रकाशित लाभ के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(राशि लाख रुपए)

वर्ष	आय	प्रकाशित लाभ
1981	312371	4815
1982	367662	5725
1983	423174	5923

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय और लाभ में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) बैंकों को उनकी परिचालन लागत कम करने और उधार की क्वालिटी को सुधारने, प्रचार व्यय तथा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले समयोपरि भत्ते की अदायगी में कटौती करने, अपनी विदेशी शाखाओं के परिचालनों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अग्रिमों की समय पर वापसी-अदायगी सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि धनराशियां अनावश्यक रूप फंसी न रहें बल्कि वे आगे ऋण दिए जाने के लिए उपलब्ध हों।

अभ्रक का निर्यात

[अनुवाद]

2891. **श्री वेजवाडा पापीरेड्डी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम अयस्क उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के संबंध में अपने प्राथमिक दायित्व को पूरा करने में असफल रहा है क्योंकि इसी गुडूर (नेल्लेर जिले) में बढ़ते हुए अभ्रक व्यापार को नष्ट कर दिया है;

(ख) क्या अब रूस को अभ्रक का निर्यात सीमित हो गया है;

(ग) क्या रूस इसके बदले में अनेक देशों को इसका पुनः निर्यात कर रहा है जो कि एकाधिकार के कारण भारतीय हितों के लिए बड़ा हानिकारक है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में अभ्रक का वर्ष-वार, देश-वार और मूल्य-वार कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। अभ्रक का निर्यात कई अन्य देशों को भी किया जाता है।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या सोवियत संघ भारतीय उद्भव के अभ्रक का पुनर्निर्यात अन्य देशों को कर रहा है।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० पटना की मार्फत अभ्रक का देशवार निर्यात

मात्रा : मैं० टन में
मूल्य : लाख रु० में

देश	1982-83		1983-84		1984-85 (फरवरी, 85 तक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बल्गारिया	—	—	10.00	11.25	1.15	0.68
चेकोस्लोवाकिया	321.10	117.13	907.96	150.06	857.28	81.74
जी० डी० आर	739.92	65.68	301.65	151.98	971.94	85.38
हंगरी	—	—	4.20	19.01	—	—
पोलैंड	772.10	208.64	431.99	139.70	599.44	108.02
रूमानियां	159.00	3.44	398.70	57.20	212.40	42.87
सोवियत संघ	2408.59	1263.77	466.16	1539.47	2450.17	1398.71
आस्ट्रेलिया	62.37	7.77	11.84	1.50	12.47	2.28
आस्ट्रेरिया	—	—	5.02	1.01	5.00	0.51
बैल्जियम	1947.59	58.70	2314.34	60.21	1863.03	52.98
चिली	1.40	1.52	3.10	4.13	3.99	5.12
डी पी आर के	9.34	23.35	9.24	63.30	1.50	2.44
मिश्र	—	—	0.65	0.96	0.75	1.19
फ्रांस	319.88	27.81	689.15	29.30	1607.72	50.43
प० जर्मनी	374.04	13.20	363.35	18.77	429.40	35.74
यूनान	0.20	0.60	0.16	0.48	0.10	0.10
हांगकांग	14.00	5.70	34.40	6.04	19.80	5.95
हालैंड	—	—	1.14	1.46	—	—
इटली	68.02	9.63	52.63	5.04	59.98	5.64
जापान	2807.12	117.28	2733.40	113.73	2891.38	135.38
मलयेशिया	0.16	0.38	0.24	0.42	0.20	0.40
फिलीपाइन्स	0.75	1.37	—	—	1.60	2.42
सिंगापुर	21.31	11.18	8.26	4.44	5.27	2.46

1	2	3	4	5	6	7
स्विटजरलैंड	170.99	14.48	176.17	18.15	212.69	18.02
स्पेन	15.10	1.76	17.69	2.19	10.25	1.50
द० कोरिया	22.30	10.96	33.35	10.39	9 05	8.86
सीरिया	—	—	0.70	1.79	0.80	1.92
थाइलैंड	—	—		—	0.10	0.22
ताईवान	28.50	16.93	21.00	14.32	24.80	15 92
ब्रिटेन	296.60	101.64	411.78	30.57	194.73	43.77
सं० रा० अमरीका	2201.54	71.59	1430.87	56.88	3469.81	136.73
यूगोस्लाविया	16.80	21.98	25.33	40 59	10.35	31.94
योग :	11778.72	2176.49	10864.47	2554.34	15927.15	2279.31

स्रोत : मिटको

मानव अस्थियों और अस्थि-पिंजरों का निर्यात

2893. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में भारत से मानव अस्थियों और अस्थि-पिंजरों का वैध निर्यात किया गया तथा यह निर्यात किन देशों को किया गया;

(ख) क्या उन्हें गैर/कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर और अत्यधिक लाभ पर किये जा रहे इस वीभत्स निर्यात की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस व्यापार को विनियमित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) "मानव अस्थिपिंजर और उसके हिस्से" अलग से वर्गीकृत नहीं है जिसके आधार पर निर्यात सम्बन्धी आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा संकलित किए जाते हैं। तथापि, आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा संकलित 1984-85 में "मानव अस्थिपंजरों और उसके हिस्सों-के निर्यात के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) मानव अस्थिपंजरों तथा उनके हिस्सों के निर्यात को अनुमति पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर दी जाती है (1) प्राप्ति के स्रोत के बारे में सम्बन्धित पुलिस थाने के कम से कम प्रभारी अधिकारी के स्तर के पुलिस प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र पेश करने पर, जिनमें वजन और संख्या के रूप में मात्रा भी बताई जानी चाहिए, (2) विदेशी खरीदार का यह प्रमाणपत्र पेश करने पर, कि मानव अस्थिपंजरों की आवश्यकता केवल जीव वैज्ञानिक और चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए है।

सम्बन्धित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस सम्बन्ध में किसी कदाचार की अनुमति न दी जाए।

विवरण

मद	मात्रा	गन्तव्य स्थान
1	2	3
1. (1) पूरा सैट	76 अदद	फ्रांस
(2) हिस्से	1400 अदद	
2. (1) पूरा सैट	3 अदद	डेनमार्क
(2) हिस्से	83 अदद	
3. (1) पूरा सैट	6 अदद	हांगकांग
(2) हिस्से	103 अदद	
4. (1) पूरा सैट	1 अदद	नीदरलैंड
(2) हिस्से	127 अदद	
5. (1) पूरा सैट	10 अदद	स्विट्जरलैंड
(2) हिस्से	170 अदद	
6. (1) पूरा सैट	3 अदद	स्वीडन
(2) हिस्से	38 अदद	
7. (1) पूरा सैट	2 अदद	नार्वे
(2) हिस्से	61 अदद	
8. (1) पूरा सैट	नगण्य	सिंगापुर
(2) हिस्से	32 अदद	
9. (1) पूरा सैट	2 अदद	इजरायल
(2) हिस्से	11 अदद	
10. (1) पूरा सैट	4 अदद	कुवैत
(2) हिस्से	67 अदद	

1	2	3
11. (1) पूरा सैट	38 अदद	इराक
(2) हिस्से	230 अदद	
12. (1) पूरा सैट	नगण्य	पश्चिम मलयेशिया
(2) हिस्से	20 अदद	
13. (1) पूरा सैट	नगण्य	मारीशस
(2) हिस्से	18 अदद	
14. (1) पूरा सैट	13 अदद	न्यूजीलैंड
(2) हिस्से	56 अदद	
15. (1) पूरा सैट	87 अदद	आस्ट्रेलिया
(2) हिस्से	1740 अदद	
16. (1) पूरा सैट	47 अदद	जापान
(1) हिस्से	866 अदद	
17. (1) पूरा सैट	71 अदद	कनाडा
(2) हिस्से	2446 अदद	
18. (1) पूरा सैट	28 अदद	बेल्जियम
(2) हिस्से	198 अदद	
19. (1) पूरा सैट	2224 अदद	स०रा० अमरीका
(2) हिस्से	23379 अदद	
20. (1) पूरा सैट	151 अदद	पश्चिम जर्मनी
(2) हिस्से	3888 अदद	
21. (1) पूरा सैट	103 अदद	ब्रिटेन
(2) हिस्से	3850 अदद	

1	2	3
22. (1) पूरा सैट	5 अदद	न्यूयार्क (स०रा०अमरीका)
(2) हिस्से	नगण्य	
23. (1) पूरा सैट	नगण्य	फिजी
(2) हिस्से	40 अदद	

स्रोत : मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली।

महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के दो कर्मचारियों की हत्या

2894. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के दो कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण अधिकारी संघ ने इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को ज्ञापन भेजा है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दो अधिकारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मारे जाने की सूचना है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रत्येक मृतक अधिकारी के परिवार को 50,000 रु० की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त मृतक अधिकारियों की विधवाओं को भी विशेष पेंशन अवार्डस स्वीकृत की गयी है। प्राइवेट फील्ड गाइड, जो जी० एस० आई० अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर रहते मृत पाया गया था, को भी वित्तीय सहायता दी गई है।

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अपराधियों को शीघ्र पकड़ कर दण्डित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।

दामनजोड़ी (उड़ीसा) में एल्यूमीना फैक्ट्री का निर्माण

2895. **श्री के० प्रधानी** :क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामनजोड़ी (कोरापुट-उड़ीसा) में एल्यूमीना फैक्ट्री के निर्माण-कार्य में निर्धारित समय के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ख) इस फैक्टरी में कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा;

(ग) शुरू में कारखाने में कितनी मात्रा में एल्यूमीना तैयार किया जाएगा; और

(घ) क्या उक्त फैक्टरी में कार्य शुरू होने से पहले कोरापुट-रायगढ़ रेल लाइन पूरी हो जाएगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) दामनजोड़ी (उड़ीसा) में नेशनल एल्यूमिनियम कं० लि० (नाल्को) के एल्यूमिना संयंत्र का निर्माण सामान्यत: समय अनुसूची के अनुसार चल रहा है। मार्च, 1985 तक 57.8% के लक्ष्य की तुलना में 47.2% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। एल्यूमिना संयन्त्र में सितम्बर, 1986 में उत्पादन शुरू होना है।

(ग) एल्यूमिना संयन्त्र में शुरू में उत्पादन 400,000 टन वार्षिक की दर से होगा।

(घ) रेल मन्त्रालय ने बताया है कि कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन का कोरापुट से मछलीगुडा के बीच प्रथम चरण (19.65 कि० मीटर) साइडिंग का काम जून, 1985 तक पूरा हो जायेगा। तथा दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मछलीगुडा से रायगढ़ तक लिंक रेल लाइन बिछाने का काम धन की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋण

2896. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1983 के दौरान विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लोगों को ऋण मंजूर किये गए हैं :

(ख) क्या कुछ समय पहले उक्त योजना की समीक्षा के लिए जो कार्य दल बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से विभेदी ब्याज दर योजना के बारे में उस ढंग से सूचना नहीं मिलती जिस प्रकार प्रश्न में मांगी गई है। अलबत्ता, दिसम्बर, 1983 की स्थिति (अनन्तिम) के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत खातों की संख्या और उनके अधीन

बकाया राशि की राज्य वार (और क्षेत्र-वार) स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

दिसम्बर, 1983 के अन्त की स्थिति के अनुसार, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत खातों और बकायाराशि का क्षेत्रवार/राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्षेत्र/राज्य	ऋणकर्ता खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	90580	1583.81
हिमाचल प्रदेश	82403	1066.90
जम्मू एंड कश्मीर	17547	230.26
पंजाब	112870	1737.16
राजस्थान	102275	1285.68
चंडीगढ़	4457	126.26
दिल्ली	19933	380.13
कुल उत्तर क्षेत्र	430065	6410.20
असम	40251	433.83
मणिपुर	2180	36.55
मेघालय	5458	49.54
नागालैंड	2227	18.37
सिक्कम	2528	32.42

1	2	3
त्रिपुरा	7639	71.36
अरुणाचल प्रदेश	1010	16.27
मिजोरम	433	8.83
कुल उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	**61726**	**667.17**
बिहार	353909	2724.42
उड़ीसा	217865	1552.82
प० बंगाल	289456	1570.61
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	450	5.08
कुल पूर्वी क्षेत्र	**861580**	**5852.93**
मध्य प्रदेश	250701	2458.93
उत्तर प्रदेश	351314	4752.20
कुल मध्य क्षेत्र	**602015**	**7211.13**
आन्ध्र प्रदेश	318458	2377.35
कर्नाटक	280512	2708.74
केरल	234205	2082.44
तमिलनाडु	285602	2319.69
लक्षद्वीप	355	9.00
पांडिचेरी	10398	109.49
कुल दक्षिणी क्षेत्र	**1129530**	**9606.71**
गुजरात	369993	4271.65
महाराष्ट्र	273092	2630.96
दादर एवं नगर हवेली	262	1.30
गोवा दमन एंड दीव	15827	147.18
कुल पश्चिमी क्षेत्र	**659174**	**7051.09**
अखिल भारत	3744090	36799.23

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

सोवियत सहयोग के साथ शुरू की गई कोयला परियोजना का पूरा होना

2897. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत सहयोग के साथ शुरू की गई कोयला परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सोवियत संघ के सहयोग से अनेक कोयला परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। सोवियय संघ के सहयोग से कोई परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है। इस समय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की झंझरा भूमिगत खान में काम चल रहा है और नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की टिपोंग खान में प्रायोगिक पैनल पर काम हो रहा है। इन परियोजनाओं के क्रमश: वर्ष 1992-93 और 1986-87 तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है। जैसा कि अनुसूचियों से देखा जा सकता है, कोयला परियोजनाओं में वास्तविक उत्पादन शुरू होने में काफी समय लग जाता है।

इसके अतिरिक्त मुकुन्दा ओपेनकास्ट खान और निघई ओपेनकास्ट खान जैसी अनेक परियोजनाओं के निर्माण के लिए, झिगुरदा में दिशा उन्मुख विस्फोट के लिए पाथरडीह बाशरी के आधुनिकीकरण आदि के लिए साध्यता अध्ययन करने और अन्य प्रकार की सहायता के लिए सोवियत संघ से मदद मांगी गई है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सहयोग आम तौर पर अभी साध्यता रिपोर्ट बनाने की अवस्था में है।

उड़ीसा में कोयला भण्डारों का पता लगाना

2898. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में कुल कितनी मात्रा में कोयले के भंडारों का पता लगाया गया है;

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोयले के भण्डारों का अनुमान लगाने के लिए उड़ीसा में जिन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा उक्त सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(घ) उनके मन्त्रालय को प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इब नदी कोयला क्षेत्र, जिला सम्बलपुर में और तालचेर कोयला क्षेत्र, जिला ढेनकनाल में हाल ही में जो निर्धारण किया उसके परिणामस्वरूप कुल 29,535 मिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोयले का क्षेत्रीय समन्वेषण कार्य जिन स्थानों मे कर रहा है वे हैं : ढेनकनाल जिले के तालचेर कोयला क्षेत्र के पश्चिमी-केन्द्रीय, पश्चिमी और उत्तरी भाग और सम्बलपुर जिले के इब नदी कोयला क्षेत्र के हिमगिर-गोपालपुर और रोहिणी क्षेत्र। इन कोयला क्षेत्रों में क्षेत्रीय समन्वेषण कार्य सातवें दशक के अन्तिम वर्षों से किया जा रहा है और अभी तक जारी है।

(घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने फील्ड-सीजन 1983-84 और 1984-85 (अक्टूबर, 1983 से सितम्बर, 1984 तक) के दौरान उड़ीसा के तालचेर और इब नदी कोयला क्षेत्र पर पांच प्रगति रिपोर्टें जारी की हैं।

सातवीं योजना अवधि के दौरान नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2899. श्री राधा कांत डिगाल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान देश में कितने इस्पात संयन्त्र लगाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में दैतारी में इस्पात संयन्त्र लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार ने सिद्धांत रूप से यह निर्णय लिया है कि कर्नाटक में विजय नगर के स्थान पर तथा उड़ीसा में दैतारी के समीप इस्पात कारखाने लगाए जाएं। सरकार के इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के पश्चात ही उड़ीसा में दैतारी के समीप इस्पात कारखाना लगाने की संभावित समय-सूची का पता चल सकेगा। पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी लिया जाना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया ऋण

[हिन्दी]

2900. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न प्रकार के ऋणों की ऐसी कुल कितनी धन राशि बकाया पड़ी है जिसकी वसूली नहीं की जा सकी है; और

(ख) उक्त बकाया राशियां किस-किस वर्ष की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे के प्रपत्रों के अनुसार उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि और ब्यौरा प्रकट न करने के संबंध में बैंकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है जिनके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली जाती है । अतः आवश्यक सूचना नहीं दी जा सकती है ।

कपास के मूल्य में गिरावट

[अनुवाद]

2901. श्री राम बहादुर सिंह
श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के मूल्य में तीव्र गिरावट चिन्ता का कारण बन गयी है;

(ख) क्या कपास के मूल्य में इस गिरावट के कारण किसानों को समर्थन मूल्य स्तर से कम दामों पर हताश बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा है; और

(ग) किसानों द्वारा कपास की हताश बिक्री रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) यद्यपि वर्तमान रुई मौसम के दौरान रुई की कीमतों में, गत मौसम की उसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है, तथापि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से सामान्यता के ऊपर ही हैं और समझा जाता है कि कृषकों के लिये ये लाभकारी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) समर्थन मूल्य अभिकरण के रूप में भारतीय रुई निगम बाजार में आई कपास को

खरीदता है और समर्थन मूल्य पर तथा उससे अधिक मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कपास खरीद ली है। निर्यात के लिए सरकार ने अब तक लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 1.95 लाख गांठें रिलीज कर दी हैं। चूंकि रुई की लगभग सभी किस्मों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अतः कृषकों द्वारा हताश बिक्री की संभावना अब नहीं है।

भारतीय तम्बाकू कम्पनी के विरुद्ध निर्णय के लिए लम्बित पड़े मामले

2902. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारतीय तम्बाकू कम्पनी के विरुद्ध 1 मार्च, 1985 को कितने मामले निर्णय के लिए न्यायालय में लम्बित पड़े थे;

(ख) ये मामले राजस्व की कितनी धनराशि के हैं और उक्त राजस्व का मामलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों के निपटान के लिये कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों का सम्बन्ध है, मैसर्स इंडिया तम्बाकू लि० के विरुद्ध 1-2-85 की स्थिति के अनुसार 33 कारण बताओ नोटिस में न्याय निर्णयन करना बाकी है। इन नोटिसों में ग्रस्त सही रकम की मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि उन में से कुछ नोटिसों को उनमें ग्रस्त उत्पादन शुल्क का उल्लेख किए बगैर जारी किया गया है तथा वे शुल्क की दर तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में हैं। राजस्व की रकम की मात्रा बताना तभी संभव होता है जबकि मामलों में न्यायनिर्णयन हो जाता है। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण इन मामलों के निपटान के लिये समय-सीमा बताना कठिन है। महत्वपूर्ण मामलों में स्थगन आदेशों को शीघ्र निरस्त करवाने के लिए विभिन्न अदालतों में आवेदन करने, सरकार के हितों की पैरवी करने के लिए प्रसिद्ध वकीलों की नियुक्त करने आदि के प्रयास किये जाते हैं।

आयकर तथा सीमाशुल्क से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में किया गया पूंजी निवेश

[हिन्दी]

2903. श्री सी०डी० गामित : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : 1984-85 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० में कुल 6618·83 करोड़ रुपये (आंकड़े अस्थायी हैं) का पूंजी-निवेश किया था। ब्यौरा इस प्रकार है।

(करोड़ रुपये)

	इक्विटी पूंजी	सरकारी ऋण (संकल)	इस्पात विकास निधि से ऋण (सकल)	कुल
31-3-85 की स्थिति के के अनुसार	3439.56	1565.22	952.90	5957·68
वर्ष 1984-85 में. स्वीकृत	279.09	126.23*	255.83	661.15
कुल	3718.65	1691.45	1208.73	6618.83
वर्ष 1984-85 के अन्त में बकाया निवल राशि	3718.65	987.17	1203.83	5914.55

*"सेल" की मार्फत "इस्को" को मंजूर किए गए 55.48 करोड़ रुपये के योजना-भिन्न ऋण शामिल हैं।

अंकलेश्वर में खांगी फैक्ट्री से विदेशी धागे से बना कपड़ा पकड़ा जाना

[अनुवाद]

2904. श्री सी० डी० गामित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने गुजरात में अंकलेश्वर में खांगी फैक्ट्री (गैर- सरकारी फैक्ट्री) पर मार्च, 1685 में छापा मारा था और करोड़ों रुपये मूल्य का विदेशी धागे से बना कपड़ा पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त फैक्ट्री का मालिक कौन है; और

(ग) इस संबंध में की जा रही कानूनी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क अधिकारियों ने 14 मार्च, 1985 को गुजरात में मैसर्स एल० डी० टेक्स्टाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अंकलेश्वर के कारखाने के परिसरों पर छापा मारा। विदेशी सूत से बना कोई कपड़ा नहीं पकड़ा गया था लेकिन लगभग नौ करोड़ रुपये का पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पकड़ा गया था। इस कंपनी की प्रबन्ध-व्यवस्था का काम श्री जे० एन० मेहरा की अध्यक्षता में सात निदेशकों के हाथ में है।

(ग) इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल पूरी होने पर कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जायगी।

चीनी के उत्पादन में गिरावट

2605. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले मौसम में चीनी के उत्पादन में गिरावट आयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त गिरावट आने के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) क्या चीनी आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या किसी देश ने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भारत को चीनी बेचने की पेशकश की है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981-82 मौसम में 84.38 लाख मे० टन तथा 1982-83 में 82.32 लाख मे० टन की अपेक्षा 1683-84 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 59.16 लाख मे० टन हुआ।

(ख) दक्षिणी राज्यों में सूखे की परिस्थितियों की वजह से तथा उत्तरी क्षेत्र में देर से बारिश होने के परिणाम स्वरूप गन्ने की परिपक्वता में देरी होने से और कम वसूली होने से गन्ने का उत्पादन कम होने के कारण 1983-84 मौसम में चीनी का उत्पादन में गिरावट आई।

(ग) 1984-85 के दौरान चीनी की 4.94 लाख मे० टन मात्रा का आयात किया गया था। इस वर्ष के दौरान प्रस्तावित आयातों का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि चीनी का उत्पादन अभी हो रहा है।

(घ) चीनी का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है जो विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर खरीदारी एवं आयात करता है।

बम्बई और दिल्ली में भवन-निर्माताओं द्वारा फ्लैटों की बिक्री में किया जा रहा काले धन का लेन-देन

2906. **श्री राम भगत पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली में भवन निर्माताओं द्वारा फ्लैटों की बिक्री में किये जा रहे काले धन के लेन-देन को रोकने के लिये आयकर विभाग अनेक उपाय शुरू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) काले धन के प्रसार और उसमें होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सतत समीक्षा के बाद सभी संभव उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी तथा सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ़ पब्लिक फाइनेन्स का प्रतिवेदन

2907. **श्री राम भगत पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स ने कपड़ों और प्लास्टिक्स के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तुत की गई रिपोर्टें गोपनीय-स्वरूप की हैं और इन रिपोर्टों का विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

बिहार में ब्याज योजना की विभेदक दर के अन्तर्गत राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

2908. **श्री राम भगत पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज योजना की विभेदक दर के अन्तर्गत 4 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण प्राप्त करने के लिए जनवरी, 1983 से जनवरी, 1984 तक कितने आवेदन पत्र मिले;

(ख) कितने आवेदन पत्रों पर ऋण दिए गए, कितने आवेदन पत्र नामंजूर किए गए और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ग) प्रत्येक बैंक द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए; और

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभेदी ब्याज दर योजना के बारे में उस ढंग से सूचना नहीं मिलती जिस प्रकार प्रश्न में माँगी गई है। अलबत्ता, दिसम्बर, 1983 की स्थिति (अनन्तिम) के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में इन खातों की बैंक-वार स्थिति और बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि गत वर्ष के कुल बकाया अग्रिमों का 1 प्रतिशत होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की दिसम्बर, 1983* के अन्त की स्थिति

क्रम सं०	बैंक का नाम	ऋण खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपए)
	1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	133389	937.94
2.	भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	132	0.57
3.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	82603	690.48
4.	बैंक आफ इंडिया	46580	263.64
5.	पंजाब नेशनल बैंक	29307	333.50
6.	बैंक आफ बड़ौदा	3628	24.00
7.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	9786	114.98
7.	केनरा बैंक	19293	104.53
9.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	7426	61.73

1	2	3
10. देना बैंक	372	3.92
11. सिंडिकेट बैंक	390	5.31
12. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	10781	100.05
13. इलाहाबाद बैंक	8438	68.58
14. इण्डियन बैंक	382	2.05
15. बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—
16. इण्डियन ओवरसीज बैंक	718	4.42
17. आंध्र बैंक	34	0.55
18. न्यू बैंक आफ इण्डिया	104	1.24
19. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	247	4.01
20. विजया बैंक	187	2.77
21. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	12	0.15
22. कारपोरेशन बैंक	—	—
समस्त बैंक	353809	2724.42

* आंकड़े अनन्तिम

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

2909. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की पर्याप्त संख्या में शाखाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कारगर कदम उठाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1984 को जिला विदिशा, (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 41 शाखायें कार्यरत थीं। इसके अलावा जिले के ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने के लिए बैंकों के पास 6 प्राधिकार पत्र भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भोपाल स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में एक कृतिक बल गठित किया है ताकि इन शाखाओं के यथाशीघ्र खोले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

उक्त शाखाओं के खुल जाने से, जिनके लिए प्राधिकार-पत्र जारी किए गए हैं, 1981 की जनगणना के आधार पर, ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की औसत आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का लक्ष्य, जैसा कि अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित किया गया है, विदिशा जिले में प्राप्त कर लिया जाएगा।

बिजली, सिंचाई और कोयला-खनन के लिए विश्व बैंक से ऋण

2911. श्री चित्त महाता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने देश में बिजली, सिंचाई और कोयला-खनन परियोजनाओं के लिए भारत को, अब तक कुल कितना ऋण दिया है;

(ख) उस ऋण में से कितनी धनराशि का कोयला खनन के लिए उपयोग किया गया है; और

(ग) भारत द्वारा विश्व-बैंक को अब तक ऋण की कितनी धनराशि वापस कर दी गई है तथा शेष धनराशि कब तक वापस कर दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बिजली, सिंचाई और कोयला खनन के क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधारों/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋणों की अब तक कुल जितनी राशि स्वीकृत की गई है, वह इस प्रकार है—

(लाख अमेरिकी डालरों में)

क्षेत्र	राशि अ० वि० सं०/अ० पु० नि० और वि० बैंक		जोड़
	उधार	ऋण	
सिंचाई	27041.4	2400.0	29441.4
बिजली	24090.0	22647.0	46737.0
कोयला खनन	—	4175.7	4175.7

(ग) इन क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधार के सम्बन्ध में 31-3-1985 को मूलधन की वापसी अदायगी की स्थिति इस प्रकार है :

(लाख अमेरिकी डालरों में)

क्षेत्र	राशि अ० वि० सं०/ उधार	अ० पु० नि० और वि० बैंक ऋण	जोड़
सिंचाई	135.00	199.35	334.35
बिजली	144.80	830.75	975.55
कोयला खनन	—	185.70	185.70

जहां तक उधारों/ऋणों की शेष राशि की वापसी अदायगी का सम्बन्ध है, वह विश्व बैंक के साथ सम्मत वापसी अदायगी के कार्यक्रम के अनुसार होगी। ऐसे भुगतानों की अन्तिम अदायगी अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों के सम्बन्ध में वर्ष 2003 के दौरान और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधारों के सम्बन्ध में वर्ष 2035 के दौरान देय होगी।

अ० वि० सं० = अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

अ० पु० नि० और० वि० बैंक = अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में वित्तीय तंगी

2912. **श्री चिन्त महाता** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय तंगी के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग की दशा बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन यूनिटों के विकास के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के लिए की गई 2617.72 करोड़ रुपये की योजनागत व्यवस्था के मुकाबले में 2852.6 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में चल रही योजनाओं, परिवर्द्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन और वर्तमान इस्पात कारखानों

के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कोयले की मांग और उत्पादन

2913. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान कोकिंग कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) छठी योजनावधि के दौरान कोकिंग कोयले की कितनी मांग थी;

(ग) उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति क्या थी और क्या यह मांग की पूर्ति के लिए संतोषजनक रही है;

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान अनुमानित मांग क्या है; और

(ङ) कोकिंग कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र को दी जाने वाली पर्याप्त धनराशि और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह अनुमान लगाया गया था कि छठी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 में कच्चे कोककर कोयले की मांग 39.68 मिलियन टन होगी। परन्तु वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय योजना आयोग ने कोयले के वास्तविक उठान को ध्यान में रखते हुए मांग का पुनर्निर्धारण किया। छठी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों के लिए योजना आयोग द्वारा अन्ततः निर्धारित मांग, सरकार द्वारा निश्चित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	मांग	लक्ष्य	उत्पादन
1981-81	26.75	26.21 (संशोधित)	2 .41
1981-82	27.50	29.65 (संशोधित)	30.25
1982-83	26.50	31.79 (संशोधित)	30.31
1983-84	27.50	33.51 (संशोधित)	30.. 0
1984-85	28.50	33.40	30.71 (अनन्तिम)

(गैर-धातुकर्मी कामों के लिए प्रयुक्त घटिया ग्रेडों के कोककर कोयले को कोककर कोयले के उत्पादन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है)

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला और लिग्नाइट पर कार्यकारी ग्रुप द्वारा निर्धारित कच्चे कोककर कोयले की मांग नीचे दी गई है :

(मिलियन टनों में)

वर्ष	मांग
1985-86	30.12
1986-87	31.96
1987-88	34.45
1988-89	38.32
1989-90	41.14

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। फिर भी, योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला और लिग्नाइट पर जो कार्यकारी ग्रुप स्थापित किया है उसने कोल इंडिया लि० के लिए रु० 9,902 करोड़ के परिव्यय की सिफारिश की है और इस राशि में कोककर कोयला उत्पादन करने वाली खानों में निवेश शामिल है।

रोल्ड गोल्ड और सोने से मढ़े गये आभूषणों का निर्यात

2914. **श्री एन० बी० रत्नम** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तन मुही देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से वाणिज्यिक स्तर पर रोल्ड गोल्ड और सोने से मढ़े गए आभूषणों का निर्यात होता है;

(ख) क्या तमिलनाडु के एजेंट उन्हें थोक में खरीदते हैं और भारी मूल्य पर इनका निर्यात करते हैं;

(ग) क्या मैन्युफैक्चरर्स एसोशियन, मछलीपत्तनम और अनेक व्यक्तिगत निर्माताओं ने केन्द्र सरकार से निर्यात-परमिट मंजूर करने हेतु अभ्यावेदन किये हैं ताकि वे देश से बाहर सीधे निर्यात कर सकें;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या उनको सोने का कोटा मंजूर करते समय वे सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं जो आभूषणों के निर्माण में उनके लिए उपयोगी सिद्ध हों ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विनिर्माण प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सोना प्राप्त करने के लिए स्वर्ण नियन्त्रण प्रशासन द्वारा नकली जेवरों के विनिर्माताओं को परमिट दिए जाते हैं।

काजू, चाय, आलू और प्याज के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

[हिन्दी]

2915. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितनी मात्रा में काजू, चाय, आलू और प्याज का निर्यात किया गया;

(ख) यह वस्तुएं किन-किन देशों को निर्यात की गईं; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ग) 1984-85 के दौरान काजू, चाय, आलू तथा प्याज के संबंध में अनुमानित निर्यात, विदेशी मुद्रा आय तथा निर्यातों के प्रमुख गन्तव्य स्थान नीचे दिए गए हैं;

(मात्रा : एम टी)
(मूल्य : करोड़ रु०)

वस्तु का नाम	मात्रा (अप्रैल, 84-फरवरी, 85)	मूल्य	निर्यात गन्तव्य स्थान
1	2	3	4
काजू	26132	147.27 (अप्रैल-दिसम्बर, 1984)	संयुक्त राज्य अमेरीका, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया; जापान

1	2	3	4
चाय	207.5 (मिलियन कि० ग्रा०	735.98	सोवियत संघ, ब्रिटेन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी तथा नीदरलैंड
आलू	467	9.09	श्री लंका ,मलयेशिया, कुवेत, दोहा तथा दुबई ।
प्याज	243566.2	47.46	श्री लंका, मलयेशिया, सिंगापुर, यू ए ई० बेहरीन, कुवैत, बंगला देश, तथा कतार

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंतर-शाखा लेन देन समायोजन न किया जाना

[अनुवाद]

2916. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई धोका-धड़ियों की जांच से पता चला है कि इन धोखा-धड़ियों का एक मुख्य कारण यह है कि कई वर्षों से अन्तर-शाखा लेन-देन का लेखा समायोजन नहीं किया गया है;

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के संबंध में 31 दिसम्बर, 1984 के दिन तक अन्तर-शाखा लेनदेन का किस सीमा तक समायोजन नहीं किया गया है;

(ग) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1983 के दिन तक कुल कितने लेनदेन का समायोजन नहीं किया गया था; और

(घ) सिन-किन बैंकों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इस बारे में सशर्त रिपोर्ट दी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये विश्लेषण से यह पता चलता है कि धोखा-धड़ियां मुख्य रूप से उन बाहरी तत्वों के कारण होती हैं जो प्रतिभूति की गलत घोषणा, धनराशियों के अनुत्वारी विपणन रेलवे की जाली रसीदों, बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूति के भुगतान, जाली ड्राफ्टों, जाली चैकों आदि के कारण होती हैं । बैंक कर्मचारियों की सांठ-गांठ या उनके द्वारा प्रणालियों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने में ढील करने के कारण ऐसी धोखाधड़ियां करने में मदद मिलती है । अन्तर शाखा लेन-देनों

का मिलान न किया जाना उन कारणों में से एक माना जा सकता है जिसकी वजह से कुछ धोखा-धड़ियों में मदद मिलती है और उनका पता लगाने में देर हो जाती है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 1983 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलन-पत्रों से यह पता चलता है कि अन्तर शाखा लेन-देनों के मिलान के सिलसिले में सभी बैंकों का काम कुछ न कुछ बकाया था। बैंकों को ये अनुदेश दिये गये हैं कि अन्तर शाखा लेखाओं के मिलान और अनुवर्ती कार्रवाई तथा बकाया प्रविष्टियों के समायोजन के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार और बैंक के निदेशक बोर्ड इस संबंध में प्रगति पर नजर रख रहे हैं और बैंकों से अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को आवश्यकतानुसार सरल बनाकर पूरा करने, इस काम को अद्यतन बनाने के लिए कारगार और सतत उपाय करने के वास्ते कार्यवाई कर रहे हैं।

वर्ष 9181 के अन्त तक की अवधि के संबंध में, 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार जमा और नामे की मिलान की बकाया प्रविष्टियों की कुल संख्या 323.35 लाख थी जिनकी राशि 200169.05 करोड़ रुपये बैठती है। दिसम्बर, 1983 तक, इन प्रविष्टियों की संख्या घटकर 295.50 लाख और रकम 178909.18 करोड़ रुपये हो गयी।

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के शीर्ष कार्यकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

2917. **श्री आर० प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थानीय कार्यकारियों द्वारा मंजूर की गई संदेहास्पद अग्रिमों की राशियों की दृष्टि से सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन निगम आदि जैसे सरकारी क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों को इस समय प्रत्यायोजित वित्तीयशक्तियों पर सामान्य रूप से पुनर्विचार करेगी; और

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के शीर्ष प्रबन्धकों द्वारा विवेकगत शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशानिर्देश देने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष एंव प्रबंधक निदेशकों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के बारे में सरकार इस समय पुनर्विचार नहीं कर रही है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक वि ास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में नोएडा में टकसाल

2918. **श्री हरिश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेशक में नोएडा में एक टकसाल लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है। रिपोर्ट तैयार हो जाने पर, निवेश, उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि के संबंध में उपर्युक्त निर्णय लेने के लिए उस पर और आगे कार्रवाई की जाएगी । वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य आरम्भ हो जाने की सम्भावना है। अनुमान है कि टकसाल को उत्पादन शुरू करने में 30-36 महीने लग जाएगें ।

चूना पत्थर खदानों में हानि

[हिन्दी]

2919. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा मंसूरी (उत्तर प्रदेश) में चूना पत्थर खदानों में हो रही हानि के मामले पर हाल ही में दिये गये निर्णय की दृष्टि से सरकार का विचार वर्तमान खनन अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान करने का है कि पर्यावरण और जनहित को हानी पहुंचाने वाली खानों के पट्टे को उसकी अवधि के दौरान ही रद्द कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का संशोधन विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंसूरी की चूना पत्थर खानों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन के प्रश्न पर सक्रियता से विचार हो रहा है । संशोधन विधेयक शीघ्र पुरस्थापित किया जायेगा ।

महाराष्ट्र में उपलब्ध खनिज पदार्थ

[अनुवाद]

2920. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कौन-कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं;

(ख) महाराष्ट्र में उपलब्ध प्रत्येक खनिज पदार्थ की मात्रा का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र से कौन-कौन से खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है;

(घ) कौन- कौन से खनिज पदार्थों का देश में शोधन किया जाता है; और

(ङ) उनकी मात्रा कितनी है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न खनिजों हेतु की गई खोजों के आधार पर विभिन्न जिलों में मुख्य खनिजों के निम्नलिखित भंडार हैं :

जिला नाम	खनिज	भंडार
1	2	3
अहमदनगर	चूना-पत्थर	5.40 लाख टन
अमरावती	चीनी मिट्टी	5,36,000 टन
	फायरक्ले	17,26,000 टन
भंडारा	क्रोमाइट	54,000 टन
	कोरंडम	7937 टन
	(औद्योगिक)	
	काइनाइट	22,29,000 टन
	मैंगनीज	108 लाख टन
	सिलिमेनाइट	2,35,000 टन
	टाक/स्टेटाइट/सोपस्टोन	26,000 टन

1	2	3
	वैनेडियम अयस्क	62,00,000 टन
	जस्ता (धातु) (भंडारा तथा नागपुर हेतु कुल)	2,75,000 टन
चन्द्रपुर	बेराइट	44,000 टन
	तांबा (धातु)	2,46 000 टन
	डोलोमाइट	840 लाख टन
	फायरक्ले	10,26,000 टन
	लोह अयस्क	1623 लाख टन
	क्वार्टज/सिलिका सैंड	6,89,000 टन
	चूनापत्थर	17455 लाख टन
	टंगस्टन	अनुमानित नहीं
धूलिया	चूनापत्थर	401 लाख टन
कोल्हापुर	बाक्साइट	654 लाख टन
	क्वार्टज/सिलिका सैंड	5,49,000 टन
कोलाबा	बाक्साइट	214 लाख टन
नागपुर	तांबा (धातु)	38,000 टन
	डोलोमाइट	1386 लाख टन
	फायरक्ले	35,51 000 लाख टन
	चूनापत्थर	317 लाख टन
	मैंगनीज अयस्क	54 लाख टन
	टंगस्टन (डब्लू० ओं०$_3$ अंश)	1860 टन
नांदेड	चूनापत्थर	21.2 लाख टन

1	2	3
रत्नगिरि	बाक्साइट	52 लाख टन
	चायनाक्ले	20,39,000 टन
	फैल्सपार	1750 टन
	इलेमेनाइट सैंड	41,29,000 टन
	लोह अयस्क	632 लाख टन
	क्वाटेज/सिलिका सैंड	5,80,94,000 टन
	टाक/स्टेटाइट/सोपस्टोन	79,70,000 टन
	क्रोमाइट	1,32,000 टन
संगली	चूनापत्थर	15 लाख टन
सतारा	बाक्साइट	92 लाख टन
थाणे	बाक्साइट	9 लाख टन
	चायनाक्ले	96,000 टन
यवतमाल	डोलोमाइट	375 लाख टन
	चूनापत्थर	16633 लाख टन

(ग) लोह अयस्क तथा गनमैीज अयस्क जैसे खनिजों का राज्य से निर्यात किया जाता है।

(घ) कुछ लोहा, मैगनीज का तथा राज्य में उत्पादित अन्य सभी खनिजों का देश में पूरी तरह उपयोग/शोधन किया जाता है।

(ङ) वर्ष, 1984 के दौरान महाराष्ट्र के निम्नलिखित खनिजों का देश में शोधन/उपयोग किया गया :

(मात्रा टनों में)

खनिज	आन्तरिक खपत हेतु प्रेषण
1	2
बाक्साइट	476,000
लोह अयस्क	22,000

1	2
मैंगनीज अयस्क	1,27,000
कोयला (उत्पादन)	97,11,000
बैराइट	36
कोरंडम	707
डोलोमाइट	30,201
कायनाइट	18,560
कैओलिन	4,618
चूनापत्थर	18,75,000
ओकर	1340
पायरोफिलाइट	698
क्वाटेज	29
बालू (अन्य)	10,89,000
सिलिका सैंड	1,44,000
सिलिमेनाइट	3767

तीव्र हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को शामिल करने की योजना

[हिन्दी]

2921. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों को तीव्र हथकरघा विकास कर्यक्रम के अन्तर्गत सामिल करने की कोई योजना उनके मन्त्रालय को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की मंजूरी दे दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिये ऐसी किसी योजना की मंजूरी देने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां, 26-7-84 को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के कुमाऊ तथा गढ़वाल मण्डलों में ऊनी हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए एक योजना प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार को योजना में संशोधन करने की सलाह दी गयी थी तथा संशोधित योजना 24-1-85 को प्राप्त हुई थी।

(ख) तथा (ग) यह योजना 1984-85 के दौरान निर्वाचित नहीं की जा सकी, क्योंकि :

(1) उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव देर से प्राप्त हुआ था।

(2) छठी योजना में इस प्रकार की योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सरकार द्वारा अब प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

बैंकों के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली की पुनरीक्षा के लिए कार्यकारी बल

[अनुवाद]

2922. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली की पुनरीक्षा के लिये गठित किये गये कार्यकारी दल ने 1983 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो दल की सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कारंवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वाणिज्यक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सरकारी बैंकों की वर्तमान निरीक्षण प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस कार्यकारी दल ने अक्तूबर; 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) और (ग) कार्यकारी दल ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की आवृत्ति में परिवर्तन की सिफारिश की है। इसका विचार है कि निरीक्षणों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अग्रिमों की क्वालिटी, पूंजी की पर्याप्तता, प्रबंध की गुणवत्ता और आन्तरिक नियत्रण तथा प्रशासन के सबंध में बैंकों के परिचालनों में सुधार लाया जाना चाहिए। कार्यकारी दल ने निरीक्षण के लिए शाखाओं का चयन की प्रक्रिया में सुधार किए जाने का भी सुझाव

दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया और मंजूर की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बिलेट ब्लूम और सेमीस का उत्पादन

2923. **श्री एस॰एम॰भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा** करेगें कि

(क) 1984-85 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बिलेट्स, ब्लूम्स और सेमीस का संयंत्र-वार कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) विभिन्न राज्यों को, तिमाही-वार इनकी कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश को उसका न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिए क्या न्यायोचित कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के॰नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान विलेटों, ब्लूम तथा बिक्री योग्य अन्य अर्द्ध तैयार उत्पादों के उत्पादन के कारखाना-वार आंकड़े (आंकड़े अस्थायी हैं) नीचे दिए गए हैं :

(मात्रा-हजार टनों में)

कारखाना	विलेट	ब्लूम	अन्य अर्द्ध तैयार उत्पाद	कुल
भिलाई इस्पात कारखाना	186.7	240.9	70.8	498.4
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	58.6	95.9	119.0	27[illegible].5
राउरकेला इस्पात काराखाना	-	-	38.9	33.9
बोकारो इस्पात कारखाना	-	-	57.7	57.7
योग :	245.3	336.8	281.4	863.5

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान बिलेटों, ब्लूमों तथा बिक्री योग अन्य अर्द्ध तैयार उत्पादों के तिमाही आधार पर किए गए प्रेषण का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि मार्च,1985 के महीने के लिए राज्य-वार आंकडे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं अत: अन्तिम तिमही की जानकारी में फरवरी, 1985 तक के आंकडों को ही सामिल किया गया है।

(ग) लोहे तथा इस्पात का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाना है। लोहे तथा इस्पात की सप्लाई मुख्य उत्पादकों के पास पंजीकृत मांग तथा इस सामग्री की उपलब्धि के आधार पर की जाती है। बिलेट, ब्लूम तथा अर्द्ध तैयार उत्पादों की सप्लाई के बारे में "सेल" ने मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि विभिन्न स्टाकयाडों को इन मदों की सप्लाई पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक बिक्री के आधार पर की जाए गी।

विवरण

बिलेट, ब्लूम तथा अन्य अर्द्ध तैयार उत्पादों का प्रेषण

राज्य	अप्रैल, 84 से फरवरी 85 के दौरान बिलेटों का प्रेषण				कुल	अप्रैल, 84 से फरवरी, 85 के दौरान ब्लूम का प्रेषण				कुल	अप्रैल 84 से फरवरी 85 के दौरान अन्य अर्द्ध तैयार उत्पादों का प्रेषण				कुल
	अप्रैल जून 84	जुलाई सितम्बर 84	अक्तूबर दिसम्बर 84	जनवरी फरवरी 84		अप्रैल जून 84	जुलाई सितम्बर 84	अक्तूबर दिसम्बर 84	जनवरी फरवरी 1985		अप्रैल जून 84	जुलाई सितम्बर 84	अक्तूर दिसम्बर 84	जनवरी फरवरी 1945	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पश्चिम बंगाल	5676	7187	4673	3618	12154	—	440	—	388	828	—	284	—	503	887
उड़ीसा	—	—	1104	—	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	—	167	—	—	167	46	—	223	—	268	1043	108	—	—	1151
उत्तर प्रदेश	13036	4673	3684	660	22053	9026	5595	10713	12954	38288	1313	2164	5096	692	9265
आसम	1319	4377	—	1399	7095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
नागालैंड	—	—	—	168	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	3324	4046	2991	225	10586	13225	4031	5516	3786	26558	—	226	2328	—	2554
चंडीगढ़	1233	2955	—	565	4853	3111	—	—	780	3891	—	108	56	54	218
हरियाणा	55	—	—	—	55	223	1573	1008	673	3477	794	506	112	—	1412
मध्य प्रदेश	1497	1850	1633	924	5904	1750	719	728	1711	4908	840	277	264	547	1928
जम्मू और कश्मीर	—	—	2811	—	2811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पंजाब	15068	7533	10880	3635	37115	52787	74586	48737	23979	200089	10078	12943	12392	5519	49757
महाराष्ट्र	8922	9700	9716	4179	32517	1010	550	8583	6093	16246	109	218	1547	532	2406
गुजरात	11767	5372	3448	1727	22314	4726	950	2543	440	7659	—	—	—	—	430
राजस्थान	666	1116	110	895	2787	1555	—	—	501	2056	217	107	106	—	—
तमिलनाडु	18313	7510	6551	1333	32707	—	168	1846	4219	6233	—	—	540	1161	1701
केरल	—	—	672	—	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	17878	3907	2620	1966	26370	—	—	564	1359	1923	—	—	—	1673	1673
आन्ध्र प्रदेश	5464	839	—	—	6303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	104216	60232	50893	21294	236635	86458	88612	80461	56883	312414	15214	16946	22441	10681	65282

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा राज्य को बिलेट्स और सेमीस की सप्लाई

2924. श्री एस०एम०भट्टम : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलेट्स और सेमीस को री-रोलरों द्वारा छड़ों के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण विभिन्न राज्यों को उनकी भारी मात्रा में सप्लाई कर रहा;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में सप्लाई की गई;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश की कुछ मिलों को कच्चे माल की कमी और भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा सप्लाई न किए जाने के कारण बन्द होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के०नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० सेल विभिन्न राज्यों में उपयोक्ताओं को बिलेट, ब्लूम तथा आर्द्ध तैयार माल सप्लाई करती है। वर्ष 1984-85 (फरवरी, 1985 तक) सेल ने विभिन्न राज्यों को इस प्रकार की 6,14,172 टन सामग्री सप्लाई की थी। "सेल" ने विभिन्न राज्यों में परिवर्तन अभिकर्ता (कनवर्शन एजेन्ट) नियुक्त किए हैं। इन अभिकर्त्ताओं को मुख्यतः बिलेट सप्लाई किए जाते हैं, जिनसे ये छड़ें और गोल-छड़ें बनाते हैं। 1-4-1985 की स्थिति के अनुसार "सेल" के 57 परिवर्तन अभिकर्ता थे और इन्हें वर्ष 1984-85 के दौरान कुल 1,08,705 टन (आंकड़े अस्थायी हैं) बिलेट तथा अन्य अर्द्ध तैयार माल सप्लाई किया गया था।

(ग) और (घ) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि "सेल" से कच्ची सामग्री न मिलने के कारण आन्ध्र प्रदेश की कुछ पुनर्बेलक इकाइयां बन्द हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि "सेल" पुनर्बेलक उद्योग की कच्चे माल की 20 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करता है। शेष आवश्यकता की पूर्ति टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को), लघु इस्पात कारखानों, जहाजों को तोड़ने से तथा देश में निकलने वाले स्क्रैप से की जाती है। अर्द्ध तैयार माल की सप्लाई मुख्यत: लघु इस्पात कारखानों द्वारा की जाती है। चूंकि लघु इस्पात कारखाने मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं कर सके इस लिए "सेल" से बिलेट, ब्लूम तथा पुनर्बेलन योग्य अन्य सामग्री की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में हुई इस वृद्धि को पूरा करने लिए "सेल" ने अगस्त, 1984 से सामग्री की सप्लाई करने के

लिए पात्रता निश्चित करने की प्रणाली लागू की है। आंध्र प्रदेश राज्य को सप्लाई अखिल भारतीय आधार पर की गई औसतन सप्लाई के अनुपात में की जाती है।

पीयरलैस जनरल फाइनेन्स और इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड की परिसम्पत्तियां और देनदारियां

2925. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1983 को पीयरलैस जनरल फाइनेन्स और इनवस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड की कुल परिसम्पत्तियां और देनदारियां कितनी थीं;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा पालिसीधारकों से एकत्र की गई राशि पूर्णतः सरकारी प्रतिभूतियों में जामाकर दी जाती है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कम्पनी को 1973 के निक्षेप सीमा अधिनियम से छूट दे दी है;

(घ) क्या उपर्युक्त कम्पनी का सामान्य प्रशासन केन्द्रीय सरकार और कम्पनी विधि बोर्ड के नियंत्रणाधीन है; और

(ङ) क्या पालिसी धारकों को जीवन बीमा निगम के समान आयकर में छूट दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) 'द पियरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इंवेस्टमैंट कम्पनी लि० 'कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है और इसके काम का प्रबंन्ध इसके निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस कम्पनी के प्रशासन पर सरकार या कम्पनी विधि बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं है। इस कम्पनी को 10 अगस्त, 1979 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के अधीन अपने कारबार का समापन करने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और यह मामला न्यायाधीन है।

वर्ष 1978-79 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी का निरीक्षण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि कम्पनी द्वारा अनुसरण की जाने वाली लेखा प्रणाली से कम्पनी की स्थिति का सही और सच्चा परिचय नहीं मिलता। इसके अलावा कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम की धारा 290 के अधीन 21 दिसम्बर, 1983 को कम्पनी के लेखाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया लेकिन कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से सशर्त स्थागन प्राप्त कर लिया

और खण्ड पीठ के समुख अपील कर दी । अतः सरकार को इस कम्पनी के कार्यकरण के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिसम्पत्तियां और देन-दारियां दोनों ही 44084.90 लाख रूपये की थीं । पालिसी होल्डरों के प्रति संविदागत दायित्व की रकम जो, कम्पनी द्वारा बीमांकित गणना के अनुसार आंकी गयी है सरकारी प्रतिभूतियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास सावधि जमा के रूप है निवेश की गयी है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के 1973 के निदेशों के अंतर्गत जमा राशियां स्वीकार करने पर लगाये गये अधिकतम सीमा संबंधी प्रतिबंधों के बारे में कम्पनी को दी गयी छूट मार्च 1980 में रद्द कर दी गयी ।

जीवन बीमा निगम की योजनाओं और इस कम्पनी की योजनाओं के बीच समानता नहीं है अतः इस कम्पनी में धन लगाने वालों को आयकर से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बंगलौर परिवहन सेवा को विश्व बैंक का ऋण

2926. **श्री वी०एस०कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बसों की खरीद के लिए बंगलौर परिवहन सेवा को कोई विश्व बैंक ऋण दिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, क्या सरकार का विचार बंगलौर परिवहन सेवा के बेड़े में सुधार के लिए, विश्व बैंक से ऋण लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)जी, नहीं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नारियल जटा के उत्पादों का निर्यात

2927. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कयर बोर्ड के पास

उपलब्ध अद्यतन अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 84 तथा फरवरी, 85 के बीच कयर पायदान मैंटिंग, गलीचे तथा कालीन जैसे कयर उत्पादों का निर्यात बढ़कर 15.28 करोड़ रु० मूल्य का 12,339 मे० टन हुआ जो 1983-84 की समान अवधि में 12.99 करोड़ रु० मूल्य का 11,444 मे० टन था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिये किये गये विभिन्न उपायों में शामिल हैं व्यापार दलों को भेजना, विपणन अध्ययन तथा बाजार अनुसन्धान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना और प्रचार सामग्री का वितरण करना, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, कयर उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाना और नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना ।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को समाप्त करने की मांग

2928. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सराफा संघ ने सरकार से स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन ने अपने 17 जनवंरी, 1985 के अभ्यावेदन में इस आधार पर स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम 1968 को समाप्त करने का अनुरोध किया है कि अधिनियम की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और यह व्यापारियों को परेशान करने का साधन है ।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम 1968 के उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं ।

(i) सोने के लिये जनता की सामान्य मांग को उत्तरोत्तर कम करने की दृष्टि से उस पर नियन्त्रण रखना;

(ii) अन्य निवारक उपायो को अनुपूरित करने के लिए एक आर्थिक उपाय के रूप में कार्य करना, सोने पर आयात की अवस्था के बाद भी नियन्त्रण लागू करके तस्करी द्वारा लाए गये सोने के परिचालन को दूभर बनाना और उसका पता लगाने की कार्यवाही को आसान बनाना ।

जिन उद्देश्यों के लिये स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम लागू किया गया था वे अभी भी संगत है तथा अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। परेशान

करने सम्बन्धी शिकायतों में विधिवत् रूप से जांच की जा रही है, ज्योंही उनको जानकारी में लाया जाता है, और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। फिलहाल स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय रुई निगम, महाराष्ट्र विपणन महासंघ ,गुजरात की सहकारी समितियों आदि द्वारा रुई की गांठों का निर्यात

2929. **श्री उत्तम राठौर :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों को रुई की गांठों का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान भारतीय रुई निगम, महाराष्ट्र विपणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी महासंघ तथा गुजरात की सहकारी समितियों द्वारा कितनी-कितनी गांठों का निर्यात किया गया तथा उनकी कुल खरीद कितनी कितनी थी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) रुई वर्ष 1983-84 के दौरान स्टैपल रुई की लगभग 2,87,000 गांठ निर्यात की गयीं । चालू रुई वर्ष 1984-85 के दौरान अभी तक स्टैपल रुई की 13,552 गांठ निर्यात की गयी है ।

(ख) रुई मौसम 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारतीय रुई निगम लि०, महाराष्ट्र तथा राज्य सहकारी रूई उपजकर्ताओं के विपणन परिसंघ और गुजरात राज्य सहकारी रुई विपणन परिसंघ द्वारा निर्यात की गई/खरीदी गई कुल गांठों की संख्या निम्नलिखित है—

अभिकरण का नाम	निर्यात मात्रा (लाख गांठें)	कुल अधिप्राप्ति (लाख गांठें)
	रूई वर्ष 1983-84	
भारतीय रूई निगम महाराष्ट्र	1.08	5.25
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ	1.58	7.67
गुजरात परिसंघ	0.21	3.77
योग	2.87	16.66

अभिकरण का नाम	निर्यातित मात्रा (गांठों में)	कुल अधिप्राप्ति (लाख गांठों में)
	रूई वर्ष 1984-85	
भारतीय रूई निगम	4,655	5.28 (30-3-85 तक)
महाराष्ट्र राज्य रूई विपणन परिसंघ	3,580	16.22 (16-3-85 तक)
गुजरात परिसंघ	4,017	7.00 (15-3-85 तक)
	13,252	28.50

विभिन्न वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की योजना

2930. **श्री उत्तम राठौर** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, वर्षवार भारत से कितने मूल्य की विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किये जाने की आशा है; और

(ख) आगामी वर्षों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गयी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वित्तीय वर्षों 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 (अप्रैल-सितम्बर, 1984) के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़े जो कि भारत से चुनिंदा प्रमुख निर्यातों का मूल्य दर्शाते हैं, नीचे दिए गए हैं :

भारत से प्रमुख वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्यात

(मूल्य : करोड़ रुपये)

क्रमांक	मद	1982-83	1983-84 (अ)	अप्रैल-सितम्बर 1684-85 (अ)
1	2	3	4	5
1.	चाय तथा मेट	367·53	501·37	330.38
2.	काफी तथा काफी प्रति-स्थापन्न पदार्थ	184·20	183·26	105·40

1	2	3	4	5
3.	अनिर्मित तम्बाकू	208·54	149·61	100·17
4.	चीनी तथा चीनी से बनी वस्तुएं	62·35	139·86	14·84
5.	काजू गिरी	133·97	156·62	107·98
6.	सब्जियां तथा फल (काजू गिरी को छोड़कर)	158·80	155·16	71·46
7.	खली	149·35	146·29	62·91
8.	मसाले	88·93	109·26	91·67
9.	समुद्री उत्पाद	349·45	327·30	128·48
10.	चावल	199·50	147·13	48·18
11.	कपास	101·16	148·96	48·01
12.	लौह अयस्क	378·89	385·34	142·22
13.	सूती वस्त्र	265·52	276·54	162·05
14.	सिले सिलाए परिधान	527·50	607·20	357·22
15.	जूट माल	202·76	164·52	141·01
16.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान (फुटवियर सहित)	371·8	375·11	851·33
17.	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	308·20	277·68	164·33
18.	हस्तशिल्प जिनमें मोती,	1172·21	1599.30	765·4
	मूल्यवान अथा अर्धमूल्यवान रत्न शामिल हैं	824.91	1213·99	576·28
19.	धातु का सामान (लोहा तथा इस्पात छोड़कर)	201·56	194·29	98·21

1	2	3	4	5
20.	मशीनों तथा परिवहन उपस्कर	584·60	493·68	232·40
21.	लोहा तथा इस्पात (बनी वस्तुएं शामिल हैं)	55·75	46·43	27·01
22.	खनिज तेल	1063·37	1231·09	516·33
कुल योग (अन्य मदों सहित)		8907·75	9865·30	5120·50

अ=आंकड़े अनन्तिम/प्रारम्भिक हैं और इनमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एड० एस०, कलकत्ता।

वर्ष 1984-85 के लिए 11,127 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य है और अप्रैल-दिसम्बर, 1984 के दौरान कुल निर्यात के अनन्तिम आंकड़े 8,146·2 करोड़ रु० के हैं।

(ख) भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए आयात तथा निर्यात नीति उपायों का बराबर पता लगाया जा रहा है। इनमें उत्पादन बढ़ाने तथा विविधीकरण करने अपने निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने, अपने उत्पादों के लिए नये बाजारों का पता लगाने और अधिक मूल्य अधिप्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन करने के उपाय शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नीति सम्बन्धी विभिन्न संयंत्रो का इस कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है और जब कभी आवश्यक होता है समायोजन किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पर गोष्ठी

2931. **श्री के० रामभूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पर दिल्ली में आयोजित द्वितीय गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) औद्योगिक रुग्णता रोकने में बैंकों की भूमिका के विशेष सन्दर्भ में उन पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों के वास्ते "अन्तर्राष्ट्रीय वित्त"

पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय गोष्ठी में निम्न निष्कर्ष निकले :

1. भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय राज्य व्यापार निगम में परिचालन स्तरों के बीच परस्पर कार्रवाई नियमित और जल्दी जल्दी होनी चाहिए,

2. राज्य व्यापार निगम के बैंकर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को राज्य व्यापार निगम के परिचालन स्तरों के लाभ के वास्ते विभिन्न परिचालन पहलुओं पर विस्तृत चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए, और

3. राज्य व्यापार निगम द्वारा हाथ में लिए जाने वाले प्रति व्यापार काउण्टर ट्रेडों क्रिया कलापों की व्यवहार्यता की छानबीन राज्य व्यापार निगम और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बताया है कि न तो औद्योगिक रुग्णता और न ही इस सम्बन्ध में बैंको की भूमिका पर कोई विचार किया गया।

बैंकों द्वारा नौवहन उद्योग को दिए गए ऋण

2932. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों द्वारा देश के भीतर तथा विदेशों में नौवहन उद्योग को 150 करोड़ रु० के ऋण दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बताया गया है कि इन में से कम से कम आधे ऋण संदिग्ध हैं;

(ग) क्या इन बैंकों ने भारत में नौवहन कम्पनियों को विदेशों से जहाज खरीदने की उस नई योजना के अन्तर्गत भारी राशियां दी हैं जिसके अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा जहाज खरीदने के लिए दिए गए ऋणों की गारण्टी नौवहन विकास निधि समिति करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई जाँच की है; और

(ङ) जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारत की नौवहन कम्पनियों द्वारा विदेशों से जहाज खरीदने के लिये सहायता देश के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुख्य रूप से "नयी स्कीम के अन्तर्गत विदेशों से जहाजों की खरीद" नामक योजना के अन्तर्गत दी जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसके पास इस संबंध में तत्काल कोई सूचना नहीं है कि भारतीय बैंकों द्वारा नौवहन उद्योग को कितना-कितना ऋण दिया गया है । लेकिन भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1984 तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत देश के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 23 नौवहन कम्पनियों को 470 करोड़ रुपये की रकम संवितरित की गई थी। कुल मिलाकर नौवहन उद्योग में मंदी की प्रवृत्ति के कारण कुछ नौवहन कम्पनियों बैंकों के प्रति अपनी देन-दारियों की वापसी अदायगी के कार्यक्रम पर अमल करने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं। यद्यपि इन ऋणों के सभी मामलों के बारे में कोई जांच नहीं की गयी है लेकिन जब कभी कोई खास आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच की जाती है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्णय

2934. **श्री बी०वी०देसाई :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन बढाने के व्यापक प्रयास में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने नई कोयला खानों के उत्खनन और मौजूदा खानों के विस्तार और दर्जा बढ़ाने के लिए कम से कम 1600 करोड़ रूपये का निवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 1984-85 की -60 लाख टन की अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1989-90 तक 900 लाख टन तक करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता दी जा रही हैं ;

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले और लिग्नाइट के कार्यकारी ग्रुप ने वेस्टर्न कोलफील्डस लि० के लिए सातवीं पंच वर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90 तक)के दौरान रू०1700 करोड़ से अधिक के निवेश की सिफारिश की है। ताकि इस कम्पनी का उत्पादन वर्ष 1984-85 के वर्तमान 46 मि. टन (अनंतिम)से बढ़ाकर 1989-90 तक लगभग 65 मिलियन टन किया जा सके। सरकार अंततः जो उत्पादन लक्ष्य निश्चित करेगी उनकी प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायक और अन्य कोई आवश्यक सहायता कोयला कम्पनी को प्रदान करेगी।

इस्पात का अभाव

2935. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस्पात के निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात से सम्बन्धित कर्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1985-86 में देश में तैयार इस्पात की मांग 112 लाख टन होगी जबकि इसकी देशीय उपलब्धि 99 लाख टन है। सामान्यत: इन्जीनियरी उद्योग तथा अन्य उपयोक्ताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की मार्फत इस्पात के निर्यात तथा आयात का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	माध्यम अभिकरणों की मार्फत किए गए आयात की मात्रा (मिलियन टन)	माध्यम अभिकरणों की मार्फत किए गए निर्यात की मात्रा (मिलियन टन)
1982-83	1.401	0.011
1983-84	0.656	0.024
1984-85	0.700	0.153

(आंकड़े अस्थायी हैं)

चित्तूर जिला (आंध्र प्रदेश) में सोने की खानें

2936. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कोई सोने की खानें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहाँ से अब तक कितना सोना निकाला गया ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के जिला चित्तूर में सोने की कोई नियमित चालू खान नहीं है। इस जिले के चिगारगुंटा और माल्ल पाकोंडा क्षेत्रों में स्वर्ण निक्षेपों का पता लगाने के लिए केवल गवेषण कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 1978-79 से फरवरी, 1985 तक इन निक्षेपों के गवेषणी खनन से 62 किलो ग्राम सोने का उत्पादन हुआ है।

सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

2937. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में कितने मूल्य के सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या इस वर्ष सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी और इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1985 में सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर 1984 के दौरान निर्यात किए गए परिधानों का मूल्य 850 करोड़ रू० होने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं। 1983 की तुलना में 1984 के दौरान परिधानों के निर्यातों में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात बढाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं :

(1) पहली जनवरी, 1984 से सिसे सिलाए परिधानों की कुछ श्रेणियों के लिए नकद मुआवजा सहायता की दरों में संशोधन करके वृद्धि की गई है।

(2) परिधान तथा हौजरी बनाने की 105 मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। इनमें से 97 मशीनों को रियायती शुल्क के भुगतान पर आयात करने की अनुमति है।

(3) सरकार ने कुछ शर्तों के अध्यधीन निकल कर योग्य आय में से निर्यात लाभों के 50 प्रतिशत भाग को काटने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की है।

(4) अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात के लिए आर०ई०पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति है। निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात की भी अनुमति है।

(5) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की एक योजना चल रही है जिसमें सिले-सिलाए परिधानों सहित अनेक वस्त्र मदें शामिल हैं।

(6) निर्यात के लिए सिले-सिलाए परिधानों की जाँच प्रक्रियाओं को सकल बनाया गया है।

(7) निर्यातों को बढ़ाने तथा उनका विविधीकरण करने के उद्देश्य से सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों को प्रायोजित करती रही है और धन प्रदान करती रही है।

मूंगफली के बीजों का निर्यात

2938. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितने मूल्य के मूंगफली के बीजों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इनके निर्यात में कमी हुई है;

(ग) यदि हां तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम मूंगफली के निर्यात के लिए नए निर्यात बजारों का पता लगा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो 1984-85 के दौरान इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए०संगमा) : (क) तथा (ख) एच०पी०एस० किस्म को छोड़ कर मूंगफली के बीज के निर्यात को अनुमति नहीं है। पिछले 3 वर्षों में एच०पी० एस०मूंगफली के निर्यात निम्नोक्त हुए :

	मात्रा मै०टन	मूल्य करोड़ रु०
1982-83	28343	27.09
1983-84	24702	22.08
1984-85	25,000	21.00

(ग) तिलहनों की कीमत वृद्धि तथा देश में खाद्य तेलों की कमी ने एच०पी०एस०मूंगफली के निर्यात के लाभ को परिसमाप्त कर दिया है। एकलेटीकपिन स्तरों की वजह से यूरोपीय बाजारों में गैर-टैरिफ अवरोधों की समस्याएं भी रही हैं।

(घ) और (ङ) नैफेड एच०पी०एस०मूंगफली के निर्यात के लिए सरणीकरण अभिकरण है। नैफेड के सहयोगी के रूप में निजी व्यापार द्वारा सरणीकरण की समग्र नीति के अन्तरर्गत निर्यात की अनुतिम है। राज्य व्यापार निगम एच०पी० एस० मूंगफली का निर्यात नहीं करता है।

पटसन रेशे और पटसन की कीमतें

2939. श्री डूमर लाल बैठा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में पटसन रेशे की ग्रेडी-वार क्या कीमतें रहीं;

(ख) क्या गत दशक में पटसन की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़न-घटत हुई;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किया गए हैं?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में मांग-पूर्ति स्थिति के आधार पर कच्चे पटसन की कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष के भीतर उतार-चढ़ाव होता रहा है। तथापि, 1983-84 और 1984-85 के दौरान पटसन मौसमों (जुलाई-जून) में पिछले वर्षों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हुई है।

(ग) कीमतों में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं, पटसन फसल में कमी की वजह से देश में रेशों की सीमित उपलब्धि।

(ग) कच्चे पटसन की पूर्ति स्थिति को सुधारने के लिए तथा पटसन कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है;

(1) कच्चे पटसन का और सामान वितरण करने हेतु पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अधीन पटसन मिलों के भण्डारों का विनियमन;

(2) विदेशों से कच्चे पटसन का आयात;

(3) एन० जे० एम० सी० द्वारा निजी क्षेत्र की पटसन मिलों को कच्चे पटसन का एक लाख क्विंटल अधिक देने की पेशकश।

विवरण

देश में गत दस वर्षों के दौरान पटसन रेशे की श्रेणीवार औसत कीमतें नीचे दिए अनुसार है :

कलकत्ते के लिए   (कीमत रु० प्रति क्विंटल)

वर्ष (जुलाई-जून)	डब्ल्यू-5 (एक्स अन्य राज्य)	टी० डी-5 (एक्स पश्चिम बंगाल)
1975-76	187·92	उपलब्ध नहीं
1976-77	200·47	209·19
1977-78	222·91	229.00
1978-79	216·44	226·69
1979-80	212·44	229·60
1980-81	216·56	227·56
1981-82	241·29	252·97
1982-83	272.50	286·40
1983-84	384·84	390·90
1984-85 (मार्च, 1985 तक)	842·05	847·27

पश्चिम बंगाल में रानीगंज-आसनसोल क्षेत्र में भूमि का धंसना

2940. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खनन कार्यों के कारण पश्चिम बंगाल में रानीगंज आसन-सोल क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों के अवतलन नीचे धंस जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पहले भी ऐसा अवतलन शुरू हो चुका है; और

(घ) इन क्षेत्रों की स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और/अथवा आगे उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) (क) से (ग) "कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी समिति" का गठन सरकार ने 1976 में किया था और इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 80 कोयला खानों में धंसाव की आशंका है। हाल ही में समिति पैमाने पर धंसाव के कुछ मामले निम्नलिखित स्थानों पर होने की रिपोर्ट है :—

(1) संकतोड़िया गांव (सीतलपुर कोलियरी)

(2) केन्डा गांव (न्यू केन्डा कोलियरी)

(3) काली पहाड़ी कोलियरी

(4) जमुरा नंदी रोड (जमुरिया कोलियरी)

(5) निमचा गांव (पूरे सीयरसोल कोलियरी)

(6) ढांडा डीह गांव (परासिया 6 और 7 इन्क्लाइन)

(7) कोटलपाड़ा गांव (महावीर कोलियरी)

(8) कुलडांगा गांव (परासिया कोलियरी)

(घ) धंसाव रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) जब भी सतह पर पॉट-होल्स जब और जैसे हों उन्हें वैसे ही भरना।

(2) भूमिगत खनन स्थानों को जितना संभव हो उतना स्थिर बनाना।

(3) खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम और उप-नियमों को दृढ़ता से लागू करना।

(4) पिलर हटाने की अनुमति में खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा लगाई गई शर्तों का दृढ़ता से पालन।

(5) खनन-निर्मित स्थानों में अंतिम कार्रवाई के रूप में रेत-भराई, आंशिक खनन अथवा विकास के साथ पिलर हटाना।

कलकत्ता में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

2941. श्री भोला नाथ सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में खुले बाजारों में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कलकत्ता के विभिन्न बाजारों से जब्त की गई/पकड़ी गई तस्करी की वस्तुओं का मूल्य क्या है;

(ङ.) क्या कलकत्ता में इस प्रकार की तस्करी की वस्तुओं का व्यापार करने वाली मार्केटों और दुकानों की संख्या में गत दो वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है; और

(च) कलकत्ता में वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां पिछले कुछ वर्षों के दौरान तस्करी की वस्तुओं की इस प्रकार से बिक्री में वृद्धि हुई है !

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार इलैक्ट्रानिकीय मदों, टेक्स्टाइल, प्रसाधन-सामग्रियों जैसे उपभोक्ता विदेशी माल की बिक्री कलकत्ता के कुछेक बाजारों में की जा रही है ।

(ग) जब कभी आवश्यक होता है, सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस की सहायता से तलाशियां लेते हैं और छापे मारते हैं तथा तस्करी का माल पकड़ते हैं । तस्करों और तस्करी के माल का धंधा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सीमा शुक्ल अधिनियम के अधीन कड़ी कार्यवाही की जाती है । उचित मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्दी भी की जाती है । इसके अतिरिक्त, तस्करी के माल की सप्लाई के स्रोत/भण्डारण-स्थान के साथ-साथ तस्करों के गिरोहों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय बनाने हेतु सीमाशुल्क अधिकारी सतर्क बने रहते हैं ।

(घ) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान कलकत्ता के विभिन्न बाजारों से पकड़े गये और जब्त किये गये तस्करी के माल का मूल्य इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपये)

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य	जब्त शुदा माल का मूल्य
1983	10·26	7·5
1984	16·70	4·93

(ङ) और (च) चूंकि तस्करी और तस्करी के माल का व्यापार चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, इसलिए तस्करी के परिमाण के बारे में पता लगाना संभव नहीं है । तथापि, ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि विशेष रूप से गोदी के आस-पास तथा कलकत्ता के केन्द्रीय और दक्षिणी क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां कुछ तेज हो रही हैं ।

पश्चिम बंगाल की साफ्ट कोक की आवश्यकता और सप्लाई

2942. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगल सरकार के इन आरोपों की जाँच की है कि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, राज्य को कोल-इंडिया लिमिटेड से साफ्ट कोक की आवश्यक मात्रा प्राप्त नहीं हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल की साफ्ट कोक की अनुमानित मासिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल को गत छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा में साफ्ट कोक देने की पेशकश की गई थी; और

(ङ.) पश्चिम बंगाल द्वारा गत छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा में साफ्ट कोक उठाया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार पश्चिम बंगाल में साफ्ट कोक की मांग 80,000 टन से लेकर 1,00,000 टन प्रति माह तक है। परन्तु विभिन्न कठिनाइयों के कारण-जिनमें जून-जुलाई, 1984 के दौरान असाधारण भारी वर्षा शामिल है—साफ्ट कोक की सारी माँग पूरी नहीं की जा सकी। यह सारी माँग पूरी करने के लिए, साफ्ट कोक के अलावा, कोल इंडिया लि० पश्चिम बंगाल को 20,000 टन प्रति माह प्राकृतिक साफ्ट कोक भी देने का प्रस्ताव करता रहा है।

(घ) और (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ उत्पादन में नुकसान

2943. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सिंगरेनी कोलिरीज कम्पनी लिमिटेड में हड़तालों, भयानक हड़तालों और अनुपस्थितियों के कारण गत तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन में नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन में इस प्रकार होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और/अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरा हड़तालों और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० सेन्ट्रल कोलफीड्स लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में हुई हानि निम्नलिखित हैं :

(आंकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	हानि के कारण					
	हड़ताल			अनुपस्थित		
	82-83	83-84	84-85 (अनंतिम)	82-83	83-84	84-85 (अनंतिम)
ई० को० लि०	0.34	0,07	0.12	0.61	0.62	0.62
भा० को० को लि०	0.15	0.04	0.06	0.63	0.77	0.47
से० को० लि०	0.02	—	—	0.61	0.45	0.15
वे० को० लि०	0.26	0.16	0.11	0.11	0.34	0.10
कुल :	0.77	0.27	0.29	0.96	2.18	1.34
को० इं० लि० सि० को० कं० लि०	1.49	1.41	*1.65	0.23	0.24	0.26*

*वर्ष 1984-85 के दौरान सि० को० कं० लि० में हुई उत्पादन में हानि जनवरी, 1985 तक की है।

(ग) जल्दी-जल्दी अक्सर अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति और अचानक हड़तालों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में "मजदूरी भुगतान अधिनियम" के प्रावधान का आश्रय लेना और कर्मचारियों के बीच सामान्य तौर से अनुशासन लागू करना शामिल है। औद्योगिक सम्बन्ध बेहतर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में मजदूर नेताओं के साथ अक्सर विचार-विनिमय किया जाता है तथा शिकायतें दूर करने की व्यवस्था अधिक प्रभावी बनाई जा रही है।

प्रबन्ध में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुनाफे

2944. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मुनाफा संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 अभी-अभी समाप्त हुआ है और सरकारी उपक्रमों को अपने लेखों को संकलित करने तथा अन्तिम रूप देने में समय लगेगा। किन्तु अब तक प्राप्त अनन्तिम कार्यचालन परिणामों के आधार पर यह देखा गया वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी उद्यमों ने कार्य निष्पादन में काफी सुधार किया है और 955.30 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का निवल लाभ कमाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा ही नहीं होते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गोवा जिले में दिये गये ऋण।

2945. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार गोवा जिले में कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(ख) छोटे किसानों, बेरोजगार युवकों, समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों को ऋण की कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) निर्धन और कमजोर वर्गों का ऋण देने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) इसके लिए वर्ष। 1985 हेतु क्या लक्ष्य हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा जिले के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	(लाख रुपये)
	अग्रिम
दिसम्बर, 1981	16447
दिसम्बर, 1982	17234
दिसम्बर, 1983	17947

(ख) से (च) गोवा जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों के व्यवसाय-वार उपयोग के संबंध में जून, 1981 के अन्त की उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

	(लाख रुपये)
1. कृषि	1183.77
2. उद्योग	8084.18
जिससे लघु उद्योग	1663.02
3. परिवहन चालक	1462.01
4. सेवाएं	611.90
5. व्यापार	1058.20
6. व्यक्तिगत ऋण	523.13
7. अन्य सभी	479.01
जोड़ :	13402.20

कमजोर वर्गों, 20 सूत्री कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋणों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इन समूहों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में निर्धारित कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से मार्च, 1985 तक इन क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ाकर उनके कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक ले आने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में कमजोर वर्गों के हिताधिकारियों का हिस्सा कम से कम 25 प्रतिशत हो। इस समूह में लघु और सीमान्तिक किसान, बटाईदार, कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के हिताधिकारी, विभेदक ब्याज दर योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी आते हैं।

कपास उत्पादक राज्यों में उत्पादित कपास की किस्में

2946. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कपास उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक राज्य में किस किस्म की कपास का उत्पादन होता है;

(ख) कपास निगम द्वारा वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक कपास उत्पादक राज्य में कितनी मात्रा में कपास खरीदी गई थी;

(ग) क्या गुजरात से बहुत ही कम मात्रा में कपास खरीदी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री में भारी कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो गुजरात में उन किसानों की कपास की खरीद करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) कपास उत्पादक राज्यों के नामों और ऐसे प्रत्येक राज्य में उगाई जाने वाली कपास की मुख्य किस्मों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

राज्य का नाम	किस्म का नाम
1	2
1. पंजाब	जे-34, एफ-414, देसी
2. हरियाणा	जे-34, देशी
3. राजस्थान	देसी, जे-34, अमाती
4. आन्ध्र प्रदेश	एच-4, 1007, जी-6, जे०के०एच०वाई०-1 एम०सी०यू०-5, डी०जी०एच०-32, सुविन
5. कर्नाटक	डी० सी० एच०-32 जयधर
6. तमिलनाडु	एम० सी० यू०-5, एम० सी० यू०-7 डी० सी० एच०-32 सुविन

1	2
7. गुजरात	बी० 797, एच० 4, एस-6, डी० आई० बी० सी० के-73, जी० सी० ओ० टी०
8. मध्य प्रदेश	ए-51/9, वाई-1, 1007, एच-4, बी०एल
9. महाराष्ट्र	बी० एल6, एच-4, 1007, नीमकार, जयधर, आदि

(ख) 27 मार्च, 1985 तक के चालू कपास वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों से महाराष्ट्र को छोड़कर खरीदी गई मात्रा निम्न प्रकार से है :

राज्यों के नाम	मात्रा (प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की गांठ)
पंजाब	93275
हरियाणा	62028
राजस्थान	87183
गुजरात	50199
मध्य प्रदेश	100739
आन्ध्र प्रदेश	64135
तमिलनाडु	2401
कर्नाटक	28975
अन्य	328
	योग : 489263
	लिन्ट : 32953
	कुल योग : 522216

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) और (च) कपास उपजकर्ताओं की मदद करने के उद्देश्य से भारतीय कपास निगम के बाजार में कपास आने के समय से ही कपास बाजारों में प्रवेश किया। भारतीय कपास निगम ने 27 मार्च, 1985 तक 50199 गांठों की मात्रा की खरीद की जब कि गुजरात में गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान उसके द्वारा 15886 गांठों की खरीद की गई थी गुजरात में निगम द्वारा की जा रही खरीददारियां अभी भी चल रही हैं।

विदेशी बाजारों में चाय के मूल्य में वृद्धि

2947. श्री चिन्तामणि जैना : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजारों में पिछले साल चाय के मूल्य में भारी वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या हम अतिरिक्त मात्रा में चाय का निर्माण करके विदेशों में बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाने में सफल हुए; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विश्व बाजार में चाय के उच्चतर मूल्यों को देखते हुए, 1984 के दौरान भारत से चाय की निर्यात आय 744.92 रोड़ रु० के अब तक के सबसे ऊंचे रिकार्ड कस्तर पर पहुंच गई, जबकि 1983 में यह 516.82 करोड़ रु० थी। इकाई निर्यात कीमत भी 34.69 रु० के हिसाब से अधिक ऊंची रही है जब कि 1983 में वह 24.79 रु० प्रति कि ग्रा० थी, 1984 में निर्यात 215 मिलियन किग्रा थे, जबकि 1983 में 209 मिलियन किग्रा थे। 1985 के लिए चाय विपणन योजना में घरेलू खपत के लिए सस्ती चाय निकालकर उच्चतर मूल्य की 220 मिलियन किग्रा० चाय के निर्यात की व्यवस्था है।

इस्पात उत्पादन का मूल्य ढांचा

2948. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादन के मूल्य ढांचे के बारे कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में भारतीय इस्पात मंहगा है; और

(घ) क्या आजकल इस्पात के मूल्य उसकी उत्पादन लागत से अधिक हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । औद्योगिक लागत और मूल्यन ब्यूरो ने जुलाई 1981 से अक्टूबर 1982 तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के बारे में लागत और मूल्य संबंधी एक व्यापक अध्ययन किया था । यह रिपोर्ट अक्टूबर, 1982 में सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी थी । इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(i) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों को इस्पात की अत्याधुनिक और ज्यादा कीमत वाली मदों का अधिकाधिक उत्पादन करना चाहिए;

(ii) इस्पात कारखानों के लिए कोयले की क्वालिटी में सुधार करना जरूरी है;

(iii) विभिन्न कारखानों में प्रत्येक टन इस्पात के उत्पादन पर कोककर कोयले का निवल इस्तेमाल तुलनीय होना चाहिए;

(iv) इस्पात कारखानों को ऊर्जा संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए;

(v) पूंजीगत निवेश पर विचार करते समय प्राथमिकता आदान-भरण में सुधार के कार्य को दी जानी चाहिए;

(vi) इस्पात के उपभोक्ता मूल्यों में इस्पात कारखानों की प्रतिस्थापन लागत के लिए मोटे तौर पर व्यवस्था की जानी चाहिए;

(vii) स्टाकयार्डों से इस्पात की अपनी आवश्यकता की सामग्री लेने वाले ग्राहकों से स्टाकयार्ड में वस्तुसूची रखने की लागत ली जानी चाहिए; और

(viii) औद्योगिक लागत और मूल्यन ब्यूरो द्वारा लागत संबंधी किया गया अध्ययन सतत् आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए ।

(ग) मुख्य उत्पादकों की निवल प्राप्ति अनेक अन्य देशों में इस्पात के लिए देशीय मूल्यों के अनुरूप है ।

(घ) इस्पात के वर्तमान मूल्यों में उत्पादन की वर्तमान लागत शामिल है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रम में समय और लागत का अपव्यय

2949. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रम में समय और लागत का भारी अपव्यय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस अपव्यय को कम करने के लिए कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात करखानों कीं विस्तार योजनाओं की अनुमोदित समय-सूची, चालू करने की संभाव्य तारीख स्वीकृत तथा संशोधित लागतों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

इकाई/योजना	चालू करने की समय सूची		स्वीकृत लागतें	
	मूल अनुमान में परिकल्पित	संभाव्य तिथि	मूल	संशोधित
बोकारो इस्पात कारखाना				
40 लाख टन तक विस्तार	जून, 1979	जून, 1985	947.24	16377.550
ठंडी बेलन मिल	दिसम्बर, 1982	मार्च, 1987	उपर्युक्त राशि में शामिल है।	
भिलाई इस्पात कारखाना				
40 लाख टन तक विस्तारचरण 1	दिसम्बर, 1981	जून, 1986	937.78	1600.48
40 लाख टन तक विस्तारचरण-II	जून, 1983	जुलाई, 1987	उपर्युक्त राशि में शामिल है।	
मिश्र इस्पात संयंत्र				
चरण-II का विस्तार कार्य	जनवरी, 1985	दिसम्बर, 1986	65.[illegible]8	

परियोजना के लागत अनुमान, अनुमानों को तैयार करते समय विद्यमान मूल्यों पर आधारित है। भावी वृद्धि के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

विलम्ब मुख्यत: उपस्करों के संभारकों तथा निर्माण अभिकरणों द्वारा निर्धारित समय-सूची के अनुसार कार्य न करने के कारण हुआ है ।

विलम्ब के लिए उत्तरदायी सभी सम्बन्धि अभिकरणों के साथ विभिन्न स्तरों पर अक्सर बैठकें की जाती हैं और कार्य की समीक्षा की जाती है तथा इन अभिकरणों को इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि वे अपने संसाधनों में वृद्धि करके तथा अथक प्रयासों द्वारा निर्धारित समय-सूची के अनुसार कार्य करें । इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा विदेशी अभिकरणों के कार्यकरण की जानकारी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों को दी जाती है ताकि इन अभिकरणों के कार्यकरण में सुधार लाया जा सके ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात कार्यकारी काडर का गठन

2950. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात कार्यकारी काडर का गठन करने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए प्रशिक्षित कार्यकारी काडरों की व्यवस्था करने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

(ग) गत कुछ वर्षों के दौनान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने "प्रबन्ध विकास प्रशिक्षण" की एक सुचारु प्रक्रिया बनायी है . सामान्य विकास कार्यक्रमों के अलावा, अन्य संस्थानों और व्यवसायी निकायों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । प्रत्येक कारखाने में स्थित "तकनी की संस्थानों" के कार्यपालकों को प्रशिक्षण देने के अलावा, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड रांची में "केन्द्रीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान" चला रही है । यह संस्थान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा खनिज स्रोतों का पता लगाने के लिए मणिपुर में किया गया सर्वेक्षण

2951. प्रो० मिजिनलंग कामसन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा खनिज स्रोतों का पता लागने के उद्देश्य से मणिपुर में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा मणिपुर में किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप 80 लाख टन सीमेंट-ग्रेड चूनापत्थर, 820 टन रिफ्रेक्ट्री-ग्रेड क्रोमाइट स्रोतों तथा कुछ मात्रा में लिगनाइट भंडारों का पता चला है। राज्य में सर्वेक्षण कार्य अभी भी जारी है।

दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों से प्रभावित कम्पनियों को जारी किए गए विशेष आयात लाइसेंस

2952. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री डी० पी० जदेजा
श्री मनोरंजन भक्त
: क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कम्पनियों को विशेष आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिनकी आयातित मशीनें दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुये दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों को पांच लाख रुपए से अधिक धनराशि के ऐसे लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) क्या क्षति की उचित जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो किसके द्वारा; और

(ङ) क्या इन लाइसेंसों को आयात शुल्क से छूट दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सभी छः मामलों में पुलिस प्राधिकारियों/बीमा कंपनियों को की गई रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत की गईं। आयात की अनिवार्यता प्रायोजित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई तथा घरेलू दृष्टि से क्लियरेन्स डी० जी० टी० डी० द्वारा दी गई। अनुबन्ध के क्रम संख्या

1 से 4 पर दिए गए चार मामलों में बीमा कंपनियों तथा चार्टर्ड इंजीनियरों से नुकसान के सत्यापन के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए ।

(ङ) अनुबन्ध के क्रम संख्या 5 और 6 पर दिए गए दो मामलों में आयात लाइसेंस राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आयात शुल्क की रियायती दर के पृष्ठांकन के साथ जारी किए गए । अन्य मामलों में, इस प्रकार की सुविधा के लिए आवेदन विचाराधीन हैं ।

विवरण

(1) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(2) मैसर्स मोहन मशीन्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(3) मैसर्स कूल क्राउन कॉर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(4) मैसर्स सी० जे० क्राउन कॉर्क्स् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(5) मैसर्स दिल्ली कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(6) मैसर्स कटना फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

2953. **श्री हन्नान मोल्लाह**
श्री टी० बाला गौड़
श्री आर० एस० भोये : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से 1984 के दौरान देश में राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें बन्द हुई ?

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने रुग्ण कपड़ा यूनिटों को अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) मिलों के बंद होने या रुग्णता का क्या कारण था ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जो सूती वस्त्र मिलें वर्ष 1981 से 1984 के दौरान किसी भी समय बंद थीं,, उनका राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) 1981 से 1984 की अवधि के दौरान 16 सूती वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया गया है ।

(ग) बंद होने या रुग्णता के कई कारण हैं जैसे संयन्त्र तथा मशीनरी का अप्रचलन, वित्तीय कठिनाईयां श्रमिक समस्याएं आदि ।

विवरण

उन सूती वस्त्र मिलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण
जो वर्ष 1981 से 1984 के दौरान प्रत्येक वर्ष
किसी भी समय बन्द थीं

राज्य	1981	1982	1983	1984
आन्ध्र प्रदेश	1	4	6	7
असम	1	2	—	—
बिहार	1	2	—	—
गुजरात	4	4	9	22
हरियाणा	7	—	4	1
जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	1	2	3	7
मध्य प्रदेश	4	—	2	—
केरल	12	6	10	6
महाराष्ट्र	8	47	9	3
उड़ीसा	2	1	—	1
पंजाब	3	3	1	—
राजस्थान	1	4	1	6
तमिलनाडु	54	47	55	70
उत्तर प्रदेश	15	8	2	19
पश्चिम बंगाल	5	1	4	4
दिल्ली	—	2	2	4
पांडिचेरी	1	1	1	1
गोआ	—	—	—	—
	120	134	109	151

आयकर अधिनियम की धारा 43(ख) पर आपत्ति

[हिन्दी]

2954. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक यूनिटों/व्यापार संगठनों/राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आयकर अधिनियम में धारा 43(ख) शामिल करने से उत्पन्न किन्हीं आपत्तियों अथवा समस्याओं की ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन आपत्तियों को दूर करने तथा समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन नई धारा 43 ख के विरुद्ध दिए गए थे। इस नई धारा को वित्त अधिनियम, 1683 के द्वारा आयकर अधिनियम में जोड़ा गया था।

(ख) सरकार धारा 43 ख के उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती।

परिवहन क्षेत्र में बैंक ऋणों की वसूली

[अनुवाद]

2955. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन क्षेत्र से, जो कि ग्राह्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, बैंक ऋणों की वसूली बहुत कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में परिवहन क्षेत्र से कितने प्रतिशत वसूली हुई है; और

(ग) परिवहन क्षेत्र से बैंक ऋणों की बेहतर वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि परिवहन चालकों से अग्रिमों की वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास, अलबत्ता, राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों ने बैंकों से यह कहा है कि वे उधार देने के सम्बन्ध में अपनी प्रक्रियाओं और मापदण्डों का कड़ाई से पालन करें और उन शर्तों में बिलकुल ढील न दें जिन पर परिवहन चालकों को ऋण दिए जाते हैं। ऋणों के संवितरण के बाद उन्हें अपनी निगरानी और अनुवर्ती कारंवाई कड़ी कर देनी चाहिए। बैंकों को, विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करना चाहिए

कि उनके पास रहन रखे गये वाहनों का ऋणकर्ताओं द्वारा बीमा कराया गया हो, कर अदा किए गये हों और शाखा अधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल के बाद वाहनों का निरीक्षण किया जाए।

भारत में नौवहन कम्पनियों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

2956. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय बैंकों ने भारत में तथा विदेशों में नौवहन कम्पनियों को जहाजों की खरीद के लिये ऋण दिए है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋण किन-किन भारतीय बैंकों ने दिये हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किन-किन नौवहन कम्पनियों को भारतीय बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत की नौवहन कम्पनियों द्वारा विदेशों से जहाज खरीदने के लिए सहायता देश के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा "नई स्कीम के अन्तर्गत विदेशों से जहाजों की खरीद"—नामक योजना के अन्तर्गत दी जाती है। भारतीय स्टेट बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इण्डिया और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया इस स्कीम को चला रहे हैं।

(ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, फरवरी, 1977 से, जब यह स्कीम शुरू हुई, 31-10-1984 तक विभिन्न नौवहन कम्पनियों को उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों और संवितरित ऋण राशि के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1984 को "नई स्कीम के अन्तर्गत विदेशों से जहाजों की खरीद" के अधीन मंजूर किए गए ऋणों और संवितरित ऋण राशि के सम्बन्ध में सूचना

(लाख रुपए)

क्रम० सं०	जहाज कम्पनी का नाम	मंजूर राशि	वितरित राशि
1	2	3	4
1.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई	30743.76	29203.51
2.	चोगले स्टीमशिप्स लि०, बम्बई	2127.10	2007.73

1	2	3	4
3.	इस्सार बल्क कैरियर्स लि०	2065.06	2065.06
4.	गरवारे शिपिंग कार्पोरेशन लि० बम्बई	807.52	807.52
5.	पंचशील शिपिंग लि०, कलकत्ता	183.50	183.50
6.	सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कं० लि०, बम्बई	1080.38	1080.38
7.	रत्नाकर शिपिंग कं० लि०, कलकत्ता	1134.75	1134.75
8.	ठाकुर शिपिंग लि०, बंबई	366.23	366.23
9.	तोलानी शिपिंग लि०, बंबई	425.80	425.80
10.	इंडोसैनिक शिपिंग कं० लिमिटेड बंबई	384.74	384.76
11.	डेक्कन शिपिंग लि०, बंबई	152.74	116.03
12.	मुगल लाईन लि०, बम्बई	1936.15	1936.15
13.	सागर शिपिंग कं० लि०, मैसर्स सुरिन्द्रा ओवरसीज लि० कलकत्ता के साथ मिला दी गई	1358.18	1358.18
14.	शुजवाला शिपिंग कं०, बम्बई	78.51	78.51
15.	इंडिया स्टीम शिप्स लि०, कलकत्ता	1309.79	1309.79
16.	हिन्देस्तो लाइंस लि०, कलकत्ता	45.73	45.73
17.	कर्नाटक शिपिंग कार्पोरेशन	224.47	224.47
18.	हेगड़े नेवीगेशन लि०	265.90	265.90
19.	सुरेन्द्रा ओवरसीज लि०, कलकत्ता	2569.94	1751.47
20.	स्ट्रीम लाईन शिपिंग कं०, बम्बई	75.47	75.47
21.	साउथ इंडिया शिपिंग कार्पोरेशन, मद्रास	1825.71	1825.71

1	2	3	4
22.	वरुण शिपिंग लि०, बम्बई	132.32	135.32
23.	डेम्पो स्टीमशिप्स लि०	106.93	106.93
24.	निलहात शिपिंग कं०, बम्बई	270.00	—
25.	अरबियन शिपिंग कं० लि०, कलकत्ता	24.00	—
26.	हिमालय शिपिंग कं०, कलकत्ता	264.00	—
		49941.72	46887.93

परिवार पेंशन योजना

2957. **श्री एम० बी० रत्नम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार पेंशन योजना, 1964 उन लोगों पर भी लागू की गई है जो 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये थे;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वे पेंशनभोगी इस योजना को उन पर भी लागू किये जाने के लिये आंदोलन करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को अभी तक उनके लिये लागू न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पेन्शन अथवा पारिवारिक पेन्शन का दावा सरकारी कर्मचारी के सेवा-निवृत्त होने अथवा मृत्यु होने, जैसे भी स्थिति हो, के समय लागू नियमों की व्यवस्थाओं द्वारा विनियमित होता है। पारिवारिक पेन्शन योजना 1964 को 1-1-1964 से लागू किया गया था और तदनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी जो उक्त तारीख से पूर्व सेवा-निवृत्त हो चुके थे अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, के परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत परिवारिक पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इसके कारणों का उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लेख किया गया है । तथापि, कुछ ऐसे लोगों ने, जो प्रश्नाधीन पेन्शन के लिए पात्र नहीं थे, पारिवारिक पेन्शन योजना, 1964 के लाभों

का दावा करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है तथा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया धन

2958. **श्री एम० बी० रत्नम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को वास्तव में कितनी राशि देय थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को वास्तव में कितनी राशि दी और केन्द्र द्वारा राज्यों का धन के वितरण हेतु क्या सिद्धांत अपनाये जाते हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको देय राशि से अधिक धन दिया गया था और कुछ राज्यों को देय राशि से कम धन दिया गया, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दो विवरण-पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं—विवरण-एक राज्य सरकारों को देय और वास्तव में दी गई कुल राशि को दर्शाता है और विवरण-दो में केन्द्र द्वारा राज्यों को निधियों के वितरण के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	1982-83		1983-85		1984-85	
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन
1	2	3	4	5	6	7
1. करों में हिस्सा						
1. आय कर	1097.88	1131.77	1140.05	1171.64	1186.52	1231.47
2. मूल उत्पादन शुल्क	3118.73	2999.69	3417.87	3103.43	3651.20	3690.55
3. बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	538.83	491.88	604.50	653.96	795.63	834.70
4. सम्पदा शुल्क	14.34	15.98	15.95	16.56	16.47	20.20
जोड़ (1) :	4769.78	4639.32	5178.25	5245.59	5649.82	5776.92
2. सहायता अनुदान						
1. योजनागत	1383.65	1511.29	1583.06	1744.26	1790.67	1853.56
2. केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	1075.80	1143.89	1596.41	1670.80	2235.57	2231.79

1	2	3	4	5	6	7
3. योजना-भिन्न	618.60	833.17	762.41	870.60	792.65	994.24
जोड़ 2 :	3078.05	3488.30	3941.88	4285.68	4818.89	5079.59
3. ऋण						
1. योजनागत	2013.29	2232.87	2160.20	2400.43	2766.86	2554.74
2. केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	118.54	118.19	133.58	121.39	149.27	170.81
3. योजना-भिन्न	1731.92	3723.63	1869.76	3008.44	2597.46	3565.54
जोड़-3	3863.75	6074.69	4163.58	5530.26	5213.59	6291.09
कुल जोड़ (1+2+3) :	11711.58	14202.31	13283.71	15061.71	15682.30	17147.60

विवरण-दो

योजना-भिन्न

करों में हिस्सा : केन्द्रीय करों (आयकर, उत्पादन शुल्क और सम्पदा शुल्क) में राज्यों का हिस्सा, रेलवे यात्री किरायों के स्थान पर सांविधिक सहायता अनुदान और सहायता अनुदान, जो राज्यों के संसाधनों के योजना-भिन्न अन्तरण के बहुत बड़े भाग के रूप में होते हैं, का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। बाढ़, चक्रवात, भूकम्प (सूखा के अतिरिक्त) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए कष्ट से राहत देने के लिए योजना-भिन्न अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती है, जिसमें केन्द्र से योजना-भिन्न अनुदान के रूप में सीमान्त धन से अधिक व्यय किये गए कुल व्यय का 75% शामिल होता है। अन्य योजना भिन्न अनुदान, जिनकी राशि बहुत कम होती है, सामान्यतः वस्तुपूरक मानदण्डों के आधार पर आवंटित की जाती हैं। छोटी बचतों की वसूली की तुलना में राज्यों को ऋण प्रत्येक राज्य में संचालित छोटी बचतों की निवल वसूली के 2/3 की सीमा तक दिए जाते हैं।

योजना-गत

राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय साहयता—चौथी योजना अवधि (1969-74) के आरम्भ से ही राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन गाडगिल फार्मूले के आधार पर किया जाता रहा हैं जिसे छठी पंचवर्षीय योजना 1680-85 के प्रारूप का अनुमोदन करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधित फार्मूले के अन्तर्गत 8 विशेष श्रेणी के राज्यों की,—जिसमें असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर मेघालय, नागालैड़, सिक्कम और त्रिपुरा शामिल हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मुश्त राशि अलग रख दी गई है। केन्द्रीय सहायता की शेष राशि का वितरण बाकी बचे 14 राज्यों में निम्न प्रकार किया जाता है :—

1. 60% जनसंख्या के आधार पर
2. 20% प्रति व्यक्ति आय के आधार पर केएल उन्हीं राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम हैं।
3. 10% कर प्रयास के आधार पर।
4. 10%राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें—ये वे स्कीमें हैं जहाँ केन्द्र उनके राष्ट्रीय महत्व के कारण पहल करता है। सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और प्रतिपादित, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित और अधिकांशतः केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित ये स्कीमें राज्यों द्वारा

...ित की जाती हैं। इन दो प्रकार की स्कीमों में मामूली सा अन्तर है केन्द्र द्वारा प्रायोजित ...ें सामान्यतः केन्द्र और राज्यों दोनों ही द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं जबकि केन्द्रीय ...की स्कीमों का शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किया जाता है।

बैंकों द्वारा बैंक ड्राफ्टों पर भुगतान न करना

[हिन्दी]

2959. **श्री विष्णु मोदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहकों द्वारा जमा कराये गये बैंक ड्राफ्टों पर देश में बैंक भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि ग्राह... द्वारा जमा कराये गए बैंक ड्राफ्ट बैंकों द्वारा, अदायगी किए बिना लौटा दिए जाते है;

(ग) यदि हां तो बैंक ड्राफ्टों पर अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)से(घ) बैंक ग्राहक सेवा के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श दिया है कि ड्राफ्टों का भुगतान करने से केवल इस बात से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में यदि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के ध्यान में कोई विशेष शिकायत लाई जायें तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी जांच की जा सकती है।

कोयले पर रायल्टी की दर में संशोधन

[अनुवाद]

2960. **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 से अब तक कोयले पर रायल्टी की दर में कितनी बार संशोधन किया गया और कितना संशोधन किया गया;

(ख) रायल्टी के संशोधन का कोयले के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा हैं;

(ग) वर्तमान कानून में रायल्टी में कितने समय के बाद संशोधन की व्यवस्था है; और

(घ) पिछले 12 वर्षों के दौरान कोयले के मूल्यों में कितनी बार और कितना संशोधन किया गया ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) वर्ष 1972 से अब तक कोयले पर रायल्टी की दर में संशोधन दो बार अर्थात 1-8-1975 और 13-2-1981 को किया गया है। दिनांक 1-8-1975 से प्रभावी रायल्टी की दर रु० 1.00 प्रति टन से रु० 5.00 प्रति टन के बीच थी और 13-2-1981 से प्रभावी रायल्टी की दर रु० 2.50 प्रति टन से रु० 7.00 प्रति टन के बीच थी।

(ख) कोयले पर रायल्टी की राशि कोयला कंपनियाँ कोयले के उपभोक्ताओं से, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोयले की खान-मुहाना कीमतों के अतिरिक्त ले लेती हैं और फिर उसे सम्बन्धित राज्य सरकारों को देती हैं। कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन का भार उपभोक्ताओं पर अधिक नहीं रहा है।

(ग) खान एवं खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) से केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह चार वर्षों की अवधि के दौरान एक बार खनिजों पर (कोयला सहित) रायल्टी की दर बढ़ा या घटा सकती है।

(घ) राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की औसत खान मुहाना कीमतों में छः बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन निम्नलिखित हैं :

संशोधन की तारीख	निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत प्रति टन	
	कोल इंडिया लि०	सिं० को० कं० लि०
1-4-1974	रु० 47.50	रु० 50.50
1-7-1985	रु० 64.92	रु० 67.65
17-7-1979	रु० 101.18	रु० 99.92
14-2-1981	रु० 128.02	रु० 136.85
27-5-1982	रु० 145.90	रु० 154.75
8-1-1984	रु० 183.00	रु० 192.00

कोयला खानों में प्रति व्यक्ति शिफ्ट उत्पादन

2961. **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य कोयला उत्पादक देशों की तुलना में हमारी कोयला खानों में प्रति व्यक्ति शिफ्ट उत्पादन क्या है; और

(ख) मौजूदा परिस्थितयों में इसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० की कोयला खानों में और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में 1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक) के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति पाली औसत उत्पादन निम्नलिखित हैं :

को० इं० लि०	सिं० को० कं० लि०
0.81	0.67

परन्तु अन्य उन्नत कोयला उत्पादक देशों के कोयला उद्योग में उत्पादकता भारत की अपेक्षा अधिक है।

विद्यमान परिस्थितियों में भारत में उत्पादकता में वृद्धि निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है :—

(1) यंत्रीकरण द्वारा;

(2) उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाकर;

(3) बेशी मजदूरों को अन्यत्र काम पर लगाकर;

(4) अधिक ओपेनकास्ट खनन करके; और

(5) कोयला खानों में काम की दशाओं में सुधार लाकर।

हिन्दुस्तान डायमन्ड कार्पोरेशन के कार्यकरण का पुनरीक्षण

2962. **श्री डॉ० के० गढ़वी :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान डायमण्ड कार्पोरेशन ने उन आवश्यकताओं की पूर्ति की है जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था;

(ख) क्या इसके कार्य करने के तरीके में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि डायमंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन जैसे एकाधिकारवादी संभरक पर इसकी निर्भरता कम की जा सके;

(ग) क्या डायमण्ड ट्रेडिंग कार्पोरेशन के सभी परीक्षण करने वाले (साइट होल्डर) गुजरात के रहने वाले हैं और बम्बई में उनका हीरों का व्यापार है;

(घ) क्या सरकार का विचार, हीरे के आयात और निर्यात से एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान डायमण्ड कंपनी खुले बाजार से भी अपरिष्कृत हीरे खरीदती है।

(ग) से (च) बम्बई के हीरा व्यापार में डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी से अधिकांश परीक्षण करने वाले गुजरात में हैं। उद्यमकर्ताओं को पूरे देश में नीति के अनुसार हीरों का व्यापार करने की स्वतन्त्रता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम मूल्य पर तम्बाकू न खरीदा जाना

2963. **श्री वेझवाड़ा पापी रेड्डी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तम्बाकू के निम्नतम मूल्य पर तम्बाकू की खरीद न करके तम्बाकू का उत्पादन करने वाले किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व को निभाने में असफल रहा है;

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादन किसान संकट में हैं और उन्हें निर्यातकों की दया पर छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सकारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम ने पहले तम्बाकू उस समय खरीदा था जब बाजार में संकट था। नीलामी प्रणाली आरम्भ होने से तम्बाकू बोर्ड अगर कोई बोली देने वाला नहीं होता है तो नीलामी मंचों पर न्यूनतम समर्थन कीमतों पर स्वयं तम्बाकू की खरीदारी कर रहा है।

(ख) तम्बाकू कृषक निर्यातकों की दया पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि तम्बाकू बोर्ड बाजार स्थिर

करने के लिए अवशिष्ट तम्बाकू की खरीदारियां करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप भी कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्यावर, राजस्थान में कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स का बन्द होना

[हिन्दी]

2964. **श्री विष्णु मोदी :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ब्यावर, राजस्थान में कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स को वर्ष 1983 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) जी है।

(ग) कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, ब्यावर को पुनः आरम्भ करने के लिए पहल मुख्य रूप से राजस्थान सरकार को करनी है, जिसका इस समस्या की ओर ध्यान है।

बिक्री कर समाप्त करने हेतु आल इंडिया फुडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

[अनुवाद]

2965. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया फुडग्रेन्स डीलर एसोसिएशन, दिल्ली के परिसंघ की ओर से प्रधान मन्त्री के नाम दिनांक 22 जनवरी, 1985 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय खाद्यान व्यापारी संघ दिल्ली के महासंघ से केन्द्रीय वित्त मन्त्री को सम्बोधित 7 फरवरी 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ प्रधान मन्त्री को 22 जनवरी 1985 को लिखे गए पत्र की एक प्रति संलग्न की गई है। उपरोक्त 22 जनवरी 1985 के पत्र के साथ प्रधान मन्त्री को 14 जनवरी 1985 को लिखे गए पत्र की संलग्न प्रति में महासंघ ने खाद्यानों, दालों तथा तिलहनों पर से बिक्री कर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है।

चूंकि बिक्री कर मुख्यत: राज्य कराधान का विषय है इसलिए बिक्री कर प्रणाली में कोई भी संशोधन राज्यों के साथ परामर्श तथा उनके सहयोग से किया जा सकता है। फिलहाल सरकार का खाद्यानों, दालों तथा तिलहनों पर से बिक्री कर समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्योगों को रुग्ण होने से बचाने के लिए स्वतन्त्र परामर्शदाता संगठनों से सहायता

2966. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय संस्थान किसी उद्योग को रुग्ण घोषित होने से बचाने के लिए स्वतन्त्र परामर्शदाता संगठनों से सहायता ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संगठनों की सहायता लेने की क्या कसौटी है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थान, किसी उद्योग से रुग्ण घोषित होने और बन्द होने से पहले समय पर कार्यवाही कर रहे हैं; और

(घ) क्या रुग्ण एककों की संख्या बढ़ रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वित्तीत संस्थाएं रुग्ण एककों के तकनीकी-आर्थिक सक्षमता/निदान अध्ययन करने और या इन अध्ययनों की जांच करने के लिए आवश्यकतानुसार परामर्शदाता संगठनों की सहायता लेती हैं। ये परामर्शदाता प्रायः इन संस्थाओं द्वारा रखे गए पैनलों में से लिए जाते हैं।

(ग) सरकार की नीति के अनुसरण में, वित्तीय संस्थाओं से प्रारम्भ में ही किसी औद्योगिक एकक की रुग्णता का पता लगाने, अर्थ क्षमता का अध्ययन करने और ऐसे एककों की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है जो सम्भावी दृष्टि से सक्षम माने जाते हों। इस प्रयोग के लिए संस्थाओं में औद्योगिक एककों के लेखाओं पर विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न अवस्थाओं में लगातार नजर रखने की व्यवस्था है।

(घ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट से सहायता प्राप्त करने वाले रुग्ण एककों की संख्या दिसम्बर 1982 के अन्त में 275 से बढ़कर दिसम्बर 1983 के अन्त में 314 हो गयी।

इंडियन टोबेको कम्पनी के विरुद्ध निर्णय हेतु विचाराधीन मामले

2967. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोबेको कम्पनी के विरुद्ध निर्माण हेतु विचाराधीन मामले के सम्बन्धों में महा-निदेशक, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ने कोई प्रगति की है;

(ख) किन कारणों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उन सम्बद्ध समाहर्ताओं द्वारा इन मामलों में निर्णय नहीं किया जा सका जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डियन टोबेको कम्पनी को मूलत: कारण बताओ नोटिस जारी किए थे; और

(ग) वे विशेष कारण क्या हैं जिनसे सरकार ने केन्द्रीयकृत न्यायनिर्णय के लिए यह मामला महानिदेशक को सौंपा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) महानिदेशक, निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क द्वारा मामले सम्बन्धी रिकार्डों की छानबीन की जा रही है।

(ख) और (ग) आमतौर पर मामलों का न्यायनिर्णयन सम्बन्धित समाहर्ताओं द्वारा किया जाता है। तथापि, जहां पर निर्माता के पास अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में एक-जैसे माल का निर्माण करने का कोई कारखाना होता है, ऐसे मामलों के न्यायनिर्णयन का काम एक ही प्राधिकारी को सौंपा जाता है ताकि समानता लाई जा सके। मैं० इण्डियन टोबेको कम्पनी के देश में पांच स्थानों पर सिगरेट निर्माणकारी एकक हैं। शेल्क-निर्धारणीय मूल्य का निश्चय करने से सम्बन्धित मामलों को, उन पर न्यायनिर्णयन हेतु निरीक्षण महानिदेशक को दे दिया गया है ताकि एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके क्योंकि इन मामलों में एक-जैसे मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं।

सिंथेटिक और "रिजेन टेटिडफाइबर" का निर्माण और आयात

2968. **श्री०बी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सिंथेटिक और "रिजेनटेटिड फाइबर" बनाया गया और विदेशों से आयात किया गया;

(ख) क्या इस बात का कोई अध्ययन किया गया है कि कपड़ा उद्योग और हथकरघा उद्योग पर हाथ से बने कपड़ों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की गई है, तो वे क्या हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) सरकार इस विषय पर किसी भी विशिष्ट अध्ययन से अवगत नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982-83 और 1983-84 में संश्लिष्ट तथा रिजैनेरेटेट रेशों के उत्पादन और आयात

मात्रा मे० टन में (मूल्य लाख रु० में)

मद	उत्पादन				आयात (अनन्तिम)			
	1982-83		1983-84		1982-83		1983-84	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. विस्कोस स्टेपल रेशा	49,285	8 058	82,783	13,917	64,851	9,693	35,702	5,540,0
2. एसीटेट स्टेपल रेशा	2,041	808	1625	588	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	297,12	115,21
3. पालिसस्टर स्टेपल रेशा	26,095	9,645	27,393	10,417	5,513	978	9,987	1,251
4. पाला प्रोसिलीन रेशा	302	132	361	169	—	—	—	—
5. एक्रेलिक रेशा	16,002	6,192	16,589	7,306	1,924	348	1,277	223

आयात में नियमित विस्कोस रेशा, पौलीनेसिक रेशा और एच डब्ल्यू० एम० रेशा शामिल है।

आसाम मेल से चीनी टोर्चें जब्त किया जाना

2969. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1984 में रेलवे पार्सल आफिस, नई दिल्ली में आसाम मेल से लाई गयी चीनी टोर्चें प्राप्त हुई थीं और सूचना मिलने पर रेल अधिकारियों ने उन्हें जब्त कर लिया था;

(ख) क्या उक्त पावतियों में माल भेजने वाले कल्पित और जाली पाए गए और जिन्हें ये सामान भेजा गया था, वे उपलब्ध नहीं थे;

(ग) क्या ऐसे सामाचार मिले हैं कि असली मालिक रेलवे के कर्मचारी और रेलवे के भूत-पूर्व कर्मचारी थे और जिन्होंने माल को बदलने का प्रयास किया था;

(घ) क्या ऐसे समाचार भी हैं कि वे ही व्यक्ति पहले भी नकली नामों से तस्करी का सामान प्राप्त करते रहे हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोषिती के निवास-स्थान का ठीक-ठीक पता मालूम करने के प्रयास सफल नहीं हुए।

(ग) से (ङ) इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में एक शिकायत नवम्बर, 1984 में प्राप्त हुई थी। तथापि, जांच-पड़ताल किए जाने पर उस रेलवे कर्मचारी के अन्तर्ग्रस्त होने का कोई संकेत नहीं मिला।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा); मेरी दो बातें हैं। मैंने आपको नियम बनाने संबंधी पत्र लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कर रहे हैं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : केरल में कुछ हो रहा है ···

अध्यक्ष महोदय : ये नैतिकता सम्बंधी प्रश्न हैं। मैं इसको कार्यवाही वृतांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी स्थिति असुविधाजनक मत बनाइये।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन: मेरी मंशा यह नहीं है। लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कानून के अन्तर्गत आपको यह अधिकार दिया गया है···**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने पहले ही इसे कर दिया है। हम इसको गम्भीरता-पूर्वक कर रहे हैं। नियम बनाये जा रहे हैं। मैं उसकी निगरानी रख रहा हूँ। वास्तव में मैंने इसे बहुत ही शीघ्रता से किया है।

प्रो०मधु दंडवते (राजापुर) : नियमों का अत्यधिक उल्लंघन किया जाता है।

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : यह कानून की भावना को उल्लंघन का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे शीघ्र से शीघ्र करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं यही कर सकता हूँ।

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : दूसरे, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रखी है···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही गंभीर मामला नहीं है। विश्व के सभी देशों में मैंने प्रदर्शनियां देखी है और मैंने महान कला कृतियों को फ्रांस से जर्मनी ले जाये जाते हुए देखी है उनकी देखभाल की जानी चाहिए। इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे पास आकर बातचीत कर सकते हैं।

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : अभी तक भारत और अमरीका में कोई अनुबंध नहीं हुआ है··· (व्यवधान) मेरे विचार में, आप इसमें एक पक्ष (पार्टी) नहीं बन सकते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसमें पक्ष (पार्टी) नहीं बना हूं।

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : भारत महोत्सव के नाम पर वे बहुमूल्य खजाना बाहर ले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे इन तथ्यों के प्रति इतने अनजान नहीं हैं।

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : कौन इतने अनजान नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार।

श्री के०पी०उन्नीकृष्णन् : सदन को जानने का हर अधिकार है···

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। आप को पता हो सकता है परन्तु इसमें असहमति का प्रश्न नहीं उठता। अनुमति नहीं है। ध्यानाकर्षण या 377 या और जिस रूप में आप चाहें इस बारे में पूछ सकते हैं। परन्तु यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री के०के० तिवारी (बक्सर) : जो श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् ने कहा है···** · वह बिल्कुल ही आधारहीन है। किसी को भी दल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है; मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। यह रिकार्ड में नहीं है। मैं केरल विधान सभा के मामलों की छान बीन नहीं करुगां। मैं केरल विधान सभा पर या इसके द्वारा अथवा इसके माननीय सदस्यों द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही पर चर्चा की अनुमति नहीं दूगां। कितनी सरल बात यह है।

प्रो० के०के० तिवारी : मैं सदन में हुई किसी बात का जिक्र कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया है तो आप क्यों बोलते जा रहे हैं?

प्रो० के०के० तिवारी : लेकिन इस सदन में कुछ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है?

प्रो० के०के० तिवारी : इस सदन के एक माननीय सदस्य जो दमकिपा के टिकट पर चुने गये थे उन्हें जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उकसाया गया था··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालुम। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि नियम नहीं बन जाते। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): कल मैंने पंजाब में दो राज्यपालों का मामला उठाया था···

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं है; कोई समस्या नहीं है। अनुमति नहीं है। यह असंगत है। पंजाब में केवल एक राज्यपाल है और वहाँ दूसरा कोई राज्यपाल नहीं है। वह छुट्टी पर होंगें। अनुमति नहीं हैं।

(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, लोकतंत्र पर बहुत दबाव है··· **(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, लोकतंत्र कभी दबाव नहीं होता···

(**व्यवधान**)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लोकतंत्र स्वयं रज्य का विषय नहीं है·· (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है···

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह राज्य का विषय है। आप अनावश्यक ही बातें बीच में क्यों बोल रहे हैं ?···

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : काबूली जी इधर देखिए। अगर आप में कोई शिष्टाचार है, अगर आपके कोई नियम हैं, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मैं यहां इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं तो यहां पर खुला दंगल हो जायेगा···

(**व्यवधान**)**

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान्, मैंने किसी भी बात की अनुमति नहीं दी है। ये बात असंगत हैं। आप जिद कर रहे हैं, अच्छा नहीं होता।

(**व्यवधान**)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही-वृतान्त में नहीं जाएगा !

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्मलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैनिनजाइटिस महामारी सारे देशमें फैल रही है और हम केवल ए०और सी०कीटाणुओं के लिए टीके का आयात कर रहे हैं···(**व्यवधान**)।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें, देखेंगे।

[**अनुवाद**]

मैं पता लगाऊंगा। आप लिखत मैं मुझे दे, सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : इसीलिए महोदय मैंने नियम 1971 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसमें यहां कहने की क्या बात है, आप आकर बता देते मुझको।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.07 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचना, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अनिवासी (विदेशी) लेखा (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 9 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 254 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-695/85]

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2047 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सूर्य ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2048 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) मोजोराम ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2049 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अकोला ग्रमीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2050 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2051 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) रत्नगिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2052 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2053 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) जमुना ग्रामींण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2054 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सुरेन्द्र नगर-भावनगर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984 जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2055 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) शोलापुर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2056 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भण्डारा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2057 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2058 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) बलसाड डांग ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2059 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सूरत भांच ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2060 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2061 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2062 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2063 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2064 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) महाकोशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2065 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—696/85]

(3) वर्ष 1983-84 सम्बन्धी संघ सरकार विनियोग लेखाओं (डाक तथा तार) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-697/85]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी प्रतिवेदन-संघ सरकार (डाक तथा तार) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०—698/85]

काफी अधिनियम, 1982 तथा इलायची अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन समिति, कानपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 9 ,मार्च 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 256 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-699/85]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इलायची (संशोधन) नियम, 1984, जो 8 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2873 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इलायची (संशोधन) नियम, 1984, जो 8 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2874 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-700/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन सीमित, कानपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन सीमित, कानपुर का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-701/85]

(4) (एक) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1981 सम्बन्धी वार्षिक

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1982 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(तीन) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1983 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(चार) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1981, 1982 और 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०-702/85]

(6) (एक) चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मद्रास, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मद्रास, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०-703/85]

(8) चाय बोर्ड के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखाओं के शुद्धि-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-704/85]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम सीमित, लखनऊ के 22 फरवरी, 1983 से 30 जून, 1984 तक की अवधि के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम सीमित, लखनऊ के 22 फरवरी, 1983 से 30 जून 1984 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम सीमित, लखनऊ का 22 फरवरी, 1983 से 30 जून 1984 तक की अवधि सम्बन्ध वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महापरीक्षक की टिप्पणियां ।

————

12.09 म० प०

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, पिछली बार 14 मार्च, 1985 को सदन में सूचना दिये जाने के बाद मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित बारह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 ।

(2) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1985 ।

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1985 ।

(4) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1985 ।

(5) पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 ।

(6) पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985 ।

(7) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1985 ।

(8) भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) विधेयक, 1985 ।

(9) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) विधेयक, 1985।

(10) अनिवार्य निपेक्ष स्कीम (आयकर-दाता) संशोधन विधेयक, 1985।

(11) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1985।

(12) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1985।

12.10 म० प०

1985-86 के लिए आयात-निर्यात संबंधी नीति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मुझे सदन के पटल पर आयात एवं निर्यात नीति, 1985-86 रखते हुए हर्ष है।

सरकार का उद्देश्य आर्थिक नीतियों की स्थिर प्रणाली की व्यवस्था करना है जिससे प्रत्येक वर्ष की अनिश्चिताएं कम से कम होंगी और इस तरह से उद्योग को दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में अपने आर्थिक क्रियाकलापों की योजना तैयार करने में सहायता होगी। इस उद्देश्य की अनुपालना के लिए आयात एवं निर्यात नीति को तीन वर्षों की अवधि के लिए घोषित किया जा रहा है।

नीति के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(1) आयात की निरन्तरता तथा आयात-निर्यात नीति में स्थायित्व;

(2) उत्पाद के लिए सरल एवं द्रुतगामी रूप से प्राप्ति के माध्यम से जिनको आयात करने की आवश्यकता है, उत्पादन में वृद्धि हेतु सुविधा;

(3) उत्पादन के निर्यात के लिए सुदृढ़ आधार एवं निर्यात में अधिकतम दबाव डालने के लिए प्रयास;

(4) देशी उत्पादन के समर्थन के लिए आयात में सभी संभव बचत करना तथा कुशल आयात प्रतिष्ठापन का संवर्धन करना;

(5) उन्नत प्रौद्योगिकीकरण में सुविधा तथा उत्पादन में आधुनिकीकरण; एवं

(6) लाइसेंसों को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना एवं निर्णय लेने का विकेन्द्रीकरण जिससे समय एवं संसाधनों के लिए लागतों में कमी होनी चाहिए।

आयात एवं निर्यात नीति की मुख्य रूप-रेखा को जो हाल के वर्षों के दौरान विकसित की गई है, नई नीति में बनाए रखा गया है। सदन के मूल्यवान समय को बचाने के उद्देश्य से मैं केवल कुछ मुख्य विशेषताओं पर ही प्रकाश डालूंगा।

इस नीति निवेशों को सरलता एवं द्रुतगामी रूप से उन्हें प्राप्त करने के लिए जिनको आयात करने की आवश्यकता है, प्रयास किया गया है। इस प्रयोजन के लिए आटोमेटिक लाइसेंस की श्रेणी को समाप्त करके विशिष्टिकृत लाइसेंसिंग के क्षेत्र में कमी की गई है। इस कमी से समय एवं संसाधनों दोनों की बचत होगी जिससे परिहार्य देरियों में कमी होनी चाहिए तथा विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ होना चाहिए।

सरणीकरण के मूल उद्देश्यों के साथ मदों की सूची को जिनके आयात सरणीबद्ध हैं, अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षा की गई है नामशः थोक में खरीदारियां और इस प्रकार व्यापार की उत्तम शर्तें प्राप्त करना, आपूर्ति आदि के दीर्घावधिक साधनों का विकास करना जो असंदिग्ध रूप से ठीक है एवं समय रूप से राष्ट्रीय हित में है। इसके परिणामस्वरूप 55 मदों के आयात को जो मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे, असरणीबद्ध कर दिया गया है। सरणीकरण अभिकरणों द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए आयातित निवेशों की सप्लाई के लिए प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है ताकि परिहार्य देरियों को समाप्त किया जा सके।

निर्यात उत्पादन के लिए आयातित निवेशों हेतु कर छूट अभिवृद्धि की व्यवस्था करने के वास्ते विनिर्माता निर्यातक के लिए आयात निर्यात पासबुक स्कीम के नाम से एक नई स्कीम लागू की गई हैं। यह स्कीम जो वर्तमान अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम की तुलना में अपने आकार में विस्तृत और अपने प्रचालन में लचकदार है। अक्तूबर, 1985 से लागू होगी। इससे कर छूट स्कीम के अन्तर्गत जिसमें प्रत्येक समय निर्यात आदेश को निष्पादित करना होता है, लाइसेंसों को प्राप्त करने में संभव देरियां भी समाप्त होंगी।

निर्यात उत्पादन के आधुनिकीकरण के लिए मशीनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए औद्योगिक मशीनों की 201 मदों को अनुमति पूंजीगत माल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस उदारता से लाभ उठाने वाले मुख्य क्षेत्र, आटोमोबाइल, चमड़े, इलैक्ट्रानिक्स, पटसन विनिर्माता, पोशाक/हौजरी/तैयार वस्तुएं, पैन के विनिर्माणकर्ता, तेल क्षेत्र सेवाएं आदि हैं।

उत्पादन के गुण और/या मात्रा पर प्रभाव रखने वाले संतुलित उपस्कर, तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति, तकनीकी विकास निधि के अधीन विदेशी परामर्श सेवाओं आदि के आयात के लिए विदेशी

मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बद्ध प्रति यूनिट मूल्य सीमा 5 लाख यू० एस० डालर से बढ़ाकर 100 लाख रुपए के बराबर यू एस डालर कर दी गई है ।

व्यापार सदनों और निर्यातों के निर्धारित न्यूनतम स्तर वाले निर्यात सदनों को अपने अनु-समर्थक विनिर्माताओं के लिए अपेक्षित तकनीकी अभिकल्पों ड्राइंगों और अन्य प्रलेखन को, उनके आर० ई० पी०/अतिरिक्त लाइसेंसों के मद्दे क्रमशः 25 लाख और 10 लाख रुपए की सीमा तक आयात करने के लिए अनुमति दे दी गई है ।

विदेशी मुद्रा की वास्तविक वसूली पर आधारित अतिरिक्त लाइसेंसों के साथ पात्रता की धारणा जिसको पिछले वर्ष की नीति में प्रथम बार लागू किया गया था, को निर्यात/व्यापार सदन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए निर्धारित उत्पादन की दर तक बढ़ा दिया गया है । इस व्यवस्था से विशेष रूप से उन निर्यात/व्यापार सदनों को लाभ होगा जो असावृष्यता की ओर बढ़ रही हैं और उच्च वास्तविक विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ उत्तरोत्तर उत्पादों का निर्यात कर रही हैं।

विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा आर० ई० पी० लाइसेंसों के उपयोग में अधिक ढील दी गई है।

कम्प्यूटर प्रणाली के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है । 10 लाख (लागत बीमा भाड़ा) रुपए की कीमत वाली कम्प्यूटर प्रणाली का आयात सभी व्यक्तियों द्वारा उनके स्वयं उपयोग के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमेय कर दिया गया है । इस मामले में उच्चतर सीमा-शुल्क उदग्राह्य है । अन्यथा, यदि आयातक इलैक्ट्रानिक विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करता है तो कम दर पर सीमा-शुल्क लगेगा ।

संचार उपग्रह को सम्मिलित करने के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात स्कीम के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है ।

देशी उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए खुले सामान्य लाइसेंस और स्वतः अनुमेय सूची के कच्चे माल, संघटकों आदि की 67 मदों को सीमित अनुमेय सूची में डाल दिया गया है; सीमित अनुमेय सूची में से 7 मदें प्रतिबंधितसूची में डाल दी गई है, सरणीबद्ध सूची में से 20 मदें अनुमेय सूची में और 16 मदें प्रतिबंधित सूची में डाल दी गई हैं । इसी प्रकार, पूंजीगत माल की सूची में से पूंजीगत माल की 4 मदें हटाकर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन ले ली गई हैं।

पूंजीगत माल एवं कच्चे माल संघटकों आदि दोनों के आयात, के लिए तुरन्त निर्णय लेने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण द्वारा विभिन्न स्तरों पर अधिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं ।

इसमें कुछ शंका हो सकती है कि यदि हमें संतोष प्रद ऋण रूप रेखा सहित भुगतान स्थिति के संचालनीय संतुलन का समाधान करना है तो हमें युक्ति-संगत निर्यात संवर्धन एवं कुशल आयात

प्रतिस्थापन के माध्यम से व्यापार स्थिति के अपने संतुलन को व्यवस्थित करना होगा। इस उद्देश्य के प्रति इस दस्तावेज में निहित व्यापार नीतियों की रूपरेखा में एक ओर निर्यात संवर्धन और दूसरी ओर आयात प्रति-स्थापना के बीच संतुलन को दिखाया गया है। इस पर जोर देने की आवश्यकता है तथापि, समग्र रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार के बिना विदेशी व्यापार स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सकता। अत: हमें समस्त रूप से आर्थिक अनुष्ठान के सुधार की अवश्य चेष्टा करनी चाहिए। नई आयात-निर्यात नीति इस दिशा में एक चरण है।

12.16 म० प०

केन्द्रीय लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते के सूत्र के पुनरीक्षण के लिए त्रिपक्षीय समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूले की समीक्षा करने के लिए मई, 1983 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया था, जिसमें भारत सरकार, केन्द्रीय वाणिज्य संगठनों और सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, सरकार ने केन्द्रीय वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों के साथ आगे और विचार विमर्श किया था और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं—

(1) वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शिमला सीरोज, 1960 -100) में प्रति परिवर्तित अंक 1.30 रु० से बढ़ाकर प्रति परिवर्तित अंक 1.65 रुपये कर दिया जाएगा। यह 1 अप्रैल, 1983 से लागू होगी और 492 अंकों को आगे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई सभी वृद्धियों पर लागू होगी।

(2) संशोधित दर चालू अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 1985 से देय होगी। 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1985 तक की बकाया राशि की गणना की जाएगी और उसकी आधी राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। शेष आधी राशि सम्बन्धित सार्व-

जनिक उद्यमों में रोक ली जाएगी और उस पर प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज के साथ एक वर्ष के बाद भुगतान किया जाएगा।

(3) महंगाई भत्ते की समीक्षा की आवृत्ति हर तीसरे महीने की जाएगी।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : इसे सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मेरा सुझाव है कि इस तरह के अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए नोटिस दे सकते हैं। इसकी कोई समस्या नहीं है।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मंत्री जी ने अभी अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति के निर्णय की घोषणा की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे सकते हैं। हम चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यही अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। आपको इस विशेष विषय पर चर्चा के लिए नोटिस देने की छूट है।

प्रो० मधु दण्डवते : ए० आई० सी० पी० आई० के प्रतिनिधियों की धारणा ठीक नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त : (बम्बई दक्षिण मध्य) : कुछ उपक्रम इससे अधिक दे रहे हैं। तो क्या इसमें कमी की जाएगी? (व्यवधान) महोदय, जिसकी आपने घोषणा की है कुछ उपक्रम इससे अधिक दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विक्रमजय प्रसाद सिंह : यह सर्वसम्मति से हुआ है कि हम ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ सहमत हुए हैं। हमने उनके साथ विचार-विमर्श किया था और हम इस पर सहमत हुए।

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : जिसकी आपने अनुमति दी है कुछ उपक्रम उससे अधिक दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यूनियन नेता आपसे अधिक खुश हैं।

(व्यवधान)

———

12.18 म० प०

समितियों के लिए चुनाव

(1) चाय बोर्ड

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4, की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्ययधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4, की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दे, उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(2) इलायची बोर्ड

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) के अनुसरण

में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनिगम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्दीय रेशम बोर्ड, अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्ययधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(4) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4

की उपधारा 3 (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

———

12-20½ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : डा० जी० विजय रामा राव उपस्थित नहीं हैं। श्री वेंकटेश उपस्थित नहीं हैं ·

(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर अथवा कटनी में इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत में इलैक्ट्रानिक क्रांति की लहर है दूर संचार और माइको कम्प्यूटर उद्योग के विकास से इस लहर में तेजी आयेगी। सम्पूर्ण देश में इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए सरकार को स्थानों का पता लगाया जाना चाहिए।

12-21 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक इलैक्ट्रानिक उद्योग का सम्बन्ध है, ये बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में ही केन्द्रित हैं। इसे मध्य भारत में और फैलाने की आवश्यकता है।

इलैक्ट्रानिक उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है;

(क) सामान्य जलवायु ।

(ख) कुशल एवं व्यावसायिक जनशक्ति का उसी स्थान से उपलब्ध होना ।

(ग) नियमित एवं स्थायी तौर पर विद्युत आपूर्ति ।

(घ) यातायात और दूर संचार की अच्छी व्यवस्था ।

जबलपुर शहर न सिर्फ इन शर्तों को पूरा करता है अपितु अन्य औद्योगिक सुविधाओं की शर्तों को भी पूरा करता है । इसके एकदम नजदीक ग्रामीण क्षेत्र हैं। जिनके विकास के लिए इलैक्ट्रानिक उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । .

सरकार के लिए जबलपुर या कटनी में इस तरह का एक इलैक्ट्रानिक उद्योग पार्क स्थापित करना सर्वदा उचित है । इस मध्यवर्ती नगर में दूर संचार और माइको-कम्प्यूटर उद्योग लगाया जा सकता है । दूर संचार के बारे में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित उपकरणों का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाने चाहिए :

(क) इलैक्ट्रानिक एस०पी०सी० टेलेक्स उपकरण, इसके लिए 'साइमन' के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तीसरा एस०पी०सी० इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपकरण जिस पर 8 वीं दूर संचार योजना में प्रस्ताव किया गया । कम्प्यूटर के क्षेत्र में, बहुराष्ट्रीय अथवा भारतीय कम्पनियों के बीच भविष्य में सहयोग जिसके परिणामस्वरूप एक निर्माण इकाई को स्थापित करने के लिए जबलपुर इलैक्ट्रानिक उद्यान पार्क में कोई स्थान चुना जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के दूर संचार के एवं कम्प्यूटर उद्योग जबलपुर में विशाल इलैक्ट्रानिक उद्योग पार्क के लिए एक केन्द्र होगा जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्मिलित प्रयास होंगे ।

(दो) भाखड़ा निर्माण बोर्ड के प्रबन्ध को केन्द्र द्वारा ग्रहण करने की मांग

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर के काफी हिस्से में भाखड़ा क्षेत्र को सरहिन्द फीडर से पानी मिलता है । सरहिन्द फीडर पर कंट्रोल पंजाब सरकार

का है। पंजाब सरकार को अपनी नहरों के लिए जितने पानी की जरूरत होती है, उतना पानी लेने के बाद बचने वाला फालतू पानी राजस्थान राज्य के भाखड़ा क्षेत्र की नहरों को मिलता है। इन नहरों के पानी में बड़ा भारी उत्तार-चढ़ाव होता रहता है। इस उतार-चढ़ाव के कारण इस क्षेत्र का किसान भारी नुकसान उठाता जा रहा है। पंजाब सरकार को जब पानी की आवश्यकता नहीं होती है तब तो पानी ज्यादा मिल जाता है, किन्तु जिस समय पंजाब में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, उस समय भांखड़ा क्षेत्र के किसान पानी के लिए तरसते रहते हैं और किसान की पूरी की पूरी फसल आये साल तबाह हो जाती है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड केन्द्र सरकार के अधीन होना चाहिए जिससे गंगानगर के भाखड़ा एरिया के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके।

(तीन) 14 अप्रैल को डा०बी०आर० अम्बेदकर की स्मृति में छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय; मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण भारतवासियों, बुद्धिजीवियों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों एवं सर्वहारा वर्ग की भावना का आदर करते हुए 14 अप्रैल को संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर जी की पुन्य जयन्ती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए तथा पूरे देश के लिए आत्मसमर्पित भावना से उनके द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों, करोड़ों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए किए गए विशेष कार्यों की जानकारी देशवासियों को देने के लिए पाठ्य पुस्तकों में उनकी जीवन गाथा तथा उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख करके जन मानस को उनके योगदान से परिचित कराया जाए जिससे सर्वहारा वर्ग व्याप्त असन्तोष दूर हो सके और देश-वासियों की भावना का आदर हो सके।

(चार) देश में बढ़ रही बेरोजगारी

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बेरोजगारी की समस्या एक जटिल समस्या बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में बेरोजगारों की संख्या लगभग पांच करोड़ तक पहुंच चुकी है। इनमें शिक्षित बेरोजगार लगभग 45 लाख हैं। यही नहीं, बेरोजगार डाक्टरों और इन्जीनियरों की भी संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। अकेले बेरोजगार डाक्टरों की संख्या लगभग 20 हजार है और लगभग 25 हजार इन्जीनियर बेरोजगार हैं। युवा वर्ग बेरोजगारी का सबसे बड़ा शिकार है।

हमारी शिक्षा भी काफी हद तक इसके लिये जिम्मेदार है। बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद युवक अपने को किसी योग्य नहीं पाते हैं। शिक्षा को रोजगार प्रधान होना चाहिए बढ़ती हुई आबादी का भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, फलस्वरूप गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

आज विकास व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें अपनी विकास की दर बढ़ानी होगी। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हमें युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सक्षम और लाभप्रद बनाना होगा तथा उनका विस्तार करना होगा। ऊर्जा में वृद्धि विकास की गति को तेज करने में बहुत सहायक हो सकती है। यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो यह भंयकर रूप धारण कर सकती है। अतः अब समय आ गया है तथा देश की मांग है कि बेरोजगारी की समस्या के तत्कालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किये जायें।

माननीय श्रम मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस बारे में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

(पांच) जम्मू और कश्मीर राज्य के सूखे से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता तथा राहत

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण वहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और पशुओं के लिए भी पर्याप्त चारा नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र के लोगों को उदारतापूर्वक सहायता और राहत प्रदान करे।

(छः) बलिया (उत्तर प्रदेश) तथा भोजपुर (बिहार) के किसानों के बीच परस्पर विरोधी काश्तकारी दावे

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच लम्बे अर्से से चले आ रहे सीमा-विवाद की ओर मैं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विवाद में उन राज्यों के बलिया और भोजपुर जिले शामिल हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों के कठिन प्रयासों के बाद, केन्द्रीय सरकार ने संसद के एक अधिनियम के अधीन एक आयोग्य का गठन किया और उस आयोग ने सीमायें निर्धारित करने और संबंधित किसानों के काश्तकारी के दावे तय करने के लिए अपना निर्णय दिया। यह विवाद गंगा के बहाव मार्ग में लगातार परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हुआ जोकि दोनों राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार गंगा के बहाव मार्ग में परिवर्तन होने के कारण प्रभावित किसानों के प्रतिद्वन्द्वी दावों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

दुर्भाग्यवश, काश्तकारी के दावों को तय करने के लिए सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां लोगों में मुकदमेबाजी हो रही है और कुछ लोग हिंसा पर उतारू हो रहे हैं।

बिहार में भोजपुर के किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि उनके काश्तकारी अधिकारों

को मान्यता नहीं दी जा रही है जबकि उत्तर प्रदेश में उनके जैसे लोगों को बिहार सरकार द्वारा काश्तकारी अधिकार दिए जा चुके हैं।

चूंकि रबी की फसल की कटाई का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए समस्त क्षेत्र में तनाव और असन्तोष व्याप्त है।

मैं एक बार फिर से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके इस विवादास्पद समस्या का स्थायी समाधान निकालें।

(सात) विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में वायु-प्रदूषण

श्री एस०एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, यह बहुत ही दुःख की बात है कि भोपाल दुर्घटना के बाद भी, उद्योगपति वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से धुंआ, धूल और जहरीली गैसों के निकलने पर नियन्त्रण रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं और इस प्रकार वे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

विशाखापत्तनम में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण न किए जाने के परिणामस्वरूप हजारों लोगों के स्वास्थ्य को इससे गम्भीर खतरा पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, 2-2-1985 की सुबह को औद्योगिक क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले हजारों लोगों ने गम्भीर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को अनुभव किया है जिससे गले में तेज दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, तीखी गन्ध, आंखों से पानी बहना तथा फेफड़ों में जलन आदि शामिल हैं। धुंआ इतना घना था कि लगभग एक घन्टे तक एक मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति को देखना भी नामुमकिन था। कुछ लोग उत्तर दिशा में बन्दरगाह क्षेत्र की तरफ सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जहां प्रदूषण फैलाने वाले कुछ बड़े उद्योग जैसे कि हिन्दुस्तान जिंक, कोरोमंडल फर्टि-लाइजर्स, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी तथा इस्पात मिलों जैसे कुछ मध्यम उद्योग हैं।

वायु में जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं वे हैं सल्फर डाइआक्साइड, जहरीला धातु का कचरा, धुंआ और गैस जिसमें हानिकारक पदार्थ—बेंजो-पाइरीन्स मिला होता है, जिसके परिणामस्वरूप कैंसर हो जाता है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा :

(एक) विशाखापत्तनम में स्थित उद्योगों में आवश्यक वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाए जायें।

(दो) वायुमण्डलीय परिवर्तनों की पूर्व सूचना देने के लिए प्रत्येक दिन मौसम सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आवश्यक मौसम उपकरणों को लगाने हेतु उद्योगों को

निदेश दिए जायें और वातावरण के सबसे अधिक प्रदूषित होने की सम्भावना के समय अपने कुछ कामों में कटौती करें जैसा कि वे जापान और अमरीका में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए करते हैं।

(तीन) भोपाल जैसी औद्योगिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक आपातकालीन अनुक्रिया पद्धति विकसित की जाये।

(चार) इस पद्धति को आयोजना करने और इसे लागू करने के लिए एक विशेष आयोग बनाया जाये जिसमें नौसेना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित उद्योगों और स्थानीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हों, जैसा कि ब्रिटेन, कनाडा और नीदरलैंड में है।

(आठ) स्थानीय निकायों के चुनाव निर्धारित समय पर कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : देश में लोकतंत्र की नींव गहरी और मजबूत हो गयी है और भारत की जनता ने इसे अपना लिया है और समय समय पर उस ने अपने विवेक, ज्ञान और बुद्धि का इस सम्बन्ध में परिचय दिया है। परन्तु दुख की बात है कि आज भी देश में लोकतांत्रिक इकाइयां, जो लोकतंत्र की आधारशिला हैं, उन में प्रतिनिधियों द्वारा शासन न होकर नौकरशाही द्वारा उनका शासन चलाया जाता है। कई राज्यों में पंचायतों, नगरपालिकाओं व नगर परिषदों का चुनाव वर्षों तक नहीं होता है और जनता का भाग्य नौकरशाही के हाथों में सौंप दिया जाता है। उस के परिणाम जनता को भुगतने पड़ते हैं, जनता अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दी जाती है और जो धनराशि इन लोकतांत्रिक इकाइयों द्वारा कर लगाकर वसूल की जाती है; उसका प्रयोग जनता के हितों और उस की मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने के लिए एवं उस की सुविधाओं के लिए खर्च नहीं किया जाता। यह एक विडम्बना है। यह जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है और इसलिए मेरी केन्द्रीय सरकार से पुरजोर मांग है कि ऐसा कानून बनाए ताकि जिस प्रकार लोक सभा, विधान सभा के चुनाव समय पर होते हैं, उसी तरह इन संस्थाओं के चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिए और उन्हें नौकरशाही के हाथों में नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो संविधान में प्रावधान किया जाना श्रेयस्कर होगा और जनता उसका हृदय से स्वागत करेगी।

12.34 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 - जारी

(एक) इस्पात खान और कोयला मंत्रालय - जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 को लेंगे। 5 घंटे 53 मिनट हम पहले ही ले चुके हैं। सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। हम सात मिनटों में 2 सदस्य बोल सकते हैं। वे अपने मुद्दे रख सकते हैं। उसके पश्चात माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। बहुत से सदस्य पहले ही भाग ले चुके हैं। अत: मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्य दो या तीन मिनट में ही अपने मुद्दे उठायें इससे ज्यादा समय वे न लें।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आपने माध्यम से मन्त्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जितनी भी खदानें हैं वह पहाड़ों में निकलती हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। जब सरकार खदानें ले लेती है तो उसके बाद बेचारे आदिवासी इधर-उधर भटकते रहते हैं। पहले तो वे लोग कुछ खेती या मजदूरी करके अपना काम चला लेते थे लेकिन खदानें लेने के बाद वहां पर भवन बन जाते हैं, खदानें कार्य करने लगती हैं और धुवां निकलने लगता है और आदिवासी बेकार हो जाते हैं। मेरा आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे उन आदिवासिओं के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें तथा वहां पर जो बिचौलिए कन्ट्रैक्टर्स हैं उस कन्ट्रैक्टर की प्रथा को आप बिल्कुल समाप्त कर दें। उन लोगों के परिवार को हमेशा के लिए रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था आप करने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश; बिहार और उड़ीसा बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं और वहीं पर ये सारी की सारी खदानें भी है जहां कि आदिवासी लोग रहते आ रहे है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात को ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रेलवे द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में 30 हजार वैगन एलाट किए जाते हैं जिसमें मिलते 15 हजार वैगन ही हैं जबकि वहां कोयला ढोने के लिए एक लाख वैगनों की आवश्यकता रहती है। वैगन्स के अभाव में जितना भी ट्राफिक होता है वह रोड के माध्यम से होता है लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश की रोड्स की स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनपर आदमी, बैलगाड़ी और साइकल तक नहीं चल सकते हैं। रोड्स की दशा सुधारने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं साटेजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम कोयला ढोने के लिए मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए दिलाने की व्यवस्था करें।

जहां तक माइनिंग की बात है, चाहे वह डोलोमाइट की या सुपर फास्फेट की, जिस तरह से आप एग्रीकल्चर मिनिमम वेज फिक्स करते हैं उसी प्रकार से वहां पर आप मिनिमम वेज फिक्स कीजिए तथा उसको दिलाने की पूरी व्यवस्था कीजिए।

एक बात स्टील के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। जहां तक अपने देश में स्टील प्रोडक्शन का सम्बन्ध है, यदि आप साउथ कोरिया की फीगर्स को देखें तो वहां की एक मिल के बराबर यहां की पांच मिलें भी उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाती हैं। नई टेकनोलाजी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां की जो मैन-पावर है उसका भी उपयोग कैसे किया जाए, उसका भी ध्यान रखें।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि कोल इंडिया ने मध्य प्रदेश में 12 स्थानों पर कोल स्टाक-यार्ड खोलने की बात कही थी लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में जिलों में छोटे-छोटे उद्योग चलते हैं उनके लिए आवश्यक है कि कोल इंडिया ने 12 स्थानों पर जो कोल स्टाक-यार्ड खोलने का निर्णय लिया था उस पर जल्दी कार्यवाही की जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री काली प्रसाद पांडे (गोपालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री द्वारा इस्पात, खान और कोल विभागों को एक साथ करके निश्चत रूप से उनकी मन्शा इस बात को साबित करने की थी कि इससे उत्पादन क्षमता बढ़े, तीनों विभागों के एक साथ रहने से कार्यक्रम अच्छी तरह से चलें—मैं उसका स्वागत करता हूं। बजट से दर्शाया गया है कि 1983-84 की अपेक्षा 1984-85 में लाभ हुआ है, उत्पादन क्षमता बढ़ी है लेकिन मैं साठे जी से अनुरोध करूंगा कि मैं बिहार से आता हूं, वहां पर धनबाद में अवैध खानें चल रही हैं, माफिया गिरोह कार्यरत हैं, यदि आप उन पर काबू पाने में समक्ष हों तो आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कोयले का उत्पादन बढ़ गया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहार में माफिया गैंग पर काबू पाने में सरकार असमर्थ है। आपका यहां से आदेश जाता है, एक नहीं अनेक कार्यक्रम होम-विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आदेश पर कोई काम नहीं होता है। इसमें बड़े-बड़े लोग संलग्न हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक इसमें आप दिलचस्पी नहीं लेंगे, तब तक माफिया गिरोह पर काबू नहीं किया जा सकता है। समयाभाव की कमी के कारण मैं दो-तीन प्रश्न ही आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, लोह एवं इस्पात का कुल उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत सिर्फ बिहार से ही उत्पादित किया जाता है, तो उसका नियन्त्रक कार्यालय बिहार में न होकर कलकत्ता में क्यों रखा गया है ? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें ही होना चाहिए। लोह एवं इस्पाद उत्पादन के लिए बिजली एवं कोयले की कमी की पूर्ति के लिए सरकार आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाती है, जिससे यह उद्योग एक मुनाफा देने वाला उद्योग हो जाये तथा साथ ही इस उद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाए।

कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बिहार में होता है, जबकि इसका मुख्य कार्यालय बिहार से बाहर रखा गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि इसका कार्यालय बिहार में ही रखा जाए । कोयले की अवैध खुदाई पर रोक लगाई जाए और माफिया गिरोह को समाप्त किया जाए । कोयले की ढुलाई के लिए समुचित रेल वैगनों का प्रबन्ध किया जाए तथा भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती की जाए । मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में एक बात यह भी लाना चाहता हूं कि खास कर जितने उद्योगपति हैं, वे अपनी कम्पनियों के कोयले का परमिट ले लेते हैं, लेकिन कोयले का परमिट रानीगंज में ही बेच दिया जाता है । हमारे यहां राजमहल में सिलिका कम्पनी है, जिसको पांच सौ टन का परमिट दिया गया है, लेकिन वह कोयले का परमिट रानीगंज में ही वेच दिया गया । आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कि जो भी उद्योगपति हैं, जो अवैध रूप से कोयले का परमिट प्राप्त कर लेते हैं और उसको ब्लैक में बेच बेते हैं, उन पर काबू पाया जा सके ।

कोयला खदानों में काम कर रहे मजदूरों की दशा काफी बदतर है तथा उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं । इन खदानों में रोजगार के मामले में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है । हिन्दुस्तान का कापर का मुख्यालय कलकत्ता में है, जबकि खानें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हैं । इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए ।

कोल इंडिया की सब कम्पनियां घाटे में चल रही हैं. इसका क्या कारण है ? इससे जाहिर होता है कि हमारे पब्लिक सैक्टर में काफी भ्रष्टाचार है । हमें अपने नए खनिज स्रोतों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान की खनिज सम्पदा कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जायेगी । हमारे देश में लगभग 700 करोड़ रुपये मूल्य का कोयला खदानों पर जमा है, जबकि देश में कोयले का अभाव है । अतः कोयले को खदानों से उठाकर देष में वितरित करने की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए ।

स्टेनलैस स्टील की चद्दरों के आबंटन में जो धांधली होती है, उन्हें दूर किया जाना चाहिए । स्टील अथारिटी की सभी यूनिटें घाटे में चल रही हैं । सरकार को इसके कारणों का पता लगाना चाहिए । कोल सैक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहा है । बिहार में कोयला निकासी के लिए स्लिप आर्डर की प्रक्रिया है, जो भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है । अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए । कोयला खदानों में बड़े पैमाने पर चोरी के मामलों की जांच होनी चाहिए । कोयला खनिज और इस्पात के उत्पादन में तथा उनके परिवहन वितरण प्रणाली तथा प्रशासनिक व्यवस्था में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है । कोयला खानों के क्षेत्र में अपराधी तत्वों की समाप्ति अविलम्ब होनी चाहिए । सरकारी क्षेत्र में चल रहे खानों और कारखानों में फिजूलखर्ची पर रोक लगा कर उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में कोयला, खनिज और इस्पात मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हममकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, 4 साल पहले हमारे आंध्र प्रदेश के नौजवानों ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट खड़ा कराने के लिए आन्दोलन किया था और उस आन्दोलन में अनेक लोग मारे गए थे। उसके बाद विशाखापत्तनम स्टील प्लांट खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार राजी हुई, लेकिन उस योजना का आधा हिस्सा उन्होंने मद्रास को दे दिया और आधा आंध्र प्रदेश को दिया। यह एग्रीमेंट 1970 में हुआ था। इस समय 1985 चल रहा है, 15 साल बीत चुके हैं। उस समय इस स्टील प्लांट पर 2500 करोड़ रुपया खर्च करने का स्टीमेट बना था, बाद में वह एस्टीमेट बढ़ कर 3000 करोड़ रुपये हुआ और अब बढ़ कर 8000 करोड़ हो गया है। इस 8000 करोड़ रुपये के एस्टीमेट में से अब तक 1300 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तथा इस साल के लिए केवल 215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगर इस हिसाब से देखा जाय तो इस प्लांट को पूरा होने में 35 साल लग जायेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि आंध्र की जनता के साथ केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है।

आप जानते होंगे इस प्लांट के लिए 20 हजार एकड़ जमीन किसानों से छीनी गई थी, 15 साल बीत चुके हैं अभी तक उनको उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। जो थोड़ा बहुत दिया गया है वह भी केवल 1250 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया गया है जो उस भूमि की कीमत को देखते हुए बहुत कम है। भूमि लेते समय वहां के किसानों से यह वायदा किया था कि कारखाना लग जाने पर स्थानीय लोगों को काम-धन्धा दिया जायेगा, नौकरी में रखा जायेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां के जितने बड़े-बड़े अफसर हैं वे सफाई करने वाले को, खाना बनाने वाले को अपने गांव से लाते हैं, स्थानीय लोगों को उन कामों पर नहीं रखते हैं। उस प्रदेश की जनता वहां के लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी है, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। वहां की सरकार तथा सदस्य सरकार से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस योजना को पूरा करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की जाय, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। केन्द्रीय सरकार के इस रवैये के बारे में हमें गौर से सोचना पड़ेगा। आपने एक फैक्टरी दी, वह भी इतने बड़े आन्दोलन तथा बहुत से लोगों के मरने के बाद, अब उसको कम्पलीट होने में यदि 35 साल लगेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। हम जितने पार्लियामेंट के मेम्बर यहां हैं, सायद हम अपने जीवन काल में इस कारखाने को नहीं देख सकेंगे। एक तरह से देखा जाय तो जिन लोगों ने आन्दोलन में अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके तीसरे जन्म तक इस कारखाने का उत्पादन शुरू हो पायेगा, वह भी मुझे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है।

आप की स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के अन्तर्गत जितने इस्पात के कारखाने चलते हैं, सब घाटे में हैं। हमारे यहां से जो कच्चा लोहा जापान को जाता है और वहां से जो स्टील बन कर आता है; उसको जापान 4000 रुपये टन में देने को तैयार है। जबकि हमारे यहां कोयला और सभी रा-मैटीरियल सस्ते हैं, फिर भी स्टील का भाव 8000 रुपये टन है। जापान वाले हमारे आयरन और को मंगा कर हम से आधे दामों पर तैयार माल देने को तैयार हैं ऐसा क्यों है ? हमारा माल मंहगा क्यों पड़ता है, इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है।

आज इस्पात के जो दाम हैं, उस दाम में शहर में रहने वाला यदि केवल बाथ-रूम बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। गांव वालों की तो बात ही छोड़ दीजिये। हमारे यहां सिगरैनी कोलयरी है। हमारी आन्ध्र सरकार ने आप को लिख कर भेजा कि वहां पर ज्यादा खदानें खोदने के लिये हम को पैसा दीजिए। उन के बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर रा-मैटीरियल मिलता है, वहीं पर इंडस्ट्री बननी चाहिए मगर हो क्या रहा है कि आन्ध्र से कोयला ले जा कर दूसरी जगह इलैक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। जहां पर सीमेंट का पत्थर मिलता है और कोयला मिलता है, वहीं पर सीमेंट की फैक्टरी लगानी चाहिए। होत यह है कि सीमेंट फैक्टरी के लाइसेंस के लिए लोग इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन उन को परमिट नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पर रा-मैटीरियल मिलता है, वहीं पर लाइसेंस देना चाहिए और जहां पर कोयला मिलता है, यहां पर इंडस्ट्री को कायम करना चाहिए। भोपालपल्ली, जिला वोरंगल में 10 फीट के नीचे कोयला मिलता है। वहां पर आप एन० टी पी० सी० का एक यूनिट कायम कर सकते हैं, एक थर्मल प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। गोदावरी बेसिन जो है, वहां पर बहुत ज्यादा कोयला है लेकिन उस काले सोने को केन्द्रीय सरकार इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जो काला सोना जमीन के नीचे है, उसको निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर कई प्रकार की सीमेंट फैक्टरी और थर्मल प्रोजेक्ट्स लगाये जा सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सिंगरोली कोलरी के लिए 80 करोड़ रुपए सालाना कर्जा दे रही है लोकल इंडस्ट्रीज को वंचित करते हुए, वह आप को कोयला दे रही है। मेरा कहना यह है कि वहां पर और ज्यादा पैसा देकर और प्रोजेक्ट्स आप खोल सकते हैं। वहां पर 100 साल तक कोयला मिलने की संभावना है, ऐसी टेक्निकल रिपोर्टस हैं। इसलिए में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंगरौली कोलरीज, जो आन्ध्र प्रदेश में बहुत पुरानी कोलरीज हैं, के लिए और ज्यादा पैसा देकर वहां पर नये कुंए आप खुदवाइए और जो कोयला वहां पर है उसे निकलना चाहिए। वहां पर बाबूगिरी का एम्पलायमेंट मिलने की सम्भावना नहीं है लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है, उसको आप सिंगरौली कोलरी में रोजगार दे सकते हैं। इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भोपालपल्ली, पैदापुरम और चिलपुर में आप और कुंए खुदवाइए क्योंकि वहां पर 10 फीट नीचे ही कोयला मिल जाता है। पैसे के अभाव में उनको चालू नहीं किया जा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि और ज्यादा पैसा देकर इस काम को कराया जाए।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब लोग जो ईंट बनाते हैं, उनके लिए रायलटी देना पड़ती है। उन की अपनी जमीन होती है और अपने घर के लिए भी अगर वे ईंटें बनाते हैं, तो उन को रायलटी देनी पड़ती है। मेरा कहना है कि यह जो रायलटी वसूल की जाती है, इस को खत्म कर देना चाहिए।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे आन्ध्र प्रदेश में ब्लैक एण्ड रेड ग्रेनाइट होता है, जो

कि जापान और अन्य देशों को भेजा जाता है। जहां पर यह एक्सपोर्ट होता है, वे इस को साफ करके भारत और अन्य देशों को वापस भेज देते हैं। इस तरह से वे करोड़ों रुपये इससे कमा रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ग्रेनाइट को उदगम स्थान से पर ही करके इस को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। इससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिजंर्व्ड फोरेस्ट्स हैं, वहां पर हम को किले मिलती है। वहां पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो 5 एकड़ जमीन और 2 एकड़ जमीन लीज पर लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है क्योंकि वह जमीन रिजंर्व्ड फोरेस्ट में है हम को रिजंर्व्ड फोरेस्ट में अच्छे अच्छे खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसके लिए केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना उचित नहीं है। जहां पर भी किले लीज पर लेना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनाने के लिए जमीन किराए पर लेना चाहते हैं तो रिजर्व फारेस्ट होने की वजह से रिलेक्सेशन नहीं मिलता है। इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से अनुमति होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरह से छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज वहां पर खुल सकें। इतना कहते हुए आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) . उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे मन्त्रालय की अनुदान की मांगों की चर्चा में में भाग लिया। उन्होंने अत्यन्त मूल्यवान योगदान किया और मैं वास्तव में उनका आभारी हूं। प्रारम्भ में मैं आम समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा।

महोदय, मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध अधिकांशतः भूगर्भीय वस्तुओं से है। (व्यवधान) लोगों को भूमिगत रहने की आदत है वे संभवतः इसकी सराहना करेंगे। और हमारा कार्य इसे सतह पर लाना और लोगों के भले के लिए इसका उपयोग करना है। हमारा देश विपुल खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। शायद ही कोई ऐसा खनिज होगा जो हमारे देश में न मिलता हो। आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अन्य तरीकों से इनके खनन का कार्य किया जा रहा है। ताकि ज्यादा से ज्यादा उपयोगी खनिजों का पता लगाया जा सके जिससे हम आत्म निर्भर बन सकें। परन्तु जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज हमारे यहां है, वह है कोयला। मैं पैट्रोलियम की बात करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यह मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है। यद्यपि इस उत्पाद का भण्डार हमने समुद्र तट से दूर व तट पर ढूंढ़ निकाला है। परन्तु जहां तक हमारे मन्त्रालय से सम्बन्धित खनिजों का सम्बन्ध है, कोयला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज है। इसके बाद लोहा, अयस्क, बाक्साइट, मैंगनीज, जस्ता और तांबा आदि कुछ ऐसे खनिज हैं जिसकी हमने काफी मात्रा में अपने देश में खोज निकाला है। जरूरत है इन खनिजों को समन्वित तरीके से उपयोग में लाने की, अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की और हमारे देश के व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ाने की। ऊर्जा संसाधनों में भारत का आठवां स्थान है। हमारे पास विद्युत ऊर्जा का विपुल भंडार है।

यद्यपि इस्पात के लिए कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तथापि गैर-कोकिंग का भण्डार बहुत है। इसका आशय यह है कि तापीय विद्युत के लिए इस किस्म का कोयला पर्याप्त मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है और देश में बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता है। बिजली के बिना न तो कृषि उत्पादन हो सकता है और न ही औद्योगिक उत्पादन बढ़ सकता है। इसलिए, आज के समय में बिजली को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। अब बिजली किस प्रकार पैदा की जा सकती है ? हम लोग नवीकरण योग्य संसाधनों तथा नवीकरण न किए जाने योग्य संसाधनों तथा कोयला, जो समाप्त हो सकता है, के बारे में सोच रहे हैं।

1.00 म० प०

पनबिजली संसाधन और कोयला संसाधन उपलब्ध हैं और परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। हम लोग यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास प्रयत्न किस प्रकार किए जायें। यदि इसमें सफलता मिल जाती है, तो यह एक क्रांति होगी किन्तु तब तक के लिए, कम से कम निकट भविष्य में, बिजली के उत्पादन के लिए सर्वोच्च संसाधन कोयला है। और बिजली उत्पादन करने के किस्म का कोयला पर्याप्त मात्रा में इस देश में उपलब्ध है। आशय यह है कि अधिक बिजली पैदा करने के लिए कोयले का अधिक उपादन किया जाय जिसके लिए विद्युत संयंत्र लगाने होंगे। बोलते समय माननीय सदस्यों ने और अधिक बड़े तापीय विद्युत संयन्त्र स्थापित करने की मांग की थी जिनको खानों के मुहानों पर स्थापित करना सर्वोतम हो सकता है। इन्हें खानों के मुहानों पर स्थापित करने तथा पर्याप्त बिजली पैदा करने से दो बातें होंगी। बिजली का परिवहन कोयले के परिवहन से सुगम है। कोयले के परिवहन में आये दिन कोई न कोई समस्या बनी रहती है। रेलवे को दोष देना ठीक नहीं होगा। वस्तुतः उनके पास भी सीमित रेल लाइनें हैं। किसको प्राथमिक दी जाये ? अधिक गाड़ियां चलाने की मांग है। इन्जिन जाम कर दिये जाते हैं। उन्हीं लाइनों पर या तो सवारी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं अथवा माल गाड़ियां। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक के लम्बी दूरी के स्थानों पर कोयले की ढुलाई के लिए लाईन हर समय अवरुद्ध तो नहीं की जा सकती है क्योंकि कोयले के क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं और सिंगरौली की परत तक नीचे ओर जा रहे हैं। अतः अब यह विचार बना है कि जहां कोयला उपलब्ध है वहां बिजली का उत्पादन किया जाय और वहां से बिजली ले जाई जाए। और जैसा मैं कह चुका हूं बिजली का ग्रेड का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

इससे पूर्व मुझे उर्वरकों के बारे में तथा उर्वरक उद्योग की मुख्य शिकायत बिजली की कमी के बारे में बोलने का अवसर मिला था। मैं इस्पात पर भी बोला था और इस्पात के उत्पादन में मुख्य रूप से बिजली के कारण रुकावट होती है। किसी भी उद्योग, सीमेंट, एल्युमीनियम, अथवा अन्य किसी भी उद्योग को लें, सभी की यही परेशानी है ; एल्युमीनियम के लिए बिजली की विशेष खपत होती है और इस उद्योग को बिजली की खपत करने वाला कहा जाता है। यदि इन उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी तो ये यूनिट प्रभावी रूप से और लाभप्रद तरीके से कार्य नहीं कर सकेंगे इसलिए, एक ही सामान्य धारणा है। मैं अपने देश की नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी कर रहा हूं और वह बिजली संयन्त्रों को प्रतिष्ठापित करना है। रक्षित विद्युत संयन्त्रों की धारणा से है किन्तु

वे उद्योग तक ही सीमित हैं और वे बड़े नहीं हो सकते, वे लगभग 50 या 60 मेगावाट तक ही सीमित होंगे। हम लोग किसी विशेष क्षेत्र में उद्योग समूह के लिए 250 मैगावाट के प्रतिष्ठापित विद्युत संयन्त्र लगाने के बारे में सोच रहे हैं : जिन सभी उद्योगों को बिजली की आवश्यकता है, उन्हें राज्य के ग्रिड पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। मैं राज्यों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं तथा उदाहरण पेश कर रहा हूं कि चाहे कर्नाटक हो अथवा, उड़ीसा अन्य कोई भी अन्य राज्य, वे सभी उर्वरक, इस्पात और सीमेंट के लिए बड़ी परियोजनाओं के इच्छुक हैं। ऐसा कौन है, जो नहीं चाहता हैं ? इसके साथ ही सभी बिजली का आश्वासन भी देते हैं, वे इच्छुक हैं तथा ईमानदार हैं। जब वास्तविक स्थिति आती है तो उन्हें अन्य प्राथमिकताओं की ओर भी ध्यान देना होता है। कृषि के लिए बिजली की मांग इतनी प्रबल है कि कृषि से कटौती करके बिजली इन परियोजनाओं को नहीं दी जा सकती है। जिसके परिणामस्वरूप, प्रार्थमिकता के कारण, राज्य इन बड़ी परियोजनाओं को बिजली देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये, हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, तथा यह सभा भी इस विचार का अनुमोदन करे, तो हम चाहते हैं कि इन प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए प्रतिष्ठापित विद्युत संयन्त्र लगाये जायें। मेरे विचार से, तभी हम संयन्त्रों को यथा विजयनगरम संयन्त्र अथवा उड़ीसा में संयन्त्र और इसी प्रकार के अन्य संयन्त्र स्थापित कर सकेंगे।

इस्पात के बारे में हम बहुत इच्छुक हैं। जैसा कि मैंने कहा था भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क उत्पादित होता है जिसका लोहा बहुत अच्छे किस्म का होता है। दुर्भाग्य यह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे पास सर्वोत्तम किस्म के लौह अयस्क का विशाल भंडार है, सर्वोत्तम जनशक्ति है, और तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शक्ति है, फिर भी हमें लौह अयस्क का निर्यात करना पड़ता है। जापान का उदाहरण दिया गया था। 1945 में जापान ने उसी स्तर पर कार्य आरम्भ किया था और जैसा कि हमने। वह बढ़कर 10 करोड़ टन हो गया है, इतने पर भी वह सब वस्तुओं का यथा चूना-पत्थर, लौह अयस्क, कोकिंग कोयला आदि का आयात कर रहा है और इसके बावजूद इतना अधिक उत्पादन कर रहा है। ऐसा क्यों है ? भारत ऐसा क्यों नहीं कर सका ? जैसा कि हमारे मित्र श्री अमल दत्ता ने कल कहा था भारत ने इस शताब्दी के अन्त तक 750 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह न्यायोचित लक्ष्य था किन्तु हम उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है ? हमें स्वयं से ही यह प्रश्न करना होगा। आपके तथा इस सभा के साथ ही इन भावनाओं को महसूस करते हुए, मेरे विचार में इसे किया जा सकता है और हमें इसे पूरा भी करना चाहिए। देश का औद्योगीकरण जिस प्रकार किया जा सकता है ? औद्योगीकरण से क्या तात्पर्य है ? राष्ट्र के औद्योगीकरण से तात्पर्य यह है कि इस देश के 70 करोड़ व्यक्तियों की, अपने ही निवास स्थान पर सामान तैयार करने के साधन और उपकरण उपलब्ध कराये जायें और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास जैसे महानगरों अथवा ऐसे ही किसी अन्य शहर में स्थानान्तरित होने और वास्तव में शहरों को अवरुद्ध करने के लिए विवश न किया जाय। किसी दिन ये शहर, जहाजों के समान आबादी के भारी जमाव से आवश्यकता से अधिक भर जायेंगे और डूब जायेंगे। हम जो ये द्वीप तैयार कर रहे हैं, यह बहुत खतरनाक है।

इसलिए समग्र आबादी के संतुलित विकास के लिए उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना

तथा उन्हें उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का हमने यही लक्ष्य निर्धारित किया है — उत्पादकता, कार्य और खाद्यान्न जैसा कि मैं कह चुका हूं इसे पूरा करने के लिए आदान उपलब्ध कराने होंगे। आज के उद्योग के लिए धातु आवश्यक है। इस्पात के बिना हम खेती भी नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि सारे देश में लकड़ी के हलों को लोहों की जोतों में बदल दिया जाय, तो आपको लगभग बीस लाख टन इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। आप जो भी उद्योग आरम्भ करना चाहें, आपको जिन औजारों, उपकरणों, छोटी मशीनों, मोटरों और किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए ही आपको इस्पात, अथवा एल्युमीनियम अथवा तांबा अथवा किसी भी धातु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस्पात का अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए। यह किस प्रकार किया जा सकता है? इसके लिए संसाधनों में प्राथमिकता बरतने की आवश्यकता है। अब मुझे मालूम है कि योजना आयोग की अन्य प्राथमिकताएं भी हैं। अन्ततोगत्वा हम लोगों को एक साथ मिलकर विचार करना होगा। क्षेत्रीय विचार से तो कोई काम बनता नहीं। धन कहां से प्राप्त किया जा सकता है? संसाधन भी उत्पादन से ही पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन के बिना अतिरिक्त वस्तु होना संभव नहीं है। इसलिए, मैं इस बात को सोच रहा हूं कि कोयला इस्पात और खनिज पदार्थों के क्षेत्र में हम एक संस्कृति का विकास कर सकते हैं। संस्कृति का उत्थान किस प्रकार हो सकता है? हमें सर्वोत्तम प्रोद्योगिकी का उपयोग करना होगा। यह सोचना गलत है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी में कम जनशक्ति अपेक्षित होगी। ऐसी बात नहीं है अपितु इसके विपरीत, सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस्पात का उत्पादन होगा आधारभूत सामग्री के सस्ता होने से उद्योगों का विकास होगा और यह रोजगार के अवसर प्रदान कर सकेंगे। रोजगार के वास्तविक अवसर न केवल कोयला खानों से प्राप्त होते हैं और न इस्पात कारखानों से।

कुछ माननीय सदस्य जन शक्ति, अर्थात् दुर्गापुर, राउरकेला अथवा अन्य किसी भी स्थान में प्रयुक्त जनशक्ति की तुलना जापान और कोरिया से कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उन देशों की तुलना में हमारे यहां रोजगार अथवा बेरोजगार में लगे हुए व्यक्ति और उतने ही टन भार के लिए उन देशों में प्रयुक्त व्यक्तियों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा।

जापान का उदाहरण दिया गया था और उस दिन मैं कुछ आंकड़ों के बारे में अर्थात जापान में कितना पंजी विवेश किया गया है, के बारे में पूछ रहा था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 1978 से 1982 तक इस्पात में 4,000 करोड़ रुपये की राशि का पंजी निवेश किया गया है। भारयीत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में 270 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि आप कम पूंजी निवेश करें और अधिक उत्पादन करें।' इसलिए हमें इस बात को देखना चाहिए कि आरम्भ से लेकर अब तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कुल 6,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है।

एक माननीय सदस्य अभी अभी विशाखापत्तनम संयंत्र के बारे में पूछ रहे थे। मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि विशाखापत्तनम संयंत्र चाहे आन्ध्र प्रदेश में हो अथवा कर्नाटक, उड़ीसा अथवा और किसी भी स्थान में हो, वह भारत में ही है। हमें इस्पात का उत्पा-

दन करना है। हम लोग उसके लिए वचन बद्ध हैं और उत्सुक हैं और इसलिये, मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम विशाखापत्तनम संयन्त्र को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद)। कब तक ?

श्री वसंत साठे : जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है।

श्री सी० माधव रेड्डी : आज के समाचार पत्र में कहा गया है "शताब्दी के अन्त तक।"

श्री वसंत साठे : आपके जीवन काल में। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं। इसका आशय है कि आपकी आयु लम्बी है, स्वाभाविक है कि मैं आपकी दीर्घायु की भी कामना करता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : संयंत्र का जीवन काल कितना है ?

श्री वसंत साठे : माननीय सदस्य के जीवन काल के बराबर।

श्री सी० माधव रेड्डी : हमारा जीवन भौतिक जीवन अथवा राजनैतिक जीवन ?

श्री वसंत साठे : मैं राजनैतिक जीवन की गारंटी नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में आयु में और भी छोटे लोग हैं।

श्री वसंत साठे : राजनैतिक जीवन के बारे में उन्हें अपनी चिन्ता स्वयं करनी होगी।

भारत सरकार अति उत्सुक है। हम लोग इस बात का पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि पर्याप्त संसाधन कहां से प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने की चेष्टा करेंगे कि विशाखापत्तनम सयन्त्र, योजना के अनुसार समय पर ही पूरा हो जाये। हम लोग समय सीमा का ध्यान रखेंगे।

विजयनगर, पैटारी आदि के बारे में मैं पिछले दिन ही विस्तार पूर्वक उत्तर दे चुका हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि आधुनियतम प्रौद्योगिकी के साथ हम उड़ीसा और विशाखापत्तनम के दोनों संयन्त्रों को योजना के अनुसार ही पूरा कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : सलेम के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री वसंत साठे : जहां तक सलेम का संबंध है, हम लोग दृढ़ निश्चित हैं। सलेम के बारे में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा सलेम में उत्पादन को बढ़ाने और दुगना करने का है। करनाटक की बिजली की स्थिति के बारे में बोलते हुए मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति वर्तमान सरकार या पिछली सरकार के समय से ही नहीं बल्कि 14-15 साल से बनी हुई है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं वास्तविकता बता रहा हूं। वास्तविकता यह है कि वे कुद्रेमुख और विशाखापत्तनम की अपनी ही परियोजनाओं के लिये बिजली उपलब्ध नहीं कर सके। इसलिये उन्हें

क्रोधित अथवा परेशान नहीं होना चाहिए। आप कोई रास्ता निकालें। इसके लिए रास्त प्रतिष्ठापित बिजली संयंत्रों को लगाना है। समस्या का समाधान इसी तरह हो सकता है। इसलिए, जहां तक इस्पात के उत्पादन का प्रश्न है, इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की हमारी प्रबल अच्छी है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मुख्य मन्त्री ने बिजली के बारे में बहुत ही पक्का आश्वासन दिया है।

श्री वसंत साठे : हर मुख्य मन्त्री पक्का आश्वासन देते रहते हैं।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : आश्वासन उत्तर सभा में दिया गया था और उन्होंने आपको एक पत्र भी भेजा था।

श्री वसंत साठे : हर माननीय मुख्य मन्त्री राज्य विधान सभा में और उसके बाहर अब तक आश्वासन ही देते रहे हैं। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा है, उसमें भी वही बात कही है। आश्वासन देने के लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। यदि आश्वासन के भरोसे ही रहा जा सकता है तो मैं भी आपको आश्वासन दे सकता हूं और मामला समाप्त हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए कि आश्वासनों के भरोसे न रहें।

श्री वी० एस० कृष्णन अय्यर : हममें कुछ मतभेद है विशाखापत्तनम के बारे में वे लोग निश्चित हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है। किन्तु विश्वेश्वरैय्या और विजय नगर परियोजनाओं के बारे में आप निश्चित नहीं हैं।

श्री वसंत साठे : हम निश्चित कैसे हो सकते हैं? बिजली मेरे हाथ में तो नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : कर्नाटन सरकार ने आपको बिजली देने का आश्वासन दिया था। हम भी आपको आश्वासन देते हैं। केवल बात इतनी सी है कि आप इरादा बना लें।

श्री वसंत साठे : मैं आपके आश्वासन के लिये कृतज्ञ हूं। बिजली के आपके आश्वासन पर मैं भी आपको आश्वासन दूंगा···(व्यवधान)

श्री के० एस० रंगनाथ (चित्र दुर्ग) : माननीय मन्त्री महोदय को विजय नगर इस्पात संयन्त्र के बारे में पता है। उन्हें कर्नाटक में बिजली की कमी की भी जानकार है। किन्तु हम लोग यह चाहते हैं कि यह परियोजना यथासंभव शीघ्र चालू हो जाये। वह प्रतिष्ठापित बिजली के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे थे : इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि प्रतिष्ठापित विद्युत संयन्त्र कर्नाटक में स्थापित किया जाय और कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयन्त्र यथासंभव शीघ्र चालू किया जाये।

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक मत कहिये? भारत में कहिये।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और हम लोग वही करने की चेष्टा करेंगे। हर सदस्य ने यही कहा है कि सरकारी उपक्रम के एककों का कार्य निष्पादन ठीक नहीं है, सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रम, सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रम एककों में हर वर्ष घाटा हो रहा है।

अब क्या मैं आपको कह सकता हूं कि कभी-कभी मैं महसूस करता हूं कि सरकारी क्षेत्र को नीचा दिखाने तथा उनका मनोबल तोड़ने और गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रशंसा करना एक फैशन सा हो गया है। तथ्य यह है कि मैंने सरकारी क्षेत्र में जो कमियां हैं उनके लिए कभी भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की है। और मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के एकक ज्यादा कार्यक्षम बनें, उत्तरदायी बनें; इसका प्रश्न नहीं है। सरकारी क्षेत्र शब्द का आशय यह नहीं है कि एक पवित्र गाय की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाये। उनके बारे में पवित्रता की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र के एककों को अपनी बाधाओं को दूर करना चाहिए ? उन्हें सहायता दीजिए, हमारे अधिकारियों तथा कर्मचारियों में विश्वास दिखाइये और आप देखेंगे कि जब वे इकठ्ठा मिलकर कर्मचारियों की टीम की तरह से कार्य करेंगे तो आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा ! इसके अतिरिक्त स्वर्गीय प्रधान मन्त्री सरकारी क्षेत्र के एककों से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए एक निश्चित दिशा तथा निर्देशों के साथ और युवा प्रधानमंत्री का दृढ़तापूर्वक यह कहना कि अब दृष्टिकोण परिणामोन्मुख तथा उत्तरदायी होगा। हमें इस सबके नतीजे देखने चाहिए। एक वर्ष में—और यह है जो सदन को ध्यान में रखना चाहिए और उनको वास्तव में बधाई देनी चाहिए जिन्होंने कोयले के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है – आपको मालूम है क्या हुआ है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैंने ऐसा किया है।

श्री बसंत साठे : कुछ सदस्यों ने ऐसा किया है, मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं।

इस्पात के क्षेत्र में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के एकक, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1982 में 105.76 करोड़ रुपये का घाटा था। और 1983-84 में यह घाटा 214.53 करोड़ रुपये का था। यह 214.53 करोड़ रुपये का घाटा इस वर्ष पूरा कर लिया गया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मूल्यवृद्धि करके।

श्री बसंत साठे : यह गलत है। मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसा कहेंगे। मैं इस बात पर आऊंगा। अब हम इस घाटे से बचे हैं और हमें इस सारे घाटे को पूरा करने के बाद लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ होने की संभावना है। इसके मूल्यवृद्धि की बात नहीं है। मूल्यवृद्धि के बारे में मैंने पहले बताया है। मूल्यवृद्धि कुल मिलाकर सिर्फ 40 प्रतिशत बनती है और 60 प्रतिशत बेहतर कार्य-निष्पादन की वजह से हुआ है।

एक माननीय सदस्य : स्टाक की क्या स्थिति है ?

श्री बसंत साठे : स्टाक में भी कमी आई है। प्रत्येक क्षेत्र मे बेहतर कार्य निष्पादन हुआ है। जहां तक भारतीय इस्पात प्राधीकरण के एकको का संबंध है, कुछ एकक हैं जैसे दुर्गापुर, इस्को जिनके बारे में मुझे स्वयं पता है कि ये कुछ एकक समस्याओं वाले एकक हैं। प्रोद्योगिकी उपकरणों तथा प्रबंध की दृष्टि से समस्याओं वाले एकक है। भिलाई में उत्पादन की स्थिति में सुधार हो रहा है।

अब भिलाई, राऊरकेला, बोकारो और सेलम भी अच्छा काम कर रहे हैं। इन पांच एककों में से भी चार एकक, अर्थात् भिलाई, राऊरकेला,, बोकारो तथा एस० एस० पी०—यानि सेलम—लाभ में जा रहे हैं—और अच्छे लाभ में चल रहे हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र को पूरी तरह से बुराई मत करिये; उनमें क्या बाधायें तथा समस्याएं हैं, का का पता लगाने की कोशिश कीजिए तथा उन्हें वहां से दूर कीजिए।

कोयले को लीजिए। कोयले के क्षेत्र में भी आपको यह जानकर खुशी होगी कि 1983-84 में कोल इन्डिया लिमिटेड में 142.68 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और क्या आपको मालूम है क यह सारा घाटा पूरा कर लिया गया है? याद रखें कि यह सारा घाटा केवल मूल्यवृद्धि की वजह से पूरा नहीं हुआ है। इसमें ज्यादातर लाभ अच्छे कार्य निष्पादन की वजह से हुआ है। और इस वर्ष घाटा पूरा करने के बाद अब लाभ 13.83 करोड़ रुपये का है। इसका श्रेय किसे दिया जाये? जब प्रबंधक, श्रमिक तथा अन्य सभी टीम के लोग मिलकर ठीक से कार्य करते हैं तो इसके आश्चर्यनक परिणाम आते हैं। मैं उन स्थानों पर गया था और हमने देखा कि स्थिति किस प्रकार बदल गई है मेरे सहयोगी रसायन तथा उर्वरक मंत्री, भी मेरे साथ गये थे और वह आपको बतायेंगे कि दुर्गापुर में क्या हुआ। वहां एक संयंत्र है जो 9 माह तक बन्द रखा गया। श्रमिकों के सहयोग से उसे न केवल चालू किया गया बल्कि उसमें रिकार्ड उत्पादन हुआ और उसके बाद किसी भी दिन उस संयंत्र में कोई समस्या नहीं आई है। यह अच्छे उत्पादक संयंत्रों में से एक है। अतः श्रमिक सहयोग और प्रबंधकों की सहभागिता से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं परन्तु यह सहभागिता पूरे दिल से की जानी चाहिए।

ई० सी० एल० और बी० सी० सी० एल० अभी भी घाटे में चल रही है।... और ई० सी० एल तथा बी० सी० सी० एल० ने घाटा पूरा कर लिया है. अतः मैं श्रमिक सहभागिता के प्रश्न पर आता हूं। मैं आपसे तथा इस सदन से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार करें। अगर आप वास्तव में परिवर्तन लाना चाहते हैं और हमारे संविधान के प्राक्कथन में दिये गये लोकतांत्रिक समाजवादी गणतंत्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रबंध में श्रमिकों की पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए और इसकी शुरुवात कम से कम सरकारी क्षेत्र से की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री वसंत साठे : सरकारी क्षेत्र में कौन नियोजक है तथा कौन कर्मचारी है? नियोजक-कर्मचारी, मालिक-नौकर का सारा सिद्धांत सरकारी क्षेत्र में एक मिथ्या नाम और गलत धारणा है, अतः सरकारी क्षेत्र में कम से कम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से सफाई वाले तक सभी कर्मचारी हैं; सभी एक साथ काम करते हैं और सभी श्रमिक हैं। निचले स्तर से उच्च स्तर के प्रबंध में क्यों न सभी मिलकर कार्य करें? इसमें क्या बाधा है? दुर्भाग्य से बाधा श्रमिक संघों का निहित स्वार्थ है। मैं श्रमिक यूनियन का कार्यकर्ता रहा हूं। आपने और मैंने एक साथ काम किया है और हमें इसके बारे में जानकारी है आप चुनाव नहीं चाहते हैं। प्रबंध समिति में प्रतिनिधी के तौर पर कौन भाग लेगा? श्रम मंत्री ने सहभागिता की सारी धारणा हमारे पास भेजी है। वह हमारे पास स्मरण-पत्र भेजते रहते हैं कि इसको लागू न करने का क्या कारण है।

जब भी आप इसे करने की कोशिश करें आप प्रबन्ध समिति में किसे रखेंगे ?—मान्यता प्राप्त यूनियन को। क्या आपको मालूम है कि कुछ एककों में 20 यूनियनें हैं—सभी मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं। अभी और गहराई में चलते हैं। अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं, ये वहीं तक ठीक है जहां तक लोकसभा अथवा देश का प्रश्न है, लेकिन मान लो 30 प्रतिशत बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन एक प्रतिनिधि भेजती है और वह व्यक्ति प्रबन्ध समिति में आ जाता है परन्तु अगर बाकी के 70 प्रतिशत यह निर्णय करें कि वे सहयोग नहीं करेंगे तो वे काम बन्द कर सकते हैं। अतः यह तरीका ठीक नहीं है। अगर ट्रेड यूनियनें इसे स्वीकार करें तो मैं एक ट्रेड यूनियन के कार्यकर्त्ता के तौर पर एक सुझाव दूंगा।

मेरे विचार में अब सिर्फ यही एक समाधान है कि या तो गुप्त मतदान के आधार पर प्रतिनिधि संघों का चुनाव कराया जाए, और इससे अधिक बेहतर होगा—चूंकि मैं जानता हूं कि उससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा—जैसे कि हमारा नारा था, 'एक उद्योग-एक यूनियन' जिसका प्रयोग हमने स्वतंत्रता के दौरान और स्वतंत्रता के पश्चात भी किया। हम बार-बार यह दोहराया करते थे और हमने कहा था, 'ब्रिटिश लोग हमें विभाजित करके राज्य करना चाहते हैं, और इसी कारण ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत सात सदस्य एक यूनियन बना सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड यूनियनें हैं और वे चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें। इसीलिए, हमारा नारा था 'एक उद्योग-एक यूनियन'। इस देश की सारी ट्रेड यूनियनें एक साथ मिलकर क्यों नहीं कहतीं : "जी हां, ट्रेड यूनियन अधिनियम का संशोधन कीजिए, और एक उद्योग में एक यूनियन हो ? स्वतः ही प्रबन्ध समिति में उनके प्रतिनिधि आ जाएंगे और सहभागिता की समस्या और प्रबन्ध में कौन हो का समाधान हो जाएगा। अथवा, मैंने एक तीसरे तरीके का भी सुझाव दिया है। ठीक है, यूनियनों को ऐसे ही रहने दीजिए, कम से कम सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों को भागीदार समझा जाए; नामधारक शेयरहोल्डर, सांकेतिक शेयर से जो कम्पनी द्वारा स्वयं दिया जायेगा—100 रुपये अथवा 10 रुपये या जो भी हों, वह कोई मायने नहीं रखता—प्रबन्धक से लेकर आखिरी वर्ग के कर्मचारी तक, और उसके बाद में शेयरहोल्डर कर्मचारी भागीदारों के रूप में प्रबन्ध के विभिन्न वर्गों प्रबंधकीय, तकनीकी, पर्यवेक्षणीय, गैर-तकनीकी के लिए वार्षिक या द्विवार्षिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। मैंने ट्रेड यूनियनों के नेताओं की बैठक बुलाकर उनके साथ इस पर विचार-विमर्श किया था और मैं उनसे फिर मिलूंगा और बार-बार उनमें से प्रत्येक से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा। मित्रो क्या मैं आपको बता सकता हूं और महोदय आपके माध्यम से मैं इस सभा से अपील करूंगा कि प्रबन्ध में श्रमिकों के इस ईमानदार सहभागिता से इस देश के सरकारी क्षेत्र के उत्पादन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाएगा ? कृपया इसे स्वीकार करके सहयोग दीजिए। यह हमारा नारा था, हम कर्मचारियों को बुला रहे हैं, "जहां तुम अपना खून पसीना बहाते हो उस उत्पादन प्रक्रिया का तुम्हें मालिक बनना है।" हम उस नारे तथा उस स्वप्न को कब पूरा करेंगे ? यह मौका है ! हमें इसे कम से कम सरकारी क्षेत्र में करने दें, मैं आज आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं। तभी सरकारी क्षेत्र के एककों में अधिक उत्पादन होगा, जिम्मेदारी की भावना से उत्पादन करेंगे, अपनत्व के भाव से कार्य करेंगे और देश के अन्य उत्पादक क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे तथा हमारे देश के महान संस्थापक

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सोची गई बुलन्दी तक हम पहुच सकेंगे ! लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, "किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कभी-कभी आपको निर्भीक निर्णय लेने पड़ेंगे ।" और हमारे युवा प्रधानमंत्री निर्भीक निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध हैं, जब उन्हें राष्ट्रीय हित में लेना आवश्यक हो ! अगर सदन यह महसूस करता है कि सच्ची भावना से श्रमिक सहभागिता के सिद्धांत को लागू करना राष्ट्रीय हित में है, तो मुझे विश्वास है, कोई भी आवश्यक विधान लाने में नहीं हिचकिचाएगा बशर्ते हम सब इस बात पर सहमत हों कि राष्ट्रीय हित में इसकी आवश्यकता है । और जैसा कि मैंने कहा है अगर यह कर दिया गया तो सफलता अधिकतर उन्ही लोगों को मिलती है जो निर्भय होकर कार्य करते हैं, कायरों को प्राय: सफलता नहीं मिलती ! ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं । अत हमें निर्भीक होकर इस क्षेत्र में कार्यवाही करनी चाहिए । मेरे विचार में सरकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है—वास्तव में यह सभी क्षेत्रों पर लागू हो सकती है—सभी प्रबंधकीय स्तरों पर सच्चे मायने में श्रमिकों की सहभागिता होना ! यह कहने के बाद, मैंने लगभग सभी सामान्य बातों का जवाब दे दिया है ।

चूंकि मेरे विद्वान सहयोगी श्री नटवर सिंह ने कोयले के बारे में पहले ही विस्तारपूर्वक बता दिया है, मैं केवल संक्षेप में कोयले के बारे में कहना चाहूंगा । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कोयले के क्षेत्र में हमने कठिनाई को दूर कर लिया है । इससे पता चलता है कि इस प्रकार कुछ समस्याओं को सिर्फ थोड़े से समन्वय से हल किया जा सकता है । जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया मेरी मेज पर अधिकांश राज्यों—बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश— के मुख्य मंत्रियों के पत्र आये हुए थे और प्रत्येक की शिकायत यह थी कि बिजलीघरों को जो कोयला भेजा जाता है उसमें पत्थर और जैसा कि मेरे प्रिय मित्र कमलनाथ ने बताया कि कूड़ा-करकट आदि जैसे अन्य पदार्थ होते हैं । अत: रेल मंत्री, मैं स्वयं और विद्युत मंत्री ने इकट्ठे बैठकर अधिकारियों को बुलाया । मैंने बदरपुर का अचानक दौरा किया । उसके बाद मैं रांची में पटराटु भी गया था । मैंने सब अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछा था कि समस्या क्या है ।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपने क्या देखा ?

श्री वसंत साठे : पत्थर आता था । कुछ पत्थर पुराना भी था, वह बतलाने के लिए जमा करके रखा था ! उसी पत्थर की बार-बार फोटो लेकर बतलाते हैं । मैंने कहा—यह बात ठीक नहीं है । लेकिन जो पत्थर जाता है—

[अनुवाद]

मैंने कोयले से संबंधित अपने लोगों से पूछा था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैंने उनसे कहा था कि वे कोयले बेच रहे हैं और कोयले के दाम वसूल कर रहे हैं । तब वह पत्थर क्यों भेजते हैं ? मैंने कहा था मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और भविष्य में ऐसा फिर से न हो । मुझे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि जैसे ही हमने कार्यभार संभाला था पहली बात जो उन्होंने की वह हमारे विभागों के अधिकांश सचिवों की एक बैठक बुलानी थी । उन्होंने लगभग दो

घंटे तक इन समस्याओं पर बातचीत की। और उसका असर हुआ है। हमने उसका अनुसरण किया और उसका परिणाम यह है कि जो समस्या पिछले वर्षों में बिजलीघरों को परेशान कर रही थी इस एक घोषणा से अगर एक भी पत्थर कोयला खानों से जाएगा तो सम्बन्धित प्रबन्धक उसके लिए उत्तरदायी होगा' यह दो माह में हल हो गई है। उन्होंने बताया कि हमारे पास धोवनशालाएं नहीं है और न ही कोयला छंटनी संयंत्र है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आप इसे अपने हाथों से छांटिए। जब आप कोयला बेच रहे हैं तो आप और कोई वस्तु इसके बदले नहीं बेच सकते। और मुझे पर विश्वास कीजिए दो महीने में आज तक कोई शिकायत नहीं आयी है। अब मुझे इन बिजलीघरों से पत्र प्राप्त हुए हैं कि हमें प्रसन्नता है कि अब अन्य बाहरी पदार्थ कोयले के साथ नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कोई पत्थर कोयले के साथ सप्लाई किया गया तो वह पत्थर कोयला खान के उस प्रबन्धक पर गिरेगा जहां से यह आया है।

श्री नारायण चौबे : मेरे विचार में आप इसे कर रहे हैं परन्तु आप यह गत दस वर्षों से नहीं कर पाए।

श्री वसंत साठे : दोष ढूंढने की आदत को छोड़िए। दूसरी बात कोयले की ऊर्जा शक्ति किस्म से संबंधित थी। मैं आपसे सहमत हूं कि भारत में जो कोयला उपलब्ध है वह (ऊर्जा शक्ति) कैलोरी की दृष्टि से बढ़िया नहीं है किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि यह पावर ग्रेड का कोयला है। हमारे बिजलीघरों और बायलरों के डिजाइन इस तरह के बनाए जाएं कि उनमें इस कोयले का प्रयोग किया जा सके। अगर ऐसा किया जाए तो यही कोयला आपको बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। और अब हम यही कर रहे हैं। सौभाग्य से मेरा दायां हाथ और बायां हाथ इस्पात और कोयला है। यह संयोग से ठीक है। अब तक हम अपनी गलती दूसरे पर डालते रहे हैं। प्रत्येक इस्पात संयंत्र के प्रतिवेदन में दोषारोपणों में से एक यह पाएंगे कि कोकिंग कोयला घटिया किस्म का होता है और उसमें राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह एक कारण था जो एक बहाना भी बन गया था। अतः, मैंने दूसरे दिन दोनों लोगों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में यह फैसला किया गया था कि भविष्य में धोवनशालाएं यह निश्चित करेंगी कि कोयले में राख की मात्रा इसके अपेक्षित अंश से दो प्रतिशत ज्यादा या कम के अन्दर है। बस यही है। और अब इसका अनुकरण किया जा रहा है। दोनों मंत्रालयों की संयुक्त प्रतिदर्श समितियां और पर्यवेक्षण समितियां बनाई गई हैं जिससे वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसा किया गया है। थोड़े से समन्वय से, परिणामों में सुधार आ सकता है। रेलवे के साथ भी हमने कई बैठकें की हैं। मालडिब्बों की कमी के बारे में मैंने आज सुबह उनसे पूछा कि यदि आपने लाइनें ही बन्द कर दी तो आप और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम यह देख रहे हैं कि हम अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं ताकि बेहतर सप्लाई हो सके। दक्षिण में इस्पात और कोयला दोनों की समस्या है। वहां कमी इसलिए थी, क्योंकि मालडिब्बे नहीं आ-जा सकते थे। हमने रेलवे के साथ यह मामला उठाया और उन्होंने इस्पात के मालडिब्बे दक्षिण में भेजे और दक्षिण की कठिनाई कम की।

सिंगरेनी के संबंध में मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। कोयले के क्षेत्र में मैं एक बात कहना

चाहता हूँ वह यह कि मैंने उत्पादन में सुधार करने, श्रमिकों के साथ संबंध सुधारने, बेहतर अनुशासन के बारे में कहा है और मैं अध्यक्ष तथा उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोयले के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। मैं श्रमिक संबंधों के बारे में पहले ही विचार कर चुका हूँ।

आप मूल्य वृद्धि के बारे में पूछते रहे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइये.....

श्री नारायण चौबे : बिहार में दोहरी पर्ची प्रणाली है।

श्री वसन्त साठे । यह प्रणाली क्या है ?

श्री नारायण चौबे : मैंने आपको कल बताया था। आप कोई पर्ची देते हैं और कोई व्यक्ति खदान से जाकर कोयला ले जाता है और वह ऊंचे दामों पर उसे वहीं बेच देता है।

श्री वसंत साठे : नहीं-नहीं, हम उसका स्थायी समाधान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खदानों से कोयला उठाने और पर्ची देने की इस समूची प्रणाली के बारे में एक घोषणा करने जा रहा हूं। यदि आप चाहें तो मैं इसे अभी बताऊंगा।

महोदय, असंगतियों को दूर करने और खदानों पर जमा कोयले का भण्डार कम करने के लिए हमने कोयला खानों तथा कोल इंडिया के स्टाकयार्ड से सड़क द्वारा कोयले की बिक्री को उदार उनाने का निर्णय किया है, वह इस प्रकार है :—

(1) कोल इंडिया ने सड़क द्वारा कोयले की बिक्री को उदार बनाने के लिए प्रत्येक कोयला कम्पनी के लिए कई खदानें निर्धारित की हैं। कोई भी पार्टी उस क्षेत्र में या विनिर्दिष्ट कोयला खानों के बिक्री कार्यालय में जाकर कभी भी एक ही समय में 500 टन कोयला खरीद कर सड़क द्वारा ले जा सकती है, इसके लिए उसे इस पर्ची की तरह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा और जो पार्टी पहले पहुँचेगी उसे पहले कोयला दिया जाएगा। जनता की जानकारी के लिए कोयला कम्पनी द्वारा इन खदानों के नामों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

(2) बिक्री प्रक्रिया को भी सरल और कारगर बना दिया गया है और खरीददार को कोयला खरीदने के लिए दो से अधिक स्थानों में नहीं जाना पड़ेगा।

(3) दक्षिण भारत के जिन उपभोक्ताओं को सिंगरेनी कोयला खान से सबद्ध किया गया है और जब तक सिंगरेनी में उत्पादन मे सुधार होने तक उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, अब वे वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की विनिर्दिष्ट कोयला खानों से सड़क द्वारा एक बार में 500 टन तक कोयला ले जा सकेंगे।

मेरा विश्वास है कि इस नीति से वहां पर एकत्रित कोयला भार में और वहां व्याप्त कदाचार में कमी आएगी :

आप माफिया और ऐसी ही सभी बातों का जिक्र कर रहे थे। क्या मैं कहूँ कि सही जबाब

पुनः भागिता है। उत्पादन करने में वास्तव में कौन साझेदार है ? कर्मचारी वहां पर जो कदाचार हो रहा है उसे कौन जानता है ? कर्मचारी। उन्हें वास्तव में सहभागी बनाएं, उन पर जिम्मेदारी सौंपे। वे अच्छा काम करेंगे और चोरी भी नहीं होने देंगे। वही सही समाधान होगा। माफिया की इस समस्या का और कोई समाधान नहीं है। आप किसी भी बल को, व्यक्ति वहां लगा सकते हैं। हर व्यक्ति सक्षम है। मनुष्य मनुष्य है और उन पर दबाव डाला जा सकता है।

श्री नारायण चौबे : आप उन्हें उच्चाधिकारियों के कोप से बचाइए (व्यवधान) कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं।

श्री वसंत साठे : अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। सबसे बढ़िया बात है कि अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। और फिर उत्पादकता-उत्पादन के साथ लाभ को संबद्ध कीजिए।

[हिन्दी]

"कोई भी आओ, लूट के ले जाओ।"

[अनुवाद]

ऐसी बातें नहीं चलेंगी और नहीं चलनी चाहिए और इन्हें रोकना ही होगा। हमारा यह रुख सही है।

[हिन्दी]

श्री बाबूलाल मालवीय (शाजापुर) : मैं जानना चाहता हूं कि आपत्ति क्या है यह सब करने में ?

श्री वसंत साठे : मैंने कहा आपत्ति मुझे नहीं है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा को निकाल देना चाहिए, सब की मांग है, तो ट्रेड यूनियन से ठेकेदारी प्रथा पहले निकालिए। हमारी जो ठेकेदारी प्रथा है वही तकलीफ दे रही है, हम नहीं चाहते। दूसरे तो हट जाएं लेकिन हम न हटें, यह एटीट्यूड जब तक रहेगा, तब तक यह सवाल रहेगा।

[अनुवाद]

हमें बहुत ईमानदार होना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में श्रमिक-संघवाद का निहित स्वार्थ है तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, भागिता के क्षेत्र में वास्तव में यही एक बाधा है। मुझे यही कहना है कि यदि समूचे सदन का मत एक है तो इस संबंध में संकल्प पेश कीजिए। यदि हम "एक उद्योग एक संगठन" चाहते हैं तो हमारे मजदूर संघ नेता संगठित हों और एक गैर-सरकारी संकल्प लाइये।

श्री नारायण चौबे : हम इसका समर्थन करेंगे। उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आप मतदान कराइए।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) **:** आप बम्बई टैक्सटाइल्स से आरंभ कीजिए। 90 प्रतिशत मतदान।

श्री वसंत साठे : पुनः मतदान में भी आपकी 50 प्रतिशत या इससे अधिक की सीमा रखनी पड़ेगी। केवल तभी वे संघ मतदान के लिए भाग ले सकते हैं जिनकी सदस्य संख्या कम से कम 10 प्रतिशत हो।

डा० दत्ता सामंत : यह 90 प्रतिशत हो।

श्री वसंत साठे : मुझे कोई एतराज नहीं। प्रश्न केवल यह है कि आप एक कदम आगे बढ़कर 'एक उद्योग, एक संघ' का नारा क्यों नहीं लगाते।

डा० दत्ता सामंत : वह भी मतदान से होगा। आप उसके लिए तैयार नहीं है।

श्री वसंत साठे : मतदान तो होगा।

डा० दत्ता सामंत : बम्बई सूती कपड़ा मिलों में आप 'इन्टक' को मान्यता दे रहे हैं।

श्री वसंत साठे : मैं राजनैतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरी इसमें रुचि नहीं है मेरी रुचि दर्शन में है सिद्धांत अपनाइए और यह दर्शन अपनाइए कि एक उद्योग है एक संघ है। लोकतंत्र में वर्ष में एक बार कार्यकारी समिति के आंतरिक चुनाव होते ही हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : साठे जी ऐसा बोलेंगे तो आपको कांग्रेस से बाहर कर देंगे, ऐसा मत बोलो।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : मुझे डर है मंत्री महोदय परंपरागत प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं और श्रमिक संघ को खलनायक की भांति समझ रहे हैं। मैं समझता हूं यह वांछनीय नहीं है।

श्री वसंत साठे : खलनायक कौन है ?

डा० दत्ता सामंत : सरकार मतदान का एक भी सिद्धांत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उससे सरकार को नुकसान हो रहा है।

श्री वसंत साठे : मैंने यह कहां कहा कि श्रमिक संघ खलनायक हैं ?

डा० दत्ता सामंत : आप कहते हैं कि श्रमिक संघ इन ठेकेदारों आदि के पीछे हैं। इस तरह आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बसंत साठे : मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वास्तव में पहले मैंने कहा कि श्रमिक संघों ने दुर्गापुर में सहयोग दिया था। मैं उन्हें बधाई दे रहा था। जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा—जब पीछे से उन सज्जन महोदय ने कहा—कि आपको कौन रोक रहा है—तब मैंने उसका यह जवाब दिया कि निहित स्वार्थ ही उसमें बाधक हैं। और उनके निहित स्वार्थ ······

श्री एस० एम० भट्टम : आपने ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया है तो तथ्यों के बताये जाने के विपरीत है। आप को कुछ तथ्य दिये हैं आपका दर्शन यह है कि सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाए। वास्तव में जब यह श्रमिक पर लागू होता है, तब आप······

श्री बसंत साठे : मैं उनकी सहभागिता चाहता हूं। मैं कर्मचारियों को सीधे और अधिकार देना चाहता हूं। उन्हें अधिक अधिकार इसलिए दिए जाने चाहिए ताकि वे महसूस करें कि वे मालिक हैं। वे भागीदार हैं। मैं अब यही करना चाहता हूं। क्या आप इसका विरोध करते हैं ?

क्या आप उसके विरुद्ध हैं ?

डा० दत्ता सामंत : क्या सभी प्रबंध में भागीदार के रूप में ?

श्री बसंत साठे : प्रबंध में, समूचे उपक्रम में भागीदार।

डा० दत्ता सामंत : सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बड़े लोगों द्वारा चलाए जाते हैं।

श्री बसंत साठे : मैं मालिकों और कर्मचारियों को एक ही कोटि में रख रहा हूं। यदि आपको यह सिद्धांत पसंद नहीं तो यह एक भिन्न मामला है।

डा० दत्ता सामंत : हमें यह पसंद है वे मुनाफा भी बराबर लेंगे।

श्री बसंत साठे : सब कुछ हो जाएगा बशर्ते कि आप अंशधारी और भागीदार हों। आप निश्चय कीजिए।

श्री नारायण चौबे : हमने निश्चय कर लिया है। आप निश्चय कीजिए।

श्री बसंत साठे : मेरा इस्पात और कोयले के संबंध रहा है और मैंने कहा है कि हम बाधाओं को किस तरह से दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बाबूलाल मालवीय : क्या माननीय मंत्री जी प्राइवेट सैक्टर में भी इस पालिसी को लागू करेंगे।

श्री बसंत साठे : एक बार पब्लिक सैक्टर में तो होने दो। पहले अपना तो घर ठीक कर लें।

[अनुवाद]

संयोग से, कोयले के बारे में जवाब देते समय मैंने लिगनाइट के संबंध में जो आंकड़े बताया था उसे मैं सही करना चाहता हूं। कोयला विभाग की रिपोर्ट के पृष्ठ 3 पर टाईपिंग की

गलती है। 1983 के लाभ के आंकड़े 262.97 करोड़ बताए गए है। अंक (2) गलती से छप गया। यह आंकड़े 62.97 करोड़ होना चाहिए। पहले ही पृष्ठ 52 पर नवेली लिगनाइट के संबंध में सही आंकड़े दिए जा चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया यह गलती ठीक की जाए।

भारत एल्युमीनियम कम्पनी, नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी, हिन्दुस्तान कॉपर, भारत कोल माइन्स, मिनरल एक्सप्लोरेशन्स, कारपोरेशन हिन्दुस्तान जिंक कारपोरेशन, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, आदि सभी उपक्रम इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा है कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अधिक से अधिक खनिजों का पता लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है।

सौभाग्य से बाक्साइट एल्युमीनियम के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा और उपयोगी संसाधन है। आज एल्युमीनियम के उत्पादन के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता है। वह उसकी वास्तविक आवश्यकता है। हम 'बाल्को' तथा 'नालको' दोनों में हम बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने की बात सोच रहे हैं। बाल्को' ने कोरबा से अपना काम आरंभ कर अच्छा कार्य निष्पादन दिखाया है। 'नालको' निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकास कर रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हमें एल्युमीनियम के उत्पादन में काफी वृद्धि होने की आशा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस्पात के बाद एल्युमीनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है, विद्युत तथा विद्युत आदानों के लिए ही नहीं अपितु यात्री डिब्बों, हवाई जहाजों, बसों, फर्नीचर- हर काम के लिए एल्युमीनियम की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम अपने ही बाक्साइट से एल्युमीनियम का उत्पादन करें तो यह इस्पात का स्थान ले सकती है। और इससे उद्योगों में सहायता मिल सकती है। एल्युमीनियम और इस्पात की मदद से कई लघु उद्योग ऊपर उठ सकते हैं। अतः हम एल्युमीनियम के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

लिगनाइट एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है और सदन को भी नवेली लिगनाइट के प्रबंधकों और कर्मचारियों को इस बात की बधाई देने में खुशी होगी कि इस वर्ष उन्होंने बिजली तथा लिगनाइट का रिकार्ड उत्पादन किया है। हम नवेली लिगनाइट कारपोरेशन में अयस्क का उत्पादन बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास ने कल रामपुरा अगूचा परियोजना के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मंत्री महोदय, आपने पलाना के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री वसंत साठे : मैं आ रहा हूं, उसी प्रश्न की तरफ आ रहा हूं, आप सुनिए तो।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि 525.26 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से इस परियोजना को अनुमोदित किया गया था। इस समय इसकी लागत 640 करोड़ रुपये होगी। हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन वह कहते हैं कि दूसरा संयंत्र चंदेरिया में लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री महोदय आपने पलाना लिग्नाइट वाला सब्जैक्ट पूरे का पूरा छोड़ दिया है, उसके बारे में भी तो कुछ बताइए।

श्री वसंत साठे : जहां-जहां भी हमें लिग्नाइट सफीश्येंट मात्रा में, इकानामिकली कामर्श्यली, एक्सप्लायटेबल होगा, वहां उसको निकालने की हर जगह कोशिश की जाएगी, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे ·· (व्यवधान)···········

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप चन्देरिया की बात कर रहे हैं। मैंने रामपुरा की बात की है।

श्री वसंत साठे : आपने कहा कि पूरे रामपुरा स्मेलटर संयंत्र में होना चाहिए। हमने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जिसमें पश्चिम जर्मनी के मैसर्स स्टोलबर्ग तथा मेकान शामिल किया गया है। आखिर ये सब तकनीकी बातें हैं।

[हिन्दी]

इसके ऊपर आपको तो कोई झगड़ा करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह किसी दूसरे स्टेट में तो लग नहीं रहा है, राजस्थान में ही लग रहा है। यदि आप राजस्थान में भी चाहें कि मेरे घर में ही लगना चाहिए, यदि ऐसा झगड़ा यहां करेंगे तो बात कैसे बनेगी ······

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप जहां इसको लगाना चाहते हैं, वहां से उस जगह की दूरी 40 किलोमीटर है, आप अन्दाजा लगाइये कि आपका कितना ज्यादा खर्चा आयेगा, वह तो, करोड़ों से भी ऊपर जाएगा ··मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं·······

श्री वसंत साठे : आपकी जितनी दलीलें हैं, उन सब को देखा गया है और यह पाया गया है कि जो पानी स्मैल्टर के लिए निहायत जरूरी होता है, वह हमें चन्देरिया में बनने वाले डैम से उपलब्ध हो सकेगा और इसीलिए कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, रामपुरा अगूजा आदि सभी जगह देखने के बाद यह तय हुआ कि इसको चन्देरिया में ही लगाना ठीक रहेगा और प्लांट के इंटरैस्ट में भी उपयोगी पाया गया···

श्री गिरधारी लाल व्यास : चंदेरिया में जब आप इसे बनायेंगे तो उसके लिए पानी गोसुण्डा से लाना पड़ेगा जो कि वहां से 40-50 किलोमीटर दूर है जब कि रामपुरा में बनाने पर आप नन्दराय से पानी ले सकते हैं जो कि वहां से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ही है·······(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आप अपनी ही कहते जाओगे या कुछ हमारी भी सुनोगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : गोसुण्डा डैम से बैराछ रिवर से, चंदेरिया का डिस्टेंस लगभग 15-20 किलोमीटर है और यहां से आपको आसानी से पानी मिल सकता है जब कि वहां आपका खर्चा ज्यादा आयेगा। जब आप कच्चा माल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वहां पहुंचायेंगे तो आपका कितना खर्चा आयेगा, क्या आपने उसको देखते हुए इस प्रश्न पर दोबारा विचार किया क्यों कि हम यह भी चाहते हैं कि खर्चा कम हो ······

श्री वसंत साठे : हमने सब कुछ देख लिया है। हमें यहां अच्छा पानी मिल रहा है और इसलिए हमने फैसला किया है कि देश के हित में, प्लांट के हित में जो जगह उपयुक्त है, वहीं पर प्लांट लगाया जाए। वह आपके रामपुर में नहीं जा सकता। हम तकनीकी लोगों के साथ झगड़ा नहीं कर सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री जी, मेरे प्वाइंटस पर विचार करते हुए आप दोबारा गौर तो करिए कि कहां प्लांट लगाने से खर्चा कम आयेगा।

श्री वसंत साठे : यदि और ज्यादा गौर करेंगे तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा और फिर आपको प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारा हक भी तो मारा जा रहा है, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि जहां आपका इरादा है कि एक जिले में एक इंडस्ट्री जरूर होनी चाहिए लेकिन आप हमारी इस इंडस्ट्री को दूसरी जगह ले जा रहे हैं जब कि रॉ-मैटीरियल हमारे यहां निकल रहा है, हमारे यहां खर्चा भी कम आयेगा। मैं चाहता हूं कि आप सारे मामले पर फिर से गौर कीजिए। हमारी मांग और प्रार्थना बार-बार यही है कि आप दोबारा गौर करके कोई निर्णय लीजिए।

श्री वसंत साठे : आप जरा चंदेरिया जिले वालों से तो पूछिये कि उनका क्या कहना है ···········

श्री गिरधारी लाल व्यास : उसको पूछने की क्या आवश्यकता है, वहां तो आप हमारे माल को ले जा रहे हैं, 600 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट मुफ्त में उनके पास जा रहा है जब कि रॉ-मैटीरियल हमारे यहां से निकलेगा, हमें आप नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : श्री गिरधारी लाल व्यास ने कल यह आरोप लगाया कि किसी अधिकारी ने कम कीमत पर कुछ तांबा जर्मन भेजा है। मैं सदन में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि

यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बाद, विभागीय जांच समिति ने इसकी जांच की। उसके बाद, केन्द्रीय सतर्कता समिति ने इसकी जांच की।

2.00 म० प०

सभी निकायों ने यह पाया कि किसी भी बात के लिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इसीलिए इन्होने उन्हें निरपराध ठहराया है। इतना सब होने के बाद भी सदन में ही ऐसी बातें कहना अनुचित है⋯ ⋯

[हिन्दी]

श्री गिरधाररी लाल व्यास : सी० बी० आई० ने जो जांच की है, उसमें यह है, लेकिन बाद में विजलेंस के मैन्युपुनेशन के जरिए से ऐसा किया गया है।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती,⋯⋯ अधिकारियों को निरपराध बताने के बाद भी हमें उन पर आरोप लगाने के लिए सभा के विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसका मतलब यह हुआ कि किसी अफसर के खिलाफ 21 करोड़ रुपये की गड़बड़ का चार्ज हो ⋯ ⋯ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : यह सचमुच बहुत हास्यास्पद है। मैं इस आरोप को नहीं मान सकता और मैं अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए इस आरोप का पुरजोर विरोध करता हूं।⋯(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री नारायण चौबे : रांची के निकट चुरी खदान से कोयले से भरे 35 मालडिब्बे जा रहे थे। यह कोयला पाकिस्तान भेजा जा रहा था और पुलिस ने उसे पकड़ा। यह वर्ष 1983 की बात है। कोल इंडिया ने कहा कि कोयला उनका नहीं है। मैंने इस मामले विशेष का जिक्र किया था ⋯⋯

श्री वसंत साठे : कब ?

श्री नारायण चौबे : मैंने इसका कल जिक्र किया था। इस पर समूचा कोल इंडिया धोखा दे रहा है।⋯⋯

श्री वसंत साठे : हम किसी भी मामले में धोखा नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : 3 साल में क्या हुआ ? सी० बी० आई० पर प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम करो।

श्री बसन्त साठे : हम किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम किसी पर दबाब नहीं डाल रहे।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : आप नहीं, कोल इंडिया।

श्री वसंत साठे : कोल इंडिया क्या कर सकता है ? जब मैं कोई दवाब नहीं डाल सकता, तथा मैं कोई दवाब नहीं डाल रहा हूं, तो कोल इंडिया क्या कर सकती है ?

श्री नारायण चौबे : आप तो आते जाते रहते हैं परन्तु अधिकारी तन्त्र तो वहां स्थायी रूप से रहता है। आपको इसके बारे कुछ न कुछ करना चाहिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे अधिक अनुमति नहीं दूंगा। इस तरह की चीज मैं नहीं होने दूंगा। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जएगा। सदस्य मन्त्री से उनके चैम्बर में मिले तथा बातचीत करें। कार्यवाही वृत्तांत में यह सब कुछ शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : महोदय मैं समझता हूं, मैंने अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है। इस देश में जितने भी खनिज मिलने की सम्भावना है, उनकी दोहन खोज के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। जहां तक भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग का सम्बन्ध है, वह अधिक से अधिक क्षेत्र का सन्दोहन करने का प्रयास कर रहा। सम्भावित खनिज क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में खोज हो चुकी है। अब हम, हमारे खनिज संसाधनों को और अधिक विस्तृत पैमाने पर खोज कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि हम अधिक से अधिक संसाधनों का पता लगाने में सफल होंगे तथा राष्ट्र के हित में उनका उपयोग कर पायेंगे।

जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है, शिकायत यह थी कि 9-6-1984 की रात को 29 वॉक्स वैगन्स का एक रैक कम्पनी के कर्मचारियों तथा राय रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से सांठ-गांठ करके, चढ़ाया गया। यह कोयला चुराया गया था तथा ऐसा आरोप लगाया गया है कि उस क्षेत्र के एक ठेकेदार के नाम पर यह चढ़ाया गया था। तथापि यह रैक राय रेलवे स्टेशन पर ही रखा हुआ था। ऐसा सूचित किया गया है कि स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम प्रक्रिया का पालन करने का प्रयास करेंगे····

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग भी तट-दूर क्षेत्र में अन्वेषण करने के हक में है क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि तट-दूर क्षेत्रों में अन्वेषण से हमें काफी मात्रा में खनिज मिल सकता है। इसलिए सभी संसाधनों के संबंध में अधिकतम सर्वेक्षण करने की ओर समस्त प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि मुझे याद है एक बार यह कहा गया था कि पेट्रोल है ही नहीं तथा इस पर हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। परन्तु सोवियत संघ में हमारे मित्रों की सहायता से तट-दूर क्षेत्र में पेट्रोल निकालने में हम सफल हुए हैं। आजकल विस्तृत सर्वेक्षण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे गहरी ड्रिलिंग, हवाई सर्वेक्षण तथा यहां तक कि अन्तरिक्ष सर्वेक्षण अर्थात उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण आदि सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा यह प्रयास है कि जो भी खनिज उपलब्ध हों चाहे वो तट पर हों या तट से दूर उनका पता लगाया जाए...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब दे दूंगा।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्ष विभाग में अधिकारियों तथा विशेष रूप से क्षेत्रीय कर्मचारियों को बहुत ही दुष्कर कार्य करना पड़ता है। उन्हें जंगलों तथा दुर्गम क्षेत्रों में खनिजों की खोज में अकेले ही जाना पड़ता है। हाल ही में भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग के हमारे दो बहुत ही अच्छे अधिकारी महाराष्ट्र के जंगलों में मारे गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमें उसका कारण नहीं पता। उनके शव बरामद किए गये तथा बाद में 'गाइड' का शव भी मिल गया। हमने अपने सर्वोच्च स्तर पर फैसला किया है कि उनकी विधवाओं को पेंशन से सम्बन्धित लाभों के अतिरिक्त पर्याप्त मुआवजा तब तक दिया जाए जब तक उनके पति जीवित रहे होते तथा हमने प्रत्येक परिवार को 50,000 रु० की धनराशि भी दी है। गाइड के परिवार को भी हमने पर्याप्त मात्रा में धन राशि दी है। उसकी मृत्यु भी इसी कारण हुई थी।

क्या मैं कह सकता हूं कि कोयला क्षेत्र में सन् 1982 में कल्याण कार्यों के लिए 42 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे। अब हमने इसकी मात्रा बढाकर 99 करोड़ रुपए कर दी है। इससे हमारे आशय का पता चलता है कि हम हमारे कर्मचारियों के कल्याण तथा उन्हें अच्छी सुविधाएं देने की ओर कितना ध्यान दे रहे हैं। हम आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा गरीब वर्गों के लोगों के लिए हर जगह अधिक अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार अपने देश की सेवा करने के लिए हम यूं ही अपनी भूमिका अदा करते रहेंगे।

आपका बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण न मांगे ? यदि मैं एक सदस्य को अनुमति दे देता हूं तो मुझे सभी को अनुमति देनी पड़ेगी। आप उनके पास जा सकते हैं तथा मामले पर बात चीत कर सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : नये इस्पात संयन्त्रों को लगाने का प्रस्ताव न किये जाने तथा उड़ीसा और अन्य स्थानों पर नये संयन्त्रों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के बारे में मन्त्री जी ने बताया है कि बिजली की कमी इसमें सबसे बड़ी बाधक है। परन्तु चूंकि कोयले से भी उनका ही सम्बन्ध है, तथा हमारे पास अच्छी किस्म के कोयले के बड़े भण्डार हैं जो विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में सहायक हैं, इस लिए उन्हें इस मामले पर ऊर्जा मन्त्री तथा योजना आयोग के साथ बात चीत करनी चाहिए ताकि सुपर तापीय विद्युत संयन्त्र चालू करने के बारे में व्यवस्था की जा सके।

श्री बसन्त साठे : वह मैं कर लूंगा। आपका धन्यवाद।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय मैंने विजयनगर इस्पात संयन्त्र के बारे में प्रश्न उठाया था। माननीय मन्त्री ने सशर्त जवाब दिया है। हमें खेद है, महोदय सारा कर्नाटक इस बात पर रुष्ट है और वे इस महत्वपूर्ण मामले पर कारंवाई करने में इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं !

श्री बसन्त साठे : लापरवाही ? क्या आपको संयन्त्र की आवश्यकता नहीं है ? आप कहते हैं कि मैंने इस पर लापरवाही से बातचीत की ! क्या आपको संयन्त्र चाहिए ?

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : हां, हम इसे चाहते हैं।

श्री बसन्त साठे : मैंने आश्वासन दे दिया है।...(**व्यवधान**)... क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी जाऊं और इसे चालू कर दूं ? मैंने कह दिया है कि विजयनगर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का संयन्त्र निर्धारित समय के अनुसार लगा दिया जायेगा। मैं आप से केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी इस दौरान पर्याप्त बिजली का प्रबन्ध कर लें। उसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा। क्या यह लापरवाही है।...(**व्यवधान**)... ऐसे आरोप न लगाएं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यहां श्री सोमनाद्रीसवरा राव दिखाई नहीं देते। मैं कटौती प्रस्ताव 1 तथा 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

[कटौती प्रस्ताव 1 तथा 2 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 83 से 85 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों में अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोकसभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1985-86 के लिए इस्पात, खान और

कोयला मन्त्रालय से सम्बंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3		4	
	इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय				
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपए
83	इस्पात विभाग	2,43,11,000	1,17,32,83,000	12,15,60,000	5,86,64,17,000
84	खान विभाग	20,47,79,000	50,24,16,000	1,09,89,00,000	1,47,12,84,000
84	कोयला विभाग	24,74,84,000	1,77,50,01,000	1,23,72,44,000	8,87,50,05,000

2.21 म० प०

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय से सम्बंधित मांग संख्या 9 को चर्चा तथा मतदान हेतु लिया जायेगा जिसके लिए 6 घण्टे का समय दिया गया है।

सभा में मौजूद वे माननीय सदस्य जिनके अनुदान की मांगों से सम्बंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिए गए हैं, यदि अपना कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन कटौती प्रस्तावों को वे पेश करना चाहते हैं, एक पर्ची पर उनकी क्रम संख्या लिखकर 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल वे कटौती प्रस्ताव ही पेश किए जाएंगे।

पेश किए गए समझे जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई त्रुटि देखता है तो कृपया वह इसे बिना विलम्ब के पटल पर अधिकारी के ध्यान में लाए।

प्रस्ताव है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रसायन और उर्वरक मन्त्रालय से सम्बंधित मांग संख्या 9 के सम्बंध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बंधी राशियों में अनधिक सम्बंधित राशियां भारत की सचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1985-86 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सम्बंधित अनुदानों की मांग

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2,06,31,51,000	27,27,83,000	10,35,04,22,000	2,58,24,17,000

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के विकास के लिए उर्वरक तथा रसायन प्रमुख निवेश हैं। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए कृषि का उत्पादन अति आवश्यक है। कृषि समुदाय को सस्ते दामों पर प्रमुख कृषि निवेश दिए जाने चाहिए। परन्तु स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी हम पर्याप्त उर्वरक उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तथा इस क्षेत्र में हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए हैं।

सन् 1983-84 के दौरान नाइट्रोजन तथा फास्फेट का देश मे उत्पादन क्रमश: 35-6 तथा 10.56 लाख टन हुआ है तथा नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश के उर्वरकों का क्रमश: 6.56, 1.3 तथा 5.56 लाख टन आयात हुआ है जिनकी लागत लगभग 356 करोड़ रुपए आई है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास प्रौद्योगिकी तथा कच्चा माल दोनों ही हैं, परन्तु हम उनका उपयोग उचित रूप में नहीं कर रहे हैं। इसीलिए घाटा हो रहा है।

2.25 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

सन् 1984-85 के दौरान नाइट्रोजन के उर्वरक का अनुमानित उत्पादन 39 लाख टन है जब कि इसकी उत्पादन क्षमता 55.6 लाख टन है तथा फास्फोरस उर्वरक की उत्पादन क्षमता 16.15 लाख टन की तुलना में 12.5 लाख टन उत्पादन हुआ। यह उत्पादन तथा उपयोग क्षमता में अन्तर स्पष्ट करता है। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री जी क्षमता के 80 प्रतिशत स्तर को कैसे

सुनिश्चित करेंगे। दूसरे देशों की अपेक्षा उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर उपयोग में हम काफी पीछे हैं। भारत में किसान रासायनिक उर्वरक 39.9 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं जो कि दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। अमरीका में यह 111.6 कि ०ग्रा प्रति हैक्टेयर है, चीन में 154.5 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर तथा रूस में 81 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर। हमारे देश में हमारे पास लगभग 6 करोड़ हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है, यदि उसकी ओर उचित ध्यान दिया जाए तो वह 30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। परन्तु जिस दर से हम चल रहे हैं मुझे बहुत सन्देह है कि हम भविष्य में इतना उत्पादन शायद नहीं कर सकते।

अब उर्वरक तैयार करने की बात पर आता हूँ, पहले उर्वरक बनाने के लिए हम नैफ्था का प्रयोग करते थे अब वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी-विदों को धन्यवाद दीजिए, हमने कोयले पर आधारित दो कारखाने रामगुंडम् तथा तालचेर में शुरू किए हैं। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने इन्हें साथ-साथ क्यों नहीं चालू किया तथा पूरा किया। यदि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था तो उन्हें पहले एक एकक चालू करके पूरा कर देना चाहिए था। इसके बाद ही उन्हें दूसरी एकक का काम शुरू करना चाहिए था। कीमतों में वृद्धि होने के कारण परियोजना की लागत 3 या 4 गुणा अधिक हो जाएगी। देश में हर परियोजना का यही हाल है। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इन दो परियोजनाओं को चालू किया जाए तथा इन्हें पूरा किया जाए, इसके बाद ही अन्य परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाए।

हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे बम्बई तट से दूर समुद्र में तेल तथा गैस दोनों ही मौजूद हैं तथा अब हम गैस-आधृत उर्वरक उद्योग लगाने जा रहे हैं। दो कारखाने पहले से ही चालू कर दिए गए हैं। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों को पूरा करने के बाद ही जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाए, अन्य एककों का काम शुरू किया जाए। या तो वे समूहों में लगाई जाएं या आप पम्प द्वारा दूसरे स्थानों पर गैस पहुंचा कर, वहां कारखाने स्थापित कर सकते हैं। आपको जो भी रास्ता किफायती लगे, अपना सकते हैं। सातवीं योजना के अन्त तक उर्वरकों की हमारी आवश्यकता यह हो जाएगी, यूरिया की 92-5 लाख टन तथा फास्फोरस उर्वरकों की 28-9 लाख टन। यदि उर्वरक उद्योग के लिए और धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई तो वे इतनी मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकते तथा हमें इन्हें आयात करना पड़ेगा।

बजट में आबंटित राशि पर आता हूँ, सन् 1985-86 के दौरान उक्त मांग में 1531 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि सन् 1984-85 (संशोधित अनुमान) में यह 1818 करोड़ रुपए थी। प्रति धारण कीमत योजना के अन्तर्गत 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथा रासायनिक कीटनाशकों के लिए 105 करोड़ रुपए की रियायतें होने की व्यवस्था है और चल रही योजनाओं के लिए 153 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यदि मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करें तो हम 1200 करोड़ रुपए की इस विदेशी मुद्रा की राशि को और भी कम कर सकते हैं। हम बड़ी सीमा तक अपने स्वदेशी उर्वरक एककों को विकसित करने में सफल हो सकते हैं।

महोदय, हमारे देश में बहुत से रुग्ण एकक हैं जिन्हें सहायता देने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। भारत उर्वरक निगम के 5 प्रमुख एकक हैं जिनके नाम सिन्दरी माडर्नाइजेशन,

सिन्दरी रेशनेलाइजेशन, तलचर तथा रामगुंडम् । इनकी नाइट्रोजन उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 8.0 लाख टन है जबकि वहां कुल 3.47 लाख टन ही उत्पादन होता है । इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता का 43 प्रतिशत ही उपयोग होता है । महोदय, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड के नियंत्रण में चार एकक हैं अर्थात नंगल, नंगल विस्तार, भटिंडा तथा पानीपत । इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 7.02 लाख टन है । इस समय इन चार एककों में अधिष्ठापित क्षमता का केवल 69 प्रतिशत उपयोग हो रहा है । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे चालू योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करें ताकि एककों के उत्पादन में वृद्धि हो और वे मजबूत हो सकें ।

महोदय, यह बहुत प्रशंसनीय बात है कि राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर अपने कुछ एककों में क्षमता का अधिक उपयोग कर रहे हैं तथा वे ठीक से काम कर रहे हैं । किसी भी उर्वरक कारखाने के लिए विपणन की कोई समस्या नहीं है । उर्वरक की मांग इतनी अधिक है कि हम उसे देश में उत्पादित होने वाले उर्वरक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं । पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आयात करने के बजाय हमें देश के सर्वोत्तम हित में सभी मौजूदा एककों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए ।

महोदय हमारे यहां बहुत से परियोजना विकास सलाहकार एजेंट हैं लेकिन हम उत्पादन के क्षेत्र में देशी प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहे हैं । हर बात के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते हैं । यहां तक की अगर इन एककों में उपकरण लगाने हों तो 70 प्रतिशत उपकरण देश में ही उपलब्ध हैं । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश में उपलब्ध सभी उपकरणों का पूरा उपयोग किया जाए ताकि उनके आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कृषि के विकास के लिए रासायनिक उर्वरक बहुत महत्व रखते हैं लेकिन सालों साल इन उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से भूमि की उर्वरकता तथा संरचना घट सकती है । इसका फसल उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । दस पन्द्रह साल बाद भूमि अपनी उर्वरकता खो देगी अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आर्गेनिक फर्टीलाइजर के साथ-साथ देशी उत्पादन का अधिक उपयोग किया जाए । हमें बायो गैस तथा लेग्युमिनोसी माइक्रो बैक्टीरिया का विकास करना चाहिए जिससे भूमि में नाइट्रोजन के प्राकृतिक रूप से पैदा होने में सहायता मिलेगी । भूमि में उर्वरकों के निरंतर, अंधाधुन्ध तथा असंतुलित इस्तेमाल से वह क्षारीय अथवा अम्लीय हो जाएगी ।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी हम विदेशों से उर्वरक आयात करते हैं तो वह आमतौर पर प्लास्टिक बैग में पैक किया होता है । देशी उर्वरकों को भी इसी तरह पैक किया जाना चाहिए । इससे उनका अपव्यय नहीं होगा साथ ही साथ मिलावट भी नहीं होगी ।

महोदय, अब मैं कीटनाशक दवाइयों पर आता हूं । हमारे देश में प्रति व्यक्ति कीटनाशक दवाइयों का उपयोग जापान, यूरोप और अमरीका जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है । भारत में 50 से अधिक तकनीकी ग्रेड कीटनाशक दवाइयों का निर्माण होता है । इस समय हम विदेशों से लगभग 9,000 टन कीटनाशक दवाइयों का आयात करते हैं । देश में हम 62,000 टन कीटनाशक

दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं। मौजूदा एककों की पूरी क्षमता का उचित उपयोग करके हम कीटनाशक दवाइयों की कमी को पूरा कर सकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां नकली कीटनाशक दवाइयां बना रही हैं तथा वे दवाइयां बाजार में आ रही हैं। ये मिलावटी नकली उत्पाद मेरे जिले गुंटूर में भी उपलब्ध हैं जहां बहुत से लोग इन्हें डुप्लीकेट ब्रांड नेम से बेच रहे हैं। इन दवाइयों से कृषक समुदाय को जो हानि हो रही है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। सभी कीटनाशक दवाइयां मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाई जानी चाहिए। इस समय कुछ कीटनाशक दवाइयां उक्त आदेश के अंतर्गत नहीं आतीं। अतः अनेक कंपनियां उनकी अलग-अलग कीमतें वसूल कर रही हैं। इसलिए विभिन्न कीटनाशक दवाइयों की समान आधार पर कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए।

हमारे देश में अभी भी कुछ जहरीली कीटनाशक दवाइयों का निर्माण तथा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ देशों ने बी०एच०सी०, डी०डी०टी० तथा पराथीन जैसी कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है इनसे कुछ अवशिष्ट प्रभाव पड़ते हैं। तथापि हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और मानव तथा पशु जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन दवाइयों से न केवल परजीवी कीट मर जाते हैं बल्कि मानव के लिए उपयोगी कीट भी मर जाते हैं। अतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि इन हानिकारक कीटनाशक दवाइयों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।

वास्तव में कीटनाशक दवा अधिनियम का इस मंत्रालय से संबंध नहीं है। किंतु यह अधिनियम इतना प्रभावी नहीं है जितना कि इसे अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए होना चाहिए। इस अधिनियम में कुछ और बातें शामिल की जानी चाहिए ताकि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। जहरीली कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्षति हो रही है और पारिस्थितिक तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक दवा उद्योग का विस्तार करना बहुत जरूरी है। ये उद्योग शहरों से दूर स्थापित किए जाने चाहिए हाल ही में भोपाल में हुई दुर्घटना हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। कोई भी कीटनाशक दवा उद्योग शहर से कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। आशा है कि जब कभी ऐसे किसी उद्योग को लाइसेंस देने का प्रश्न उठेगा तो माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे तथा उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

वैसे बाजार में बहुत सी कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध हैं लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित मात्रा में फंगीसाइड तथा चुनिंदा हरबीसाइड उपलब्ध हों। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे किसानों को सस्ती दरों पर चुनिंदा हरबीसाइड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अब मैं रसायन उद्योग की बात करूंगा। यह अत्यन्त तकनीकी प्रधान उद्योग है। इसमें बहुत सी आर्गेनिक, इनआर्गेनिक रसायनों की जरूरत पड़ती है। हमें कास्टिक सोडा, सोडा एश क्लोराइड, आर्गेनिक कैमिकल्स, फिनोल, मेथेनाल फोरमलडी हाई एसीटोन और एसिटिक एसिड आदि का विकास करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को सभी प्रकार की सहायता दी जानी

चाहिए। ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण लोगों की सहायता के लिए प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। इसके लिए लाइसेंस नीति का उदारीकरण किए जाने का स्वागत है। इससे ग्रामीण लोगों को ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी।

अलकोहल की कमी के कारण जनता बहुत चिंतित है। 1983-84 के दौरान गन्ने की अधिक पैदावार की गई थी किंतु विपणन की कठिनाइयों के कारण किसानों ने 1984-85 के दौरान गन्ना नहीं उगाया। परिणामस्वरूप अलकोहल की कमी हो रही है। गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में गन्ने की कीमत 220 रुपए प्रति टन निर्धारित की है। मेरा विचार है कि सारे देश में हर जगह यह प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।

प्लास्टिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब प्लास्टिक का उपयोग बहुत सी चीजें बनाने के लिए किया जाता है जैसे दैनिक इस्तेमाल के बर्तन, खिलौने आदि। वस्तुतः बहुत से क्षेत्रों में प्लास्टिक ने लोहे तथा इस्पात का स्थान ले लिया है। यह गरीबों को बहुत सस्ता भी पड़ता है। प्लास्टिक लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों को देश भर में स्थापना की जानी चाहिए तथा इसके लिए उदारता से और अधिक लाइसेंस दिए जाने चाहिए।

इसी तरह देश में रंगाई और छपाई उद्योग का भी विकास किया जाना चाहिए। केमिकल, प्लास्टिक और इन सभी अन्य उद्योगों को अधिक धनराशि तथा अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

अब मैं औषधियों का उल्लेख करूंगा। औषधियां जीवन रक्षक तथा आवश्यक होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। खुले बाजार में नकली औषधियां हैं। और लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। यह औषध अधिनियम मंत्री जी के ही अंतर्गत है। मेरा अनुरोध है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कारंवाई की जानी चाहिए और उन पर मुकदमे चलाए जाने चाहिए। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस घोटाले में शामिल हैं। लाइसेंस नीति को भी उदार बनाना चाहिए। इसे लघु उद्योग बना देना चाहिए और इन्हें ग्राम्य आधारित होना चाहिए।

दो कंपनियां अर्थात् आई०डी०पी०एल० तथा हिन्दुस्तान एंटीबायटिक कम्पनी, औषधियों का निर्माण करती हैं। अभी तक उन्होंने आंतरिक संसाधनों का विकास नहीं किया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन पर्याप्त प्रबन्ध कुशलता के अभाव में इन दोनों कंपनियों को लाभ नहीं हो रहा है। आशा है माननीय मंत्री जी इस मामले पर विचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों कंपनियां मानव जीवन के लिए आवश्यक उपयोगी औषधियों का अधिक से अधिक उत्पादन करें।

मैं बंगाल कैमिकल तथा फार्मास्यूटिकल्स का भी उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष दो-तीन सौ करोड़ रूपए दिए जाने के बावजूद भी उतनी औषधियों का निर्माण नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों तथा औषधियों में भी गुणवत्ता बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य गुणवत्ता, मात्रा तथा सस्ती दर होना चाहिए। हम स्वदेशी कुशलता का उपयोग करके देशी प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं। हमारा ध्येय ग्राम्योन्मुख और ग्राम्य आधारित होना चाहिए तथा लाइसेंस नीति को भी उदार बनाया जाना चाहिए। ये उद्योग गरीब तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होने चाहिए जिससे बेरोजगारों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सहायता मिलेगी।

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घाटा कर एक रुपया किया जाए।"

[पिम्परी में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स संयंत्र के कार्यकरण में सुधार करने में असफलता।](2)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को घाटा कर एक रुपया किया जाए।"

[खसरा रोग के व्यापक संचरण पर नियंत्रण करने के लिए खसरे के अधिक टीके बनाने में असफलता।](3)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[काकीनाडा में प्रस्तावित नागार्जुन उर्वरक परियोजना पर कार्यवाही तेज करने की आवश्यकता।](4)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[भारतीय उर्वरक निगम के रामगुंडम स्थित संयंत्र के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता।](5)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[खतरनाक प्रतिबंधित कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता।](6)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इंडियन ड्रग्स एंड फर्मास्यूटिकल्स के एककों के कुप्रबंध को रोकने और इसके एकाधिकारत्मक कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता ।](7)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाए ।"

[बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का कुप्रबन्ध रोकने की आवश्यकता ।](8)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फामस्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता ।](9)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।"

[भारतीय उर्वरक निगम का कुप्रबंध रोकने की आवश्यकता ।](10)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का कुप्रबंध रोकने की आवश्यकता ।](11)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

श्री रेणु पद दास (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रसायन उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के हल्दिया फर्टिलाइजर एकक को चालू करने में असफलता ।](17)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण को सुधारने की आवश्यकता ।](18)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड को आर्थिक तथा वाणिज्यक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु उस एकक के विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की आवश्यकता।](19)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को औषध नुस्खों के विनिर्माण में पूरी क्षमता प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए उस को सहायता देने की आवश्यकता।]20

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[भेषज उद्योग में ऋण—लाइसेंस प्रणाली को, जिसके कारण सरकार की औषध नीति विफल हो रही है, समाप्त करने की आवश्यकता।](21)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये।"

[पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, डेहरी—आन सोन (बिहार) के मुख्यालय के लिए भवनों का और कर्मचारियों के आवास के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने की आवश्यकता।](22)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के गोरखपुर स्थित संयंत्र को आधुनिक ढंग का बनाने की आवश्यकता।] (23)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[मैसर्स डे-से-केम लिमिटेड, कलकत्ता, जिसने क्लोरमफेनीकल जीवन रक्षक औषधि के विशाल निर्माण का काम बन्द कर दिया है, का प्रबंध ग्रहण सरकार द्वारा किये जाने की आवश्यकता।](24)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता।](25)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सभी औषधियों का गुणवत्ता-नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यता।](26)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आयात की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से औषधियां के उत्पादन में शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता।](27)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी औषधियां की नियत गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनके ब्राण्ड नामों को समाप्त करने और मूल नामों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता।](28)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[औषधियां के वितरण के लिए एक राष्ट्रीय निगम स्थापित करने की आवश्यकता।](29)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए खतरनाक औषधियों के उत्पादन के संबंध में एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता।](30)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षित, आवश्यक और बढ़िया किस्म की औषधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता।](31)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अायुक्त, बेकार और खतरनाक औषधियों का निर्माण बन्द करने की आवश्यकता।](32)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

औषधिया की श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।] (33)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[जनता को औषधियां विशेषरूप से आवश्यक औषधियां कम कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।] (34)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

औषध प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता ।] (35)

"कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[भारतीय औषध उद्योग क्षेत्र को विकसित करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ।] (36)

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : सभापति महोदय, मैं मांग क्रमांक 9 की जो 10.35 करोड़ व्यय राजस्व की और 258 करोड़ पूंजी की डिमांड है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं । साथ ही जो शासन की नीति है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं ।

मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जो रासायनिक खाद है, उससे उत्पादन बढ़ता है यह ठीक है लेकिन जो वस्तुएं हैं, उन में वह स्वाद नहीं रह जाता है जोकि बगैर रासायनिक खादों के इस्तेमाल करने से जो वस्तुएं पैदा होती हैं, उनका होता है । मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ-साथ वस्तुओं का जो ओरिजिनल टेस्ट है, वह कायम रहे, तथा पोषक तत्वों की कमी नहो इस बात की रिसर्च होनी चाहिए और इस बात की जानकारी हमारे किसानों को दी जानी चाहिए ।

हमारे मध्य प्रदेश में जिला सागर में राक फास्फेट बहुत तादाद में एवेलएबिल है । वहां एक लाइसेंस सुपर राक फास्फेट प्लान्ट के लिए दिया था लेकिन वह कैंसिल हो गया है । एक लाइसेंस की दरख्वास्त और पेन्डिग पड़ी हुई है और वह मध्य प्रदेश में ज्वान्ट सैक्टर में लगाने की बात है, ऐसा मालूम हुआ है । अगर वहां इसकी स्थापना हो जाती है तो सागर जिले में एक उद्योग स्थापित हो जाएगा । वहां पर रा—मेंटीरियल काफी तादात में प्राप्त होता है ।

मैं अपने साथी सदस्यों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वे शासन की आलोचना करते हैं और सुझाव भी देते हैं । मैं उन सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वे शिकायत करते हैं, अगर उनके साथ-साथ वे यह भी सुझाव दें कि उनमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी परंपरा होगी, बहुत अच्छी बात होगी ।

मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो नोट हमारे सेक्रेटरिएट से लगकर जाते हैं, एक बार अगर नोट लग गया कि यह काम नहीं हो सकता है तो अंत में मंत्री महोदय को भी यही कहना पड़ता है कि यह काम नहीं हो सकता और अगर वही नोट दूसरी बार लग कर चला जाता है कि यह काम हो सकता है तो वह काम हो जाता है । इस तरह की जो डिस्क्रीपेंसी है, इसको दूर किया जाना चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : डिस्क्रीपेंसी नहीं, चाबी अधिकारियों के हाथ में है ।

श्री डाल चन्द्र जैन : मेरे कहने का मतलब है कि जो अधिकारी हैं, वे भी इस देश के निवासी हैं, हमारे भाई हैं । उनको हमारे देश के विकास में, तरक्की में, देश के उत्पादन में रुचि होनी चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी इस तरह की बात होती है तो हमें दुःख होता है । इस प्रणाली को बदला जाना चाहिए ।

एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने एक बात कही थी कि हमारे जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको दण्डित भी किया जाएगा । मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह से हमारी फैक्ट्रीज में या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में जो नुकसान हो रहा है, उसकी रेसपांसिबिलिटी फिक्स की गई है या नहीं और जो दोषी लोग हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है, यह सदन की नालेज में लाना चाहिए ।

अंत में मेरा यही निवेदन है कि हमारे सागर जिले में जो बहुतायत से राक-फासफेट अवेलेबल है, इसके लिए वहां पर पब्लिक सैक्टर में या प्राइवेट सैक्टर में या ज्वाइंट सैक्टर में एक एस एस पी का कारखाना यथाशीघ्र स्थापित होना चाहिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुन्द) : आप तो दमोह जिले के हैं और सागर जिले की बात कर रहे हैं ।

श्री डालचन्द जैन : हमारे बड़े भाई साहब, आदरणीय शुक्ल जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया है । मैं दमोह तथा पन्ना जिलों की बात पर आ रहा था । दमोह जिले में पत्थर बहुतायत से उपलब्ध है, इसलिए वहां सीमेंट का कारखाना लगाया जाना चाहिए । इसी पर एक तरह से पन्ना जिले में हीरे की खानें किसी कारण से बंद हैं । यहां पर सदन में कई बार कहा गया है कि लाभ या हानि को न देख-कर जॉब प्रोवाइड करने के लिए शासन द्वारा उद्योग पर काम किया जाता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पन्ना की खानों को शुरू किया जाए । इसी तरह से कुछ वर्षों से पत्थर की खानें भी वहां पर बंद कर दी गई हैं, यह कहा गया है कि वन क्षेत्र में आती हैं, जबकि वन का कोई काम नहीं है, तो वह खान भी शीघ्र शुरू की जाएं, जिससे वहां के मजदूरों की बेरोज- गारी दूर हो सके और उनको काम मिल सके । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदया, आज फर्टिलाइजर की चर्चा पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुत आगे तक सोचा और बड़े-बड़े कारखाने लगवाये । पहले तकरीबन सारा माल बाहर से आता था । आज हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं । इसके साथ-साथ भाखड़ा डैम बनवाया । इससे सिंचाई अधिक हुई और खेती की पैदावार भी बढ़ी । सारे भारत में 38 के करीब बड़े खाद के कारखाने हैं जबकि 40 के करीब छोटी फैक्ट्रियां हैं । इनसे हम खाद की मांग को पूरा नहीं कर सकते । जहां फसल की सिंचाई होगी, वहां खाद की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी । सिंचाई और खाद की कमी की वजह से पहले बाहर से अनाज मंगाया जाता था । मैं यह कहना चाहूंगा कि जबसे अच्छी सिंचाई हुई, अच्छा खाद मिला और अच्छी पैदावार हुई तो उससे सारे भारत की आबादी की मांग पूरी हो गई । अब स्थिति यह है कि भारत से बाहर भी अनाज भेजा जा सकता है । खाद की कमी इसलिए होती चली जा रही है क्योंकि खाद का इस्तेमाल किसानों ने शुरू कर दिया है । सरकार की तरफ से हर जगह खेती में खाद डाला जाने लगा है जिससे पैदावार बढ़ी है । दुख की बात यह है कि खाद बहुत महंगा मिलता है । फैक्ट्रियां बहुत दूर-दूर लगी हुई हैं । रेलगाड़ियों और ट्रकों में खाद आने से किराया बहुत ज्यादा लगता है जिसकी वजह से खाद महंगा हो जाता है । मैं चाहूंगा कि पांच-पांच या आठ-आठ मील पर ये फैक्ट्रियां होनी चाहिए जिससे किसानों को बहुत ज्यादा दूर न जाना पड़े और खाद भी सस्ते दामों पर मिल जाए । कुछ ससद सदस्यों ने इस बात पर एतराज किया था कि गेहूं का रेट बहुत कम बढ़ाया है । हम चाहते हैं कि खाद का दाम कम होना चाहिए । यह पता चला है कि आप 1200 करोड़ की सबसिडी दे रहे हैं । इतने बड़े भारत के लिए यह सबसिडी बहुत थोड़ी है । इसको और बढ़ाया जाना चाहिए । इसके ज्यादा बढ़ने से किसान ज्यादा पैदावार कर सकते हैं । पांच-पांच या आठ-आठ मील पर फैक्ट्रियां लगाएंगे तो बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगेगा, खाद भी सस्ती मिलने लगेगी और पैदावार भी अधिक हो जाएगी ।

अमोनियम सल्फेट से ज्यादा गोबर या दूसरे खाद के गेहूं में ज्यादा ताकत होती है । हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वह जानते हैं कि इसमें और क्या चीज मिलानी चाहिए जिससे पैदावार अधिक बढ़ सकती है । गोबर या सणी की खाद डालने से पैदावार अधिक होती है और गेहूं का दाना भी बहुत मजबूत होता है । दिल्ली प्रशासन की तरफ से हमारे देहातों में काफी प्रचार हुआ है कि मूंग की फसल की पैदावार काफी अच्छी होती है । मूंग, उड़द और गंवार में ज्यादा ताकत होती है । ऐसी चीज न लगाए तो अमोनियम सल्फेट और महंगा मिलेगा । आजकल खाद का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है क्योंकि किसानों की यह इच्छा है कि पैदावार ज्यादा होनी चाहिए । जिससे हमें ज्यादा पैसे मिल सकें । यहां मैं इस बात को कहूंगा कि जो तीन-चार किस्म की खाद हैं जैसे डी ए पी, एन पी के, यूरिया, पोटाश आदि इनमें इस किस्म की दवाई और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि गेहूं या दूसरी पैदावार में विटामिन अधिक हो जाएं, उनमें मजबूती आए, जिस तरह की मजबूती गोबर की खाद डालने पर आती है । आजकल इस बारे में कई तरह के तजुर्बे चल रहे हैं । मैं कहूंगा कि इस किस्म के और ज्यादा मात्रा में तजुर्बे करने चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके और पैदावार में जो गेहूं या दूसरी चीज हमें प्राप्त हों, वह ताकतवर हों, उसमें

विटामिन ज्यादा मात्रा में हों। ऐसे तरीके सरकार को खोजने चाहिए और उन तरीकों से बीडियों या और दूसरे तरह के प्रचार माध्यमों के जरिए देहातों में रहने वाले किसानों को ऐसे नए तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारी पैदावार ज्यादा होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार की ओर से फसलों की बीमारियां रोकने के लिए काफी प्रयत्न किए जाते हैं और उससे पहले जिस वक्त बीज बोया जाता है तो भी खेत में दवाई डाली जाती है, जिससे दीमक या कोई दूसरे कीड़े-मकोड़े न लगने पाएं और खर-पतवार भी न हों। ऐसी कई तरह की दवाइयां पहले से सरकार ने निकाली हुई हैं जिनसे सिवाय फसल के दूसरा कोई झगड़ा न रहे। तीसरे, एक दवाई ऐसी भी जिससे खेत को लगने वाले रतवे को रोका जा सके। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि दवाइयां तो बहुत तरह की हमारे यहां उपलब्ध हैं, लेकिन वे इतनी महंगी हैं कि आम किसान उनको खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता और वह एक-एक पैसा खर्च करता हुआ डरता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दवाइयों पर किसानों को आधी सबसिडी दी जाए जिससे हर किसान अपने खेत में दवाइयों का इस्तेमाल कर सके और कीड़े-मकोड़ों के प्रकोप से फसल को बचा सके।

इसलिए जैसा मैंने पहले भी कहा, यदि किसान के खेत के पास ही फैक्टरी होगी, दुकान होगी तो वह अपनी बैलगाड़ी पर भी खाद ला सकता है, अपने ट्रैक्टर पर भी खाद ला सकता है या अपनी साइकल पर भी खाद ला सकता है लेकिन यदि वही खाद बाहर से लानी पड़े, जैसा आपने कहा गुजरात से खाद लाई जाएगी, तो उसे वह निश्चित तौर पर महंगी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि खाद पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा सबसिडी मिले।

हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग खेती या उससे सम्बन्धित व्यवसाय में लगे हुए हैं और देहातों में वास करते हैं। यदि उनको सस्ती खाद मिलेगी तो न केवल उनकी पैदावार ज्यादा होगी बल्कि उनका जीवन भी खुशहाल बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको ठीक रेट पर खाद मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए आप सबसिडी दें या कोई और व्यवस्था करें। आप को खाद की छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। इससे जहां एक ओर किसानों को सस्ती खाद मिलेगी, वहीं मजदूरों को भी काम मिलेगा।

इसी तरह हमारे गांवों में कई सोसायटीज हैं या पंचायतें हैं, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ठीक समझे, उनको लाइसेंस देने चाहिएं और जल्दी से जल्दी वहां फैक्टरियां स्थापित करनी चाहिए जिससे लोगों को भी रोजगार मिल सके। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं मंत्री महोदय से इतना ही चाहूंगा कि मैंने जिन विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, खेती में ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को सस्ती खाद दी जाए, सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि फसल निरोग हो, मजबूत हो, विटामिनों से भरपूर हो और ताकतवर हो उसके लिए आपको अनुसंधान कराने चाहिए और नई-नई दवाइयां निकालनी चाहिए। उनका इस्तेमाल करके जहां हमारी पैदावार बढ़ेगी, वहीं हमारी फसलें भी अच्छी होंगी, उनसे पैदा होने वाली चीज विटामिनों से भरपूर होगी। जैसे हम खेतों में अमोनियम सल्फेट और फास्फेट डालकर अच्छी फसल लेते हैं, उसी तरह हमें और भी दवाइयां खोज निकालनी चाहिए।

आज हम खाद पर जो 12 करोड़ रुपये की सबसिडी देते हैं, यदि उसको बढ़ाकर हम 24 करोड़ रुपये कर देते हैं तो इससे किसानों को सस्ती खाद मिलेगी और वे उसका खेतों में ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेंगे।

इसी तरह मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब पीछे हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनेलाइजेशन किया तो बैंकों से लोन लेकर किसानो ने ट्यूबवैल लगाये जब कि उससे पहले कहा जाता था कि कर्जा नहीं दिया जाएगा। परन्तु नेशनेलाइजेशन के बाद खेती का पैदावार एकदम बढ़ गई। मैं चाहता हूँ कि उसी तरह पैदावार को बढ़ाने के लिए, खेती में पैदा होने वाली चीजें विटामिनों से भरपूर हों, मजबूत हों, ताकतवर हों, इसका भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए और नई-नई खोज करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा। सस्ता खाद तभी हो सकता है, जब अपने घर में उसकी पैदावार हो। इसी तरह से हमने ज्यादा से ज्यादा गेहूं पैदा किया। लोगों को बड़े कारखानों में तो रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी-छोटी फैक्टरियों में बहुतों को रोजगार मिलेगा और हमें खाद भी सस्ता मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, मिनिस्ट्री आफ कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की डिमांडज यहां प्रस्तुत हुई हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

आज का युग, वास्तव में रसायनिक खाद का युग है। इसके इस्तेमाल से पिछले एक दशक में हमारी प्रोडक्टिविटी लगभग ढाई गुना बढ़ी है और हम आत्मनिभरता हुए हैं। जहां तक खाद्य-पदार्थों का सवाल है, इसमें बहुत बड़ा हाथ रसायनिक खाद का है।

आज हमारे देश में लगभग 38 फर्टिलाइजर्स की यूनिट्स हैं और 40 छोटी यूनिट्स हैं जिनके द्वारा किसानों को खाद मुहैया कराई जाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे ब्लाक लैवल तक है और किसानों को अलग-अलग समय पर खेती के लायक खाद मुहैया कराई जाती है।

हमारे खाद के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है, इसमें दो मत नहीं हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हम लोगों को मिली है, उसमें इस पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो हमारा खाद का रिक्वायरमेंट है, उससे कम खाद ही हम प्रोड्यस कर पायेंगे। हमें ध्यान देना होगा कि हम उतनी खाद अवश्य ही पैदा करें जितनी कि किसानों की जरूरतें हैं।

सबसे पहली आवश्यकता किसान की नाइट्रोजन फास्फेट की हुआ करती है और ज्यादातर उत्पादन इसी का हुआ है। फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसम और वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि फास्फेट खाद जो हम ऊपर से देते हैं, या पहले ही इसे जमीन में मिलते हैं, वह खाद आर्गेनिक फार्म में हम मिलाया करते हैं और आर्गेनिक फास्फेट का उत्पादन अभी कम है। सिंगिल सुपर के मार्फत या ट्रिपल सुपर के मार्फत हम खाद का उत्पादन किया करते हैं, लेकिन ज्यादातर आर्गेनिक फास्फेट की कमी हुआ करती है।

अन-आर्गेनिक फास्फोर्स और पास्फेट हमारी जमीन में रहता है और वह ब्लैक फार्म में रहता है जिसे ब्लैक फास्फेट कहते हैं। यह ब्लैक फास्फेट आर्गेनिक फास्फेट में मिलाये जाने पर अन-आर्गेनिक फार्म में रिलीज होता है जिसे प्लांट इस्तेमाल करता है। इस तरह से आर्गेनिक फास्फेट की आवश्यकता आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है और ज्यादातर तो हम अन-आर्गेनिक फार्म में ही खाद को जमीन में मिलाते हैं। उससे हमारा फायदा नहीं होता क्योंकि अन-आर्गेनिक फार्म में तो फास्फेट जमीन में है, लेकिन जब वह आर्गेनिक फार्म में रिलीज होती है, उसके बाद ही पौधे द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह टैक्निकल चीज है, इसलिए हमें अन-आर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करने के लिए आर्गेनिक फास्फेट बनाने की आवश्यकता है और इस पर जोर दिया जाना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि हमारे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, जो कि आज कुछ पुराने हैं। मसलन मैं आपका ध्यान सिंदरी की तरफ ले जाना चाहता हूं। बिहार में जहां से मैं आता हूं, वहां सिंदरी में जो फर्टिलाइजर का प्लांट है वहां पुराने पद्धति से फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अभी सिंगल सुपर फास्फेट बनाने के लिए वहां काम चल रहा है, लेकिन हाइड्रो क्लोरिक एच 2.SO4 जिस को सल्फूरिक एसिड कहते हैं, उनके उत्पादन को लेकर है, वहां खाद बनाने का पहले से कारखाना चल रहा है। सल्फरिक एसिड का बनाया जाना हमारे यहां पायराइट्स से होता है और पायराइट्स की खदानें हमारे छोटा नागपुर और पलामू जिलों में काफी हैं और जहां से हम सल्फरिक एसिड का निर्माण करते हैं। वहां एसिड फर्टिलाइजर के निर्माण में भी जाता है। वैसे उसकी आवश्यकता स्टील प्लांट में भी हुआ करती है और दूसरी इंडस्ट्री में भी सल्फरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। यह तो एक मिनियम रिक्वायरमेंट हुई जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

दूसरी चीज यह है कि हमारे बिहार में एक बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट है और बरौनी में प्रोडेक्शन की कमी जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया, हमारे बरौनी खाद के कारखाने में कम प्रोडेक्शन कर रही है, उसके कारण भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। पहला कारण वहां बिजली की कमी है और दूसरा कारण अल्कोहल की कमी है। बिजली की कमी के कारण वहां जो प्रोडेक्शन है वह कम है।

यह सही है कि 1977 के बाद से आज तक बिजली की कमी रही है। आज वह कमी इस वर्ष के अंत तक दूर होने जा रही है। एक थर्मल पावर प्लांट लगा है जिससे बिजली मुहैय्या हो सकेगी, लेकिन आज बरौनी में बिजली की कमी के कारण जो प्रोडेक्शन कम हुआ है इसको दूर करना है और कैप्टीव पावर प्लांट बरौनी में चाहिए और इसका काम शीघ्र शुरू हो और खत्म हो क्योंकि प्रोडेक्शन में कमी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी।

महोदय, हम लोग फर्टिलाइजर की बात करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर के अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनकी आवश्यकता प्लांट की बढ़ोत्तरी में हुआ करती है। प्लांट कैसे तगड़ा हो, अच्छा हो, जिससे फल अच्छा हो यह सबसे बड़ी आवश्यकता हुआ करती है।

प्लांट्स हारमोनस का भी प्रोडेक्शन अभी हमने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। अभी यह एक्सपैरिमेंटल स्टेज पर है। हमने अपनी जमीन पर हारमोनस लगा कर कार्य किया जिससे फायदा हुआ है तो इसे मात्र एक्सपैरिमेंटल स्टेज तक सीमित न रखा जाए और हारमोनस ज्यादा से ज्यादा किसान इस्तेमाल करें ताकि उसका फायदा और दूसरे किसानों को भी मिल सके। साथ ही साथ हारमोनस का प्रोडेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि हम भी हमारे बाहर के जो किसान जो विदेशों में रहते हैं उनकी आवाज आ जा सके अभी तो हम से प्रोडेक्शन के मामले में काफी दूर है, लेकिन ऐसे तत्व अगर और भी आगे निकाले जायें और किसानों को मुहैया कराया जावे उसमें सबसिडी दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता माननीय सदस्य ने कहा कि कीमतें जो हमारी यूरिया की, अमोनियम सल्फेट की या फास्फेट की जो बाजार में मिलती है यदि उन पर गौर करें तो 1200 करोड़ की सबसिडी देने के बाद भी यूरिया की एक बोरी की कीमत 114 रुपये से 120 रुपये आज की मार्किट में है। आज बाजार में वह 120 रुपये है।

3.00 म० प०

एक बात और कहना चाहूंगा। पिछले चुनाव में हमारे यहां एक-एक बोरा यूरिया की कीमत लगभग 200 रुपये थी। यूरिया रहते हुए भी किसानों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल पाता। मैं मानता हूं कि जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है वह राज्य सरकारों के हाथ में है। कई एजेंसियां राज्य सरकारों की भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम किया करती हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई एक एजेंसी ऐसी रहनी चाहिए ताकि वह यह एश्योर करे कि किसानों को सही समय पर और सही मूल्य पर यूरिया मिल सके। हमने प्रचार तो इतना ज्यादा किया कैमिकल फर्टिलाइजर्स का लेकिन वह समय पर मिल नहीं पाता तो हमारे प्रचार और प्रसार का कोई फायदा नहीं होता।

दूसरी चीज यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जो फर्टिलाइजर के प्लान्ट हैं उन की तरफ भी हम दृष्टि डालें और हमारा जो गैप बनता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट के बीच का गैप है, उसको भरने के लिए प्राइवेट सैक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइवेट सैक्टर में अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल करके इस ग्रैप को पूरा कर सकते हैं।

अब दो शब्द में आई० डी० पी० एल० के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे बिहार में एक आई० डी० पी० एल० फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में भी इस फैक्ट्री में जो दवाइयां बनती हैं उस में भी प्रोडक्शन में कमी है। इस कमी का कारण इस पुस्तक में दिया है अल्कोहल की कमी और दूसरी है ऊर्जा की कमी। अल्कोहल की कमी के विषय में मेरा सुझाव है कि मुजफ्फरपुर और उसके उत्तर की तरफ बहुत सारी चीनी मिलें हैं। मैं जहां से आता हूं बेतिया से और चम्पारन का इलाका जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रहा है, वहां नौ चीनी मिलें हैं। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी इन सब को मिला कर बहुत सारी चीनी मिलें

इधर हैं। तो इतनी चीनी मिलों के होते हुए भी आप कहते हैं अल्कोहल की कमी है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार से बात करके चीनी की उत्पादकता जितनी होनी चाहिए उसके बाद जो शीरा बचता है चीनी मिलों में उससे हम अल्कोहल बना कर आई० डी० पी० एल० की फैक्टी को मुहैय्या करा सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से इनीशिएटिव लिया जाना चाहिए ताकि मुजफ्फरपुर की आई० डी० पी० एल० फैक्ट्री के प्रोडक्शन में कमी न हो सके पूरा-पूरा प्रोडक्शन उसमें हो और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सही माने में कम दाम पर हमारे भाइयों को दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

दूसरी बात में स्टार्च, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज सौल्यूशन के बारे में कहना चाहूंगा जो डायरिया, वोमिटिंग ऐंड डीहाइड्रेशन के केस में इस्तेमाल किया जाता है।

कई तरह की कितनी प्राब्लम्स में इन दवाओं का इस्तेमाल होता है। इन दवाओं की कीमतें कम करके अगर सरकार की ओर से इनको बेचा जाए तो लोगों को काफी लाभ पहुंच सकता है। आप अस्पतालों में कई तरह के मरीज देखेंगे, उनमें बहुत से गरीब होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता है कि वह दवा खरीद सकें। इसलिए यह आवश्यक है कि कम से कम डैक्स-ट्रोज और ग्लूकोज जैसी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाकर और कीमतें कम करके मरीजों को उपलब्ध कराया जाए। डी-हाईड्रेशन जैसी बीमारी में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। आज 12-13 रु० में इसका एक सैट मिलता है जिसको खरीदने की कोई गरीब आदमी सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए इसके उत्पादन को बढ़ाने और कीमतों को कम करने की नितान्त आवश्यकता है। पंजाब मेज प्रोडक्टस लि० ने इस काम को शुरू किया है और बिहार में पटना मेडिकल कालेज हास्पिटल में भी छोटी यूनिट है लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हास्पिटल में ही इस तरह की व्यवस्था हो जाए, नार्मल सेलाइन, ग्लूकोज डेक्सट्रोज वगैरह वहीं पर जा सकें तो उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आयेंगे।

इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतवर्ष तीन बीमारियां-ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और फाइलेरिया-बहुत प्रचलित हैं। इन बीमारियों के सम्बन्ध में आप बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। हमारे ईस्टर्न यू पी में और वेस्टर्न यू पी में भी ट्यूबरकुलोसिस और लोप्रोसी बहुत ज्यादा है और इनमें प्रयोग होने वाली दवाओं की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। ट्यूबरकुलो-सिस में फर्स्ट लाइन आफ डिफेन्स जिसको कहते हैं, उसमें तीन दवाओं का प्रयोग किया जाता है—पहली दवा है आई० एन० एच०, दूसरी दवा है पास और तीसरी दवा है स्टेप्टोमाईसीन। यह तो बेसिक ड्रग्ज हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज का जब इलाज करते हैं तो पहले से ही इनको देते हैं। इनमें स्ट्रेप्टोमाईसिन तो पहले तीन महीने तक और बाकी दवायें लगातार 18 महीने तक चलने वाली दवाओं की कुल कीमत यदि जोड़ी जाए तो एक पेशेन्ट पर आज की कास्ट पर 1200 रुपए का खर्चा आता है जबकि ये केवल बेसिक ड्रग्ज ही हैं। इनके अलावा कुछ नयी ड्रग्ज भी आई हैं जैसे रिफैम्पिसीन, थाईसीटाजोन और एथांब्यूटाल वगैरह। ट्यूबरकुलोसिस में रिफैम्पिसीन का इस्तेमाल हर कोई नहीं करता क्योंकि उसकी एक ही कैपस्यूल की कीमत साढ़े तीन रुपए होती है और वह/डेली 18 महीने तक खानी पड़ती है। इसलिए इन दवाओं की

कीमतों में भारी कमी करने की आवश्यकता है। थोड़ी कमी कर देने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काफी समय तक इन दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एन्टी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है, जोकि अपने देश में ही बनाई जाती हैं, बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है, उन दामों में भारी कमी की जानी चाहिए। ये बीमारियों गरीबों को ही हुआ करती हैं, जिनका सोशल स्टेटस नीचे हुआ करता है। जिनकी पेइंग-कैपेसिटी इतनी नहीं है, उनमें ये बीमारियों ज्यादा हुआ करती हैं, वे अठारह महीने तक लगातार दवा खा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं इस बारे में मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा था।

दूसरा निवेदन मैं लैपरोसी के बारे में करना चाहता हूं, डी० डी० एस० नाम की दवा लैपरोसी के लिए काफी मंहगी है, इसके भी दामों में कटौती होनी चाहिए। मैं सीरम और वैकसीन के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जो कॉमन बीमारियां हैं, उनके लिए वैकसीन का डवेलपमेंट नहीं हो पाया है, सीरम का भी डवेलपमेंट नहीं हो पाया है, डिप्थिरीय, पर्टुसिस और टैटनैस आदि बीमारियों के लिए वैकसीन का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन एन्टी वाइरल वैकसीन का इन्तजाम अभी तक नहीं हो पाया है। उसका प्रोडक्शन बहुत नहीं बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वैकसीन और सीरम के डवेलपमेंट के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि कैमिकल इन्डस्ट्री ने पहले से आज काफी अपने आपको समृद्ध किया है और नेशनल मेन-स्ट्रीम में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इतना कहते हुए मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : सभापति महोदया, यह पहले ही कहा गया है कि विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में उर्वरक की प्रति व्यक्ति खपत बहुत ही कम है। यह चीन से भी कम है। इससे देश में उर्वरक उत्पादन की निराशाजनक स्थिति का पता चलता है।

महोदया, उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने 1984-85 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया है कि वे देश में उर्वरकों और रसायनों के उत्पादन में अच्छी प्रगति बनाये रखने में कामयाब रहे हैं। स्थिति को स्पष्ट करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के उत्पादन में उन्होंने इस वर्ष लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। वे 37 लाख टन नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का उत्पादन कर पाये। महोदया, उर्वरक या नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का उत्पादन, 1983-84 और 1984-85 वर्ष में उर्वरक के कुल उत्पादन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 1983-84 में देश में इनका उत्पादन 45.3 उत्पादन मिलियन टन था जो कि 1984-85 में बढ़कर 58.8 लाख टन हो गया। लेकिन उस वर्ष कुल खरीद 77.2 लाख टन की हुई जबकि लक्ष्य 84 लाख टन निर्धारित किया गया था। अगर हम इसको नाइट्रोजन वाली उर्वरक से तुलना करे, जोकि वास्तव में 37 लाख टन था, तो मैं कहूंगा कि लक्ष्य बहुत कम रखा गया था। मैं नहीं जानता कि नाइट्रोजन वाली उर्वरक के उत्पादन लक्ष्य को इतना कम क्यों रखा गया था। इसमें

कोई शक नहीं कि यह कम लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया; इसके बावजूद भी इस वर्ष 40 लाख टन से अधिक का अधिशेष रह जाता है। लेकिन हम सारे मामले को देश में उर्वरक की कुल आवश्यकता के संदर्भ में देखें, तो हम पायेंगे कि बहुत कम लक्ष्य रखा गया था और यह इसलिए किया गया कि लोग यह विश्वास करें कि यह मंत्रालय अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और इसने अच्छा कार्य किया है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस मंत्रालय की उर्वरक के उत्पादन के विषय में कोई अच्छा कार्य निष्पति नहीं रहा है। हमें बताया गया है कि देश की मांग को पूरा करने के लिए इस वर्ष मंत्रालय काफी मात्रा में उर्वरकों का आयात करेगा। अगर उर्वरक के उत्पादन में यह स्थिति है तो, ऐसी बहुत कम ही सम्भावना है कि मंत्रालय देश में उर्वरक की मांग को पूरा कर पाने में सम्भव होगा। सप्लाई हमेशा ही मांग से कम रहती है। इसीलिए इस मंत्रालय को प्रतिवर्ष काफी मात्रा में अन्य देशों से उर्वरक का आयात करना पड़ता है।

अगर इसे दूसरे ढंग से देखे तो, हम पायेंगे कि निकट भविष्य में रसायन और उर्वरक मंत्रालय मांग की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होगा। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि यह संयंत्र निर्माणाधीन हैं और बहुत जल्द ही इनमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। लेकिन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। इसलिए कोई नही जान सकता कि ये संयंत्र कब आरम्भ होंगे। इनसे 20 लाख टन उर्वरक का अतिरिक्त उत्पादन होगा। अगर हम 50 लाख टन में यह 20 लाख टन की जोड़ दें, जो कि देश में इस वक्त उत्पादन हो रहा है तो यह करीब सात मिलियन टन बनता है जोकि निकट भविष्य में हमें प्राप्त होगा। इससे उर्वरक के उत्पादन के संबंध में मंत्रालय की स्थिति स्पष्ट होती है।

इस संदर्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि जो संयंत्र निर्माणाधीन हैं उनके प्रबंधक पिछले कुछ वर्षों में कैसे कार्य करते रहे हैं। अगर आप हल्दिया उर्वरक का उदाहरण लें तो पायेंगे कि यह संयंत्र तकनीकी दृष्टि से 1979 में पूरा हो गया था लेकिन व्यवसायिक रूप से इसने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। यह हल्दिया उर्वरक कारखानों के प्रबन्धकों की अकुशलता के कारण हैं। वे अपनी जिम्मेदारी यह कह कर टाल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रही और इसलिए वे संयंत्र आरम्भ नहीं कर पाये। लेकिन भारत सरकार ने दिसम्बर, 81 में 20 मेगावाट के गैस टर्बाइन की मंजूरी दी और यह गैस टर्बाइन 1981 में स्थापित किया गया और अप्रैल, 1982 में इसने संयंत्र को बिजली देनी शुरू कर दी थी। इसके बाद हल्दिया उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हुआ और संयंत्र के शुरू होने से आक्सीजन और नाइट्रोजन कम्प्रेसरों में कुछ दोष पाए गये। इन दोषों और कन्ट्रोल वाल्व और सेन्थेसिस् गेस कम्प्रेसर में कुछ अन्य मुश्किलों के कारण हल्दिया उर्वरक कारखाने में उत्पादन मुश्किल में पड़ गया और इसका उत्पादन मई, 1983 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इन दोषों को दूर करके और उपकरणों की मरम्मत करके, मई, 1983 में संयंत्र पुन: शुरू किया गया लेकिन कुछ उपकरणों में दोषों के कारण संयंत्र उत्पादन जारी नहीं रख सका और यह पाया गया कि आक्सीजन गैस होल्डर में काफी बड़ी खराबी है। वास्तव में यह उस समय फट गया था और आक्सीजन कम्प्रेसर, सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। यह सितम्बर,

1983 की बात है। इसीलिए इसके समय क्रम से आरम्भ किये जाने की बात को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया। कोई नहीं जानता कि यह कब आरम्भ होगा। प्रबन्धक कहते हैं कि इसे अक्तूबर, 1985 में आरम्भ कर दिया जायेगा। असल में हल्दिया उर्वरक कारखाने का सारा मामला हल्दिया के प्रबन्ध के हाथ में है। यह प्रबन्धक इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि इसे समय पर आरम्भ नहीं कर पायेंगे। इसीलिए मैं माननीय मंत्री को कहना चाहूंगा कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक कैसे उन परियोजनाओं के गलत संचालन के लिए जिम्मेवार हैं। इससे संयंत्रों की लागत मूल्य में भी और वृद्धि होती है।

रसायन उद्योग में भी' वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि गत वर्ष में इसमें अच्छी प्रगति हुई। लेकिन यह प्रगति पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में मंत्रालय की वार्षिक रसायन उद्योग के विभिन्न लोगों में की गई प्रगति के बारे में जो रिपोर्ट में दवे किये गये हैं; के ऐसे लगते है कि भारत सरकार द्वारा आत्म निर्भरता प्राप्त करने के दावे से मेल खाते हैं। लेकिन मैं ये आत्म निर्भरता के कहीं भी नजदीक भी नहीं हैं। इसलिए आत्म दृष्टि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई मंत्रालय की रिपोर्ट देखे तो वह पायेगा कि मंत्रालय को अपने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से काफी हद तक आत्मसंतोष है।

रसायन उद्योग में हम पाते हैं कि मिथाइल, औद्योगिकअल्कोहल और सोडा एश की हमेशा कमी बनी रहती है। कई दफा स्थिति इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि सोडा बाजार में काफी ऊंचे दामों पर बिकता है। इनमें से कुछ रसायनों की कम सप्लाई को सारे साल देखा जा सकता है।

मैं एक अन्य मद, औद्योगिक अल्कोहल के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक दुर्लभ वस्तु है। रसायन और अन्य लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए औद्योगिक अल्कोहल एक महत्वपूर्ण मद है। पश्चिम बंगाल में इसका काफी मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। इसका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल को वहां से इसे मंगाना पड़ता है। लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुरूप पश्चिम बंगाल इसे मंगा नहीं पाता है। अखिल भारतीय सीरा बोर्ड राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल वितरण करने का संचालन करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में औद्योगिक अल्कोहल का काफी अभाव है। माननीय मंत्री को इस मामले में अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना जानाचाहिए कि पश्चिम बंगाल को औद्योगिक अल्कोहल की और मात्रा उपलब्ध हो।

मैं एक अन्य मामला उठाना चाहता हूं और वह हल्दिया पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स के बारे में है। माननीय मंत्री को अच्छी प्रकार से जानकारी है कि पश्चिम बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया है जिसके अधीन भारत सरकार सीधे ही परियोजना को लागू करने के लिए हिस्सेदार बन सकती है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत सरकार के शेयर इक्विटी हिस्सेदार में 40% होंगे, जबकि राज्य के शेयर 40% और वित्तीय संस्थाओं के शेयर 20% होंगे। यह एक संयुक्त उद्यम होना था। परन्तु हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हल्दिया पेट्रो-

रसायन कम्पलैक्स हेतु धनराशि आबंटित नहीं की गई है। दूसरी ओर 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम केवल इस बात पर बल देना चाहते हैं कि स्वयं भारत सरकार के अनुसार हल्दिया पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स एक ऐसी परियोजना है जिस पर आगे काम किया जाना चाहिए। अतः में इस सभा के समक्ष यह मामला रखना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स स्थापित किया जाना चाहिए और इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार संयुक्त क्षेत्र में नहीं लगाना चाहती तो इसकी लागत वह स्वयं वहन कर सकती है। इसे हर हालत में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3.29 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हल्दिया पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना से गिरावट को ओर जा रहे पश्चिमी बंगाल के वर्तमान रसायन उद्योग का जिसमें राष्ट्रीयकृत रसायन उद्योग भी सम्मिलित हैं, कायाकल्प होगा और एक बड़ी संख्या में बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों की स्थापना के अवसर पैदा होंगे। वास्तव में आधारभूत पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना से इस सामग्री पर आधारित की एक श्रृंखलाबद्ध हो जाएगी जिससे राज्य का बहुंमुखी विकास सुनिश्चित होगा... ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना शेष भाषण अगली बार देंगे। हमें अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे अब विधेयक पुनः स्थापित किए जायेंगे। श्री बी० बी० देसाई

3.30 म० प०

विधेयक

[अनुवाद]

(एक) धार्मिक संपरिवर्तनों पर प्रतिबन्ध विधेयक *

श्री बी० बी० देसाई (रायपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारय में धार्मिक संपरिवर्तनों पर प्रतिबंध विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राज्य पत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार में सभा के समक्ष विचारार्थ रखा गया विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 का

उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद में नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक है। मेरे विचार में इस विधेयक पर चर्चा से ही विभिन्न वर्गों के लोगों में कटुता और घृणा उत्पन्न होगी। इस समय जब राष्ट्र की एकता की जरूरत है, मेरे विचार में इस विधेयक पर सभा में चर्चा ही नहीं करने दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसे पुनः स्थापित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह भारत के संविधान का उल्लंघन करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय सभा इस पर निर्णय ले सकती है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उन्हें विधेयक की पुनः स्थापना पर भी आपत्ति करने का अधिकार है। प्रस्तावक को उत्तर देने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, यदि आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो जब कार्य सूची परिचालित की गई थी तब आपको सूचना देनी चाहिए थी। अब जब वह प्रस्ताव कर रहे हैं आप आपत्ति कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : उनका खड़ा होना ही आपके लिए सूचना है।

श्री ए० चार्ल्स : वास्तव में मैंने आज सुबह अध्यक्ष महोदय को उनके कक्ष में एक नोट दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें प्राप्त नहीं हुआ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) संवैधानिक आपत्तियां हमेशा विधेयक पर विचार करते समय उठाई जाती है न कि पुनः स्थापित करते समय।

श्री जी० एम० बनातवाला : मंत्री महोदय अब हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? इसका उत्तर प्रस्तावक देगा। यह प्रथा नहीं है।

श्री ए० के० सेन : इसके अतिरिक्त, इसके असंवैधानिक होने के बारे में की गई आपत्ति ठीक प्रतीक नहीं होती क्योंकि किसी के भी धर्म-संपरिवर्तन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि किसी का भी बल पूर्वक अथवा प्रलोभन देकर धर्म संपरिवर्तन न किया जाए। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या इस हस्तक्षेप से हम यह समझें कि सरकार इस प्रकार के विधेयक के पक्ष में है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल कानूनी मुद्दे को स्पष्ट करना चाहते थे। वह सदस्यों की सहायता कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें इसका अवश्य ही विरोध करना चाहिए क्योंकि विधेयक पर चर्चा होने से पहले ही मंत्री महोदय इस संबंध में सरकार के विचार प्रकट कर रहे हैं। मेरा यह दृढ़ मत है कि यह गलत प्रथा है ....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकार के विचार प्रकट नहीं किए हैं। केवल संवैधानिक मुद्दा स्पष्ट किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह आपत्तिजनक है। आज इस तरह हमारी बिल्कुल परवाह नहीं की जा रही है..........

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल सदस्यों की सहायता की है। बस

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं माननीय मंत्री महोदय के अधिकार को अस्वीकार नहीं करता। उनका अधिकार है परन्तु ऐसे समय मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने की प्रथा नहीं है। सदस्यों का काम इसका विरोध करना है और प्रस्तावक का काम विधेयक के पक्ष में कुछ कहना है..........

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि आप पूर्व चर्चा करवाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से बैठ जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : केवल एक सदस्य को विरोध करने और प्रस्तावक को उत्तर देने की अनुमति है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : क्या मंत्री महोदय को प्रक्रिया के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है ? उन्होंने केवल प्रक्रिया स्पष्ट की है—उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कुछ नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल हमारी सहायता की है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह मंत्री द्वारा हस्तक्षेप है जो सदस्य इसका विरोध करना चाहते थे उन्हें आपने अनुमति दी। अब यह प्रस्तावक का काम है कि वह इसका प्रतिवाद करे, इस समय तो बस यही होना चाहिए था..........

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं। वह केवल हमारी सहायता करना चाहते थे। बस

श्री जी० एम० बनातवाला : यह बिल्कुल अनुचित है। मैं इसका विरोध करूंगा।

श्री ए० के० सेन : एक संवैधानिक मुद्दे पर व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस सभा में माननीय सदस्य के कुछ समय पहले से हूं। पुराने दिनों में अध्यक्ष महोदय मुझे विधि मंत्री होने के नाते सभा को यह बताने के लिए बुलाते रहे कि क्या किसी मामले विशेष में प्रत्यक्षतः कोई संवैधानिक आपत्ति है............

श्री जी० एम० बनातवाला : एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया है।

श्री ए० के० सेन० : माननीय सदस्य बताते हैं कि उन्हें प्रक्रिया की पूरी जानकारी है जो कि मुझे कहीं दिखाई नहीं देती।

श्री जी एम बनातवाला : में आपके अधिकार को अस्वीकार नहीं करता। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री बी० बी० देसाई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस विधेयक ने एक नेमी पुनः स्थापना की बजाए माननीय सदस्यों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है इतना सब सुनने के बाद में कुछ शब्द ही कहना चाहता हूं। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पीछे बैठे मेरे मित्र अथवा माननीय सदस्य श्री बनातवाला की भावनाओं पर चोट करे। विधि मंत्री उत्तर दे चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उत्तर नहीं दे सकता था परन्तु वह वरिष्ठ सदस्य हैं और इस सम्बन्ध में सभा की कार्यवाही का दिशा निर्देश करना उनका अधिकार है। मैं माननीय सदस्य से विधेयक पढ़ने का अनुरोध करता हूं। यह क्या कहता है ? यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है और न ही धार्मिक संपरिवर्तन पर रोक लगाता है। अतः मुझे इस विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत में धर्म संपरिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० बी० देसाई : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

3.57 म० प०

(दो,) चिकित्सा और इंजीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश का विनियमन और नई संस्थाएं खोलना विधेयक*

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा और इंजीनियरी

*दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

महाविद्यालयों में प्रवेश के विनियमन और तत्संबंधी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सा और इंजीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश के विनियमन और तत्सम्बंधी मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ

(तीन) अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षाविधेयक*

[अनुवाद]

श्री एडु आर्डो फलीरो (मारमागाओ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षक संस्थाओं में अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने के अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एडु आर्डो फलीरो : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ।

3.38 म० प०

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 316 में संशोधन, आदि)**

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णा गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

**दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, 'खण्ड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० राम मूर्ति : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 में संशोधन आदि)*

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

3.39 म० प०

(छः) संविधान सभा विधेयक**

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय संविधान सभा संयोजित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधानिक सभा संयोजित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

(सात) आयात और निर्यात व्यापार विधेयक*

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयात और निर्यात व्यापार का प्रबन्ध ग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी अभिकरण द्वारा किये जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि आयात और निर्यात व्यापार का प्रबन्ध-ग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी अभिकरण द्वारा किये जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

3.40 म० प०

(आठ) विवाह पर व्यय की अधिकतम सीमा विधेयक**

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाह व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विवाह व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.41 म० प०

(नौ) मंत्रियों के वेतन (संबलम) तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 का प्रतिस्थापना)*

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों केसम्बल में और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि मंत्रियों के सम्बलभो और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक पुनः—स्थापित करता है।

3.42 म० प०

(दस) सामाजिक निशक्तताओं का निवारण विधेयक**

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा किसी समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक निशक्तताओं का अधिरोपण किये जाने का निवारण करने हेतु कार्य या कार्यों के लिए दंड और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा किसी समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक निशक्तताओं का अधिरोपण किये जाने का निवारण करने हेतु ऐसे कार्य या कार्यों के लिए दण्ड और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

*दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**दिनांक 12.4.85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.43 म० म०

(ग्यारह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 309 का लोप, आदि)

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक पुन: स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 12-4-1985 के भारत के राज पत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.44 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985

(अनुच्छेद 44 का लोप)

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 29 मार्च, 1985 से प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करेगी, अर्थात्

"भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

—श्रीमती ममता बनर्जी भाषण दे रही थी और अब उन्हें उस भाषण को जारी रखना है। किन्तु में देख रहा हूं कि वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

अत: अब मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए कहूंगा। श्री गिरधारी लाल व्यास।
इस विधेयक पर चर्चा के लिए हमारे पास केवल 40 मिनट का समय है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मुझे कितने मिनट का समय दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 5 मिनट दिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप केवल 5 मिनट का ही समय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री बनातवाला जी ने जो कॉस्टीट्यूशन अमैंडमैंट बिल, 1985 रखा है, मैं उसका विरोध हूं। इन्होंने अपने बिल में कहा है कि आर्टिकल 44 को डिलीट कर दिया जाये। आर्टिकल 44 में दिया हुआ है—

[अनुवाद]

"भारत के समस्त राज्य-क्षेत्रों में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

[हिन्दी]

यह कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो किसी पर जबर्दस्ती लादा जाये। इसमें लिखा है कि एन्डेवर किया जाये कि सारे हिन्दुस्तान में यूनिफार्म सिविल कोड की व्यवस्था हो। जाये।

अब उसमें बहुत सारी बातें लाकर रख दी गई हैं कि यह कानून हमारे पर्सनल-ला में दखल करेगा और अन्य प्रकार की संभावनाएं यहां पर व्यक्त की गई हैं।

श्री बनातवाला जी ने मुस्लिम पर्सनल ला के बारे में जिक्र किया कि हमारे यहां कानून कुरान की रूह से बना हुआ है जो कि शरीयत ला है, और वह इस प्रकार का कानून है जिसको बदला नहीं जा सकता। मेरा कहना यह है कि उसको बदलने की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो कानून उन पर लागू होता होता है और एक कम्युनिटी नहीं चाहती है कि उसको बदला जाये तो उसको बदलने के लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

लेकिन जहां तक यह संभावना है कि हर जगह शादी-विवाह, डाइवोर्स का एक कानून हो, जिससे सामान्यतौर से सारी व्यवस्था ठीक से चल सके, इसके लिये एक व्यवस्था यहां पर दी गई है। उसमें भी किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इस देश को आजाद हुए 37 वर्ष हो गये, जो यह कहना चाहते हैं कि अपने पर्सनल-ला में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं चाहते, तो आज तक इसमें कभी दखल नहीं दिया गया। इसलिए ऐसी आशंका जाहिर करना, जिसके जरिये इस आर्टिकल को ही डिलीट कर दिया जाये, मैं समझता हूं कि यह कतई अच्छा नहीं है।

मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं—जिन्होंने इन कानूनों में तब्दीली की है और एक साथ कानून लाने के लिए कोशिश करने की बात की है। बहुत सी कम्युनिटिज भी हैं जिन्होंने ऐसे पर्सनल लॉ को कोडीफाई करने की व्यवस्था की है। अगर ऐसी व्यवस्थायें हो जायें तो उससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और उनके कानून में कोई दखल नहीं होगा।

आज जो कानून बना दिया कि पालीगमी नहीं होना चाहिए यानि एक स्त्री के रहते दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे मुस्लिम लोगों में इस बात को कहा गया है कि अगर आवश्यक है तो चार शादियां की जा सकती हैं। जैसे एक आदमी ने शादी की है लेकिन उसकी सन्तान नहीं होती है, सन्तान के अभाव में वह दूसरी शादी करता है तो निश्चित तरीके से वह व्यवस्था हो सकती है। मगर शौक के लिऐ, हवस के लिए 4-5 शादी करें तो इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। इसी कारण हमने इसको कानून का रूप दिया है कि जो इस तरीके की व्यवस्था करता है तो कानून उसे अवैध ठहराता है।

इसी तरह से इनहेरिटेंस का सवाल है। अलग-अलग कंट्रीज में यह अलग-अलग तरीके का है। पहले यहां पर जो कानून था उसमें महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, आज हमने कानून के द्वारा महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। जितने लड़के को अधिकार है, उतना ही लड़की को अधिकार है यानि परिवार के जितने सदस्य हैं उनको बराबर का अधिकार है। आज जितना फर्क या व्यवस्था 'इनके कानून में है वह उससे मेल नहीं खाता है। मगर जब आप अपने तरीके का कानून बनाना चाहते हैं जिससे सब लोगों को लाभ मिले और बराबर का अधिकार मिले तो ऐसे कानून को अपनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

डायवोर्स का जो कानून बना है सभी कम्युनिटीज के लिए इस कानून की व्यवस्था की गई है। इनके भी यहां इस प्रकार का कानून है। जैसे एक आदमी कई वर्षों तक अलग रहता है या उस स्त्री के साथ सम्पर्क नहीं करता तो वह तलाक का हकदार हो जाता है। मगर आपके यहां अलग-अलग तरह की व्यवस्थायें की गई हैं। इस मुस्लिम कानून के तहत जो तलाक दिया जाता है या जो पति अपनी पत्नी को या जो पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उसमें जो व्यवस्थायें की गई हैं उनको कोडीफाई करके एक प्रकार की व्यवस्था बना दी जाती है तो इस कानून को बल मिलेगा।

कल्चर और पर्सनल लॉ जो है उन पर 37 वर्षों तक पालन किया गया है, किसी प्रकार का दखल नहीं किया गया है और भविष्य में न हमारी सरकार का इस प्रकार का इरादा है कि किसी तरह पर्सनल लॉ में दखल किया जाये, मगर जिस वक्त आवश्यकता पड़ी इन व्यवस्थाओं के जरिये परर्सल लॉ में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो किया गया, जिस के द्वारा सारे देश के लोगों के लिए कॉमन लॉ बनाने की बात कही है, उसमें यह आर्टिकल मदद करेगा। जब इसकी आवश्यकता होगी या अपने पर्सनल लॉ में किसी प्रकार की तबदीली करना चाहते हैं, कनसैंस के आधार पर तो उस आर्टिकल के तहत उस व्यवस्था को लाने में मदद मिलेगी।

इसलिए इस कानून को अगर बनाए रखा जाता है तो उस से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और न कोई ऐसी कठिनाई होती है जिस से किसी को यह महसूस हो कि हमारे परसनल ला में किसी प्रकार का दखल किया जा रहा है।

दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान में इस प्रकार की तब्दीली लाई गई है, ईरान में लाई गई है और कई ऐसी कन्ट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खास तौर से टर्की में या अन्य ऐसे देशों में जो सोशलिस्ट देश हैं जिनमें मुस्लिम पापुलेशन बहुत बड़ी तादात में है, चाइना है, रूस है इन इन तमाम देशों में भी इस प्रकार के कानूनों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं और वहां निरन्तर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि जिस प्रकार से समान अधिकार सब लोगों को मिल है उसी प्रकार का अधिकार हर कम्यूनिटी को मिलना चाहिए। इस आधार पर मैं समझता हूं कि यह जो बिल लाया गया है कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट का जिस के अन्तर्गत उनके दिल में यह जो भावना है कि उन के परसनल ला में दखल दिया जाएगा, वह ठीक नहीं है, और उस आर्टिकल को डिलीट करने की जो व्यवस्था इस के जरिए से लायी गई है वह उपयुक्त नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि जितना भी सिविल कोट हमारा बना हुआ है, हर कम्यूनिटी के लिए प्रोग्रेसिव लाज उसी तरह बनाए जायें जिस से सब को समान अधिकार मिले और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसका पालन हो सके, उससे वह भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए मैंने जैसा शुरू में ही कहा मैं उनके बिल का विरोध करता हूं और यह आर्टिकल निश्चित रूप से कांस्टीच्यूशन में रहना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततः जो बात बिल के मूवर ने कही है मैं उस का समर्थन करता हूं। लेकिन सवाल केवल सिद्धांत का नहीं है, सवाल है व्यावहारिकता का व्यावहारिकता यह है कि केवल कानून के जरिए जिस उद्देश्य को इस बिल के मूवर प्राप्त करना चाहते हैं उस से वह उसको प्राप्त नहीं कर सकेते हैं। यदि हम कोई कानून ऐसा बनाते हैं जिस कानून से किसी की भावना को ठेस लगती है और वह भी माइनारिटीज की भावना को ठेस लगती है तो में समझता हूं कि हमें उस मामले में सोच समझकर कदम उठाना होगा। जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमारे इस जनतांत्रिक देश में है, जिस प्रकार का सोशल कम्पोजीशन है उस को ध्यान में रखते हुए भी हमें बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। हमें अपने देश के कानूनों की तुलना दूसरे ऐसे देशों से नहीं करनी होगी जहां किसी धर्म विशेष के आधार पर वहां की सरकार चलती है। हमारा देश धर्म-निरपेक्ष देश है। हमारा संविधान धर्म-निरपेक्षता की बात करता है और हम यदि किसी वर्ग-विशेष या धर्म-विशेष के परसनल कानून में कोई तब्दीली लाते हैं तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि जिसके परसनल कानून में तब्दीली करेंगे वह अपने को हम से ऐग्रीव्ड फील कर सकता है और उससे हमारी सारी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। मैं निवेदन करूंगा बनातवाला साहब से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस को मूव करते हुए कही है और उन की तरफ से इसकी पहल हुई है, इसकी पहल वास्तव में माइनारिटीज की तरफ से ही होनी चाहिए, लेकिन यह पहल कानून में बदलाव के वास्ते ही नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों को शिक्षित करने के लिए भी होनी चाहिए। यदि उस धर्म के लोग आगे आ कर कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कान्सेन्सस उन के अन्दर बनता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से भी उस में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन एक आम राय उस धर्म के लोगों के अन्दर बननी चाहिए। यहां पर इस मामले पर विचार करते समय हम अलग-अलग दृटिकोणों को रख सकते हैं लेकिन अपने-अपने दृष्टिकोणों को रखते समय हमें

सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूं जिस प्रकार की भावना इस बिल में निहित है उस भावना की पूर्ति करते समय सरकार के सामने दिक्कत आ सकती है। उसको ध्यान में रखकर इस बिल की भावना से सहमत होते हुए भी मैं इस बिल का विरोध करता हूं और जो इस बिल के मूवर हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस बिल को वापिस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : इस वाद-विवाद के दौरान भावनात्मक एवं धार्मिक भावनाओं को बड़े जोर-शोर से अभिव्यक्ति किया गया है। अनुच्छेद 44 पर संविधान सभा में भी विस्तार से बहस हुई थी और प्रारूप संविधान में यह अनुच्छेद 35 था। उस समय इसका लोप करने के लिए संशोधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। 510 अम्बेदकर ने यह कहा था और सभा इस बात से भली भांति परिचित है कि उन्होंने अल्पसंख्यक विचार का जोरदार ढंग से समर्थन किया था। उन्होंने कहा था :

> "हमारे देश में मानव सम्बन्धों के लगभग हर पहलु के बारे में हमारी एक समान विधि संहिता हैं। हमारी एक समान एवं पूर्ण दंड संहिता है जो समूचे देश में लागू होती है, और जो दण्ड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित है। हमारा एक कानून सम्पत्ति के हस्तान्तरणीय के सम्बन्ध में है, जो सम्पत्ति सम्बन्धों के बारे में है तथा समूचे देश में लागू है। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य लिखत अधिनियम है और मैं ऐसे अनेक अधिनियमों का नाम बता सकता हूं जिससे सिद्ध हो जायेगा कि हमारे देश में वस्तुतः एक समान सिविल-संहिता है, जो सब पर और समूचे देश में समान रूप से लागू है। विवाह और उत्तराधिकार ही ऐसा क्षेत्र है जहां ये सिविल कानून कभी लागू नहीं होते हैं। इस छोटे-से क्षेत्र में हमने इसे अभी लागू नहीं किया है। जो अनुच्छेद 35 को संविधान को एक बनाना चाहते हैं उनकी मन्शा है कि इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए। अतः यह तर्क कि हमें इस सम्बन्ध में प्रयास करना चाहिए। गलत प्रतीत होता है, क्योंकि हमने वास्तव में इस देश में एक-समान सिविल संहिता लागू करके पहलुओं को समाहित-हरालिया है। इसलिए अब यह प्रश्न करने के लिए बहुत विलम्ब हो चुका है कि क्या हमें इसे शामिल करना चाहिए।

अब, जब कभी भी एक समान सिविल संहिता का प्रश्न उठाया जाता है तो यह सोचा जाता है मानो इससे विभिन्न समुदायों के विवाह और अधिकार सम्बन्धी कानून में हस्तक्षेप होगा और इस बात को बिल्कुल भुला दिया जाता है कि सिविल संहिता और दंड संहिता के अन्तर्गत हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कई क्षेत्र आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर दण्ड संहिता को ही लीजिए। सम्पत्ति सम्बन्धों को नियमित करने वाला सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम है। संविदाओं को नियन्त्रित करने वाला संविदा अधिनियम है। दुष्कृति विधि है, जिसे अभी संहिताबद्ध रूप नहीं दिया गया है और हमें इसे सांविधिक का रूप देने का प्रयास कर

रहे हैं। इसलिए हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के काफी कार्य कलाप संहिता बद्ध विधि से काफी अरसे से नियन्त्रित हो रहे हैं।

जहां तक कुरान के अंतर्गत दण्ड विधि का सम्बन्ध है, मुझे उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। किन्तु मुझे इस बात में बिल्कुल सन्देह नहीं कि उसमें कुछ दाम एवं अन्य प्रकार की निषेधाज्ञाएं हैं, जो दण्ड विधि से बिलकुल भिन्न हैं और सम्भवतः दण्ड देने की विधि भी वहां दण्ड प्रक्रिया विधि से अलग ही होगी किन्तु इसका कोई विरोध क्यों नहीं करता ? क्योंकि जहां तक अपराधों का संबंध है दंड संहिता अब तक निर्मित विधियों में से सर्वोत्तम विधि है और कोई भी व्यभिचारी के हाथ काटने अथवा उसे पत्थरों से मारने और विभिन्न प्रकार के अन्य दंड देने की बात नहीं सोचता, जो पुराने युग में प्रचलित थी और मेरे विचार से कुरान विधि में इसे आदेशात्मक नहीं बनाया गया है।

4.00 म० प०

अब श्री बनातवाला ने केवल एक समुदाय अर्थात मुसलमानों के दृष्टिकोण को सामने रखकर अपने विचार व्यक्त किये है। इस देश में अन्य समुदाय भी हैं जिनके अपने व्यक्तिगत कानून हैं और उनपर भी वैसे ही विचार करने की आवश्यकता है जैसे मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों के बारे में। किन्तु जैसा कि मैं समझता हूं कि कुरान विधि सार्वभौमिक विधि है। जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन का हर पहलु शामिल है तथा अपराधियों को दंड देने का प्रश्न भी है। किन्तु जब हम दंड विधि एवं दण्ड प्रक्रिया विधि की बात करते हैं तो एक समान संहिता सब पर लागू होती है। यह कोई भी नहीं कहता कि मुसलमानों की एक भिन्न दण्ड विधि होगी, पारसियों की एक अलग दण्ड विधि होगी। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम एक भिन्न प्रकार का अधिनियम है। यह कोई नहीं कहता कि ईसाई के लिए अलग दण्ड विधि होगी। ये ऐसी बाते हैं जिनके सम्बन्ध में किसी युग विशेष में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान व्यवहार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, संविदा कानून को ही लीजिए : यह सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है उदाहरण के लिए ऋणदाता अधिनियम को ही लें। मुसलमान समुदाय का कानून ब्याज लेने की अनुमति नहीं देता किन्तु ऋणदाता अधिनियम अथवा संविदा अधिनियम अथवा परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत मुसलमान भी ब्याज ले सकते हैं। मुसलमान विशेष रूप से से काबुली वाला ढंग के लोग न्यायालय में ब्याज सहित डिग्री करवाते है। मुसलमान अपना ऋण वापस लेने के लिये न्यायालयों से ब्याज सहित डिग्री जारी करवाते हैं। यह कोई नही कहता कि ऐसा करना मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों के प्रतिकूल है। जहां तक मैं जानता हूं मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत 'फर्ज' नाम का एक शब्द है। इसके अन्तर्गत वे बातें आती हैं जो एक मुसलमान को करनी चाहिए। जैसे एक दिन में पांच बार नमाज अदा करना, हज करना, रोजे रखना अर्थात रमजान के दिनों में रोजे करना यह मुसलमान के लिए फर्ज हैं। मेरे विचार से मुसलमान कानून के अनुसार पांच फर्ज हैं।

किन्तु, उदाहरण के तौर पर सुन्नत फर्ज नहीं, प्रथा है। कोई भी यह नहीं कहता कि यदि कोई मुसलमान सुन्नत का पालन नहीं करता तो वह मुसलमान कानून के अन्तर्गत आदे-

शास्मक हिदायतों का उल्लंघन करता है। यह पूर्वतः उसकी इच्छा पर है कि वह सुन्नत करवाये अथवा न करवाये। वास्तव में अनेक गैर-मुसलमान भी सुन्नत प्रथा को अपनाते हैं क्योंकि इससे एक व्याधि विशेष से शरीर को बचाने के लिए स्वच्छ रखा जा सकता है। अतः यह मानना भूल है और हमने इस संबंध में अनेक बार चर्चा की है—कि अनुच्छेद 44 किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है। लम्बे अरसे से हमारी यह नीति रही है कि जहां तक अल्पसंख्यक समुदायों का संबंध है और उनमें मुसलमान और सिख समुदायों के लोग आते हैं, जहां तक विवाह अथवा उत्तराधिकार अथवा तलाक का संबंध है उनके व्यक्तिगत कानून को नहीं छेड़ा जायेगा। यदि उनका समुदाय इस बात से सहमत होता है तभी उनके कानून में परिवर्तन किया जायेगा जैसाकि मिश्र, टुनीशिया और अन्य मुसलिम देशों में हुआ है। किन्तु अन्य क्षेत्रों में एक समान सिविल संहिता हो तो बहुत अच्छी बात होगी जैसाकि मैंने कहा है दण्ड संबंधी विधि में, दुष्कृति विधि में तथा संविदा विधि और अन्य विधि क्षेत्रों में एक समान सिविल संहिता वांछनीय होती है।

किन्तु जब कभी भी हम एक समान सिविल संहिता की बात सोचते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह उनके विवाह संबंधी कानून अथवा उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून का उल्लंघन करेगा। जब तक मुसलमान अथवा सिख स्वयं न सोच कि उनको विवाह सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, कोई भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा।

जहां तक हिन्दी विवाह अधिनियम का सम्बन्ध है, यह सिख, हिन्दू, जैन तथा अन्य लोगों पर सामान्य से लागू होता है क्योंकि उस समय उन्होंने विवाह अधिनियम के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी थी जिसमें एक-विवाह की भी व्यवस्था शामिल है।

एक विवाह प्रथा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरे विचार से ऐसा कहना मुसलिम कानून के प्रति अन्याय होगा कि इसके अन्तर्गत एक से अधिक पत्नी की अनुमति है। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। मैंने कुरान का अध्ययन किया है। मैंने कुरान पढ़ा है। इसमें केवल यह कहा गया है कि चार बार शादी कर सकते हैं। बल्कि इसमें तो बहु-विवाह की मनाही की गई है। जिस समाज में लोग अनेक पत्नियां रखते थे उसमें यह व्यवस्था तो अनेक विवाहों के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाती है। यह फर्ज नहीं हैं। आपको चार पत्नियो तक विवाह की अनुमति है। वास्तव में एक माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा भी है। वे अब यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरों ने भी इसके बारे में कहा है और मैंने स्वंय इसका अध्ययन किया है। मुसलिम कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पत्नी रख सकता है बशर्ते कि वह उन सब से समान प्रकार का व्यवहार करे और मुसलिम कानून की यही व्याख्या है। अत: यदि मुसलमान लोग इस बात से सहमत हैं कि समुदाय में एक-विवाह का ही नियम होना चाहिए और इससे केवल विशेष अवस्था में ही हटना चाहिए जैसा कि पत्नी अत्यधिक बीमार है, या पागल है और अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, तभी मुसलमान व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है। इस बात के बारे में मुसलमानों को ही कहना चाहिये। हमने ऐसा नहीं कहा है। किन्तु अनुच्छेद 44 की इससे क्या सम्बन्ध है? हमने यह तर्क देखा है; और कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि कलकत्ता में एक नई लहर उठी है और मुसलमानों द्वारा एक संकल्प पारित

किया गया है और उसकी प्रतियां मेरे पास हैं। यह बड़ी अजीब बात है और केवल मुसलमान समुदाय ही यह सोचता है कि अनुच्छेद 44 उसी स्तर का है। हमारे देश में अन्य समुदाय भी हैं। इस देश में अनेक प्रकार की विविधता है। हमारे यहां विभिन्न प्रकार के ईसाई हैं जिनमें सीरियाई ईसाई हैं। कैथोलिक इसाई है प्रोटेस्टेंट इसाई हैं। हमारे यहां सुन्नी एवं अन्य विभिन्न प्रकार के मुसलिम समुदाय हैं माननीय सदस्य अहमिया अथवा बहियों के मुसलमान ही नहीं मानते हैं। किन्तु यह समुदाय स्वंय को मुसलमान मानते हैं और हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकते हैं। जहां तक धर्म का सम्बन्ध है सब को यह दावा करने का अधिकार है जो वह करना चाहता है। अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है और हमें उनपर गर्व है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां राज्य का धर्म ही एक धर्म है अथवा अन्य देश हैं जहां राज्य और धर्म एक ही बात है। इस देश में राज्य और धर्म कोई धर्म नही है। हमारा राज्य धर्म नहीं है; हम कट्टर पंथी नहीं है। मैं श्री बनातवाला को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि-वे कट्टर पंथी है—वे कट्टर पंथवाद को किसी अन्य पर नहीं लोप सकते हैं—वे मुसलमानों पर नहीं लाद सकते हैं और हमारे यहां अनेक मुसलमान हैं जो यह सोचते हैं कि कट्टर पंथ वाद इसलाम नहीं है और धर्म में कोई बाध्यता नहीं है। मैंने कुरान पढ़ा है। इसलाम धर्म में बाध्यता का प्रश्न ही नही उठता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की अपनी व्यवस्था करने का अधिकार है।

अब, कट्टर हिन्दू भी वह कहते है कि जो प्रतिदिन पांच बार गंगा स्नान नहीं करता और विश्वनाथ मन्दिर में जाकर पूजा नहीं करता, वह हिन्दू नहीं होता; और आर्य समाज अथवा जैनी हिन्दू नहीं है किन्तु हम सभी यह विश्वास करते हैं कि आर्य समाजी हिन्दू होते हैं। अनेक सिख हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि वे हिन्दू जाति का ही एक अंग हैं। किन्तु अधिक शक्तिशाली कौन और कम कौन है, उसका निर्णय करना हमारा काम नहीं है। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट शब्दों में यह गारंटी दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने में स्वतंत्र है, अपने विचार और विश्वास व्यक्त करने में स्वतंत्र हैं। अतः इस देश का सार्वजनिक नीति के अनुसार कोई धर्म नहीं है। राज्य का अस्तित्व धर्म के अस्तित्व से पृथक है और प्रस्तावना में वह बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही गई है।

हमें इस पर गर्व है, यह बहु-धार्मिक राष्ट्र है; यह बहु-जातीय राष्ट्र है, यह बहु-भाषी राष्ट्र है। यह "समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य" कहता है। यह इसकी प्रस्तावना में है। इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। यह धार्मिक या धर्मतंत्री लोकतंत्र नहीं है और जो धर्मतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। जहां तक हमारे संवैधानिक आदेश का संबंध है यह बहुत स्पष्ट है और हमने धर्मनिरपेक्षवाद का विचार जो हमारे संविधान का सार है, हमारे जीवन का सार है और हम किसी प्रकार के धार्मिक झगड़े या किसी धर्म को प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकते इसलिए यह सब अनुच्छेद 44 तथा अन्य बातों के बारे में बताया है और कुरान या बाइबिल या गीता के उद्धरण दिये जा रहे हैं। विभिन्न लोगों ने गीता का उद्धरण दिया है। गीता का उद्धरण केवल हिन्दू ही नहीं देते हैं बल्कि सारे विश्व में अब कई लोग इसका उद्धरण देते हैं। कृष्ण को उद्धृत किया जाता है, हरे कृष्ण समाज,

कृष्णा चेतना समाज जो वहां कार्य कर रहे हैं उन्हें हम उन्हें यह धार्मिक कार्यों को करने की अनुमति देते हैं। वे भी कृष्णा को उनके अवतार के रूप में उसी प्रकार मानते हैं जैसे कि हम परंपरागत हिन्दू मानते हैं। और गीता का पूरे विश्व के धर्मों की यह सबसे पहला पाठ है।

स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो में अपने भाषण में कहा था;

रस्ते जुदा-जुदा हैं, मंजिल तो एक है, सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं। ये केवल कुछ तंग दिल और कट्टर अंधानुयायी ही कहते हैं कि केवल उनका मार्ग ही भगवान की ओर ले जाता है और अन्य धार्मिकमत भगवान से पूरी तरह दूर हैं।

यह भारतीय समाज की पूरी संकल्पना है जो हमें शताब्दियों से पढ़ाई जाती है और हम विभिन्न विश्वासों के बीच पले बढ़े हैं। हिन्दुओं में रामानुज, बल्लभ, शैव जैसे कई पंथ और संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने अधिकांश विराट हिन्दू धर्म में और विराट भारत में उन्होंने जीवन की विशालता का आनन्द उठाया जब मैं दक्षिण में वैष्णव मंदिर शिव मंदिर में जाता हूं तो मैं शेष संप्रदायों के साथ-उसी प्रकार की एक रूपता महसूस करता हूं और जब मैं कन्याकुमारी में महासागर में डुबकी लगाता हूं तो मैं इस देश के एक महान अनुभूति और प्रसन्नता हमेशा महसूस करता हूं जिसे हिमाचल से इस महासागर तक असेतू हिमाचल के रूप में वर्णित किया गया है। अत: जब कई लोग जो संकीर्ण और उत्कंठित से भरे हुए हैं कन्याकुमारी के स्थान महासागर में डुबकी लगाते हैं तो आप महान भारत की प्रशंसा करेंगे। विशाल महासागर हमको क्या बताते हैं? विशाल समुद्र में सभी नदियां और सभी सागर मिलते हैं जो शताब्दियों से भारत का संदेश लाती हैं अर्थात यह बताती हैं कि हमने समान संस्कृति बनाई है, हमने समान समाज, विविधता में समानता बनाए रखी है। मुसलमान, मुगल, पठान, हूण, शक और आर्य तथा गैर आर्य तमिल लोग और अन्य, आदिवासी ये सभी विशाल समुद्र के रूप में एकाकार हो गए।

जैसा कि डा० टैगोर ने कहा कि भारत की महान तीर्थ यात्रा करें तो सुदूर क्षेत्र में से जहां से सारी महान नदियां मिलती हैं वे अलग-अलग दिखाई देने के बावजूद भी आपस में मिलती हैं, यही भारत की आवाज है।

अनुच्छेद 44 को इस धर्म के साथ क्या करना है? धर्मतंत्र कट्टरता और संकीर्णता के इन विचारों द्वारा हमें अपने हजारों वर्ष पुरानी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की समृद्ध परम्परा को अपवित्र नहीं करना चाहिए यह देश धर्मों की कट्टरता, संकीर्णत और मतभेद से बहुत ऊपर हैं।

आज जब मैं रूस के विधि मंत्री जी के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि महामहिम, बहुत वर्षों पहले, मैंने कहा, "16वीं शताब्दी में इस देश में यहूदी रहते थे। मेरे अपने ही शहर कलकत्ता में यहूदियों की जनसंख्या अत्यधिक है तथा बम्बई और अन्य स्थानों पर भी यहूदियों की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनका संप्रदाय अधिक समृद्ध है। मैंने उन महामहित को बताया कि यहूदी सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आए जबकि स्पेन में कैथोलिको की धार्मिक कट्टरता ने घृणित रूप ले लिया और जो

कोई केथोलिक नहीं होता था ? उसे वे 'रेक' पर बिठा कर उसपर अत्याचार करते थे और तब तक उस पर अत्याचार होता था जब तक कि वह तंग आकर यह न कह दे कि मैं कथोलिक बनूगा तथा इस प्रकार के धार्मिक न्यायधिकरण द्वारा दंड दिये जाने के कारण यहूदी हमारे पास बड़ी संख्या में आए और कोचीन में बसे । वे अभी भी वहां पाए जाते हैं, महाराजा द्वारा दी गई उपहार की भूमि पर यहूदी उपासनागृह बना है । उसके ठीक सामने उनका अपना पूवजों का शिव मंदिर है ।" पुराने दिनों में जब मैं विधि मंत्री था तो उस समय धार्मिक वृत्तिदान नामक एक विषय मेरे अधीन था । जब कभी और जहां कहीं मैं गया । मैं पूजा के सभी धार्मिक स्थानों पर जैसे मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर तथा यहूदी उपासनाग्रह 'सायनागोग' में गया । मैं कोचीन के यहूदी उपासनाग्रह में गया । कोचीन में यहूदियों की जनसंख्या सबसे पुरानी बसी हुई हैं । वे गोरे यहूदी थे और उन्होंने स्थानीय लड़कियों से विवाह किया उनके बदले उतने गोरे पैदा नहीं हुए । उनके विशेष प्रकार के नाम हैं । रबी नामक एक बहुत युवा व्यक्ति था । उसने हेलन का नाम पाया जिसका चवेरा भाई कलकत्ता में मेरे बच्चों का अध्यापक था । मैं श्री बनातवाला और अन्य को बताऊंगा कि इस बारे में सबसे अधिक आश्चर्यजनक क्या बात है । वह यह है किभारत की पूरी परम्परा सभी धर्मों का आदर करती है, जब मैं यहूदियों के उपासनाग्रह के अन्दर गया तो रबी मेरे सामने एक बड़ी तांबे की प्लेट लाया । इस पर भूमि दिए जाने के बारे में संस्कृत में लिखा था जो इस प्रकार है : समुद्र पार से हमारे दोस्त यहां आए जिन्हें प्रकोप और दुख: तथा धार्मिक असहनशीलता द्वारा निकाला गया । उन्हें सहायता तथा अनाज आदि की अन्य सहायता देना मैं ईश्वर तथा पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य मानता हूं भगवान और अपने पूर्वजों के नाम पर मैं अपने मंदिर के पास इस भूमि के टुकड़े को देता हूं ताकि ये दोस्त जो समुद्र पार से निकाले गए हैं- उन्हें अपने ढंग से भगवान को पूजने का मौका मिलें ।" वे उस समय से लेकर आज तक शताब्दियों से पूजा कर रहे हैं । यहूदियों का उपासनाग्रह अभी भी वहां है, एक हिंदू राजा जो जन्म से नयानार राजा था उसने अपने मंदिर के साथ यहूदियों के उपासनाग्रह को बनाने की मंजूरी दी जहां शताब्दियों से यहूदी पूजा करते आ रहे हैं, जब उनकी जर्मनी में हत्या हुई थी तथा कई अन्य देशों में उन्होंने दु:ख भोगा था और जब मध्यपूर्व में ये जातियां बहुत दुर्भाग्य की स्थिति में थी । उन्हें यहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई जब आप अजंता, जैन गुफा, हिन्दू गुफा तथा बुद्ध गुफा में जाते हैं तो ये कई शताब्दियों की यादें दिलाते हैं, लेकिन कोई भी किसी का धर्म बदलना नहीं चाहता है ।

जब कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जबरदस्ती परिवर्तन का प्रश्न उठाया गया तो श्री बनातवाला उत्तेजित हो गए थे । जबरदस्ती परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, यह देश इसमें विश्वास नहीं करता है; ये गुफाएं भारतीय राष्ट्रीयता के रक्षक, अखंडता और एकता की घोषणा करती आ रही है कि यद्यपि यहां भिन्न-भिन्न भाषा और जातियां हैं तथापि शताब्दियों से यहां हमारी समान परंपरा रही है । शताब्दियों से महान भगीरथी और गोदावरी हमारे देश और हमारे राष्ट्र के उपजाऊ बना रही है । उत्तर से दक्षिण तक वर्षों से लाखों तीर्थ यात्रियों ने अपने रास्तों से भगवान की पूजा करने के लिए रामेश्वरम् और कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं और हजारों लोग दक्षिण से वाराणसी तथा बर्फ के मौसम में अमरनाथ आते हैं । इससे यह पता चलता है कि

हमारे तीर्थ स्थान कहां हैं ताकि राजनैतिक, भौगोलिक क्षेत्रों मे भिन्नता के होने पर भी वे सभी प्रकार की भिन्नताएं भूल जाए। राजपूत दक्षिण में गए। तमिल बनारस में आए। शताब्दियों से यह देश एकता के सुनहरे सूत्र में बंधा हुआ है। आप अजमेर शरीफ जाइए। जब उसे आता है तो पूरे देश से यात्रा करके कितने हिन्दू यहां हर पूजा के लिए पर वर्ष आते हैं ? मैं जानता हूं कि प्रत्येक वर्ष अजमेर शरीफ से हर समय कितने लोग मेरे लिए शुभ संदेश लाते हैं, मैंने इस सदन में कहा था कि मैं जब कभी अमृतसर जाता हूं तो मैं स्वर्ण मन्दिर में पूजा किए बगैर नहीं आता हूं और मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं हिन्दू मंदिर में नहीं हूं। अब सिख कहते हैं कि सिख गुरद्वारे केवल उन्हीं के गुरूद्वारे हैं और हमारे नहीं हैं तथा सिख गुरू भी केवल उन्हीं के गुरू हैं और हमारे नहीं हैं। हमने ऐसा कभी नहीं सुना। डा० टैगोर अपनी जीवन स्मृत्ति जो उनकी आत्मकथा है में कहते हैं कि किस प्रकार पिता अपने बच्चे को बहुत सवेरे पूजा के लिए स्वर्ण मंदिर में ले आता है जिसका क्रम कई महीनों तक चलता है और वह किस प्रकार अपनी भावना के पूजा की सुन्दर ध्वनि द्वारा जागृत करता है उसके बारे में सोचता है जोउ सने स्वर्ण मंदिर में देखा था। उनकी कुछ अच्छी कविताएं और सिखों तथा उनके गुरूओं के साहसिक कार्यों के बारे में है यही भारतदे श है। हमें कट्टरता में डबने की बात नहीं करनी है। पूरा सदन धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति बचनबद्ध है। पूरा राष्ट्र धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति बचन बद्ध है। हम कट्टरता पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक आस्था का अधिकार है कि वह सामने आए। और अनुच्छेद 44 इससे दूर नहीं है, कोई भी वकील बतायेगा कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 44 साथ-साथ आते हैं। धर्म, विचार, आस्था तथा व्यवहार की आजादी के लिए अनुच्छेद 25 गारंटी देता है तथ रूपता लाने की कोशिश करने के बारे में अनुच्छेद 44 बतलाती है, समान नियम समानता द्वारा लाए जाते हैं, इसे कुरान, गीता याअन्य किसी से क्या करना है। मैं समझता हूं कि इस देश में बदतर बात जो होती है जैसा कि अन्य देशों में भी होता है, वह केवल धर्म के नाम पर बदतर अपराध होते हैं, मैंने रूस के राजदूत तथा रूस के विधि मंत्री को बताया कि जब मैं ऑसविबज गया तो मैंने वहां लाखों छोटे बच्चों के बूट, बाल, कपड़े और अन्य वस्तुएं देखी जिन्हें एक कमरे में रखा हुआ था। बच्चों को गैस चेम्बर में दम घोट कर केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वे यहूदी थे। वे भिन्न धर्मनिष्ठा से सम्बन्ध रखते थे और यह मानवता की असभ्यता बताती है। धर्म के नाम पर लोगों को बिना कारण आत्मसर्पण करना पड़ता है। मैंने सिखों का इतिहास पढ़ा है। ठीक चांदनी चौक मेंशीश गंज पर गुरू तेग बहादुर की हत्या की गई थी क्योंकि वह इस्लाम धर्म को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तथा अपना विश्वास खोना नहीं चाहते थे।जिस राजा ने उनको मारा, क्या वह इस्लाम के महान सिद्धातों का पालनकरता था ? वह असभ्य समाज के सिद्धांतों का पालन कर रहा था। और हमने असभ्यता तथा धार्मिक कट्टरता को हमेशा के लिए निकाल फेंका है। यह देश आजादी से सोचने, स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्रता धार्मिक कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है और यह हमेशा ही आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा। कट्टरता के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा इसे बाहर फैंकने का हमारा कर्तव्य होगा ताकि देश यह जान जाए कि पूरे विश्व में भारत धर्मनिरपेक्षवाद का महान रक्षक है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उन सभी सदस्यों का भी, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया और बहुमूल्य टिप्पणियां दी हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री अपनी ही वाक्पटुता द्वारा उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने मुख्य बात की पूरी तरह उपेक्षा की। मेरा कहना है कि मंत्री जी के अधिकांश भाषण के साथ मेरी सहमति है। वास्तव में भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो प्रभावशाली मनोभावों को व्यक्त किया है दुर्भाग्य से उनमें और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कोई साम्य नहीं है। वास्तव में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां कई भाषाएं, धर्म और संस्कृति है तथा जब वह यह कहते हैं कि हमारे देश की मजबूती और संगठन स्वतंत्र धर्म की अनुमति पर ही निर्भर करता है तो मैं उनके साथ हूं। यही भावना हमको अपनानी है।

दुर्भाग्यवश जबकि पूरा भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्म भाषाएं और संस्कृति हैं तथा हम विभिन्नता में एकता पर विश्वास करते हैं, ऐसा होने पर भी हमने भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 रखा हुआ है जिसमें एक समान सिविल कोड बनाए जाने का प्रावधान है। एक समान सिविल कोड बनाए जाने पर सभी विभिन्नताएं समाप्त होकर एक दम एक रूपता हो जाएगी। यह तो स्टीम रोलर फिर जाएगा। इसे समझने में गलती नहीं होनी चाहिए यह फिर धर्म निरपेक्ष की भावना तथा हमारी विभिन्नता में एकता की नीति के विरूद्ध होगी। इन विभिन्नताओं को एक समान करना, देश के हित में नहीं होगा। यदि देश को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के प्रत्येक वर्ग के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को पूरी तरह पनपने देना होगा। जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरम्भ में पहले ही बताया है कि इसकी बजाय अनुच्छेद 44 सब पर लागू होने वाला है और कठोर है जो अनुच्छेद 25 तथा हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मान लो कि शरियत के अनुसार एक समान कानून बना दिया जाए तो उसमें क्या कठिनाई है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी व्याख्या का प्रश्न आता है तो हमें कुरान-सुन्नत-को देखना पड़ता है न कि उन शब्दों को जिनका आपने यहां समावेश किया है। यह एक विशेष बात है। आप मूल स्रोत को समाप्त कर देते हैं। मूल स्रोत को समाप्त नहीं किया जा सकता।

कुछ सदस्यों ने उस बात का जिक्र किया है जिसे वे धर्म के नाम पर हानिकर प्रथा कहते हैं मैं उनकी इन टिप्पणियों के लिए कृतज्ञ हूं। फिर भी, यह संविधान के अनुच्छेद 25 का विवाद-ग्रस्त विषय है न कि अनुच्छेद 44 का। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता बनाने से संबंधित है और मैं सदन से इस अनुच्छेद को हटाने के लिए कह रहा हूं। मैंने अपने भाषण के शुरू की टिप्पणी में ही इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम व्यक्तिक विधि हर मुसलमान का एक धार्मिक दायित्व है। इसलिए इसके समर्पण करने का प्रश्न ही नहीं है अतः अनुच्छेद 44 अपने वर्तमान रूप में विवाद को पैदा करने वाला है। इससे तनाव उत्पन्न होता है। अतः मेरा सदन

से अनुरोध है कि या तो इस विशेष अनुच्छेद को हटा दिया जाये या कम से कम उसमें यह उपबन्ध किया जाये कि समान सिविल संहिता के उपबन्धों से मुसलमानों को छूट दी जाये।

एक दलील यह दी गई है कि जब अपराध संबंधी इस्लामी कानून यहां पर उपलब्ध नहीं है तो उन बातों पर जो कि व्यक्तिक विधि की अंग हैं, एतराज क्यों किया जाता है ? मेरा यह कहना है कि यह एक विकृत तर्क है। अगर कोई हिस्सा यहां पर उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे हिस्से का भी समर्पण कर दिया जाये। इसे एक अच्छा तर्क नहीं कहा जा सकता मैं यह कहता हूं कि हम भारत के सभी मुसलमान, अपराधों संबंधी इस्लामी कानून का पालन करने को तैयार हैं, अगर सरकार इसे हमारे पर लागू करने को तैयार हो। हम इसके लिए तैयार हैं परन्तु यह अपराध कानून है जिसे सरकार द्वारा लागू करना होगा। हमारी इच्छा के बावजूद भी अगर सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं तो दूसरे हिस्से का समर्पण करने के लिए इसे कहां तक एक अच्छा तर्क माना जा सकता है ?

महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि एक दलील में यह कहा गया है कि जब इतने सारे एक समान कानून हैं तो ये एक समान कानून राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। परन्तु इन सभी एक समान कानूनों के बावजूद राष्ट्रीय एकता तथा सदभावपूर्ण संबंधों की वर्तमान स्थिति दयनीय है। अगर आप सभी जगह समानता की बातें करते हैं तो हमें संघवाद सिद्धात की क्या आवश्यकता है ? विभिन्न स्थानों पर 22 विधान सभाओं द्वारा कानून बनाने के सिद्धांत को क्यों रखा गया है ? मेरा कहना यह है कि एक समानता की यह संकल्पना जो निरंकुशता को जन्म देगी, अनेकता में एकता की हमारी नीति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि मुस्लिम व्यक्तिक कानून हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन करता है। मैं इस संबंध में विस्तार से नहीं कहूगा, क्योंकि बहुत से मामले हैं— **बम्बई राज्य बनाम नरासु अप्पा माली** (ए० आई० आर० 1952, बम्बई 65), और श्रीनिवास **अय्यर बनाम सरस्वती अम्मल** (ए० आई० आर० 1952 मद्रास 193), और **गुरदयाल कौर बनाम मंगल सिंह** (ए० आई० आर० 1968 पंजाब, 396) तथा और बहुत से मामलों में भी न्यायालयों ने यह मत व्यक्त किया है कि मुस्लिम व्यक्तिक कानून हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने. जैसा कि मैंने पहले बताया है, कुछ प्रथाओं का जिक्र किया है जैसे बहु-विवाह, तलाक का सिद्धांत, संपत्ति का उत्तराधिकार संबंधी स्कीम जहां तक इस्लामी समावेश का संबंध है। मुख्यतः इन तीन दोषों का इस सदन में जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये वास्तव में हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 की विवादग्रस्त विषय वस्तु है। फिर भी चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है, मैं संक्षेप में इनके बारे में बताऊंगा कि **एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका** में कहा गया है कि बहु-विवाह की प्रथा लगभग विश्व के सभी हिस्सों में प्रचलित है। अतः प्रश्न केवल इसके ठीक प्रकार से विनियमित करने का है। महोदय, पश्चिमी सभ्यता में आपसी सहमति के आधार पर व्यभिचार की अनुमति है और इस प्रकार से उत्तरदायी संबंधों

का द्वार बन्द करता है। श्रीमती एनी बेसेन्ट कहती है। पश्चिम में तथाकथित एक विवाह प्रथा वास्तव में बिना जिम्मेदारी के बहुविवाह प्रथा है।" महोदय, मेरा कहना है कि व्याभिचार पर रोक लगाकर और सख्त शर्तों के अधीन आवश्यकतानुसार बहु विवाह की अनुमति देकर तथा पत्नियों में बराबरी की एक जरूरी शर्त लगाकर इस्लाम ने व्याभिचार पर रोक लगाई है तथा जिम्मेदार संबंधों का मार्ग खोला है। माननीय मंत्री जब यह कहते हैं कि बहु-विवाह प्रथा बाध्यकर नहीं है तो वह पूर्णतया ठीक रहते हैं। यह विवेक पर निर्भर है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि शब्द "विवेक" का अर्थ यहां व्यक्ति के स्वविवेक से है। आप कानून बनाकर किसी व्यक्ति के स्वविवेक को, जो उसके धर्म द्वारा दिया जाता है, छीन नहीं सकते। वह बाध्यता होगी। और यह बाध्यता धर्म को मानने की निर्बाध स्वतंत्रता के विरुद्ध है।" मैं स्वतंत्र शब्द पर जोर देता हूं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में जानबूझकर तथा इरादतन इस्तेमाल किया गया है है "धर्म को स्वतंत्रता से मानना" के सिद्धांत का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता रखने मानने" का अर्थ है कि जब आपका धर्म आपको कुछ स्वविवेक प्रदान करता है तो आपको स्वयंपसंद करने और अपना स्वविवेक बनने की स्वतंत्रता होगी। किसो व्यक्ति के स्वविवेक को छीन लेना धर्म को स्वतंत्र रूप से मानना नहीं है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है।

मैं माननीय मंत्री की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि बाध्यता नाम की चीज नहीं हो सकती वास्तव में यह एक विशेष मुद्दा है जो मैं उठाता रहा हूं समान सिविल संहिता में कहीं न कहीं बाध्यता की बात आती है। माननीय मंत्री ने स्वयं धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र में इस बाध्यता को हटाने संबंधी अच्छी भावना को व्यक्त किया है। कुरान में भी कहा गया है।

"ला इकराहाफिद्दीन"

इसका अर्थ है कि धर्म के मामलों में कोई बाध्यता नहीं है। कुरान में यह भी कहा गया है।

"लकुम दी नकुम वले यदीम"

आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। इसमें विवाद कहां है? उसके बाद अनुच्छेद 44 आता है जो यह कहता है कि हम सबसे मतभेदों को समाप्त कर देंगे। इसमें विवाद पैदा होता है जो तनाव पैदा करता है।

फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस बहुविवाह और तलाक के दुरुपयोग के मामले बहुत ही कम हैं। लिओनार्ड : (पृष्ठ 130-131), "इस्लाम, हर मारल एण्ड स्प्रिीच्यल वेल्यू," में कहा गया है—

इस्लाम में अधिकांश रूप से बहु-विवाह व्यावहारिक की अपेक्षा सैद्धान्तिक अधिक है।"

भारत में सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 1 प्रतिशत भी बहु-विवाह के मामले नहीं हैं। अतः कुछ माननीय सदस्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक

समान सिविल संहिता बनाने का है—उनका विचार भ्रामक है तथा गलत जानकारी देना है। उन्होंने जो सहानुभूति दिखाई है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सहानुभूति भ्रम में डालने वाली है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है।

तलाक के संबंध में भी यह सच है। इस्लाम में इस बात पर बार-बार बल दिया गया है कि तलाक सबसे बुरी चीज है। इसीलिए तलाक के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। यह नियम नहीं बल्कि एक अपवाद है। इसके अतिरिक्त इस्लाम में तलाक की प्रक्रिया भी इस प्रकार की है कि हर चरण पर सुलह को बढ़ावा मिले।

इससे सम्बन्धित सारे कानून में जाकर मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सदन का ध्यान न्यायाधीश वी० आर० कृष्णा अय्यर के उस फैसले की ओर दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में न्यायालय होने के समय यूसुफ रावथान बनाम सोवरम्या ए० आई० आर० 1971, केरल 27 के मामले में दिया था। मैं उद्धृत करता हूं।

"वस्तुतः विषय का गहराई से अध्ययन करने से यह पता चलता है कि तलाक कानून युक्तियुक्त आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिक तथा आधुनिक हैं।"

यह मैंने नहीं कहा है। यह न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने कहा है जिसके अन्य बहुत से निर्णयों पर हमारे बहुत ही भिन्न मत रहे हैं। उन्होंने स्वयं इसको रिकार्ड दर्ज किया है।

उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत बंटवारा करने की योजना का भी जिक्र किया गया था। मुस्लिम कानून बहुत ही संतुलित तथा अंतर्संबद्ध कानून है। आप एक मद को लेकर सन्दर्भ का उल्लेख किये बगैर उसके बारे में बात नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज की संकल्पना के अधीन आदमी को औरत, बच्चों तथा सारे परिवार के भरणपोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कानून द्वारा उन पर अधिक जिम्मेदारी डाली गयी है। इसलिए उनका हिस्सा भी अधिक है। प्रत्येक को उनकी आवश्यकतानुसार तथा प्रत्येक को उसकी योग्यतानुसार। इसको भी उत्तराधिकार कानून में दी गई योजना के अन्तर्गत व्यावहारिक रूप दिया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है मुस्लिम व्यक्तिक विधि मुसलमानों पर धार्मिक दायित्व है। एक मुसलमान के रूप में उसके समर्पण का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जहां कहीं भी समान सिविल कानून मुस्लिम व्यक्तिक विधि से मेल नहीं खाता है वहां वह मुसलमानों को स्वीकार नहीं हो सकता अतः अनुच्छेद 44 को जारी रखना वस्तुतः कुछ लोगों के लिए विवाद तथा तनाव, आदि उत्पन्न करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

इस्लाम में महिला के दर्जा तथा उसकी स्थिति सुधारने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वह सब बहुत सारी गलत फहमियों पर आधारित है। मैं बी० ऐशा लेमू के लेख से जो उसने लंदन में हुए एक सम्मेलन में पढ़ा था और जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण के शुरू में किया था को उद्धृत करता हूं। वह अपने लेख को यह कहकर समाप्त करती है ?

"सौभाग्य से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुरान के शब्दों को न तो किसी ने बदला है अथवा बदल सकता है और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विनियमों को जो सातवीं शताब्दी में प्रस्तुत किए गए थे जांच कोई भी आसानी से कर सकता है जैसा कि अब हम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि महिलाओं से सम्बन्धित इन कानूनों तथा सामाजिक विनियमों में जो कुछ बुनियादी सत्यता है और जो कोई इन पर चलेगा उसको फायदा होगा। यह वर्तमान समय जबकि महिलाओं की भूमिका तथा अधिकारों पर फिर से विचार करने की बात चल रही है शायद इस्लाम के उस विचार पर नये सिरे से गौर करने का उचित समय, जिसमे गत 14 शताब्दियों में विश्व के क्षेत्रों के आधुनिकतम और अल्प विकसित देशों में स्थायी समाज के निर्माण में योगदान किया है और जिससे अपने सिद्धान्तों को निरंतर जारी रखा है और इससे पश्चिम जनता भी कुछ सीख सकता है।"

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं। वह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार की मुसलमानों को व्यक्तिक विधि में तब तक परिवर्तन करने की कोई मंशा नहीं है जब तक कि स्वयं मुसलमान इसे नहीं चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले विस्तारपूर्वक बताया है कि मुसलमान की हैसियत से मुसलमान द्वारा कुरान तथा सुन्नत में परिवर्तन करने की इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, मैं सरकार द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं। परन्तु परन्तुक जो सरकार द्वारा आये दिन जोड़े जाते हैं, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 की विषय वस्तुत: बहुत से लोगों को तनाव और विवाद, जिससे बिल्कुल बचा जा सकता है, उत्पन्न कराने को प्रेरणा मिलती है। अत: मैं इसी कारण सदन से यह अनुरोध करता हूं कि भारत के संविधान में से इस अनुच्छेद 44 को हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो कम से कम एक ऐसा विधेयक लाया जाये जिसमें अनुच्छेद 44 में एक परन्तुक जोड़ा जा सके जिसमें मुसलमानों को इस समान सिविल संहिता से अलग रखा जा सके।

मैं माननीय मंत्री से उस समय पूर्णतया सहमत होता हूं जब वह धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की संकल्पना प्रत्येक संस्कृति के विकसित होने तथा भारतीय समाज की सहनशीलता की उच्च परम्परा की बात करते हैं वास्तव में, यही भावनाएं हैं जिनकी मैंने अपने भाषण की शुरू की टिप्पणी में इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए व्यक्त की थी। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी सिविल संहिता सिद्धांत सारे भेदभाव मिटा सकता है। मैं इस आशा के साथ सदन में आया हूं कि सरकार तथा यह सभा इस विषय पर पुनः विचार करेगी तथा इसको और बेहतर तरीके से अनुभव किया जाएगा और समझा जाएगा कि अनुच्छेद 44 की संकल्पना हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की संकल्पना राष्ट्रीय एकता की संकल्पना और जैसा कि हम समझते हैं, अनेकता मेंएकता का नीति से मेल नहीं खाती है।

मैं आशा करता हूं कि इन बातों को अगर आज नहीं तो भविष्य में सरकार द्वारा समझा जाएगा।

इस आशा के साथ मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें श्री मूल चन्द डागा का संशोधन है। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। अब मैं श्री मूल चन्द डागा द्वारा दिये गए संशोधन के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

4.51 म० प०

इन्डियन टोबेको कंपनी लिमिटेड (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री राम भगत पासवान द्वारा पेश किये गए इंडियन टोबेको कंपनी लिमिटेड प्रबन्ध ग्रहण विधेयक पर विचार करेगी। विधेयक पर विचार करने से पहले हमें इसके लिए चर्चा का समय निर्धारण करना होगा। क्या हम दो घंटे निश्चित करें ?.......... हां। इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय निश्चित किया गया है। श्री राम भगत पासवान।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन टोबैको कम्पनी का यह बिल मैं इसलिए लाया हूं, क्योंकि वह कम्पनी अनियमितताओं का जाल बन चुका है। इसलिए इंडियन टोबेको कम्पनी का अधिग्रहण कर लेना देश के हित में, जनता के हित में और सरकार के हित में बहुत जरूरी है। इस कम्पनी में अधिकांशत देश की पूंजी लगी हुई है, लेकिन इसका लाभांश विदेशों को जा रहा है और प्राइवेट बड़े-बड़े पूंजीपतियों और डायरेक्टरों को जा रहा है। पूंजी सरकार की ओर लाभ प्राइवेट व्यक्तियों को। इसके साथ ही कम्पनी के डाइरेक्टर ऐशो-आराम में गलत तरीके से खर्च दिखला देते हैं और करोड़ों रुपयों में दिखला रहे हैं। इसका फल यह होता है कि इसका असर लागत मूल्य पर पड़ता है, जिसका भार उपभोक्ताओं को चुकाना

पड़ता है। इसके साथ ही डायरैक्टर अपने बिक्री एजेंटों के माध्यम से काला धन जमा कर रहे रहे हैं। इसके ऊपर सरकार का बहुत सा पैसा एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स का बकाया है। करीब तीन सौ करोड़ रुपया सरकार का एक्साइडस ड्यूटी उसके ऊपर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 109 करोड़ रुपया इनको चुकाने का आदेश दिया है, जिसमें से सिर्फ 19 करोड़ रुपया चुकाया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस कम्पनी का अधिग्रहण कर लेगी, मजदूरों के हित में, देश के हित में और सरकार के हित में। आईटीसी की कुल लागत सम्पत्ति आठ सौ करोड़ रुपए के लगभग है, जो सन् 1972 में मात्रा 74 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इन पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी की पूंजी कई गुना हो गई है। इस कम्पनी ने एम. आरटीपी और कम्पनी एक्ट का उल्लंघन करके छोटे-छोटे भारतीय हिस्सेदारों को परेशाम किया है। इस बड़ी हुई सम्पत्ति में 250 करोड़ रुपया सरकार का एक्साइज का बकाया है जिसमें 109 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया जाना है, बाकी विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्टे लेकर करीब 150 करोड़ रुपया रोके रखा हुआ है। जब कभी सरकार इस कम्पनी के ऊपर कार्यवाही करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लेकर आ जाते हैं। इस वजह से मुकद्दमा लम्बा चलता रहता है और सरकार के पैसे के ब्याज से अपना उद्योग भी बढ़ा रहे हैं और मुकद्दमा भी लड़ते हैं। इसलिए इन सब दृष्टिकोणों से इस कम्पनी का अधिग्रहण करना निहायत ही जरूरी है।

4.55 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

इस कम्पनी के निदेशक 400 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेशों को ले जाते हैं। 400 से 600 करोड़ रुपया विदेशी कार्यालयों को खोलने और चलाने में खर्च होता है। इस तरह से यह कम्पनी एम० आर० टी० पी० एक्ट का उल्लंघन करती है और भारतीय हिस्सेदारों को परेशान करती है। इतना ही नहीं निदेशकों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं के नाम बहुत बड़ी धनराशि व्यय के रूप में दिखाई जाती है। इस के बाद यह कम्पनी नई-नई कम्पनियां खोलने के नाम पर तरह-तरह के खर्च दिखला कर आय-कर की चोरी करती है। विदेशों से भारी मूल्य चुका कर पुरानी मशीनें खरीद कर भारत भेजती है तथा इस तरह से देश को विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है। लेबर लाज से बचने के लिए हजारों-लाखों मजदूरों को अस्थाई रख कर, उन्हें कान्ट्रैक्ट लेबर बना कर काम लेती है जिससे कम्पनी को इ० एस० आई० तथा छुट्टी की सुविधाएं न देनी पड़े। बिहार तथा उत्तर के सहारनपुर में इस कम्पनी की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें बहुत से मजदूर कान्टैक्ट बेसिज पर काम करते हैं। नियम के अनुसार यदि कोई मजदूर 258 दिन तक लगातार काम कर लेता है तो वह रेगुलर एम्पलाई बनने का अधिकारी हो जाता है, लेकिन ये लोग उससे पहले ही उसे नौकरी से हटा देते हैं। इस तरह का विश्वासघात ये लोग मजदूरों के साथ कर रहे हैं, साथ ही सब तरह के कानूनों का, लेबरलाज, फाइनेन्स एक्ट, एम० आर० टी० पी० एक्ट का उल्लंघन करते हैं।

सभापति महोदय, कहने के लिए तो यह कम्पनी "इण्डियन टबैको कम्पनी" है लेकिन भारत में इनके धन्धे बहुत बढ़ गये हैं। अब भी कोई कम्पनी बनाते हैं उस की एप्रूवल के लिए दरख्वास्त तो देते हैं, लेकिन एप्रूवल प्राप्त होने के पहले ही अपना धन्धा शुरू कर देते हैं। इस

कम्पनी का धन्धा केवल सिगरट बनाना ही नहीं है, बल्कि इन्होंने निम्नलिखित धन्धों के लिए भी अपनी कम्पनियां खोली हुई हैं, जैसे मशीन प्राडक्ट्स, प्रिन्टिंग, होटल, सेल आफ बी० ओ० पी० पी०, इन्वैस्टिंग कम्पनी, आदि। यह कम्पनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के नाम पर चरस और स्मोकिंग-मिक्चर का काला व्यापार भी करती है। विदेशी एजेंसियों को आर्थिक मदद देकर देश में हो रहे राष्ट्रविरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देती है। विदेशी एजेंसियों से सम्बन्धित व्यक्ति को व्यापार के नाम पर सुरक्षा प्रदान करती है।

इस कम्पनी ने बहुराष्ट्रीय कम्पनी होते हुए भी छोटे-छोटे उद्योग धन्धों में प्रवेश किया है और त्रिवेणी हैण्डलूम्स तथा टफ-टूल्स-इन्टरनेशनल जैसे छोटे-छोटे उद्योगों को लगाया है। एक तरह से काला धन को बढ़ाने के लिए कई अलग-अलग तरीके अपना कर देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। हमारे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के सैक्टर में इस तरह की बड़ी कम्पनी के घुस जाने से देश के छोटे उद्योग धन्धों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इनका यह कार्य भी एम० आर० टी० पी० एक्ट तथा इण्डस्ट्रीज एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में इस कम्पनी के एसेटस कितनी तेजी के साथ बढ़े हैं। 1978 में इस कम्पनी के ऐसेटसकेवल 74.65 करोड़ रुपये थे, जो 1983 में बढ़ कर 791.54 करोड़ रुपये हो गए, यानी दस गुने से ज्यादा हो गए और अब 1985 में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं। इस कम्पनी के मुनाफे में से 250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसके विदेशी हिस्सेदारो को दिया जाता है। इस कम्पनी ने विदेशों में जगह-जगह अपने कार्यालय खोल रखे है जिन पर प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है।

सभापति महोदय, कम्पनी एक्ट के अनुसार इस कम्पनी के जितने डायरैक्टर हैं सब को अपने वेतन, अपनी नियुक्ति तथा अपते कमीशन बिना एप्रूवल के तय हो जात है।

5.00 म० प०

बिना एप्रूवल लिये ये लोग अपना प्रतिशत मुनाफा तय कर लेते हैं और जो सारी सुविधाएं हैं, उन को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ** साहब इनके डाइरेक्टर हैं। इन्होंने हाल ही में 7500 रुपये प्रति माह वेतन और लाभांश का एक प्रतिशत लिया है। इसी तरीके से डाइरेक्टर** .... साहब और .... ** .... साहब हैं। ये लोग बिना कम्पनी का एप्रूवल लिए हुए सारी सुविधाएं उठा रहे हैं। इसका असर जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, उस पर पड़ता है और आम जनता पर इसका भार पड़ रहा है।

इन्होंने कम्पनी एक्ट की धारा 372 (2) का अभी उल्लंघर किया है, जिसमें सरकार की बिना आज्ञा के एक बड़ी पूंजी किसी दूसरी कम्पनी में लगाया है जिससे जरूरत पड़ने पर एक्साइज के बकाया से जान छुड़ाने के लिए इस कम्पनी को बन्द कर दिया जा सके। यह कम्पनी घाटे में चल रही है और शेयर दूसरी में लगा देती हैं ताकि एक्साइज ड्यूटी और इन्कमटैक्स

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लग सके। दूसरी जगहों पर यह शेयर खरीद लेती है ताकि पहली वाली कम्पनी को दिवालिया बनाया जा सके। इस तरीके से चोरी करने के लिए इसने कई तरीके अपना लिये हैं। कलकत्ता में मैट्रोपालीटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में इन के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है। मेरा कहना यह है कि मुकदमे में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल अदालत बनाने की जरूरत है ताकि करोड़ों रुपये की जो ये एक्साइज ड्यूटी छिपाये हुए हैं और इन्कम टैक्स छिपाए हुए हैं और काले धंधे का काम कर रहे हैं, उसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही हो सके।

इन्होंने एक्साइज ड्यूटी न देने का फैसला किया है और नई कम्पनी को खोल कर उस में पूंजी लगा रखी है। ये नई कम्पनी खोलने के जुर्म में पकड़े भी गए हैं और एम० आर० टी० पी० एक्ट के सेक्शन 22 में कम्पनी बंद करवा कर इन्हें चेतावनी भी दी गई है। यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ इनके विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। इन्हें चेतावनी भी मिल रही है फिर भी ये अपना धंधा करने पर मजबूर हैं।

इन्होंने यह देखा कि सरकार का इतना कर बकाया है कि इन्हें भारी पड़ेगा, तो इन्होने बेनामी छोटी कम्पनी खोल कर अपना माल उसमें बनाना सुरू कर दिया, जिससे जरूरत पड़ने पर अपनी पुरानी कम्पनी बन्द कर सकें।

इस जुर्म का सुबूत यह है कि इन्होंने एशिया टोबेको कम्पनी नाम की एक कम्पनी हसुर में बनाई। साथ ही क्रांवन टोबेको, बम्बई, मास्टर टोबेको, बम्बई नाम की बेनामी इकाइयों की स्थापना कर दी गई और आई० टी० सी० का ज्यादा माल इन्हीं में बनाया जा रहा है।

इन्होंने अपनी फैक्टरी में मजदूरों से भी ठेकेदारी पर काम लेना शुरू कर दिया है। फलतः मजदूरों को उचित वेतन और बोनस नहीं मिल रहा है और उनका स्थायीकरण नहीं हो रहा है।

एक नई बात यह है कि इन पर एक्साइज के इतने ज्यादा केस हैं कि सरकार एक अलग सेल बना कर इनके सारे केसों को एक जगह ला रही है लेकिन इस में भी समय लगेगा। इसलिए हमारा कहना यह है कि जितने भी इनके ऊपर टैक्स बकाया हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं या इन्कम टैक्स है, उस सब को इन से पहले वसूला जाए। यह काला धंधा करके छोटी-छोटी कम्पनियों में प्रवेश कर गए हैं और जो एम० आर० टी० पी० एक्ट है, उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इनके डाइरैक्टरर्स के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाही करनी चाहिए और सरकार का जो ये धन रखे हुए हैं, इस को ये पहले दें, इसको पहले चुकाएं और इस के बाद मुकदमा चलता रहेगा। इन पर सरकार की 300 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी बकाया है। अगर इस राशि को वसूल कर लिया जाए, तो उत्तर बिहार में इन टैक्सों की बकाया राशि से कई योजनाएं बन सकती हैं। मेरा कहना यही है कि सरकार के खजाने में पहले ये बकाया रुपया टैक्सों का जमा कर दें और उसके बाद केस चलते रहें। ये बड़े-बड़े पूंजीपति लोग इसी तरह से बहुत सारे टैक्सों की चोरी किए हैं।

इसको शीघ्रता से वसूल किया जाए तो हमारी बहुत सी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। सभापति महोदय, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था, उस वक्त प्रश्न के माध्यम से इसका पुष्टिकरण हो चुका है। एक वर्जीनिया नाम का टोबेका है जो शायद दक्षिण से लाया जाता है। उत्तरप्रदेश में सहारनपुर में फैक्ट्री में यह वर्जीनिया टोबेको आता है, जिसमें एक तरह का कीड़ा होता है जो फसल में लग जाए जो दूसरी फसल को भी नष्ट कर देता है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार का वर्जीनिया टोबेको न लाएं, लेकिन फिर भी सरकार की चेतावनी के बावजूद भी ये अपना कार्यक्रम चालु रखे हुए हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह कीड़ा जब किसी कृषक की खेती में चला जाता है तो वह फसल नष्ट कर देता है।

मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 309, दिनांक 21.3.83 में बताया गया है कि एम० आर० टी० पी० एक्ट की धारा 23, (4) तथा कंपनीज एक्ट की धारा 108 (ए) धारा 372 (4) तथा, 269, 198, 309 में आई० टी० सी० ने अप्रूवल मांगी है, जबकि अप्रूवल से पहले ही विश्वरामा होटल का अधिग्रहण कर लिया गया था। साथ ही श्री ए० एन० आक्सर को बिना कंपनीज एक्ट के अप्रूवल 'लिए ही रुपए 7500 मासिक तथा एक परसेंट कमीशन और अन्य सुविधाओं के साथ होल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया। उनका अपाएंटमेंट तो 1.7.80 को ही कर दिया गया, जबकि अप्रूवल 21.3.83 को भी नहीं लिया गया।

सभापति महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 943, दिनांक 1.3.83 में बताया गया था कि बहुत सी ऐसी फाइलें जो सरकार चाहती है, वे गुम कर दी जाती हैं। सरकार के सामने फाइलें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। इनको चेतावनी दी गई थी कि सारी फाइलें प्रोड्यूस करें, लेकिन अभी तक नहीं की गई हैं। इनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 847, दिनांक 1.8.83 में यह स्वीकार किया गया है कि आई० टी० सी० द्वारा अनियमितता बरती गई है। बिहार होटी के 32500 हिस्सों का अधिग्रहण किया है। टफ टूल इंटरनेशनल के 100 रुपए के 980 शेयर्स का अधिग्रहण किया गया है, विश्वराम होटल के 10 रुपए के 80000 शेयर्स का अधिग्रहण किया गया है, रोल प्रिंट पैकेजिंग के 10 रुपए के 22000 शेयर्स का अधिग्रहण किया गया है, विनाकल इन्वेस्टमेंट के 10 रुपए के 202 शेयर्स और सगा इन्वेस्टमेंट के दस रुपए के 202 शेयर्स की बिना अनुमति के खरीद की गई है। इसी प्रकार इन्होंने इंडिया सीमेंट के शेयर भी बिना अनुमति अधिग्रहण करके एम० आर० टी० पी० तथा कंपनीज एक्ट का वायलेशन किया, जिसकी सूचना प्रश्न संख्या 847, दिनांक 1.8.83 को दी गई है।

प्रश्न संख्या 846, दिनांक 1.8.83 से यह सूचना मिली है कि आई० टी० सी० ने 9.11.78 तथा 4.10.79 को गाइडलाइन्स की कोई परवाह नहीं की और उल्लंघन किया है।

प्रश्न संख्या 1527, दिनांक 8.8.83 में यह स्वीकार किया गया है कि आई० टी० सी० ने एम० आर० टी० पी० का उल्लंघन किया है, इसकी जांच हो रही है, पर इस केस में भी इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है।

प्रश्न संख्या 611, दिनांक 3.5.82 के अंतर्गत यह बताया गया था कि आई० टी० सी० को 8.3.82 को सेक्शन 22 आफ एम० आर० टी० पी० के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है, इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

प्रश्न संख्या 2460, दिनांक 23.3.82 के अन्तर्गत फारेन एक्सचेंज के दुरुपयोग का मामला आया था, इसके बारे में आज तक रिकार्ड प्रोड्यूस नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या 1637, दिनांक 8.8.83 में यह स्वीकार किया गया है कि इनके डायरेक्टर विदेशों में अत्याधिक खर्चा दिखा रहे हैं तथा इसका विवरण भी दिया गया कि एक डायरेक्टर 7 लाख 20 हजार तक एक साल में खर्च कर चुका है, पर इस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।

प्रश्न संख्या-554 दिनांक 2.5.83 को यह स्वीकार किया गया कि आई० टी० सी० में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को टैम्पोरेरी रखा जाता है तथा उन्हें तीन माह के बाद निकाल दिया जाता है। इस पर भी अभी तक कोई जांच नहीं की गई है और हजारों कर्मचारियों का जीवन खराब किया जा रहा है। प्रश्न संख्या-54 दिनांक 26.4.82 को स्वीकार किया गया है कि बी० ओ० पी० पी० के विक्रय में कुछ अनियमितताएं हैं और एम० आर० टी० पी० का उल्लंघन हुआ है। इसकी भी जांच पूरी नहीं की गई और न ही सी० बी० आई० को केस दिया गया। हमारा आग्रह है कि सी० बी० आई० की मर्फत इसकी जांच होनी चाहिए। प्रश्न संख्या-56 दिनांक 26.4.82 को स्वीकार किया गया कि सिक्किम में इसने अनाधिकृत फैक्टरी लगाकर बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की तथा वहां पर बिना लाईसेंस के फैक्टरी लगाई। इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फरवरी 1983 को सुप्रीम कोर्ट ने आई० टी० सी० से करीब 109 करोड़ वसूलने का आदेश दिया था। आज तक कोई वसूली नहीं हुई है। यह बताया गया है कि आइ० टी० सी० ने पेमेंट 19 करोड़ का किया है। सरकार को 98 करोड़ रुपया वसूल करना है। इसने सरकार के आदेश के साथ-साथ ज्युडिशियरी को भी अपने हाथ में लिया हुआ ज्युडिशियरी का आदेश है कि 109 करोड़ रुपया चुकाना चाहिए जबकि 98 करोड़ रुपया अभी बकाया है। प्रश्न संख्या-107 दिनांक 3.5.83 को यह स्वीकार किया गया है कि आइ० टी० सी० ने छकड़ों से से करीब 5776 लाख तथा 5953 लाख पैकेट सिगरेट सहारनपुर फैक्टरी से जनवरी, फरवरी 1983 में बाहर निकाली है। आश्चर्य की बात है कि ट्रक की जगह छकड़ों का प्रयोग कब से और क्यों शुरू कर दिया है। यह भी तय कर दिया गया है कि जितना प्रोडक्शन करें, उसको काफी नाप-तौल के बाद ट्रक के द्वारा फैक्टरी से बाहर लाया जाए लेकिन भैंसे वाली गाड़ी पर लादते हैं जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है। कितना प्रोडक्शन करते हैं, उसका कुछ पता नहीं लगता है। सरकार की एक्साइज ड्यूटी जा रही है। इस तरह से खुले-आम एम० आर० टी० पी० और कंपनीज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या-1942 दिनांक 11.8.83 को यह स्वीकार किया गया है कि आइ० टी० सी० ने ज्यादा प्रोडक्शन करके भारी संख्या में एक्साइज ड्यूटी छिपा रहा है। ....(व्यवधान).... प्रश्न संख्या-1067 दिनांक 2.8.83 को यह स्वीकार किया गया है कि आइ० टी० सी० के उत्पादन तथा बिक्री को छुपाने

के आरोपों की जांच की जाएगी। आज तक कोई जांच नहीं की गई है। प्रश्न संख्या-2264 दिनांक 16.8.83 को बताया गया कि आइ० टी० सी० से 44.73 लाख इन्कम टैक्स लिया जाना बाकी है। आज तक यह वसूल नहीं हो पाया है।

प्रश्न संख्या 179 दिनांक 24.4.84 में बताया गया है कि आई० टी० सी० के तरफ एक्साइज का बड़ा बकाया वसूल किया जाना है परन्तु इसके बावजूद भी इनको बहुत बड़ी राशि वापस कर दी गई। क्या इस राशि को बकाया राशि में से एडजस्ट नहीं किया जा सकता था ? इसी तरह प्रश्न संख्या 107 दिनांक 30.4.84 में यह स्वीकार किया गया कि आई० टी० सी० के विरुद्ध सैक्शन 372 के कम्पनीज एक्ट के वायलेशन का मामला दर्ज करके कार्यवाही की जा रही है। यह भी स्वीकार किया गया कि 11.7.84 को आई० टी० सी० के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया है। जब यह मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा है तो क्या कारण है कि कम्पनी के डायरैक्टर्स को अरैस्ट न करके उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इस तरह उनका कुछ बिगड़ता नहीं है और वे अपना काला-धंधा करते जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में सरकार ने इन पर 7 मुकदमे किए हैं, जिनमें से एक सप्रैशन ऑफ प्रोडक्शन एण्ड रिमूवल ऑफ गुड्स विदाउट पेयमैंट का मुकदमा भी शामिल है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इनके ऊपर जो टैक्सेशन बकाया है, उसको वसूलने की कार्यवाही की जाए। क्योंकि लेबर के साथ यह लोग बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। इस कम्पनी में सारी पूंजी सरकार की लगी हुई है लेकिन उसका फायदा प्राइवेट लोग उठा रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार इण्डियन टोबेको कम्पनी का अविलम्ब अधिग्रहण कर ले। राष्ट्र-हित में भी यह कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है।

इसके प्रबन्धक एडवर्टाइजमैंटस के नाम पर विदेशों की सैर करते हैं. इसके टैक्नीशियन भी विदेश जाते रहते हैं और इस कार्य में कम्पनी का बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस कम्पनी का जल्दी से जल्दी अधिग्रहण कर ले।

यदि किसी कारण-वश यह सम्भव न हो तो मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि हम संसद-सदस्यों को शामिल करके एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इस कम्पनी के कार्यकलापों का अध्ययन करे, उत्पादन और वितरण में जिस तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जितने गैर-कानूनी कार्य वहां हो रहे हैं, अनियमितताओं का जाल सा बिछा हुआ है सरकार और प्रबन्धक लोग जिस तरह से राष्ट्र-विरोधी, देश-विरोधी, जनता-विरोधी और विरोधी, कार्यों में लगे हैं, उन सब का पर्दाफाश हो सके। वहां जिस तरह सेकम्पनी एक्ट, एम० आर० टी० पी० एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उसकी जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दे और सरकार के आधार पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर सके। यदि सम्भव हो तो इस कम्पनी का अधिग्रहण कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इण्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड का उपयुक्त प्रबन्ध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिये, उस उपक्रम का प्रबन्ध-ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इण्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड का उपयुक्त प्रबन्ध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए उस उपक्रम का प्रबन्ध-ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के माध्यम से सभा को यह बताया है कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कितनी शक्तिशाली हैं और कितनी सफलता और चतुराई से देश के कानूनों का उल्लंघन करती हैं, तथा अपने लाभ को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लगाती रहती हैं।

माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है मैं उसे दोहराने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वास्तव में वह व्यक्ति इस देश की सर्वोच्च सत्ता के नजदीक था और इस व्यक्ति के कम्पनी के साथ संबंधों के कारण ही यह कम्पनी, अर्थात् आई० टी० सी०, यह अनिष्ट कर पायी, जैसा कि माननीय सदस्य ने हम सबको बताया है। मैं मानता हूं कि ऐसा ही हुआ होगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। वास्तव में केवल सिगरेटों से केन्द्रीय सरकार को 906 करोड़ रु० का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह 200 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी कमाती है। जैसी कि स्थिति है, सरकार आई० टी० सी० जैसी बड़ी कम्पनी द्वारा किये जा रहे गम्भीर अनियमितता और गम्भीर अपराधों की अनदेखी कर रही है, जो कि आश्चर्यजनक बात है और जिसकी निन्दा की जानी सरकार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है कि वह तम्बाकू उत्पादकों के भविष्य को और इस कम्पनी में कार्यरत श्रमिकों के भविष्य को भगवान के भरोसे छोड़ दे। वास्तव में इस आई० टी० सी० की कई शाखाएं बन्द हो गई हैं। वे चालू नहीं हैं। इसके साथ ये कम्पनी कृषकों, तम्बाकू उत्पादकों के उत्पादन और मजदूरों से कमाये हुए करोड़ों रु० के लाभ को होटल उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग और निर्यात आदि में लगा रही है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने भी बताया है। ऐसा नहीं कि अकेली यह कम्पनी ऐसा कर रही है। कुछ अन्य कम्पनियां भी हैं जो कि इसी प्रकार अनियमितता में और गलत काम कर रही हैं और हमारे देश की छवि को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धूमिल कर रही हैं। वे उस ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा का पालना उतना भी नहीं कर रही हैं जितना उन्हें कम से कम करना ही चाहिए। इसके फलस्वरूप चीन जैसे देश ने जोकि हमारे देश से काफी मात्रा में तम्बाकू का आयात करता था, अब ऐसा न करने का फैसला किया है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उन सभी कम्पनियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करे जोकि इस देश के कानून का पालन नहीं कर रही हैं। माननीय सदस्य ने विशिष्ट

उदाहरण दिये हैं, लेकिन अभी तक आई० टी० सी० कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमें मात्र यह बताया गया है कि महानिदेशक (निरीक्षण लेखा-परीक्षा और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) कागजातों की जांच कर रहे हैं। इन कागजातों की जांच के लिए उन्हें कितने माह और कितने वर्ष चाहिएं। वे कब तक इसमें फैसला ले लेंगे ? हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान तम्बाकू उत्पादकों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं आन्ध्र प्रदेश से आया हूं जहां कि कुछ तम्बाकू 'फ्लूक्योरड वर्जिनिया तम्बाकू' का 90% उत्पादन होता है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन उत्पादकों का ध्यान रखें। वे यह सुनिश्चित करें कि व्यापारी ठीक ढंग से पेश आयें। जहां तक इन उत्पादकों का संबंध है, वे कम्पनी के एजेंटों या खरीददारों की दया पर हैं। इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि कम्पनी इन उत्पादकों को पैसा भी देगी या नहीं। इनके बकाया करोड़ों रु० के भुगतान को टाल-मटोल किया जा रहा है और लूटा जा रहा है। तम्बाकू बोर्ड बनने के बाद ही इन तम्बाकू उत्पादकों को कुछ सुरक्षा मिल पायी है। 'खुली बोली प्रणाली' (ओपन आक्शन प्लेटफार्म सिस्टम) से पूर्व ये किसान खरीददार की ही दया पर थे। पिछली फसल से इस प्रणाली का पहले कर्नाटक और अब आन्ध्र प्रदेश में प्रचलन हो गया है। ऐसा नियम है कि किसानों को 50% रकम 15 दिन के अन्दर और बाकी 50% रकम 45 दिन के अन्दर दे दी जाए। मुझे कहते हुए खेद होता है कि इसे जारी नहीं रहने दिया गया और जैसा कि कुछ कम्पनियों ने पहले भी काफी संख्या में किसानों को उनके पैसे देने में धोखा दिया था। किसानों को अभी भी अपनी रकम उनसे लेनी है। इस 'प्लेटफार्म सिस्टम' के शुरू होने से मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि किसानों को कुछ सुरक्षा मिली है क्योंकि उनको उनकी रकम अवश्य मिलेगी चाहे यह भाव 5 या 10 रु० प्रति टन कम ही क्यों न हो। तम्बाकू बोर्ड चेक से भुगतान करता है। किसानों को मात्र बैंक जाकर 15 दिन के अन्दर भुगतान प्राप्त करना होता है और बाकी रकम उन्हें 45 दिनों के अन्दर मिल जाती है। लेकिन अभी भी किसानों को न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि न्यूनतम निर्यात मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी अन्तर है। वास्तव में इसे निर्यात करने के लिए अन्य कार्यों पर मांग 250 रु० ही पर्याप्त हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस पर पुनः विचार करें।

यह एक अच्छी बात है कि आपने तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की है। जहां तक बोर्ड के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि :

निर्यातकों में हानिकर प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को तम्बाकू के न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करना…

इसका मतलब है, सरकार निर्यातकों के प्रति सहानुभूति रखती है, न कि तम्बाकू उत्पादकों के प्रति जोकि तम्बाकू पैदा करते हैं और सूखे चक्रवात, ज्वारीय लहर और अन्य कई प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करते हैं। उनकी कोई सुरक्षा भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बोर्ड के कार्यों में यह जोड़ा जाए :—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों से खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश करना जो उत्पादन लागत, जोखिम ध्यान में रखकर तय किया गया हो। और निर्यातकों के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ उस मूल्य को सम्बद्ध करना।

इस तरह तम्बाकू बोर्ड का यह भी एक कार्य होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इंडियन टोबेको कम्पनी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे, जोकि राष्ट्र का काफी अहित कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह आई० टी० सी० के तम्बाकू विंग (विभाग) का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले और इसे अच्छी प्रकार चलाए ताकि गलती करने वाले गैर-सरकारी व्यापारी अच्छी प्रकार का व्यवहार करें। सरकार एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार इससे काफी राजस्व प्राप्त कर सकती है विदेशी मुद्रा कमा सकती है :

इसको देखते हुए, सरकार से निवेदन करूंगा कि और समय नष्ट किये बिना वह शीघ्र आगे कार्यवाही करे। माननीय सदस्य जिन्होंने विधेयक पेश किया है, प्रश्न रखे हैं, और उन्हें उत्तर मिल गये हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन सब बातों के होते हुए, भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : महोदय, मेरे मित्र पासवान साहब ने इस टोबैको कम्पनी की स्थिति के बारे में जो बताया है और जितनी मेहनत के साथ उन्होंने इस कम्पनी के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की बात यहां पर रखी है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। जिस समय वह अपने आंकड़े सदन के सम्मुख हमारी जानकारी के लिये रख रहे थे तो माननीय मिनिस्टर जिनका मंत्रालय इस काम को देखता है वह उस समय मुस्करा रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत दिल बना लिया है और कम से कम मेरा ख्याल यह है कि वह इस कम्पनी के द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच जरूर करवायेंगे। जहां पर जो गलतियां उन्होंने की हैं, उनको दुरुस्त करवायेंगे।

इतनी बड़ी कम्पनी, जिसके विषय में जहां तक हमारी जानकारी है वह इस व्यापार में लगी है, एक बहुत बड़ी कम्पनी है जो बहुत सा फारेन एक्सचेंज कमा कर हमको देती है। जब उस कम्पनी के द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ियां हो तो इससे दूसरी कम्पनियों के लिये भी गड़बड़ी का रास्ता खुलता है। आज हकीकत यह है कि इस तरह की जितनी प्राइवेट आर्गेनाइजेशन हैं, कम्पनियां हैं, वह सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके सरकार की नीतियों का दुरुपयोग करके पैसा कमाने का कार्य कर रही हैं। उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जितना फायदा होना चाहिए वह फायदा नहीं मिल पा रहा है और न उस कम्पनी के साथ जुड़ी हुई कम्पनियों को कोई लाभ हो पा रहा है। हमको यह देखना होगा, मजबूती के साथ देखना होगा कि इन कम्पनीज में पैसा अधिकांश गवर्नमेंट का लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस का लगा हुआ है, आई० डी० बी० आई० का लगा हुआ है, अकेले आई० डी० बी० आई० जिस का एडमिनि-

स्ट्रेटिव कंट्रोल इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के पास है, यदि आप देखें तो उसका अधिकांश पैसा इन बड़ी-बड़ी कम्पनीज के पास फंसा हुआ है और उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। किसी न किसी बहाने आई० डी० बी० आई० के लोन का वह फायदा लेते हैं और जब रिटर्न की बात आती है तो फिर किसी दूसरे माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन से या बैंक से कर्ज लेकर अपना काम चला लेते हैं। पैसा गवर्नमेंट का लगा होता है और मुनाफा होता है तो वह कम्पनी के पास जाता है। और अब मल्टीनेशनल्स भी इसी प्रकार के प्रैक्टिसेज अपनाने लगे हैं। इसके अलावा और दूसरी बड़ी-बड़ी अनियमितताएं इन कम्पनीज के द्वारा की जाती हैं। वह कम्पनीज एक्सपोर्टर के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके द्वारा इस प्रकार की अनियमितता की जाती है कि उनको एक्सपोर्ट के साथ कुछ इम्पोर्ट करने की भी इजाजत दी जाती है, उसका फायदा उठाकर कुछ चीजें वह इम्पोर्ट कर लेती हैं और इम्पोर्ट करके उसको बेचने के लिए एक अलग प्रकार का आर्गेनाईजेशन वह देश में खड़ा कर लेती हैं। वह जो मुनाफा कमाते हैं उसको डाईवर्सिफाई करके दूसरे क्षेत्र में लगा लेते हैं। जैसे इसी कम्पनी के विषय में अभी हमारे कुछ मित्र बता रहे थे कि अब होटल के बिजनेस में यह कम्पनी आना चाहती हैं। जो मुनाफा कमा रही है उसको उस काम में लगाना चाहती है। वहां भी वह बड़े-बड़े होटल लगाएगी। जिस काम को सरकारी आर्गेनाइजेशन करते हैं उसमें ये कम्पीट करेंगे। और हमारे देश के दूसरे आर्गेनाइजेशन जो छोटे-छोटे घराने हैं या जो दूसरे छोटे लोग हैं उनके साथ वह कम्पीट करेंगे। चूंकि ये बड़ी मछली हैं और बढ़िया, बेहतर तरीके से कम्पीट कर सकते हैं तो छोटी मछली को खा जाएंगे।

माननीय मंत्री जी से इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऐसी इजाजत न दी जाय कि वह ऐसे क्षेत्र में घुसें जहां दूसरे लोगों को जो उस क्षेत्र में ठीक से एस्टैब्लिश भी नहीं हो पाए हैं उनको ये निकाल कर बाहर कर दें। और भी कई मामलों में ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां अनियमितताएं करती हैं। सरकार ने इस बजट में बहुत सारी रियायतें प्राइवेट सेक्टर को दी हैं। उन रियायतों से एक माहौल बना है इस बात का कि ये उत्पादकता को बढ़ाएंगे एक माहौल बना है कि जो उत्पादन इनका आएगा उसकी कीमत कम होगी और अच्छा उत्पादन होगा, साथ-साथ जो उसमें काम करने वाले लोग है, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा। लेकिन हमारी ये उम्मीदें अगर पूरी नहीं हुई तो ये जो कंसेशंस हमने बजट में इनको दिए हैं उनके लिए लोग हमारी आलोचना करेंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि हमने जो कंसेशन दिए हैं, जो चैलेंज प्राइवेट सेक्टर के सामने रखे हैं वह अपने आपको उसके अनुरूप सिद्ध करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया और साथ-साथ भाई पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी बातें जो हमारी नौलेज में नहीं थीं उन को यहां लाकर उनसे हमें अवगत कराया।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : मान्यवर, भाई पासवान जी जो इंडियन टुबैको कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध ग्रहण विधेयक लाए हैं और जिस प्रकार के तथ्य उन्होंने इस कम्पनी के

सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं वह दरअसल चौंकाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले मैं पासवान जी की राय से और रावत जी की राय से अपनी सहमति प्रकट करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दरअसल जो देश में मिक्स्ड एकोनामी के अन्तर्गत हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की योजना बनायी है और यही नहीं अब तो कोआपरेटिव सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर वगैरह बनने लगे है, इनमें सारी जो पूंजी है वह तो देश के फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस और सरकार की है। आपने देखा कि पिछले 37 वर्षों में किस तरह से इन लोगों ने जो सरकार ने सुविधाएं दीं, बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस से जो सुविधाएं इनको मिलीं उसका किस तरह से इन प्राइवेट लोगों ने शोषण किया है। मैं अध्ययन कर रहा था, देश में जितने ले ऑफ, छंटनी और सिक मिल्स डिक्लेयर करने की बातें हुई हैं, उनमें यह नहीं है कि वह वास्तव में सिक मिल हों, वह तो केवल बहाने बनाकर एक कम्पनी का रुपया दूसरी कम्पनी में लगाते जाते हैं। और जैसा कि भाई पासवान जी ने कहा, वे अपने ऐशो आराम बढ़ाते जाते हैं। यह ठीक है कि उनको सुविधायें दी जायें और इस बार हमारा जो बजट आया है वह जाब-ओरिएन्टेड है जिसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके ध्यान में वह करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे बेरोजगार नवयुवक हैं, उनको ध्यान में रखकर ही यह बजट बनाया गया है। मैं अपने इण्डस्ट्रीज मिनिस्टरी से भी कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे अधिक योगदान उनकी मिनिस्ट्री का ही है क्योंकि इण्डस्ट्रीज को आपका मंत्रालय ही कन्ट्रोल करता है। और जैसा कि मैं अभी पहले कह चुका हूं कि ईसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर या कोआपरेटिव सेक्टर की कोई बात नहीं है, जो भी धन लगा हुआ है वह सरकार का और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है इसलिए उसका दुरुपयोग न होने पाए—इसकी देख-भाल करने के लिए उद्योग मन्त्रालय में कोई मानीटरिंग सेल होना चाहिए।

यहां पर माननीय श्रम मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि वे इस दृष्टि से विचार करें कि श्रमिकों के हित के लिए जो भी श्रम कानून हुए हैं उनका कहीं पर उल्लंघन तो नहीं होता है और कहीं पर श्रमिकों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है। इण्डस्ट्रीज से संबंधित जो लाज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो लाज हैं उनका अब उल्लंघन किया गया है तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं यह सदन सहमत होगा कि यदि आप संसदीय दल के द्वारा जांच नहीं करवा सकें तो कोई उच्चस्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए जिसमें कि लेबर डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि हो, इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि हो और फाइनेन्स डिपार्टमेंट का भी उसमें एक प्रतिनिधि रहे जहां से कि सारी धनराशि आई है। हमारे प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं, जो सरकार का करोड़ों रुपया अदा नहीं करती हैं। यदि आप जानकारी प्राप्त करें तो आप देखेंगे करोड़ों-अरबों-खरबों रुपया एक्साइज ड्यूटी का, इनकम टैक्स का या सेलसटैक्स का विभिन्न कम्पनियों की तरफ कोर्ट से स्टे लेकर बकाया है। मान लीजिए दस करोड़ के स्टे ले लिया, तो इस पर इन्टरैस्ट कितना होता है और इसी इन्टरैस्ट पर ही वे दूसरी कम्पनियां बना रहे हैं।

श्री हरीश रावत : वकीलों से मिलकर।

श्री राम प्यारे पनिका : इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्टे लेकर पैसा न देने वालों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए कि किस तरह से स्टे मिलता है। हमारे नौजवान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, ने संकल्प लिया है पुराने कामों को करने के लिए देश की बेरोजगारी दूर करने और जनता को 21वीं शताब्दी में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसी तैयारी करके जायें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी हमको धन्यवाद दे। तरक्की चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में हो, हमको उत्तरोत्तर देश का विकास करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि विदेशों में भी हमारी प्रतिष्ठा कायम हो। यह बिल छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत सारी इन्डस्ट्री की पालिसी आ जाती है। अभी पिछले दिनों हमारा बजट आया था, उसमें आप ने देखा होगा कि देश के लोगों की बेरोजगारी दूर करने की दिशा में, देश का चहुंमुखी विकास करने की दिशा में बहुत सी बातें कही गई हैं। लेकिन विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा कहा जाता है कि हम रास्ते से हट रहे हैं। सोशियलिस्टिक पैट्रन, समाजवाद की बात कही गई, समाज के मायने गरीबी बढ़ाना नहीं होता है, समाजवाद के मायने हैं हम कुछ कमायें, कुछ धन हों और बांटे। (व्यवधान)···· मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो नीति 1956 में बनी, वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री, इंदिरा जी, के समय में भी चलती रही। 1985 के चुनाव के पहले देश के सामने, अवाम के सामने जो कठिनाइयां थीं और इसके संबंध में जो घोषणायें की गई थी, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए जरूरी था कि ऐसी योजनायें बनाई जायें जिससे देश की जनता का आर्थिक रूप से विकास हो सके। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि देश के विभिन्न सैक्टरों में थोड़ा ईमानदारी से जो काम करने की भावना रखी गई है, वह पूर्ण हो सके। इतना करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत साधारण विधेयक है इसमें भारतीय तंबाकू कम्पनी मिमिटेड, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, का प्रबन्ध ग्रहण करने की बात कही गई है। हम हमेशा इस हक में रहे हैं कि गैर सरकारी कम्पनियों का अधिग्रहण किया जाए। हमारी हमेशा यह दलील रही है कि हमारे देश में सरकारी उद्यमों का अधिक से अधिक विकास हो।

सरकार को हमारे संविधान में उल्लिखित समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गई-जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यम लोगों को धोखा देते रहें तो हम समाजवाद के लक्ष्य नहीं पहुंच सकते। उस आधार पर, हम सदा इस पक्ष में रहे हैं कि सरकार गैर सरकारी कम्पनियों का प्रबंध ग्रहण कर ले। यह कंपनी घाटे में नहीं चल रही है और इस कम्पनी का अधिग्रहण करने से सरकार कुछ हानि नहीं उठान पड़ेगी। ············(व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ (अस्क) सरकार रुग्ण उद्योग का अधिग्रहण कर सकता है। जब यह कम्पनी रुग्ण नहीं है तो सरकार इसका अधिग्रहण क्यों करे ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : चूंकि कोई व्यक्ति लाभ कमा रहा है, अतः हमें उसका लाभ छीन लेना चाहिए। क्या यही राष्ट्रीयकरण का आधार है ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यदि वे लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें वह लाभ कहां से हो रहा है ? 50% से अधिक पूंजी लोगों की है, राष्ट्र की है और उस धन का दुरुपयोग कर वे लाभ कमा रहे हैं। वे लोगों के पैसे से लोगों को ही धोखा दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जनता के धन से जनता को ही धोखा दे रहा है, तो हम ऐसा कब तक होने देंगे ? इसलिये मैं इसके प्रबन्ध ग्रहण किए जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

कम्पनी ने सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क का वैध भाग सरकार को नहीं दिया है। इसीलिए सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

कंम्पनी बिचौलिया प्रणाली प्रारंभ करने में सफल रही है। वे कुछ विक्रय एजेंटों को नियुक्त कर रही है। वे एजेंट कंपनी के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर हमेशा लोगों को धोखा देने का प्रयत्न करते रहे हैं। कम्पनी और एजेंट दोनों ही जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी के उत्पादों के मूल्यों मेंनिरंतर वृद्धि हो रही है अत. मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कंपनी का अधिग्रहण करते समय उन्हें बिचौलियों अथवा विक्रय एजेंट की व्यवस्था भी समाप्त कर देनी चाहिए।

मैं एक अन्य जिस मुद्दे का जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि यदि सरकार इस कंपनी का प्रबन्ध करती है, तो रोजगार के अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। अतः उन्हें युवा बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए इस मौके का लाभ उठाना चाहिए।

उपरोक्त सभी कारणों से यह स्पस्ट है कि इस कंपनी का अधिग्रहण किये जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, मैंने विधेयक पढ़ा है और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। विधेयक के खंड (3) के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कंपनी का ग्रहण किए जाने के बाद इसके प्रबंध के लिए लोकतांत्रिक निकाय बनाया जाए और उसमें श्रमिकों की सहभागिता होनी चाहिए। कुछ नामजद व्यक्तियों को यह कंपनी चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यदि उन्हें नामजद नहीं किया जाता तो क्या उन्हें निर्वाचित किया जाना चाहिए।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : नहीं, उसमें श्रमिकों की सहभागिता होनी चाहिए और उन्हें कंपनी के शेयर होल्डर आदि बनाया जा सकता है। केवल दलालों को ही यह कंपनी नहीं चलाने दी जानी चाहिए।

मैं जानता हूं कि इस विधेयक के बारे में निर्णय लिया जायेगा क्योंकि इतनी सब बातों

पर चर्चा करने तथा इतना कुछ कहने के बाद अंत में मंत्री महोदय इस विधेयक के प्रस्तावक से इसे लेने का अनुरोध करेंगे तथा विधेयक प्रस्तावक को यह विधेयक वापिस लेना पड़ेगा।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें हर बात सामान्य ढंग से नहीं लेनी चाहिए। हमें कुछ बातों पर गंभीरता से सोचनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल के सदस्य ने ही यह विधेयक प्रस्तुत किया है और कुछ माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है और हम विपक्षी दल के सदस्य भी खुशी से इसका समर्थन कर रहे हैं, फिर यह विधेयक पारित क्यों नहीं किया जाता ?

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की इस विधेयक के संबंध में दो राय हैं। मैं नहीं जानता कि क्या अब भी सत्तारूढ़ दल समाजवाद लाने के प्रति वचनबद्ध है। वे संभवतः यह शब्द भी भूल चुके हैं।

दूसरी बात यह है कि सत्तारूढ़ दल तथा सरकार पर एक लॉबी द्वारा इसके लिए बहुत दबाव डाला जा रहा है कि इसका ग्रहण न किया जाए क्योंकि बिना उनके पैसे से सत्तारूढ़ दल की हार निश्चित है।

श्री राम प्यारे पनिका : क्या आपका अभिप्राय पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल से है ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि वे इस दबाव से छुटकारा पाने में सफल हो पायेंगे। अन्त में मैं मंत्री महोदय तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सद्‌भावना दिखा कर इस विधेयक को पारित करें। मुझे आशा है कि यह विधेयक पारित किया जाएगा।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : महोदय, इस विधेयक को पेश करते समय माननीय सदस्य ने जो आरंभिक वक्तव्य दिया उससे पता चलता है कि स्थिति बहुत खराब है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि यदि सरकार इसका प्रबन्ध ग्रहण करती है तो उसे 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि यदि माननीय सदस्य द्वारा उद्धत की गई सब बातें सही हैं तो इस कंपनी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ताकि आगे और विलम्ब नहीं हो।

मेरा मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उस कंपनी के विरुद्ध जो विशिष्ट आरोप लगाए हैं, वे उनका उत्तर दें।। वह इस सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं और उन्होंने सरकार द्वारा राज्य सभा में दिये गए कुछ उत्तर भी उद्धत किए हैं। यदि सरकार द्वारा वहां दिए गए सभी जवाब और उदाहरण सही हैं तो सरकार सदन तथा देश की जनता के समक्ष इन आरोपों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। अतः सरकार को बताना चाहिए कि अब तक क्या कार्यवाही की गई है। अभी तक केवल 6 मामले दर्ज किए गए हैं और माननीय

सदस्य का कहना है कि सरकार का ध्यान 20 से अधिक मामलों की ओर दिलाया जा चुका है। मैं इस बात पर बल दूंगा कि इन सब मामलों में विशेष रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। मन्त्री महोदय के पास राज्य सभा के रिकार्ड जांच के लिए उपलब्ध हैं। उन्हें उठाए गए सभी मुद्दों को देखना चाहिए तथा उनकी जांच करनी चाहिए। यदि उनमें कुछ सचाई है तो तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कंपनी अधिनियम अथवा एकाधिकार तथा निबंधनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम संविधि पुस्तकों में कानून और विनियम हैं जिनसे सरकार को इस दिशा में कुछ कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं बाद कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव है तो इस कंपनी का प्रबन्ध ग्रहण करने संबंधी यह प्रश्न गौण मामला होगा। इन सब गलत कार्यों, धन का दुर्विनियोग करके उसे अन्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग करने की इच्छा संबंधी बातों को प्रकट होने से पता चलता है कि बहुत दुःखद स्थिति है।

इसका अन्य पहलू यह है कि कम्पनी संभवतः जिन सैकड़ों हजारों श्रमिकों को नियुक्त करती है हर तीन महीने बाद उनकी छटनी की जाती है ताकि उन्हें नियमित न किया जाए और इसी आधार पर उन्हें पुनः भर्ती किया जाता है।

यह एक अन्य कदाचार है और इसलिए श्रम मंत्रालय को इस ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिए।

मैं विधेयक के प्रस्तावक की भावनाओं से सहमत हूं, साथ ही मेरा अनुरोध है कि इस कदाचार को समाप्त करने तथा उसके लिए दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए जो भी कानून हैं सरकार उनके तहत तुरंत कड़ी कार्यवाही करे तथा भविष्य के लिए भी कुछ उपाय किए जांए ताकि अन्य कंपनियां ऐसे गलत काम न कर सकें तथा भारत को करोड़ों रुपयों से वंचित न करें।

इस संबंध में मैं अन्य एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे बजट में गैर सरकारी क्षेत्र और विभिन्न अन्य निकायों के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की गई है और यह उचित समय है कि हमें इस ओर ध्यान दें कि उनका दुरुपयोग न हो और इसलिए जब गैर सरकारी क्षेत्रों को नए प्रोत्साहन दिए जाएं ताकि वे लोग जनता के धन का दुरुपयोग न करें और हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारी नई सरकार द्वारा जिस उद्देश्य से रियायतें दी गई हैं, वह पूरा हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं। मैं भी प्रबन्ध ग्रहण किए जाने का समर्थन करता हूं किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए कड़ी कार्यवाही की जाए। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह माननीय सदस्य द्वारा अपने भाषण में लगाए गए विशिष्ट आरोपों का भी जवाब दें।

[हिन्दी

श्री मोहर सिंह राठोड़ (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय राम भगत पासवान जी ने जो बिल रखा है, उससे यह यह सिद्ध होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज किस प्रकार से हमारे सार्वजनिक धन को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करके काला धंधा करके गलत तरीके में धन कमाकर हमारे दूसरे जो उद्यमी हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको भी बदनाम करते हैं, उनको भी गलत रास्ते बताते हैं। इससे हमारे देश का अहित होता है। हमारा अर्थ तंत्र इससे बिगड़ जाता है, यह हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पैसे का दुरुपयोग करके हमारे देश का ये अहित न करें ये हमारे देश से गलत तरीकों से धन कमा कर बाहर ले जाते हैं और उसकी वजह से यह भी पता लगा है कि इन्होंने जो सिग्रेटें बनाई हैं, उन पर ये मूल्य भी नहीं छापते हैं। यह इनका हमेशा का धंधा है। इसी प्रकार से ये टैक्सों की भी चोरी करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं और इस कंपनी ने घटिया माल हांगकांग में भेजा है। इससे हमारे देश की साख भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खराब होता है। यह सबसे बुरी बात है। छोटा अपराधी तो एक आदमी का कत्ल करता है, लेकिन इस प्रकार की जो कंपनियां हैं ये तो हमारे देश की इज्जत पर भी हमला करती हैं। हमारे यहां से धन कमाते हैं और हमको ही बदनाम कहते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी बदनामी होती है। ऐसी कंपनी को क्यों हमारा अर्थतंत्र बराबर धन देता रहता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

———

5.59 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 122/85 सी० शु०, जो 12 अप्रैल, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कंप्यूटरों को 160 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल्य सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूँ।

ग्रंथालय में रखी गई। [देखिए संख्या एल० टी० 707/85]

———

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 15 अप्रैल, 1985/25 चैत्र, 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।